दैश माला, खंड 10, अंक 35

मंगलवार, 10 मई, 2005
20 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
...025
Acc. No. 58
Dated 3/2/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 35, मंगलवार, 10 मई, 2005/20 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 621, 622, 624, 626 और 627	1–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 623, 625 और 628 से 640	34–75
अतारांकित प्रश्न संख्या 6578 से 6763	75–291
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा में किए गए कार्य के बारे में	291–292
सभा पटल पर रखे गए पत्र	292–304
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	304–305
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	305
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 152वें और 157वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री सुनील दत्त	305–307
(दो) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले और चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	307–309
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
वर्ष 1980 से पूर्व जिस वन भूमि पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है, उस वन भूमि को नियमित करने के लिए अनुदेशों और दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति	309–323
श्री मधुसूदन मिस्त्री	309, 315–317
श्री ए. राजा	309–315, 320–323

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	317–318
श्री संदीप दीक्षित	318–319
श्री बसुदेव आचार्य	319
श्री शैलेन्द्र कुमार	320
श्री गिरिधर गमांग	320
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005	323–325
(दो) बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005	346–347
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) दिल्ली और देश के अन्य भागों में मेनिनजाइटिस रोग फैलने के बारे में	325–334
(दो) आंध्र प्रदेश में जलापूर्ति को प्रभावित करने वाली गोदावरी नदी पर बबली सिंचाई परियोजना के कार्य के बारे में	346–347
नियम 377 के अधीन मामले	347–359
(एक) अलवर में दुग्ध विकास परियोजना को स्थापित किए जाने हेतु राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	347–348
(दो) मुम्बई, महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को एस.आर.ए. योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निवास एकक और जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री गोविन्दा	348
(तीन) देश में शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अध्ययन सामग्री को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सचिन पायलट	349
(चार) दिल्ली में निर्बाधित विद्युत आपूर्ति हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन कुमार	349–350
(पांच) तैयार स्वर्ण पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने तथा आयातित स्वर्ण सामग्रियों पर से सीमा शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	350
(छह) झारखंड में कोरबा से होकर लोहरदगा और गुमला के बीच रेलवे लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता	
डा. रामेश्वर उरांव	350–351
(सात) उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	351

विषय	कॉलम
(आठ) नाबार्ड के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता	
डा. सुजान चक्रवर्ती	351–352
(नौ) त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	352
(दस) बलिया और वाराणसी के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी संख्या-565 को बढ़ाकर इलाहाबाद तक किए जाने की आवश्यकता	
श्री तूफानी सरोज	352–353
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में देवरिया के केन्द्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में छात्रों का दाखिला किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन सिंह	353
(बारह) बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	353–354
(तेरह) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र के कुछ खंडों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
मो. मुकीम	354–355
(चौदह) देश में निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती वी. राधिका सेलवी	355
(पन्द्रह) देश में खाद्यान्न निर्यातकों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अप्पादुरई	355–356
(सोलह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर और इचलकरांजी संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोज्य किराया प्रभारित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती निवेदिता माने	356
(सत्रह) देश में साक्षरता दर बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डा. के. धनराजू	356–357
(अठारह) झारखंड के बोकारो जिले में सी.सी.एल. द्वारा खनन कार्यकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री टेक लाल महतो	357–358
(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री किन्जरपु येरननायडु	358
(बीस) असम सहकारी पटसन मिल लिमिटेड द्वारा तेजपुर रेलवे स्टेशन से बोरियों की चरणबद्ध तरीके से बुकिंग पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	358–359

विषय — कॉलम

सरकारी विधेयक

(एक) सूचना का अधिकार विधेयक, 2004—*विचाराधीन* 359–406

विचार करने के लिए प्रस्ताव 359

श्री सुरेश पचौरी 359–364

श्री वरकला राधाकृष्णन 364–370

श्री रामजीलाल सुमन 370–373

श्री मिलिन्द देवरा 373–382

श्री आलोक कुमार मेहता 383–385

श्री सचिन पायलट 385–388

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 388–390

श्री समिक लाहिरी 390–393

श्री शैलेन्द्र कुमार 393–395

श्री अधीर चौधरी 395–397

श्री किन्जरपु येरननायडु 397–400

डा. आर. सेनथिल 400–402

श्री असादूद्दीन ओवेसी 402–403

डा. सिबैस्टियन पाल 403

श्री राम कृपाल यादव 404–405

श्री रामदास आठवले 405–406

(दो) विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005—*पारित* 407–446

विचार करने के लिए प्रस्ताव 407

श्री कपलनाथ 407, 433–443

श्री रूपचंद पाल 408–416

श्री के.एस. राव 416–421

श्री गुरूदास दासगुप्त 421–425

श्री मधुसूदन मिस्त्री 425–426

श्री आलोक कुमार मेहता 426–429

प्रो. एम. रामदास 429–433

श्री रामदास आठवले 433

खंड 2 से 58 और 1 443–444

पारित करने के लिए प्रस्ताव 446

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 447

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 448–454

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 455–456

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 455–456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 10 मई, 2005/20 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, प्र.सं. 621

[हिन्दी]

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी योजना

***621. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मुन्शी राम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में कूड़े/ठोस अपशिष्ट की समस्या से निपटने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी योजना के लिए शत-प्रतिशत अनुदान देने हेतु अपनी स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) वे कौन से क्षेत्र/शहर हैं जहां कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(च) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सफाई कार्य किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार, प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन यू आर एम) तथा छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए व्यापक कार्यनीति तैयार कर रही है।

वर्तमान में पक्षी संबंधी खतरों से रक्षा सेवा विमानों की सुरक्षा के लिए चुनिंदा 10 हवाई क्षेत्र नगरों में कचरा प्रबंधन और जल निकासी कार्यों के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। ये नगर अम्बाला तथा सिरसा (हरियाणा), आदमपुर (पंजाब), बरेली तथा हिण्डन (उ.प्र.), डुंडिगल (आंध्र प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र) और तेजपुर (असम) हैं। यह स्कीम 100% केन्द्रीय अनुदान से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में सेनेटरी लैण्डफिल कंपोस्ट संयंत्र लगाने और जल निकासी का प्रावधान है। स्कीम के प्रचालन तथा रखरखाव (ओ एण्ड एम) का खर्च संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

(घ) यद्यपि कचरा उत्पत्ति की शहर-वार सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कचरा उत्पत्ति की दैनिक मात्रा संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और छोटे तथा मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम की प्रस्तावित स्कीमों के अंतर्गत कचरा प्रबंधन और जल निकासी कार्यों के लिए अलग से धनराशियां निर्धारित नहीं की गई हैं यद्यपि ये दोनों इन स्कीमों के तहत शामिल किए जाने वाले अनुमत्य घटक हैं। 10 चुनिंदा हवाई क्षेत्र नगरों में कचरा प्रबंधन तथा जल निकासी के अंतर्गत 99.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(च) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम नामक प्रस्तावित स्कीमों में कचरा प्रबंधन तथा जल निकासी से संबंधित कार्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं किए जा सकते हैं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए कराए जा सकते हैं। 10 चुनिंदा हवाई क्षेत्र नगरों में कचरा प्रबंधन तथा जल निकासी के अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियां कार्य निष्पादित कर रही हैं/करने का प्रस्ताव है:-

(1) अम्बाला-नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी)

(2) सिरसा-एनबीसीसी

(3) आदमपुर—कचरा प्रबंधन के लिए एनबीसीसी, जल निकासी के लिए पंजाब सरकार

(4) बरेली—कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम

(5) हिण्डन—कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम

(6) डुंडिगल—एनबीसीसी

(7) ग्वालियर—ग्वालियर नगर निगम

(8) जोधपुर—एनबीसीसी

(9) पुणे—पुणे तथा पिम्परी चिंचवाड़ नगर निगम

(10) तेजपुर—राज्य सरकार का निर्णय अभी प्राप्त होना है।

अनुबंध

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्ययन (अप्रैल, 2000) के अनुसार दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कचरा उत्पत्ति

क्र.सं.	शहरी बस्ती/शहर का नाम	दैनिक कचरा उत्पत्ति की मात्रा (मी. टन में)
1	2	3
1.	ग्रेटर मुंबई	6000
2.	कोलकाता	2500
3.	दिल्ली	6000
4.	चेन्नई	2500
5.	बंगलौर	2500
6.	हैदराबाद	2100
7.	अहमदाबाद	1273
8.	पुणे	1200
9.	सूरत	1035
10.	कानपुर	1300
11.	जयपुर	1000
12.	लखनऊ	1250
13.	नागपुर	600
14.	पटना	330
15.	इंदौर	600
16.	वडोदरा	560
17.	भोपाल	480
18.	कोयम्बटूर	670
19.	लुधियाना	1200
20.	कोच्चि	250
21.	विशाखापट्टनम	600
22.	आगरा	575
23.	वाराणसी	576
24.	मदुरै	480
25.	मेरठ	625
26.	नासिक	280
27.	जबलपुर	300
28.	जमशेदपुर	140
29.	आसनसोल	78
30.	धनबाद	285
31.	फरीदाबाद	550
32.	इलाहाबाद	305
33.	अमृतसर	600
34.	विजयवाड़ा	475
35.	राजकोट	450

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: महोदय, क्या ठोस कचरा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उसके द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 1999 में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी परामर्श दल का गठन किया गया है और इस दल ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट में क्या कोई कार्रवाई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको उनका प्रश्न समझ में आया है।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, नहीं, मुझे उनका प्रश्न समझ नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, कृपया धीरे-धीरे बोलें।

[हिन्दी]

कृपया अपना प्रश्न फिर से पूछिए।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: महोदय, ठोस कचरा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में सरकार द्वारा जारी स्कीम में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से केवल चुने हुए शहरों के लिए विशेष स्कीम तैयार की गयी है। क्या राज्यों और शेष शहरों के लिए भी कूड़ा और ठोस अपशिष्ट की समस्या के लिए कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक यह योजना बनाई जाएगी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि सालिड वैस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से फण्ड नहीं है, सिर्फ दस ऐसे शहर हैं, जो एयरफोर्स के शहर हैं जहां परिन्दों की वजह से हवाई जहाजों को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए तकरीबन 99 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और वे शहर हैं हरियाणा में अम्बाला और सिरसा, पंजाब में आदमपुर, उत्तर प्रदेश में बरेली और हिण्डन, आंध्र प्रदेश में डुंडिगल, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, राजस्थान में जोधपुर, महाराष्ट्र में पुणे और असम में तेजपुर। जहां तक ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट का सवाल है जैसा कि मैंने अर्ज किया है पूरे देश के सभी शहरों के लिए अभी तक अलग से कोई विशेष पैसा नहीं था लेकिन अभी जो एक नया मिशन आने वाला है—नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन, जिनके बारे में वित्त मंत्री ने भी उल्लेख किया था, उसके द्वारा बड़े शहरों में भी—जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं—पैसा खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 12वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि यूएलबीज को तकरीबन पांच हजार करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए और मुझे खुशी है कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मंजूर कर ली है जिसके अनुसार पांच हजार करोड़ रुपए स्टेट्स और यूएलबीज को मिलेंगे और इसमें से 2500 करोड़ रुपए सिर्फ सालिड वैस्ट मैनेजमेंट के लिए है।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: महोदय, क्या ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा उसके द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 1999 में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरी संगठन की अध्यक्षता में प्रौद्योगिक परामर्शदल का गठन किया गया है? यदि हां, तो दल ने अब तक अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर क्या कार्रवाई योजना तैयार की है?

श्री गुलाम नबी आजाद: मेरे पास इस समय वे रिकमंडेशंस नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उसे मंत्रालय ने समय-समय पर देखा है। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में साफ-सुथरे शहर होने चाहिए। चहां तक सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग समय पर कोर्ट्स द्वारा जो डायरेक्शंस आई हैं, उन्हें देखकर हमने कुछ इनीशिएटिव्स लिए हैं।

[अनुवाद]

कार्य बल का गठन उच्चतम न्यायालय के कहने पर किया गया था और मंत्रालय द्वारा इसकी सिफारिशों की जांच भी सावधानीपूर्वक की गई है। इसीलिए, कई कदम उठाए गए हैं। कार्यबल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि बूचड़खानों और कंकाल उपयोग केन्द्रों का आधुनिकीकरण, ठोस कचरा ऊर्जा परियोजनाएं, नमूना ठोस प्रबंधन सुविधाएं शुरू करने हेतु सहायता भी आरंभ की गई हैं। शहरी कचरे के कुशल प्रबंधन हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों और अनुभव पर आधारित एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है और लगभग एक माह पहले 1 अप्रैल, 2005 को कृषि और सहकारिता विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, उर्वरक विभाग, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय को परिचालित की गई है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन सभी मंत्रालयों ने बहुत सहयोग दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बालासोवरी वल्लभनेनी।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपका नाम गलती से पुकार लिया। मैं आपको पुनः बुलाऊंगा।

श्री मुन्शी राम।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भूजल का स्तर घटता जा रहा है और जमीन के ऊपर भी पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम वेस्ट वाटर का सही उपयोग करके उसे सिंचाई के काम में लाएं। यदि जिला स्तर और तहसील स्तर पर सरकार कोई योजना बनाए, तो जो पानी सड़कों पर और जमीन पर बह रहा

है, उसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। अभी यह देखा गया है कि इस तरह से जो पानी बह रहा है, उससे हम मलेरिया को दावत दे रहे हैं, क्योंकि उस पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसलिए जो पानी हम जमीन के नीचे से या ऊपर से लेकर सिंचाई करते हैं, उसकी जगह इस वेस्ट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने उत्तर में बताया है कि इस योजना के तहत चुने गए दस शहरों में से पांच शहरों में एनबीसीसी द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 99.34 करोड़ रुपए में से कितने रुपए का कार्य एनबीसीसी द्वारा कराया जा रहा है? इस बात की जानकारी सदन को होनी चाहिए, क्योंकि आपने दस शहरों के लिए यह योजना रखी थी और उनमें से पांच शहरों में एक ही कम्पनी को यह काम दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह एक सरकारी कम्पनी है। एमबीसीसी को कितना पैसा दिया गया है?

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है,

[हिन्दी]

मेरे ख्याल से यह प्रश्न पानी और मच्छर से संबंधित नहीं है बल्कि यह सोलिडट वैस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक चिरस्थायी समस्या है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: जहां तक इन 10 शहरों का संबंध है यह सच नहीं है कि सभी कार्य एनबीसीसी को दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: उनके अनुसार शायद पांच शहरों के कार्य दिये हैं।

[अनुवाद]

शायद सरकारी कम्पनी को वरीयता दी गई थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी सूची में है।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, मुझे जानकारी है। अभी तक एनबीसीसी को कुल 21.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अन्य स्थान राज्य सरकार की एजेंसियों सहित विभिन्न अन्य एजेंसियों को दिये गये हैं। इसलिए, कुल 99.34 करोड़ रुपये में से एनबीसीसी को 2 नगरों के लिए अभी तक 21.41 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र, विशेषत: बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों को ही बेहतर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ड्रेजेज स्कीम के अंतर्गत लाया गया है? क्या माननीय मंत्री ने इस विषय पर अभी तक कोई प्रयास किया है?

महोदय, मेरा संबंध आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक तेनाली शहर से है जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां निकासी व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है।

अध्यक्ष महोदय: मेरा मानना है कि सभी माननीय मंत्री आपका साथ देंगे।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या माननीय मंत्री ने देश के सभी क्षेत्रों में, जहां हर किसी के लिए एक अनिवार्य ठोस कचरा प्रबंधन और निकासी व्यवस्था होनी चाहिए, के लिए कोई 'मास्टर प्लान' तैयार की है? बरसात के मौसम में ....

अध्यक्ष महोदय: यह सभी जानते हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, यदि बरसात के मौसम में निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से काम न कर रही हो तो मलेरिया, बुखार आदि जैसी बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं। मैं जनना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के लिए सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्रेजेज स्कीम के अंतर्गत कितनी अनुदान राशि दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल प्रश्न के प्रथम भाग का ही उत्तर दें।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि अभी तक ठोस कचरा प्रबंधन हेतु न तो किसी विशेष क्षेत्र का और न ही धनराशि का आवंटन किया गया। लेकिन जैसा मैंने भी कहा कि 'नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' जो जल्द ही आरंभ की जा रही है, के अंतर्गत शहरों की तीन श्रेणियों को देखभाल के लिए चुना जाएगा। वे 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहर हैं, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 25 शहर और 10 अन्य शहर हैं, जिनका चयन राज्य सरकारों के परामर्श पर किया जायेगा।

अभी तक, जहां तक छोटे शहरों का संबंध है, जैसाकि माननीय सदस्य ने अपने शहर और अन्य शहरों के बारे में जिक्र किया, ये शहरी अवसंरचना विकास योजना (अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम) के अंतर्गत आएंगे जो कि छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के लिए हैं। इसलिए, इस 'नेशनल अर्बन रिन्यूबल मिशन' के शुरू होने के पश्चात् जल निकासी, मल निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन पर बड़ी राशि व्यय की जाएगी तथा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के पश्चात् छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों की बारी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, बहुत से शहरों में इस ठोस कचरा प्रबंधन की गम्भीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक अपने ही शहर के लिए मांग कर रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केन्द्र सरकार ने केवल दस शहरों की पहचान की है, लेकिन देश में अन्य शहर भी हैं जहां यह एक गम्भीर समस्या है। नगर निगम जो करती है, वह यह है कि वे ठोस कचरों को मुफसिल क्षेत्र में इकट्ठा कर देते हैं जिससे इस प्रकार का कचरा मुफसिल क्षेत्र में फैला देने के कारण लोग स्वच्छता अभियान चलाने को बाध्य हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: या फिर इसकी जगह, वे इसे किसी नदी में फेंक देते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है या इसे किसी समुद्र में डाला जाता है जिससे वहां भी प्रदूषण की समस्या होती है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या केन्द्र सरकार ठोस कचरा प्रबन्धन के मामले में ऐसे शहरों के लिए निदेश या उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास निर्देश देने की शक्ति हो, तो क्या आप निर्देश देंगे? मैं नहीं समझता, आप ऐसा करेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद: यह निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं है, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से और कम भूमि उपलब्ध होने से भी शहरों के भिन्न-भिन्न हिस्सों में लोगों को कचरे के ढेर लगाने की समस्या से जूझना पड़ता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद: विशेषकर केरल में अधिक समस्याएं हैं। वहां जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं। इसीलिए, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसा मैंने उल्लेख किया कि हम जल्द ही कुछ सुझाव देंगे। यदि आप चाहते हैं, तो मैं आपको रणीति के लिए सरकार की सिफारिशों के बारे में संक्षेप में जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस वर्ष के एक अप्रैल को ही अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन संबंधी व्यापक रणनीति तैयार करके सभी सरकारों को भेज दी गई थी। इसमें शामिल हैं: सामुदायिक समूहों तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से अपशीष्ट को अलग-अलग करने हेतु प्रोत्साहन; कम्पोस्ट संयंत्रों और बायो-मिथेनेशन संयंत्रों के स्थापित किए जाने तथा ऊर्जा संयंत्रों हेतु अपशिष्ट के लिए संयुक्त उद्यमों और निजी भागीदारी को प्रोत्साहन; कूड़ा-कचरा फेंकने हेतु भूमि का लंबे समय तक निःशुल्क पट्टे पर दिया जाना; पट्टे पर दी गई भूमि को गिरवी रखना; भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी प्रमाणिक प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना; निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उद्यमियों को दस वर्षों तक कर अवकाश तथा सीमा-शुल्क आदि से छूट आदि। ये सारे उपाय किए गए हैं।

डा. आर. सेनथिल: माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ठोस अपशिष्ट एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इसे या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जमीन में गहरे गड्ढे में दबा दिया जाता है। यदि आप उस स्थान पर जाएंगे जहां इसे फेंका जाता है तो आप देखेंगे कि भारी संख्या में कबाड़ी प्लास्टिक और पुन: चक्रित किए जाने योग्य वस्तु को इकट्ठा करते हैं जो बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। यह एक बहुत ही अमानवीय कार्य है।

क्या सरकार निपटान योग्य वस्तुओं जैसे कप और अन्य पुन: चक्रित किए जाने योग्य वस्तुओं को पृथक रंग के थैलों में इकट्ठा किए जाने पर विचार करेगी—जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है—और फिर इनका सुरक्षित रूप से निपटान करें जिससे कि इन लोगों को खतरा न हो?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है—बायोमेडिकल अपशिष्ट वर्तमान में अन्य ठोस अपशिष्ट के साथ इकट्ठा किया जाता है। यद्यपि, इस पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं तथा इस पर अन्य नियम तथा विनियम भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: भारत सरकार अपशिष्ट इकट्ठा नहीं करती है। आप उनसे यह क्यों पूछ रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ये बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। हम इन्हें सक्षम व्यक्तियों के पास भेज देंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद: देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग प्रणाली अपनाई जा रही है। उदाहरणस्वरूप जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट वस्तुओं के परिवर्तन हेतु हमारे पास 44 प्रकार के अपशिष्ट कम्पोष्ट प्रणाली है। हमारे पास अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रणाली है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में बायो-मिथेनेशन भी किया जा रहा है। हैदराबाद और विजयवाड़ा में कचरे से ईंधन तैयार करने की विधि भी अपनाई गई है। अपशिष्ट को जलाने की विधि का भी प्रयोग किया जाता है जिसके तहत इन्हें 800 डिग्री से 870 डिग्री तक के उच्च तापमान पर जलाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विधि अपनाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, 21 माननीय सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त की है। मेरे विचार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा जिससे कि इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा की जा सके।

श्री राजेश कुमार मांझी

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार प्रस्तावित नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन और अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट स्कीम फार स्माल एंड मीडियम टाउन प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार के गया शहर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए लेने जा रही है? अगर नहीं तो क्यों?

श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन और अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट स्कीम फार स्माल एंड मीडियम टाउन प्रोग्राम के अंतर्गत बड़े, मध्यम और छोटे शहरों सभी को अपना-अपना हिस्सा मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े शहर और कार्पोरेशन उसका सही इस्तेमाल करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चूंकि हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे इसलिए अब मैं प्रश्न सं. 622 को लेता हूं। मुझे आशा है कि चर्चा के दौरान सदस्य इसमें भाग लेंगे और अच्छे सुझाव देंगे।

लुटियन जोन में स्थित बंगले

***622. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लुटियन जोन में स्थित अधिकांश बंगलों की मियाद/आयु समाप्त हो रही है और यह जोन अब कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चरणबद्ध तरीके से जर्जर हुए बंगलों को ढहाने और उनका पुनर्निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने जोन के पुनः विकास और इसकी खोई गरिमा को पुनः बहाल करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देखभाल और रखरखाव के तहत आने वाले लुटियन जोन में स्थित बंगले (एल बी जेड) 70 वर्षों से अधिक पुराने हैं। प्लिंथ में पर्याप्त सीलनरोधी प्रबंध किए बिना दीवारों में मिट्टी के गारे तथा प्रबलित ईंट या जैक आर्क रूफिंग का उपयोग करके इन बंगलों का निर्माण किया गया था। इससे इन भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा कमजोर है। संरचनात्मक रूप से असुरक्षित माने गए तीन बंगलों को गिरा दिया गया है तथा एक और बंगले को गिराने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) बंगलों का पुनर्निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में एल बीजेड दिशानिर्देशों के अनुसार प्लाट सं.-2, सुनहरी बाग रोड तथा 2, जनपथ पर नये बंगलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ङ) राजपथ के दोनों ओर के भवनों तथा लानों सहित केन्द्रीय दृश्य क्षेत्र के सुधार के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: महोदय, दिल्ली 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की नई राजधानी घोषित की गई थी। सर एडविन लुटियन ने रायसिना पहाड़ी से वर्तमान प्रधानमंत्री आवास तक के दो मील

लंबे शोभा यात्रा मार्ग के दोनों ओर नगर दुर्ग के आकार के भवन का डिजाइन तैयार किया था। नई राजधानी के लिए लुटियन की शैली और स्तंभों के उपयोग से कुछ ऐसा सृजित हुआ जो प्रभावशाली तथा मौलिक था। इसे शुरू से ही लुटियन की दिल्ली कहा जाता रहा है। जनवरी महीने के 'दैनिक ट्रिब्यून' में यह समाचार प्रकाशित हुए था कि लुटियन बंगले वी.आई.पी. सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा बंगलों एवं फ्लैटों का पुनर्निर्माण करने और ध्वस्त करने हेतु समितियां गठित की गई हैं।

लुटियन जोन में कितने फ्लैट या बंगलों को तोड़ा जाना है तथा सुरक्षा व्यवस्था कार्यालयों तथा पर्यावरण में सुधार करके कितने फ्लैट या बंगलों का पुनः निर्माण किया जाएगा जिससे कि इसकी विरासत को कायम रखा जा सके तथा समन्वित वास्तुकला और ढांचागत आयोजना द्वारा इसका इष्टतम समाधान प्राप्त किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय: सारे प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: क्या मुझे सारे नियम पढ़ने होंगे?

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी मत पढ़िए। आप हमें बताएं कि कितने भवन तोड़े जाएंगे और कितने बनाएं जाएंगे। आपने दो बंगलों का उल्लेख किया था।

श्री गुलाम नबी आजाद: हमारा काम तोड़ने का नहीं है। परन्तु हमने पहले ही कहा था कि अधिकतर भवनों की आयु समाप्त हो चुकी है और उनका रख-रखाव पूर्णतः गैर-मितव्ययी हो गया है। इनकी ढांचागत सुरक्षा और भूकंप के झटकों को सहने की इनकी क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। तीन बंगले जिनके ढांचों को सुरक्षित नहीं समझा गया, इन्हें गिरा दिया गया है तथा एक और बंगला जो खराब स्थिति में है इसे गिराए जाने का प्रस्ताव है। महोदय, बंगला नं.-2, जनपथ को जून 1996 में गिरा दिया गया था। बंगला नं.-7, मोतीलाल नेहरू प्लेस को 1974 में गिरा दिया गया था। मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले संख्या-7 को वर्ष 1967 से पहले गिरा दिया गया था और सुनहरी बाग का बंगला संख्या-2 खराब हालत में है और उसको भी गिराने का प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है हमारे पास नई दिल्ली में आवासों अर्थात् रॉउस एवेन्यू पाकेट-एक और पाकेट-चार में आवासों की संख्या बढ़ाने हेतु सामान्य पूल आवासीय जगह के निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है। प्रस्तावित निर्माण टाइप चार, पांच और छह के लगभग 584 आवासों (क्वार्टरों) के संबंध में है ...*(व्यवधान)* हमारे पास देवनगर के लिये भी एक योजना है जहां पर लगभग 1,626 आवासों का निर्माण किया जायेगा और अलीगंज में निकट भविष्य में लगभग 1400 आवासों का निर्माण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: तथापि, वास्तुकार और पर्यावरणविद् के एक दल ने गिराये गये बंगलों का कड़ा विरोध किया और जिन्होंने यह तर्क दिया कि इस विध्वंस से राजधानी गौरवशाली औपनिवेशिक विरासत के बड़े भाग से वंचित हो जायेगी। इस बात का भी भय है कि बंगलों को गिराने से राजधानी के सौंदर्य की अपूरणीय क्षति होगी।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न बड़ी ही निपुणता से पूछा है।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे बंगले जिन्हें गिराये जाने की आवश्यकता है अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये खतरा बन गये हैं और इसमें काफी धन खर्च होगा।

अध्यक्ष महोदय: वह पूछ रहे हैं कि क्या इन बंगलों को गिराया जाना चाहिये अथवा इनकी मरम्मत की जानी चाहिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: आप किसी असुरक्षित आवास में नहीं रह सकते हैं परन्तु लुटियन के क्षेत्र में पहले से ही दिशानिर्देश है। यदि आपको एक नई इमारत का निर्माण करना है तो इसका भी वही प्लिन्थ क्षेत्र होना चाहिये। इसकी भी वही ऊंचाई होनी चाहिये जैसाकि पहले की ऊंचा थी। इसीलिये, आप एल.बी.जैड. क्षेत्र में दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रेवती रमन सिंह क्या वास्तव में आपकी इस प्रकार के विषय में रुचि है?

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं कोठियों को गिराकर उसमें पार्क बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है? क्या कनाट प्लेस के सैंट्रल पार्क, जो इस समय मेट्रो रेल का निर्माण क्षेत्र बना हुआ है, उसे फिर से पहले जैसा पार्क बनाये जाने का सरकार का विचार है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न लुटियन बंगलों के लिये है।

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, लुटियन बंगला जोन भी तो दिल्ली का ही है।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, ठीक है।

[अनुवाद]

क्या आपके पास कोई पार्क है?

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदय, लुटियन बंगला एरिया में बंगलों को गिराकर उस में पार्क बनाने की कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: परिवर्तनीय और गतिशील संसार में किसी भी नियम, जिसे कई वर्ष पहले बनाया गया था, द्वारा गतिरोध पैदा होना वास्तव में तर्कसंगत नहीं लगता है यद्यपि हमें निश्चय ही कुछ दिशानिदेशों को भी स्वीकार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक क्षेत्र में बिना सोचे-समझे वृद्धि न हो। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यह इस कारण है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि यहां पर कुछ बंगले हैं जिनके साथ कई एकड़ भूमि भी संबद्ध है। बंगले इतनी खराब स्थिति में हैं कि आपको इनकी वार्षिक मरम्मत पर आवश्यकता से काफी अधिक धनराशि खर्च करनी होगी। क्या सरकार ने कभी वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु इसके एक भाग का उपयोग करने के बारे में सोचा है और उस धन का उपयोग करने का सोचा है जो कि इन बंगलों के स्थान पर दूसरे अच्छे बंगलों के निर्माण हेतु करोड़ों रुपयों में है?

अध्यक्ष महोदय: लुटियन के क्षेत्र में आप वाणिज्यिक उद्देश्य चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, मैं सही-सही नहीं जानता हूं कि क्या यह लुटियन के क्षेत्र में आयेगा अथवा नहीं। जैसाकि मैंने कहा है कि हम इमारतों के पुनर्निर्माण संबंधी कार्यक्रम व्यापक स्तर पर शुरू करने जा रहे हैं जैसाकि हमारे विकास के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार के साथ मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। परन्तु निश्चय ही दिल्ली के कुछ भागों में जहां पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. अथवा एन.बी.सी.सी. के पास उपलब्ध अपने संसाधनों से आवासों के निर्माण हेतु संसाधन नहीं हैं और हम वाणिज्यिक उपयोग हेतु अपने पास उपलब्ध कुछ क्षेत्रों का उपयोग करेंगे और हम सरकार के लिये नि:शुल्क आवासों का निर्माण कर रहे होंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री बी. विनोद कुमार, क्या आपकी लुटियन की दिल्ली में रुचि है?

श्री बी. विनोद कुमार: लुटियन के बंगले के सौन्दर्य-बोध को ध्यान में रखते हुये बहुमंजिली इमारतों का निर्माण वांछनीय नहीं है। इस संबंध में सरकार का प्रस्ताव क्या है?

श्री गुलाम नबी आजाद: जहां तक लुटियन के क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों का संबंध है यह केवल सरकारी और आवासीय इमारतों, पर लागू होता है। जहां तक अन्य क्षेत्रों जैसे कि संस्थाओं का संबंध में यह संस्थाओं के संबंध में लागू नहीं होता है। इसीलिये कभी-कभी अन्य संस्थान बड़ी-बड़ी इमारतों के साथ सामने आ जाते है क्योंकि दिशानिर्देश कुछ वर्गों पर लागू नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 623, श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 624, श्री बृज किशोर त्रिपाठी—उपस्थित नहीं।

श्री रायापति सांबासिवा राव

भारत-जापान व्यापार

+
***624. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) द्वारा हाल ही में **'डेस्टीनेशन इंडिया'** नामक एक सेमिनार का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में भाग लेने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जापानियों को भारत में और अधिक निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो उनसे अब तक इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या भारत को जापान से सबसे अधिक सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्राप्त होती है;

(च) यदि हां, तो क्या भारत का विचार ओडीए की बजाए जापान के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आधारित द्विपक्षीय व्यापार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ तथा जापान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के सहयोग से जापान से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकृष्ट करने के उद्देश्य से टोक्यो, जापान में 13 अप्रैल, 2005 को ''डेस्टीनेशन इंडिया'' नामक एक सेमिनार का आयोजन किया था। उक्त सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था तथा इसका उद्देश्य भारत में निवेश के वातावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

(ङ) से (छ) जी, हां। भारत वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 में जापान से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश था। भारत सरकार ने ओ डी ए के अतिरिक्त जापान के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में विस्तार करके व्यापक आर्थिक कारोबार की परिकल्पना की है।

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, माननीय मंत्री ने यह बताया है कि सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ और जापान के वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के संघ के साथ अप्रैल में जापान के टोक्यो में डेस्टीनेशन इंडिया सेमिनार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के साथ क्या अवसंरचना, विद्युत और निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश के संबंध में जापान के साथ किसी समझौते पर विचार किया गया है? क्या कोई समझौता किया गया है?

श्री कमल नाथ: डेस्टीनेशन इंडिया कार्यक्रम पर जापान के दौरे के दौरान एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मेरे द्वारा जारी की गई थी और उद्योग और व्यापार के जापानी मंत्री जिन्होंने सहयोग के दो मुख्य क्षेत्रों के रूप में विनिर्माणकारी क्षेत्र में जोर (दबाव) डाला जिसमें सहयोगी उद्योग भी शामिल हैं। हमने जो संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया था, उसमें यह भी बताया गया है कि निवेश संबंधी माहौल में सुधार होगा। हमारे पास पहले से ही अत्यधिक ओ.डी.ए. सहायता है और हमने उन तरीकों पर चर्चा की जहां ओ.डी.ए. का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था चूंकि भारत जापान से अत्यधिक ओ.डी.ए. प्राप्त करता है। ओ.डी.ए. सहायता से इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता था। इसीलिये जापान के साथ हम आशा करते हैं कि व्यापार और निवेश के संदर्भ में आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

श्री रायापति सांबासिवा राव: जहां तक इंडो-जापान व्यापार का संबंध है हाल ही में जापान के माननीय प्रधानमंत्री भारत आये थे। क्या जापान को भारतीय वस्तुओं के निर्यात के संबंध में भारतीय सरकार और जापान की सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

श्री कमल नाथ: जी हां, महोदय। हाल ही में जापान के माननीय प्रधानमंत्री का भारत दौरा बहुत ही सफल रहा है और माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा एक संयुक्त घोषणा दौरे के पश्चात् जारी की गई है। वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों और इंडो-जापान आर्थिक सहभागिता समझौते को और सुदृढ़ करने संबंधी विशिष्ट उल्लेख किया गया है।

मोहम्मद सलीम: माननीय मंत्री ने सही कहा है कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के दौरे से व्यापार, सेवा, वस्तुओं और निवेश के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग में वृद्धि होने की गुंजाइश है।

महोदय, पूर्वी क्षेत्र का होने के नाते, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार अब लुक ईस्ट पालिसी के बारे में बात कर रही है और विश्व के बदलते परिदृश्य में पूर्वी क्षेत्र की महत्ता को भी अब मान्यता दी जा रही है। हमने देखा है कि पूर्व का प्रवेशद्वार होने के नाते कोलकाता को मितसुबिशी जैसी कम्पनी ने भी एक सफल गन्तव्य माना है। उन्हें अपने निवेशों पर प्रतिलाभ प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने चीन, पश्चिम बंगाल और हल्दिया में बड़े संयंत्र लगाए हैं और अब उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अब जापान ने भी भारत विशेषकर पूर्वी भारत—कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दीर्घकालिक निवेश करने की इच्छा जाहिर की है।

अत: यह सब देखकर, मैं आपके माध्यम से विशेषकर माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जापान के साथ और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वे हमारी ओर से क्या विशेष कदम उठा रहे हैं अथवा भावी योजना बना रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जापान और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के बीच व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए कोई संयुक्त आयोग बनाया जाएगा।

श्री कमल नाथ: यह सच है कि जापान और पूर्वी भारत के बीच अंतत: पुराना आर्थिक संबंध है। वास्तव में यह 1953-54 में प्रारंभ हुआ था। कुछ जापानी कम्पनियां स्नेह पूर्वक कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जहां उन्होंने अपने पहले कार्यालय स्थापित किए थे, में अपने कार्यकाल को याद करती हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के लिए काफी पुराने हैं। अब वे उन बहुत सी कम्पनियों

के बारे में विचार कर रहे हैं जो मुझसे मिली थीं। वे अपने उन पुराने संबंधों को पुनः स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो पूर्वी भारत के साथ उनके साथ रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को निश्चित तौर पर ऐसा माहौल बनाना होगा जो इस निवेश के लिए आकर्षक हो।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है हम औद्योगिक नीति और संवर्धन मंत्रालय में एक जापान डेस्क की स्थापना कर रहे हैं ताकि जापान से आने वाले निवेश के सभी मुद्दों और जापान से संबंधित अन्य मुद्दों से इसी डेस्क पर निपटा जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ तथा जापान चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से 13 अप्रैल, 2005 को टोक्यो में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। जिसके कारण भारत और जापान के आपसी संबंध अच्छे तथा मजबूत हुए हैं, इसका फायदा इस रूप में हमारे सामने आया। इस प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने उद्योग मंडल परिसंघ और जापान चैम्बर आफ कामर्स के द्वारा इसी तरह के एक-दो सेमिनार दिल्ली और मुम्बई में करने की भी आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बारे में कोई प्रपोजल है?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, जब जापान के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में दिल्ली आये थे तो उनके साथ उद्योगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था। हमारा जो चैम्बर आफ कामर्स तथा एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। इससे एक सिग्नल, संदेश यह गया है कि आज दोनों देशों के बीच में पुराने, अच्छे तथा बहुत गहरे संबंध हैं। इन संबंधों को एक इकोनोमिक कम्पोनैन्ट भी दिया जाए और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चैम्बर आफ कामर्स, इंडस्ट्रीज तथा एसोसिएशंस अपने देश में भी करती रही हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 625—श्री आनंदराव विठोबा अडसूल—उपस्थित नहीं।

श्री तथागत सत्पथी—उपस्थित नहीं।

मैं इस अवसर पर मेरी बायीं ओर बैठे विपक्ष के अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा में उपस्थित होने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। उन्होंने भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अतः मुझे विश्वास है कि अन्य माननीय सदस्य मेरा साथ देंगे और उनसे सभा में वापस आने का अनुरोध करेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं आप से सहमत हूं और एन.डी.ए., विपक्षी दलों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सभा में उपस्थित हों और विचार-विमर्श में भाग लें।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। हमें अच्छे परिणाम की आशा करनी चाहिए।

जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग

***626. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निधियों के दुरूपयोग की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्त्ता एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय को क्रमशः मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान के दुरूपयोग की सूचना प्राप्त हुई थी। यह योजना इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया, जिन्होंने निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए थे:-

मध्य प्रदेश: अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण की अनियमितता में 30 विभिन्न संस्थाएं संलग्न पाई गईं। इसमें शामिल धनराशि 1,67,19,827 रुपए है। इन सभी 30 संस्थाओं के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

आंध्र प्रदेश: प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि दो महाविद्यालयों यथा (1) डीवीआर जूनियर कालेज, जुबिली हिलसैंड; (2) चाणक्य कालेज, कृष्णा नगर द्वारा 20,54,540 रुपए की धनराशि आहरित की गई थी। इसके पश्चात् छात्रवृत्ति की धोखेधड़ी से आहरित कुल धनराशि की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की। समिति ने रिपोर्ट दी कि राज्य सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालय ने राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के रजिस्टरों के बिना संगत प्रविष्टि किए 3,80,08,081 रुपए अदा किए हैं और इसमें विभिन्न महाविद्यालय लिप्त हैं।

(ग) जी, नहीं। इस मामले की जांच के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोई समिति गठित नहीं की है क्योंकि निधियों के दुरूपयोग की जांच राज्य सरकारों द्वारा की जानी है एवं उन्होंने इस मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। माननीय मंत्री जी का जवाब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है। ये भी हिन्दुस्तान के ही हिस्से हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में थारू नाम की एक जनजाति रहती है। वहां उनकी सहायता के लिए जो भी स्कूल, अस्पताल या अन्य संस्थाएं चलाई जा रही हैं, वे दलालों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिन्हें आप एन.जी.ओ. कहते हैं। वास्तव में वहां न ही कोई अस्पताल चलता है और न ही स्कूल खुलते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वहां के एम.पी. या एम.एल.ए. हैं, उनको भी आप उन योजनाओं में समायोजित कर लें ताकि उन योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो सके? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया: अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न निधियों के दुरूपयोग का है। अपने उत्तर में मैंने अत्यंत स्पष्ट रूप में बताया है कि निधियों का दुरूपयोग मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हुआ था और कुछ कदम उठाए गए थे। यह प्रश्न मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित है परन्तु हमारे पास अन्य कई योजनाएं भी हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित हैं। हम अन्य कई योजनाओं को चला रहे हैं जो जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई हैं। विद्यालय जैसी योजनाएं हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित हैं। हमारे पास स्वास्थ्य परियोजनाएं और शिक्षा परियोजनाएं जैसी अन्य योजनाएं भी हैं। केवल मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना ही नहीं है, अन्य कई योजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे पूछ रहे हैं कि ऐसे दुरूपयोग को कैसे रोका जाए। क्या आप संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को भी इसमें शामिल करेंगे।

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अब कोई दुरूपयोग नहीं हो रहा है। जहां तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का संबंध है, हमने कई कदम उठाए हैं और अब कोई दुरूपयोग नहीं हो रहा है। यह केवल 2002-03 में हुआ था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: मान्यवर, मेरे पहले पूरक प्रश्न का तो जवाब नहीं आया, लेकिन आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछने को कह रहे हैं तो मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जवाब दिया है लेकिन आपको पसंद नहीं आया।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: पसंद इसलिए नहीं आया कि मेरा सीधा सा सवाल था, उन योजनाओं में यदि जनप्रतिनिधियों का भी समायोजन हो जाए तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो सकेगा।

मेरा दूसरा सवाल यह है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक जांच करवाई थी और उस जांच में एक 'फ्रैन्ड्ज एंड ट्राइबल सोसाइटी' नाम की संस्था है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए काम करती है। उस संस्था के बारे में यह रिकमंडेशन थी कि उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिये जाएं, लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि वह संस्था आज भी लगातार धर्मांतरण और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम उसी तरीके से कर रही है। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि 'फ्रैन्ड्ज एंड ट्राइबल सोसाइटी' के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हों और उसने अपनी एक्टिविटीज पर विराम लगा दिया हो?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आपको इन आरोपों के बारे में बता रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में आपका क्या उत्तर है?

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, माननीय सदस्य ने जो विशेष प्रश्न पूछा है वह मुझे समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिया है।

[हिन्दी]

आप धीरे-धीरे नाम बोलिए।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: समस्या यह है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और इनको हिंदी नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो हिन्दी में बोलने की कोशिश करता हूं। उन्नति धीरे-धीरे ही होती है।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: संस्था का नाम ''फ्रैन्ड्ज एंड ट्राइबल सोसायटी'' है और यह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और देश के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां यह संस्था साम्प्रदायिक भावना फैलाती है। सदन में नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस संस्था का काम सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके एकाउंट्स फ्रीज होने के बाद भी विभिन्न मंत्रालयों जैसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से इसे लगातार पैसा मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके एकाउंट्स फ्रीज हुए हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया: हमने इस क्षेत्र में हर संभव उपाय किए हैं। विगत में, ऐसी कई सोसाइटियां और ऐसे अन्य संगठन थे जो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे थे। अतः हमने उन्हें निधियां देना बंद कर दिया है। परन्तु मध्य प्रदेश के मामले में हमने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, उन्होंने एक विशेष संगठन का नाम लिया है।

श्री पी.आर. किन्डिया: मध्य प्रदेश के मामले में हमने दीन दयाल शोध संस्थान को छोड़कर सभी गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देना बंद कर दिया है। उन्हें कोई अन्य अनुदान नहीं दिया जाता। मैं केवल गैर-सरकारी संगठनों की बात कर रहा हूं। पर जहां तक अन्य अनुदानों का संबंध है, हम उनमें और वृद्धि कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में आपको माननीय सदस्य द्वारा की गई विशेष शिकायत की जांच करनी चाहिए। कृपया इस मुद्दे की जांच कीजिए और माननीय सदस्य को इसके परिणाम के बारे में बताइए। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ट्राइबल कम्यूनिटी और उसके वेलफेयर से संबंधित है, लेकिन जो उत्तर है, वह प्रश्न के स्कोप को बहुत विस्तृत करता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण की अनियमितता की चर्चा की है। यह सच है कि देश भर के कालेजों में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्तियों में गंभीर अनियमितताएं हैं। इन वर्गों से संबंधित बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढ़ने नहीं जाते हैं लेकिन उनके नाम पर छात्रवृत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। ऐसे दर्जनों मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। मैंने स्वयं ऐसे कई मामलों में शासन को लिखा है और उन पर जांच भी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह का दंडनीय प्रावधान किया जा सकता है कि जिन राज्यों में इस पर पाबंदी नहीं हो पा रही है और पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, उन राज्यों को इस तरह की ग्रांट देने पर रोक लगा दी जाए। जब तक इस तरह की पाबंदी राज्यों पर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक बेरोक-टोक लूट चलती रहेगी। जो राज्य जांच सही पाए जाने के बाद दंडनीय कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, क्या माननीय वित्त मंत्री जी उन राज्यों पर रोक लगाने के लिए विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के मामले में, कुछ राज्यों पर वचनबद्ध देयताएं बढ़ गई हैं जिसके चलते हम उन्हें निधियों का आबंटन नहीं कर सकते। परन्तु हम इसे उन राज्यों को दे रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। वास्तव में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में अनेक योजनाएं हैं और अब हम उसे और उन्नत बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। माननीय मंत्री जी वह यह पूछ रहे हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, केन्द्र ने राज्यों को लाइसेंस नहीं दिया है; और केन्द्र द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि बिना किसी जांच के लूटी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि उचित ढंग से प्रयोग नहीं की जा रही है और राज्य सरकारें इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं। क्या आप इन मामलों में कुछ नहीं करेंगे? माननीय सदस्य आपसे इस संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया: इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाने का यही कारण है। उन्हें अपनी बचनबद्ध देयताओं को कम करना होगा तभी हम उन्हें निधियां दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे।

श्री पी.आर. किन्डिया: जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक हम उन्हें निधियां नहीं दे सकते।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, पहले छः वर्षों में अनेक संगठनों के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विशेषकर इस मंत्रालय द्वारा निधियां दी गई थी। परन्तु उन निधियों का प्रयोग संपूर्ण समाज विशेषकर जनजातीय लोगों को साम्प्रदायिक बनाने के लिए किया गया।

क्या माननीय सदस्य पिछले छः वर्षों में दो भिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में कोई जांच करेंगे। क्या सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तपोषण करना बंद करेगी।

श्री पी.आर. किन्डिया: अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हम जांच करना चाहते हैं बशर्ते कि हमें इसकी जानकारी दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री लाहिरी आप उन्हें नामों के साथ विशिष्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया: जी हां, माननीय सदस्य इस संबंध में हमें लिख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में जिन प्रदेशों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उनमें मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बारे में कहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्तियों में घोटालों के मामले हैं। मैं अक्सर, कानपुर जनपद और बिल्हौर सीट से चुनकर आता हूं। वहां लगभग तीन वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्तियों के ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें अनियमितताओं की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनका ब्यौरा उनके पास है और क्या माननीय मंत्री जी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे?

अध्यक्ष महोदय: आप पर्टीकुलर्स भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, हमें इसका कोई अधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। वर्ष 2002-2003 में वास्तविक लाभार्थी 354 थे, वर्ष 2003-04 में 468 वास्तविक लाभार्थी थे तथा वर्ष 2004-05 में 107.62 लाख रुपये की राशि तथा प्रत्याशित लाभार्थी 3996 हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि दी जा रही राशि का अपव्यय हो रहा है।

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मामले में, हमें स्वयं संसद सदस्यों द्वारा अधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप हमने कई बार जांच की है। इसलिए, इस बारे में सदन का कोई भी सदस्य हमें लिख कर सूचना दे सकता है तथा हम तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री इस बारे में माननीय सदस्यों से सूचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि छात्रवृत्तियों का जो पैसा जा रहा है, वह छात्रों को क्यों नहीं मिल रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं इस मामले में पहले ही हस्तक्षेप कर चुका हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, 1950 से ही हम जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बावजूद, जनजातीय जनसंख्या में साक्षरता दर बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया "प्रारंभिक प्रतिवेदन में यह उद्घटित हुआ था कि दो कालेज नामतः डी वी आर जूनियर कालेज, जुबली हिल्सैण्ड तथा चाणक्य कालेज, कृष्णा नगर द्वारा 20,54,540 रुपये की राशि का आहरण किया गया। तत्पश्चात्, धोखाधड़ी से दी गई संपूर्ण छात्रवृत्तियों की जांच हेतु राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया।" समिति द्वारा सभी अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् यह उद्घाटित हुआ कि राज्य जनजातीय कल्याण विकास के रजिस्टर में बिना समवर्ती प्रविष्ठियों के राज्य

सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा 3,80,08,081 रुपये प्रदान किए गए। इस प्रकार के घपले चल रहे हैं। हम करोड़ों रुपये दे रहे हैं तथा यह जनजातीय लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। कालेज धनराशि का आहरण कर उपयोग कर रहे हैं अथवा जनजातीय लोगों के नाम पर भवन निर्माण कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार की क्या भूमिका है। हम इसे राज्यों पर छोड़ देते हैं तथा राज्य समितियों का गठन कर देता है। भारत सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हमें इसके लिए एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदयः आपका क्या सुझाव है?

श्री किन्जरपु येरननायडुः यदि समितियों के गठन के पश्चात् भी राज्य सरकारों की जानकारी में बहुत सी अनियमितताएं आ रही हैं तो भारत सरकार के पास इन सब को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री किन्जरपु येरननायडुः क्या सरकार इन सब अनियमितताओं को नियंत्रित करने हेतु कोई तंत्र विकसित करेगी तथा दोषियों को दण्डित करेगी।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री से इसका उत्तर सुनते हैं। माननीय सदस्य ने उन मुद्दों के बारे में पूछा है जिसकी चर्चा आपके उत्तर में पहले ही की गई है। लेकिन इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है?

श्री पी.आर. किन्डियाः हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। पहले जब यह आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में हुआ तो विद्यार्थियों को नकद राशि दी गई।

तथापि, हमने एक प्रणाली चालू की है जिसमें 'अदाता के खाते में देय चेक' विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। यह पहला कदम था। दूसरे छात्रवृत्तियों तथा अन्य वस्तुओं के संपूर्ण वितरण का कार्य राज्य सरकारों का है। इसलिए, हमने यह देखने के लिए राज्य सरकारों को परिपत्र जारी किए हैं कि व्यय की जा रही राशि नियमित रूप से व्यय की जाए अथवा केवल 'अदाता के खाते में देय चेक' के माध्यम से ही छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान किया जाए। यह अत्यावश्यक है, तथा इसमें काफी सफलता मिली है।

अध्यक्ष महोदयः जिन्होंने धनराशि चुराई है उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय यह मुख्य मुद्दा है।

श्री जे.एम. आरून रशीदः महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक जनजातीय लोग रहते हैं। जबकि स्कूल चल रहे हैं, उनमें कोई शिक्षक नहीं हैं अथवा शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में नहीं आते हैं। एक अन्य बात यह है कि जब परिक्षाएं चल रही होती हैं तो विद्यार्थियों को अपने मूल निवास से मुख्य शहरों तक 50 से 60 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है तथा सरकार ने उन्हें कोई आवास की सुविधा प्रदान नहीं की है। इस बार मैंने कोडईकनाल में लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधा का प्रबंध किया है। सरकार उनके लिए आवास की सुविधा क्यों नहीं प्रदान कर रही है?

अध्यक्ष महोदयः आपने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आपका प्रश्न क्या है?

श्री जे.एम. आरून रशीदः सरकार को उन्हें कम से कम परीक्षा के दौरान आवास की सुविधा देनी चाहिए। वहां केवल एक बस उपलब्ध है जो सुबह 7.30 बजे छूट जाती है। यदि वे इसे न पकड़ पाएं तो वह परीक्षा देने शहर नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह मुख्य प्रश्न से बहुत दूर का मुद्दा है। मंत्री महोदय क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं?

श्री पी.आर. किन्डियाः मैं इस पर अलग से नोटिस दूंगा। जनजातीय लोगों के लिए विद्यालय तथा अन्य गतिविधियां को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। एक चैनल के माध्यम से निधियों के आबंटन किया जाता है। एक विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है तथा अपने राज्यों में यह सब कार्य करने हेतु राज्य सरकारें स्वयं उत्तरदायी हैं। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हम केवल पर्यवेक्षण निकाय की तथा निगरानी कार्य करने की भूमिका निभाते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप राज्यों को परीक्षा काल के दौरान आवास सुविधा मुहैया कराने का सुझाव दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राशि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आबंटित की जा रही है, पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि पूरे देश के पैमाने पर आबंटित की गई है? मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने के लिए कोई विचार कर रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप यह बताने की स्थिति मे हैं कि इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई?

श्री पी.आर. किन्डिया: जहां तक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग के विद्यार्थियों को धनराशि प्रदान करने का प्रश्न है, मैं इस समय कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि क्या इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने विचार करके ही जवाब दिया है।

[अनुवाद]

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का निर्यात

***627. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताजे तथा प्रसंस्करित फल और सब्जियों के विपणन में विभिन्न राज्यों की आपार निर्यात क्षमता का उपयोग करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की ढुलाई में आने वाली उच्च कंटेनर लागत की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निर्यात भाड़े पर राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु और क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। सरकार द्वारा अपनी चल रही स्कीमों के जरिए ताजे एवं प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों के निर्यात का संवर्धन किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) ताजे एवं प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों के निर्यात संवर्धन हेतु 19 राज्यों में 39 कृषि निर्यात जोन (एईजेड) स्थापित किए गए हैं। अगले 3-5 वर्ष के दौरान इन एईजेडों में निजी क्षेत्र, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 1018.85 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की आशा है।

(2) निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत ताजे एवं प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विनिर्दिष्ट गंतव्यों को चुनिंदा ताजे एवं प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों के निर्यात पर निर्यातकों द्वारा व्यय की गई भाड़ा लागत को कम करने के लिए उन्हें परिवहन सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें रीफर कंटेनरों में पत्तनों तक अंतर्देशीय भाड़े पर लिया गया व्यय शामिल है। अनुमत्य सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

ताजे टहनीयुक्त फूलों को छोड़कर हवाई मार्ग द्वारा पात्र मदों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य का 10% अथवा भाड़े का 25% अथवा विशिष्ट दर, जो भी सबसे कम हो।
समुद्री मार्ग द्वारा गैर-रीफर कंटेनरों में निर्यातित पात्र उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य का 10% अथवा भाड़े का 25% अथवा विशिष्ट दर, जो भी सबसे कम हो।
समुद्री मार्ग द्वारा रीफर कंटेनरों में निर्यातित पात्र उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता।	एफओबी मूल्य का 10% अथवा भाड़े का 33% (रीफर कंटेनरों में अंतर्देशीय भाड़ा शामिल है)* अथवा विशिष्ट दर अथवा समुद्री भाड़े का 50% जो भी सबसे कम हो।

*रीफर कंटेनर द्वारा अंतर्देशीय भाड़े (फैक्ट्री से पत्तन तक) को विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर भाड़े में शामिल किया जाता है।

निर्यातकों को प्रदत्त अन्य प्रोत्साहन उपर्युक्त भाग (ख) (2) के उत्तर में सूचीबद्ध हैं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से 39 कृषि निर्यात क्षेत्रों के नाम तथा निजी क्षेत्र, राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा संबंधित कृषि निर्यात क्षेत्रों में किए गए निवेश की राशि के बारे में जानना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या केन्द्र की अन्य राज्यों अथवा उन राज्यों में, जहां कृषि निर्यात क्षेत्र पहले ही स्थापित हैं, अधिक कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की कोई योजना है। मंत्री जी ने बताया है कि 1,018.85 करोड़ रु. का निवेश किए जाने की संभावना है। क्या यह निवेश केन्द्रीय योजना और राज्यों के परामर्श से किया जाएगा अथवा इसे निजी प्रवर्तकों के हाथों में छोड़ दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय: हमें 39 कृषि निर्यात क्षेत्रों की सूची नहीं चाहिए। आप माननीय मंत्री को इसका ब्यौरा भेज सकते हैं।

श्री कमल नाथ: जी हां, महोदय। 39 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं जिनमें 1,018 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। निजी क्षेत्र द्वारा इन कृषि निर्यात क्षेत्रों को 418 करोड़ रु. की वास्तविक सहायता दी गई अथवा निवेश किया गया। हमने इन 39 केन्द्रों द्वारा किए गए निर्यात का अनुमान लगाया है जो 2,532 करोड़ रु. बनता है।

कृषि निर्यात क्षेत्रों हेतु लगभग 13 प्रस्ताव लंबित हैं। ये मणिपुर मिजोरम, कर्नाटक—लगभग चार कर्नाटक के- अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के हैं। हमें आशा है कि पांच प्रतिशत लाभ जो कि पुन: लाभ की पूर्ति के समान है, की अनुमति देकर विदेश व्यापार नीति पर जो बल दिया जा रहा है इसमें पर्याप्त वृद्धि होगी।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि फलों और सब्जियों के उत्पादन के संबंध में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक होने के बावजूद सुविधाओं, पैदावार के बाद की सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं जो शीत श्रृंखला से संबंधित है, चाहे वह शीतागार से संबंधित हो अथवा शीत परिवहन से की कमी के कारण हम निर्यात का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाए हैं। यह एक बड़ी बाधा है। परन्तु अब हमने विदेश व्यवहार नीति, जिसकी घोषणा की गई है, में कृषि क्षेत्र पर जो बल दिया है हमें आशा है कि उससे इसमें पर्याप्त वृद्धि होगी।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ताजे कटे हुए फूलों पर 10 प्रतिशत हवाई माल-भाड़ा सहायता की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है या नहीं; और क्या पूर्वी क्षेत्र विशेषकर कोलकाता से ताजी सब्जियों के हवाई परिवहन हेतु राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: क्या फूलों पर भी रियायत मिलेगी।

श्री कमल नाथ: परिवहन राजसहायता देते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को भी देखना होगा जो इन्क्रीमेन्टल इफैक्टिवनेस इन्डैक्स का है। निर्यात के स्तर पर मद और श्रेणी की निगरानी के लिए ए.पी.ई.डी.ए. द्वारा इन मानदण्डों का प्रयोग किया जाता है। अनुमानित इन्क्रीमैन्टल इफैक्टिवनेस इन्डैक्स से पता चलता है कि व्यय किए गए प्रत्येक अतिरिक्त रुपये पर हमें क्या लाभ मिलेगा। जहां तक फूलों संबंधी विशिष्ट प्रश्न का संबंध है यह स्पष्ट है कि हवाई जहाज द्वारा इन्ट्रीमैंटल इफैक्टिवनेस इन्डैक्स अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है जितना ये पहले था।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल अलंकारिक भाव का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ: लेकिन फूलों को केवल हवाई जहाज द्वारा ही निर्यात किया जा सकता है। अत: फूलों के लिए कोलकाता से एक परिवहन राजसहायता योजना है।

अध्यक्ष महोदय: शीतागार से निर्यात की योजना है। मुझे उसकी चिन्ता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कर रहा हूं। आप इस बात का ध्यान रखिए।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं।

फलों के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का स्थान दूसरा है। केले और आम के उत्पादन में भारत का स्थान पहला, पपीते के उत्पादन में दूसरा, अनानास में चौथा और सेब के उत्पादन में दसवां स्थान है।

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या प्रश्न है?

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: हमारे फल के कुल उत्पादन में से 97वें प्रतिशत को बाजार में बेचा जा सकता है। फलों के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा केवल 1.53 प्रतिशत है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बहुत अच्छी पहल का उल्लेख किया है। इन तथ्यों को और माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि 39 कृषि निर्यात क्षेत्रों में से हिमाचल प्रदेश राज्य में, जो हमारे देश में फलों और सब्जियों का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। निर्यात हेतु

बुनियादी सुविधाओं—मुख्यत: शीतागार, डिब्बा बंद किया जाना, गन्तव्य तक ले जाने और बाजार सुविधाओं के संबंध में, कितने क्षेत्रों के लिए योजना बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इसका उत्तर देने में पूरा दिन लगाएंगे। मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश में जगहों का नाम बताइए।

श्री कमल नाथ: जैसा कि मैंने बताया था 13 में से कोई भी योजना लंबित नहीं है। माननीय मंत्री ने कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं। ये वास्तविक आंकड़े हैं। इससे केवल यह पता चलता है कि हमारे पास पर्याप्त सामर्थ्य है। 13 जो लंबित हैं—मैं पहले ही बता चुका हूं कि 39 पहले ही हैं, इसीलिए मैं दुबारा जिक्र नहीं करना चाहता—उनमें हिमाचल प्रदेश के लिए किसी योजना का प्रस्ताव नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए कोई प्रस्ताव है तो हमें उसकी जांच करने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुधांशु सील। वे इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रहे हैं।

श्री सुधांशु सील: मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि आम को सूची से निकाल दिया गया है। क्या मंत्री महोदय आम पर राजसहायता देने पर विचार कर रहे हैं?

प्रशीतन कन्टेनर के संबंध में, मैने पहले ही बताया है कि यदि वे आलू और अन्य विनाशशील वस्तुओं को प्रशीतन कन्टेनरों से भेजना चाहते हैं तो हमें कम से कम 100 प्रशीतन कन्टेनरों की आवश्यकता होगी। कृषि मंत्रालय पहले ही कुछ निर्णय ले चुका है और माननीय मंत्री श्री शरद पवार ने बताया है कि हमें इन्हें एक साथ मिलाना होगा और तत्पश्चात् हमें एक योजना की घोषणा करनी होगी। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि यदि वे इस मामले में वास्तव में गंभीर हैं तो उन्हें इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही करनी होगी, हमारे यहां बहुत बड़ा बाजार है।

अध्यक्ष महोदय: वे इस मामले में गंभीर हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील: क्या सरकार इन नष्ट होने वाली वस्तुओं का निर्यात करने के लिए कम से कम 100 प्रशीतित कंटेनर खरीदने पर विचार कर रही है? मैं आमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वह आमों और प्रशीतित कंटेनरों के विषय में जानना चाहते हैं।

श्री कमल नाथ: माननीय सदस्य आलू के विषय में बात कर रहे थे और अब वह आम की चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* तथापि, मैं सदस्य की इस प्रश्न में रुचि की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने सतत रूप से इस बात को उठाया है। उनके द्वारा इस बात को उठाने से यह योजना लागू हुई है, जिसकी घोषणा हमने विदेश व्यापार नीति में की है। मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा कि परिवहन सहायता के लिए एक विशेष योजना है। जहां तक ताजे फलों का संबंध है यह सत्य है कि आम और अंगूर को इससे बाहर रखा गया है। हम इस मामले को देख रहे हैं। हम कोई ऐसा उपाय करने का प्रयास करेंगे ताकि आमों का निर्यात भी किया जा सके।

परन्तु वास्तविक मुद्दा है प्रशीतित कंटेनर। परन्तु प्रशीतित माध्यमों की कमी है। कृषि मंत्री के साथ सहयोग करके हम इसका प्रयास कर रहे हैं और आमों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मामले में कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए। इसमें बहुत क्षमता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार

***623. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही संक्षिप्त पाठ्यक्रम शिक्षा योजना के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वाली ऐसी कितनी महिलाओं को शिक्षित किया गया जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत प्राप्त परिणाम इस पर व्यय की गई राशि के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो संतोषजनक कार्य-निष्पादन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं और इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) इस स्कीम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी लड़कियों/महिलाओं को शिक्षा के तीनों स्तरों, अर्थात् प्राथमिक, मिडल तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और जो प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों अथवा अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से मुख्य शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकी हैं। हालांकि, कौशल उन्नयन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इस स्कीम के घटक हैं, लेकिन इस स्कीम का मुख्य बल लक्षित लाभार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। अतः, लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2002-03	3,475
2003-04	10,850
2004-05	14,625

(ख) से (ङ) 1958 में इस स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक 6.27 लाख लाभार्थियों को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान की गई है और 112.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर कौशल विकास घटक को सुदृढ़ बनाया गया और वित्तीय मानकों में संशोधन किया गया।

इस स्कीम की व्यापक समीक्षा करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक कार्य दल का गठन किया गया। कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्कीम में और सुधार किए जाएंगे।

[अनुवाद]

विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाने की योजना

***625. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तारीख तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाने की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों वाले विद्यालयों में परीक्षणात्मक तथा नवीन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना में भाग ले रही एजेंसियों का प्रदर्शन 1995-96 से उत्साहवर्धक नहीं रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) "विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाने" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् आज तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। "विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाने" संबंधी स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाने संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1988-89 में प्रारंभ की गई थी जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों को विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता सृजित करने के उद्देश्यार्थ संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलापों यथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर "पर्यावरण अध्ययन" से संबंधित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा तथा विकास आदि के लिए अनुदान देने की परिकल्पना की गई है। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इसके प्रति रुचि न दिखाए जाने के कारण वर्ष 1995-96 के पश्चात् कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है और इस स्कीम को केवल स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस स्कीम को सफल बनाने के प्रयोजनार्थ संपूर्ण देश को शामिल करते हुए पर्यावरण उन्मुखन के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े सात नोडल स्वैच्छिक संगठनों को नियुक्त किया गया है।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र.सं.	संगठन का नाम	के दरान जारी		
			2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1.	गौतमी एजुकेशन सोसाइटी, टांगुटूर, प्रकाशन	1.61	0.97	0.64
असम	2.	बहुमुखी कृषि अरू समाज कल्याण समिति, नौगांव	0.32	-	-
	3.	बुडविजी हैलाकांडी, नौगांव	0.88	0.88	-
	4.	पथारी व्यावसायिक संस्था, नौगांव	0.88	-	-
	5.	सदाऊ असम पुथीभराल संस्था, हैबर गांव, नौगांव	1.93	-	-
	6.	असम विज्ञान सोसाइटी, गुवाहाटी (नोडल एजेंसी)	-	18.09	17.18
बिहार	7.	ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी, पटना (नोडल एजेंसी)	1.10	20.35	18.00
	8.	कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान, पटना	0.64	-	-
	9.	हरिजन सेवक संघ, मेधपुरा	1.00	-	-
छत्तीसगढ़	10.	एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर	5.09	-	-
गुजरात	11.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद, (नोडल एजेंसी)	34.37	33.94	27.95
मध्य प्रदेश	12.	साइंस सेन्टर (ग्वालियर), भोपाल	5.79	-	2.80
महाराष्ट्र	13.	भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट आफ एनवायरमेंट एजुकेशन	5.83	-	-
	14.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोसल साइसेंस, मुम्बई	-	0.75	-
मणिपुर	15.	आशुफिमेई डेवलपमेंट सोसाइटी, सेनापति जिला	1.36	-	1.37
उड़ीसा	16.	भुवनेश्वर साइंस एंड एनवायरमेंट फोरम, भुवनेश्वर	2.00	1.25	-
	17.	संकल्प, पुरी	1.39	-	-
	18.	बरहामपुर कंसारी समाज, बरहामपुर	0.75	0.75	-
तमिलनाडु	19.	सी.पी.आर. एनवयारमेंट सेंटर, चेन्नई (नोडल एजेंसी)	27.54	12.56	27.49
उत्तर प्रदेश	20.	भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद	0.42	-	-
	21.	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्राम्य विकास संस्था	0.64	0.64	-
	22.	सी ई ई हिमालय, लखनऊ	2.60	5.44	3.36
	23.	मायना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, खुर्जा	-	-	-

1	2	3	4	5	6
उत्तरांचल	24.	उत्तराखंड सेवा निधि, पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा	61.00	129.06	65.94
पश्चिम बंगाल	25.	पश्चिम बंगाल स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता	2.17	2.17	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	26.	भारतीय पर्यावरण संस्था, दिल्ली (नोडल एजेंसी)	6.14	22.89	12.95
	27.	सामाजिक सेवा कला समूह, नई दिल्ली	2.73	-	-
	28.	संकल्प, नई दिल्ली	3.49	2.10	-
	29.	चिंतन पर्यावरण एवं कार्रवाई समूह, नई दिल्ली	3.72	3.77	3.00
		कुल	175.39	255.61	180.68

स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की समीक्षा

***628. श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए ग्रामीण शिक्षकों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय लोकाचार को सम्मिलित करने की दृष्टि से विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों तथा भाषाओं से जुड़े शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 9-12 अप्रैल, 2005 तक पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के साथ परामर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना समीक्षा में चिन्ता का मुख्य विषय ग्रामीण क्षेत्रों, जहां देश के अधिकतर बच्चे रहते हैं, में स्कूली शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के कारण ग्रामीण बच्चों के मुद्दों पर ध्यान देने का महत्व अधिक बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के साथ परामर्श का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से अवगत कराना है, ताकि परिषद संशोधित राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना के आधार पर पाठ्यक्रमों को संशोधित करने, नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और शिक्षक दिशा-निर्देशों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार ला सकें।

(ग) शिक्षकों के साथ ग्रामीण शिक्षा की चुनौती, शिक्षा में व्यवस्थित सुधार, मूल्यांकन और परीक्षा, शिक्षा में कला, संगीत, नृत्य और थियेटर सहित विशिष्ट मुद्दों पर परामर्श किया गया। तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मणिपुर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आशा करती है कि वह पाठ्यक्रम के विभिन्न मुद्दों पर अध्यापकों के साथ समय-समय पर चर्चा करके उनके साथ परस्पर संबंध बनाए रखेगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना में राष्ट्रीय लोकाचार को सम्मिलित करने के लिए ये सभी कदम उठाए गए हैं जिनकी अब समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

जनजातियों का निष्कासन

***629. श्री महावीर भगोरा:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बड़ी संख्या में जनजातियों को उनके परंपरागत आवासों से निष्कासित किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोगों के निष्कासन को रोकने के लिए जनजातीय नीति/कानून में कतिपय परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) पीढ़ियों से वनों में रह रही अनुसूचित जनजातियों के भूमि पर अधिकारों की अपर्याप्त मान्यता के कारण बेदखली का खतरा व्याप्त रहता है। तथापि, जनजातियों और वन निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए, जिनके विवादित दावे अभी निपटाए जाने हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्वाग्रह के बिना और अंतरिम उपाय के रूप में राज्य सरकारों को 21.12.2004 को सलाह दी थी कि उन्हें अवैध काबिजों के अलावा, जनजातीय लोगों और वन निवासियों को बेदखल नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसे दावों के निपटान हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे लोगों और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अवैध काबिजों के अलावा, ऐसी जनजातियों/वन निवासियों को बेदखली अभियान से अलग रखने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि यह अंतरिम उपाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वन भूमि पर अवैध काबिजों की बेदखली को नहीं रोकता है।

(ग) से (च) जी, हां। इस मंत्रालय को अधिदेश दिया गया है कि वह वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के निराकरण हेतु तथा भूमि पर उनके कानूनी अधिकार एवं अन्य पारंपरिक अधिकारों पर स्पष्ट दावों हेतु एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाए। मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन्य अधिकारियों को मान्यता को विधायी स्वरूप देने हेतु ''अनुसूचित जनजातियों के वन्य अधिकारों को मान्यता'' विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया है।

प्रस्तावित विधेयक अभी भी एक अंतरिम प्रारूप विधेयक है तथा इसे स्थापित कार्यविधि के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सहित अन्य पणधारी मंत्रालयों की टिप्पणियों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा।

नमक नीति

630. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई नमक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नमक नीति बनाए जाने से स्वदेशी रूप से नमक उत्पादन करने में लगे लाखों मजदूरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है तथा इस संबंध में कौन से ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे स्वदेशी नमक उत्पादकों पर उपरोक्त नई नीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और

(च) नई नमक नीति बनाए जाने के पूर्व नमक पर कितना कर लगता था और नई नीति बनने के पश्चात् से नमक पर कितना कर लगाया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) नमक पर कोई केन्द्रीय कर नहीं है। तथापि, 100 एकड़ और इससे अधिक क्षेत्र वाले नमक कारखानों से नमक पर 3.50 रुपये प्रति टन की दर से और 100 एकड़ से कम क्षेत्र वाले किंतु 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले नमक कारखानों से नमक पर 1.75 रुपये प्रति टन की दर से उपकर लगाया जाता है। ऐसे नमक कारखाने जिनका क्षेत्र 10 एकड़ तक है, सहकारी समितियां जिनके अलग-अलग सदस्यों के पास 10 एकड़ तक भूमि है और निर्यात के लिए नमक को उपकर से छूट प्राप्त है।

अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों द्वारा आत्महत्या

***631. श्री पंकज चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) कुल मिलाकर पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि का कोई निश्चित रुझान देखने में नहीं आया है। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में आत्महत्या के मामलों में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी हुई है:-

वर्ष	2002	2003	2004
आत्महत्या के मामलों की संख्या	21	22	28

आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयास के प्रत्येक मामले में विभागीय जांच की गई है। आत्महत्या के लिए सर्वाधिक सामान्य कारण ड्यूटी से संबंधित तनाव, मानसिक अवसाद, घरेलू समस्याएं, वैवाहिक अनबन और पुरानी बीमारियां हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो भी तनाव प्रबंधन पर एक अध्ययन कर रहा है।

इस समस्या के निदान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ड्यूटी के घंटों को नियमित करने तथा आपरेशनल अपेक्षाओं के दबाव को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों को कठिन क्षेत्रों से सरल क्षेत्रों में आवधिक रूप से बदलते रहने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) कार्मिकों की खेल प्रतिस्पर्धाओं तथा मनोरंजन गतिविधियों में नियमित भागीदारी।

(3) अपने परिवारों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्मिकों हेतु संचार सुविधाएं।

(4) अधिकारियों द्वारा सम्मेलनों, अग्रिम क्षेत्रों के दौरों आदि के जरिए कार्मिकों के साथ नियमित रूप से पारस्परिक सम्पर्क।

(5) योगा और विपासा जैसी तनाव दूर करने वाली तकनीकों की शुरूआत।

(6) केन्टीन सुविधाओं, कल्याण निधियों से ऋण आदि जैसे कल्याणकारी उपायों की शुरूआत।

लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण

***632. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में लघु उद्यमियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के अंतर्गत लघु उद्यमियों को अपने कार्यनिष्पादन में सक्षम बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी एजेंसी से कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में लघु उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयों की संख्या मोटे तौर पर 118.59 लाख होने का अनुमान है। इनमें से 16.38 लाख एसएसआई इकाइयां सरकार के पास पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग) डब्ल्यूटीओ के पश्चात वैश्विक व्यापार प्रणाली में प्रचालन करने हेतु एसएसआई उद्यमियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लघु उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की दृष्टि से सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों में शामिल हैं—प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता, सामूहिक पद्धति के जरिए अवसंरचना संबंधी सहायता, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन देना, संबंधित आईटी अनुप्रयोगों से युक्त एक इलैक्ट्रानिक अवसंरचना का सृजन करना तथा विपणन एवं अन्य संगत सूचना का प्रसार करना।

(घ) से (ङ) सरकार द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एसआईएसआई), नोएडा में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूजी), हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी) तथा गुवाहाटी

स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के जरिए लघु उद्यमियों के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विद्यालयों में छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास

***633. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बड़ी संख्या में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक कोष की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) सरकार इस प्रकार की सांख्यिकी नहीं रखती है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों की सहायता के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चलाती है:-

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना संचालित करता है जिसके तहत कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा मैट्रिकोत्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों सहित सभी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंशा देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) चलाने की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाले आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है, उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो। ग्रामीण छात्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और छात्रों को सीटों का आरक्षण दिया जाता है जो सामान्यतया राष्ट्रीय औसत के अलावा होता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित है।

(3) मंत्रालय प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी संचालित करता है।

(4) सी.बी.एस.ई. द्वारा स्कूलों के लिए अंगीकृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना संभी श्रेणी के छात्रों को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करती है।

सिर्फ इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई निधि बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी निवेश

***634. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश करने वाले प्रत्येक देश से प्राप्त विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है और देश में अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या अमरीका ने भारत सरकार से और अधिक अमरीकी उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए कहा है ताकि अमरीका में 'आऊटसोर्सिंग' से समाप्त हुए रोजगार की क्षतिपूर्ति की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 तक के दौरान देश-वार विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाहों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने एफ.डी.आई. संबंधी एक उदार नीति की शुरूआत की है जिसमें स्वत: मार्ग के अन्तर्गत अधिकांश कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है। देश में एफ.डी.आई. को आकृष्ट करने के उद्देश्य से निवेश संवर्धन तथा सुविधा उपायों को शुरू करने के अलावा नीति तथा प्रक्रियाओं की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न देशों से वित्तीय वर्ष-वार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह
(अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 तक)

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	देश	2002-03 (अप्रैल-मार्च)		2003-04 (अप्रैल-मार्च)		2004-05 (अप्रैल-फरवरी)		संचयी कुल (अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2005 तक)	
		रुपये में	अमरीकी डालर में	रुपये में	अमरीकी डालर में	रुपये में	अमरीकी डालर में	रुपये में	अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मॉरिशस	37657.36	788.06	26086.82	567.1	50019.15	1095.26	113763.3	2450.42
2.	यू.एस.ए.	15038.02	318.61	16582.52	360.49	29056.39	634.3	60676.93	1313.4
3.	नीदरलैण्ड	8356.81	175.84	22473.17	488.55	10572.12	230.39	41402.1	894.77
4.	जापान	19709.63	411.87	3604.46	78.36	5211.16	113.8	28525.25	604.02
5.	यू.के.	16174.54	340.48	7685.35	167.07	4518.63	99.09	28378.52	606.64
6.	जर्मनी	6840.49	143.91	3734.02	81.17	6392.25	139.73	16966.76	364.82
7.	फ्रांस	5337.16	111.64	1762.71	38.32	5348.13	116.93	12447.99	266.89
8.	स्विटजरलैण्ड	4365.3	92.97	2066.13	44.92	3381.38	73.77	9812.82	211.66
9.	सिंगापुर	1797.33	37.88	1717.31	37.33	2886.64	63.3	6401.28	138.52
10.	स्वीडन	1135.99	23.94	1873.45	40.73	3381.88	73.53	6391.32	138.19
11.	कोरिया (दक्षिण)	1877.42	39.17	1099.39	23.9	1193.22	25.94	4170.04	89.01
12.	मलेशिया	864.11	18.07	2173.61	47.25	353.57	7.71	3391.28	73.02
13.	यू.ए.ई.	716.24	15.11	773.31	16.81	1748.79	38.57	3238.34	70.5
14.	आस्ट्रेलिया	496.75	10.37	913.05	19.85	849.17	18.48	2258.97	48.7
15.	इटली	475.32	10.25	250.04	5.44	1227.96	26.76	1953.32	42.44
16.	डेनमार्क	296.07	6.17	636.28	13.83	954.88	20.77	1887.23	40.78
17.	कामन आइलैण्ड	541.71	11.29	911.47	19.81	289.4	6.3	1742.58	37.4
18.	हांगकांग	244.49	5.09	977.42	21.25	448.46	94.9	1670.36	36.29
19.	कनाडा	326.87	6.89	464.98	10.11	614.09	13.36	1405.93	30.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ब्रिटिश वरजिनिया	1217.79	25.78	96.13	2.09	65.19	1.42	1379.11	29.28
21.	इंडोनेशिया	1006.44	20.97	82.68	1.8	12.79	0.28	1101.92	23.05
22.	बेल्जिम	188.94	3.94	819.82	17.82	24.64	0.54	1033.4	22.3
23.	ओमान	243.72	5.08	374.45	8.14	218.63	4.76	836.79	17.98
24.	मोरक्को	0	0	699.72	15.21	0	0	699.72	15.21
25.	स्पेन	354.6	7.48	91.49	1.99	252.43	5.49	698.53	14.97
26.	साइप्रस	352.93	7.39	162.92	3.54	120.89	2.63	636.75	13.56
27.	आस्ट्रिया	248.02	5.18	92.6	2.01	196.88	4.29	537.49	11.49
28.	बहरीन	0	0	492.52	10.71	0	0	492.52	10.71
29.	केनिया	339.89	7.15	46.2	1	0	0	386.09	8.15
30.	बहमास	0	0	120.53	2.62	260.37	5.69	380.9	8.31
31.	बंगलादेश	112.22	2.36	128.65	2.8	133.92	2.91	374.79	8.07
32.	दक्षिण अफ्रीका	5.7	0.12	117.45	2.55	209.34	4.55	332.49	7.22
33.	बेरमुदा	164.54	3.43	32.43	0.7	120.73	2.62	317.69	6.76
34.	सऊदी अरब	26.55	0.57	282	6.13	1.98	0.45	310.54	6.75
35.	लक्समबर्ग	64.66	1.36	171.59	3.73	20.87	0.45	257.12	5.55
36.	फिनलैण्ड	227.64	4.9	0.27	0.01	10.74	0.23	238.64	5.14
37.	ब्रिटिश इस्लेस	0.2	0	0	0	226.82	5.15	227.02	5.16
38.	तुनिसिया	0	0	0	0	198.4	4.31	198.4	4.31
39.	थाईलैण्ड	5.6	0.12	56.32	1.22	96.97	2.11	158.89	3.46
40.	ताइवान	4.54	0.1	26.35	0.57	127.63	2.77	158.52	3.44
41.	कुवैत	58.27	1.26	4.2	0.09	72.54	1.58	135.01	2.93
42.	स्लोवेनिया	107.36	2.33	0	0	0	0	107.36	2.33
43.	नाईजीरिया	36.96	0.77	45.03	0.98	21.4	0.47	103.38	2.21
44.	जिबरालटर	0.22	0	0.13	0	100.79	2.29	101.13	2.3
45.	आयरलैण्ड	9.07	0.19	49.02	1.07	25.71	0.57	83.8	1.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	स्लोवाकिया	0	0	0	0	79.33	1.8	79.33	1.8
47.	लिचटेंसटिन	45.25	0.94	30.6	0.67	0	0	75.85	1.61
48.	चेनल आइलैण्ड	7.4	0.16	29.98	0.65	24.52	0.53	61.9	1.34
49.	कोरिया (दक्षिण)	42.36	0.88	0	0	15	0.34	57.36	1.22
50.	इस्ले आफ मान	23.4	0.49	7.65	0.17	19.96	0.43	51.01	1.09
51.	श्रीलंका	20.32	0.44	0	0	16.79	0.37	37.1	0.8
52.	लाइबेरिया	27.5	0.57	0	0	0	0	27.5	0.57
53.	वेस्ट इंडीज	15.67	0.33	0	0	10.89	0.24	26.56	0.56
54.	नार्वे	12.69	0.27	5.8	0.13	6.16	0.14	24.64	0.53
55.	चीन	2.49	0.05	2.63	0.06	19.13	0.42	24.26	0.53
56.	क्यूबा	0	0	0.1	0	21.46	0.47	21.56	0.47
57.	आरूबा	0	0	17.4	0.38	2.25	0.05	19.65	0.43
58.	आइस लैण्ड	11.19	0.23	8	0.17	0	0	19.19	0.41
59.	रूस	0.51	0.01	1.98	0.04	12.14	0.26	14.63	0.32
60.	इजराइल	0	0	11.17	0.24	3.24	0.07	14.41	0.31
61.	फिलीपिन्स	0.21	0	0	0	12.87	0.28	13.08	0.29
62.	न्यूजीलैण्ड	6.78	0.14	0.05	0	4.85	0.11	11.68	0.25
63.	यूगोस्लाविया	6.62	0.14	0	0	4.69	0.1	11.31	0.24
64.	पोलैण्ड	0	0	11	0.24	0	0	11	0.24
65.	क्रोशिया	9.59	0.2	0.1	0	0	0	9.69	0.2
66.	पनामा	7.8	0.16	0	0	0.6	0.01	8.4	0.18
67.	बुलगारिया	0	0	0.1	0	6.33	0.14	6.43	0.14
68.	विरजिन आइलैण्ड	0	0	0	0	5.75	0.13	5.75	0.13
69.	माल्टा	0	0	4.2	0.09	0.87	0.02	5.07	0.11
70.	युगांडा	0	0	0	0	4.05	0.09	4.05	0.09
71.	कतर	0	0	0.45	0.01	3.5	0.08	3.95	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	नेपाल	0	0	0	0	3.49	0.08	3.49	0.08
73.	म्यांमार	0	0	2.34	0.05	0	0	2.34	0.05
74.	तुर्की	0	0	1.89	0.04	0.43	0.01	2.32	0.05
75.	चैक गणराज्य	2.15	0.05	0	0	0	0	2.15	0.05
76.	ब्राजील	0.57	0.01	0	0	1.12	0.02	1.7	0.04
77.	पेरू	0	0	0	0	1.64	0.04	1.64	0.04
78.	हंगरी	1	0.02	0	0	0	0	1	0.02
79.	कजाकिस्तान	0	0	0	0	1	0.02	1	0.02
80.	मिश्र	0.1	0	0	0	0.73	0.02	0.83	0.02
81.	यूक्रेन	0.2	0	0	0	0.5	0.01	0.7	0.02
82.	पुर्तगाल	0.5	0.01	0	0	0	0	0.5	0.01
83.	यमन	0	0	0	0	0.36	0.01	0.36	0.01
84.	जोर्डन	0	0	0	0	0.28	0.01	0.28	0.01
85.	वियतनाम	0	0	0.26	0.01	0	0	0.26	0.01
86.	ग्रीस	0	0	0.1	0	0.05	0	0.15	0
87.	लेबनान	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0
88.	मालद्वीव	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0
89.	कॉस्टा रिका	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0
90.	कोलम्बिया	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0
91.	लेबनान	1434.28	31.12	725.27	15.77	2950.96	64.63	5110.51	111.51
92.	एन.आर.आई.	0.56	0.01	0.73	0.02	298.09	6.72	299.39	6.75
93.	न दर्शाये गये	19771.23	411.9	18807.56	408.86	39371.71	870.25	77950.5	1691.02
94.	अंतर्वाह का अग्रिम	840	17.5	1725	37.5	0	0	2565	55
95.	आर.बी.आई.-एन.आर.आई. योजनाएं	4.9	0.1	0	0	0	0	4.9	0.1
	कुल योग	149,322.9	3,133.85	121,173.6	2,634.21	173,871.6	3,810.99	444,368.0	9,579.04

[अनुवाद]

केन्द्रीय धनराशि का उपयोग

***635. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् आज की तिथि तक महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारें विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से का अनुदान न दिए जाने के कारण भी इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई टिप्पणियां की गई थीं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी कार्यपद्धति पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे), सफाई कर्मचारियों की मैला ढुलान से मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) और एकीकृत कम लागत सफाई स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम के तहत राशियां भी जारी की जा रही थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा जारी धनराशियों और राज्यों द्वारा यथा सूचित उपयोग की गई राशियों के उल्लेख वाला ब्यौरा विवरण-I से V में दिया गया है।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) से (छ) इस मंत्रालय में मार्च, 2004 में प्राप्त 2001-02 तथा 2002-03 की अवधि की निरीक्षण की प्रारूप रिपोर्ट में कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत प्राप्त राशियों के अंतरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र भी था जिसके संबंध में 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए धनराशियों के अन्तरण की सूचना दी गई थी। मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उनकी टिप्पणियों/स्पष्टीकरण के लिए उठाया गया था। उपलब्ध सूचना के आधार पर इस मंत्रालय ने 6 दिसंबर, 2004 को रिपोर्ट प्रिंसिपल डायरेक्टर आफ आडिट, इकानामिक एण्ड सर्विसेज मिनिस्ट्रीज को प्रस्तुत कर दी है।

विवरण I

2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश/व्यय का राज्यवार विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05 तक कुल दी गई राशि (1.12.1997 तक) अवशेष सहित)	31.3.2005 तक सूचित कुल व्यय
		वास्तव में दी गई केन्द्रीय राशि	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित व्यय*	वास्तव में दी गई केन्द्रीय राशि	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित व्यय*	वास्तव में दी गई केन्द्रीय राशि	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 31.3.2005 तक सूचित व्यय*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	904.15	904.16	1390.19	1334.72	1116.41	0.00	9939.82	8767.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	40.68	7.84	135.15	7.69	31.35	497.81	339.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.00	253.94	0.00	669.94	245.07	281.61	2211.43	1934.94
4.	बिहार	0.00	0.00	425.38	0.00	468.09	0.00	3236.24	1823.14
5.	छत्तीसगढ़	236.41	230.69	229.65	55.15	119.31	0.00	1136.5	766.76
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.9	150.69
7.	गुजरात	1717.07	335.54	260.19	170.04	164.36	117.36	6341.78	4121.13
8.	हरियाणा	238.39	116.99	569.95	435.52	668.47	261.07	2350.03	1658.97
9.	हिमाचल प्रदेश	63.64	26.13	32.58	60.09	2.17	30.15	632.57	589.68
10.	जम्मू-कश्मीर	62.98	98.72	30.41	106.20	128.17	20.26	983.93	876.02
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.74	0
12.	कर्नाटक	668.68	587.38	577.46	985.44	1165.15	465.45	8236.96	7395.39
13.	केरल	301.99	301.99	610.50	271.21	554.95	0.00	3372.32	2478.067
14.	मध्य प्रदेश	683.93	1028.03	818.32	687.70	931.49	382.85	9291.98	8231.1186
15.	महाराष्ट्र	618.73	1875.47	322.56	1335.80	1508.66	414.34	10495.78	9170.07
16.	मणिपुर	0.00	129.12	0.00	184.46	0.00	0.00	657.97	425.27735
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.76	328.1
18.	मिजोरम	105.15	103.47	522.79	411.68	491.04	0.00	1711.51	985.46
19.	नागालैंड	68.78	43.87	1.90	59.67	34.02	26.99	588.4	568.04836
20.	उड़ीसा	381.48	232.00	0.00	291.61	48.91	105.69	2266.56	2363.02
21.	पंजाब	67.38	26.03	0.00	199.77	0.00	75.78	1320.58	1541.77
22.	राजस्थान	402.53	233.62	122.96	151.86	256.29	92.39	3799.72	3201.98
23.	सिक्किम	31.20	35.89	163.21	34.62	0.00	84.23	375.07	307.58
24.	तमिलनाडु	751.22	751.22	648.58	270.09	511.69	25.58	9143.16	8278.561
25.	त्रिपुरा	114.31	38.14	354.26	146.10	352.18	163.74	1460.23	926.99
26.	उत्तरांचल	16.33	92.22	46.27	80.80	160.31	0.00	486.63	275.54
27.	उत्तर प्रदेश	1671.76	1297.19	1571.74	1732.80	2622.61	1479.67	16566.22	13994.17
28.	प. बंगाल	501.66	531.25	883.25	739.08	424.02	645.94	5591.43	5195.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.00	77.76	0.00	31.97	0.00	70.77	361.49	174.66
30.	चंडीगढ़	269.09	20.75	278.37	73.90	28.64	32.00	783.2	174.66
31.	दादर और नगर हवेली	23.91	90.87	14.63	69.29	0.00	7.35	369.11	305.56
32.	दमन और दीव	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	243.28	42.1
33.	दिल्ली	0.00	12.30	0.00	21.09	0.00	4.16	430.14	100.85
34.	पांडिचेरी	191.00	109.69	191.00	55.14	191.00	95.01	1036.48	436.85
	कुल	10091.77	9630.45	10074.00	10800.89	12200.70	4913.74	106844.72	88033.7623

*किसी वर्ष में सूचित व्यय उस वर्ष में दी गई राशि में से नहीं है बल्कि कुल उपलब्ध राशि की तुलना में किया गया व्यय है।

विवरण II

वाम्बे

दी गई केन्द्रीय धनराशि और प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03 में दी गई धनराशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	2003-04 में दी गई धनराशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	2004-05 में दी गई धनराशि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5535.437	841.860	5987.433	133.370	3492.490	0.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	0.000
3.	असम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	बिहार	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000
5.	छत्तीसगढ़	529.410	166.260	423.470	0.000	0.000	0.000
6.	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	3089.000	273.550	13.480	0.000	451.200	0.000
8.	हरियाणा	0.000	0.000	666.080	0.000	0.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	जम्मू-कश्मीर	38.320	0.000	157.930	0.000	64.250	0.000
11.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	718.800	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	2042.600	1967.600	3999.580	1704.800	406.000	0.000
13.	केरल	2389.650	1667.950	1438.680	0.000	200.000	0.000
14.	मध्य प्रदेश	934.780	343.320	268.700	230.970	376.000	0.000
15.	महाराष्ट्र	845.600	758.560	5334.967	1725.470	13244.970	0.000
16.	मणिपुर	7.875	7.875	250.400	0.000	0.000	0.000
17.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.	नागालैंड	9.000	9.000	185.830	47.250	6.200	0.000
20.	उड़ीसा	61.200	47.350	99.880	2.200	16.400	0.000
21.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	राजस्थान	900.000	692.600	93.480	0.000	650.000	0.000
23.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	2846.500	2846.500	2146.480	1573.000	4705.630	0.000
25.	त्रिपुरा	144.978	106.953	278.080	0.000	0.000	0.000
26.	उत्तरांचल	160.150	0.000	263.680	0.000	0.000	0.000
27.	उत्तर प्रदेश	1108.800	1102.810	1912.480	106.200	1991.950	0.000
28.	प. बंगाल	1191.650	442.160	172.890	64.730	470.200	0.000
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	दादरा और नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	पांडिचेरी	0.000	0.000	90.680	0.000	123.600	0.000
	कुल	21835.030	11274.348	23794.200	5587.990	26935.690	0.000

विवरण III

एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों का राज्यवार/संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य	2002-03* में जारी धनराशि	2003-04 में जारी धनराशि	2004-05 में जारी धनराशि	*अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की धनराशि	लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की धनराशि**
आंध्र प्रदेश	410.58	782.12	0	6277.25	5165.99	1111.26
असम	–	–	0	295.7	41.01	254.69
बिहार	–	–	0	106.75	0	106.75
छत्तीसगढ़	108.65	29.5	56.99	165.71	131.79	0
गोवा	–	–	0	0	0	0
हरियाणा	–	–	0	1063.8	289.88	773.81
जम्मू-कश्मीर	–	–	0	215.98	34.38	181.6
झारखंड	–	–	0	19.98	0	19.98
कर्नाटक	–	–	0	669.33	669.33	0
केरल	–	–	0	69.93	69.08	0.85
मध्य प्रदेश	1978.58	–	0	2623.91	2603.79	0
महाराष्ट्र	49.62	–	0	1084.32	659.69	424.63
मणिपुर	154.6	–	0	105.15	73.37	31.78
मेघालय	–	–	0	32.63	16.4	16.23
उड़ीसा	–	–	0	315.8	60.72	255.08
पंजाब	–	–	0	2055.94	2055.94	0
राजस्थान	0	60.45	0	2445.26	1954.48	490.78
तमिलनाडु	–	–	0	575.21	545.57	29.64
त्रिपुरा	58.79	–	0	176.36	173.26	0
उत्तर प्रदेश	–	–	0	4455.06	1909.23	2545.83
उत्तरांचल	271.24	123.82	47.84	297.29	135.91	0
प. बंगाल	36.84	136.66	0	3818.79	3109.77	709.02
अंडमान एवं निकोबार	–	–	0	16.5	0	16.5
कुल	2929.76	1132.55	104.83	26876.65	19,699.70	7176.95

*शुरूआत से अब तक

**1989-90 से स्कीम शुरू किए जाने से अब तक जारी कुल धनराशि के लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की राशि

$शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि

विवरण IV

मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	*कुल प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	**कुल लंबित उपयोग प्रमाणपत्र
अंध्र प्रदेश	29.67	0.00	0.00	23.87	31.91
असम	0.00	1.63	0.00	5.82	1.68
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
गुजरात	0.00	3.74	0.00	0.00	30.61
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	10.06	8.31
हिमाचल प्रदेश	2.40	3.09	0.00	5.51	3.11
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
कर्नाटक	8.88	0.00	12.19	22.80	6.33
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
मध्य प्रदेश	0.00	1.25	1.37	107.16	10.59
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	26.86	19.36
उड़ीसा	0.00	2.85	0.00	11.33	8.28
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
उत्तर प्रदेश	0.00	5.37	0.00	205.98	21.77
प. बंगाल	0.00	1.60	0.00	3.92	3.31
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.98	4.30
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.0363	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
छत्तीसगढ़	0.00	1.89	0.00	0.00	16.89
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
कुल	40.95	21.41	13.56	424.33	309.18

*1991-92 में स्कीम शुरू किये जाने से अब तक राज्यों को जारी कुल धनराशि के लिए प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र।

**1991-92 में स्कीम शुरू किये जाने से अब तक राज्य को जारी कुल धनराशि के लिए लंबित उपयोग प्रमाणपत्र।

विवरण V

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम

2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान जारी धनराशि की स्थिति और राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की संचयी स्थिति

(31.3.2005 के अनुसार स्थिति)
(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2002-03 में जारी धनराशि	2003-04 में जारी धनराशि	2004-05 में जारी धनराशि	1996 से जारी धनराशि	1996 में शुरूआत से अब तक प्राप्त कुल उपयोग प्रमाणपत्र	अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3389.00	3389.00	6581.00	28741.89	18868.89	9873.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.00	104.00	68.79	666.52	602.70	63.82
3.	असम	0.00	219.61	563.41	1825.82	971.21	854.61
4.	बिहार	1683.00	1683.00	3563.00	15395.92	10312.80	5083.12
5.	छत्तीसगढ़	411.00	411.01	883.00	2573.01	1485.27	1087.74
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	281.99	105.72	176.27
7.	गुजरात	1908.00	1860.89	2253.91	17148.80	12578.89	4569.91
8.	हरियाणा	536.00	536.00	1047.00	5018.00	3588.94	1429.06
9.	हिमाचल प्रदेश	76.53	0.00	144.00	696.18	552.18	144.00
10.	जम्मू-कश्मीर	687.00	687.00	934.00	5223.49	3969.45	1254.04
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	2806.38	0.00	2806.38
12.	कर्नाटक	2061.50	2061.00	3622.00	19127.82	15505.32	3622.50
13.	केरल	972.00	972.00	2083.00	8841.68	5965.23	2876.45
14.	मध्य प्रदेश	1568.00	1568.00	3359.00	16753.50	12140.98	4612.52
15.	महाराष्ट्र	5500.00	5500.00	10219.00	41769.58	30620.87	11148.71
16.	मणिपुर	0.00	0.00	124.28	496.06	366.06	130.00
17.	मेघालय	15.43	104.00	99.57	573.55	354.55	219.00
18.	मिजोरम	104.00	104.00	100.00	860.00	860.00	0.00
19.	नागालैंड	104.00	104.00	100.00	658.55	480.55	178.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	921.00	3525.00	2314.00	1211.00

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	3679.39	1413.71	2265.68
22.	राजस्थान	1402.00	1402.00	3005.00	12773.62	8396.28	4377.34
23.	सिक्किम	0.00	104.00	100.00	508.40	360.39	148.01
24.	तमिलनाडु	2570.00	2545.40	5457.00	25065.57	18940.56	6125.01
25.	त्रिपुरा	104.00	104.00	112.00	877.00	729.00	148.00
26.	उत्तर प्रदेश	4010.00	4010.00	8594.00	39387.95	32903.89	6484.06
27.	उत्तरांचल	173.00	173.00	369.00	1079.00	575.87	503.13
28.	प. बंगाल	3572.00	3572.00	7075.00	34311.00	23664.00	10647.00
	कुल राज्य	30950.46	31213.91	61377.96	290665.67	208627.31	82038.36

नोटः उपर्युक्त विवरण में उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की संचयी स्थिति दी गयी है।

पेयजल

***636. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल के संकट को कम करने हेतु कोई नए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा "त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम" (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में कुल कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी राज्यवार स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) (1) जी, हां। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और सफाई जैसी वास्तविक अवस्थापना के विकास तथा विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एक व्यापक शहरी नवीकरण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ कुछ चुनिन्दा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है और साथ ही छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) नामक बहुप्रयोजनीय स्कीम भी शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत एन.यू.आर.एम. में शामिल किये गये शहरों/कस्बों को छोड़कर अन्य शहर और कस्बे शामिल किये जाएंगे। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत जल आपूर्ति एक स्वीकार्य घटक है। एनयूआरएम और यूआईडीएसएसएमटी के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(2) उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत तटवर्ती क्षेत्रों में तथा खारे जल की समस्या वाले शहरों/कस्बों में जल का खारापन दूर करने वाले संयंत्र लगाने के लिए सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

(3) सार्वजनिक-निजी भागीदारी से शहरी अवस्थापना परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण का भी प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 584 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत प्रस्तावों सहित इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित स्कीमें

(30.04.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित स्कीमों की कुल सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	9
4.	बिहार	21
5.	छत्तीसगढ़	15
6.	गोवा	-
7.	गुजरात	45
8.	हरियाणा	13
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू-कश्मीर	11
11.	झारखंड	7
12.	कर्नाटक	16
13.	केरल	8
14.	मध्य प्रदेश	64
15.	महाराष्ट्र	17
16.	मणिपुर	10
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	-
20.	उड़ीसा	15
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	31
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	57
25.	त्रिपुरा	6
26.	उत्तर प्रदेश	164
27.	उत्तरांचल	11
28.	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	584

जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर

*637. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 10% से कम है;

(ख) महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन जिलों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में इतनी निम्न साक्षरता दर के कारणों का विश्लेषण करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों को सम्मिलित करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 136 ऐसे जिले हैं, जिसमें महिला साक्षरता 10% से कम है।

(ख) मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत उनके प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा सीधे जिले-वार आबंटन एवं निर्मुक्ति नहीं की जाती।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में शैक्षणिक योजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान इस मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को एक अध्ययन प्रायोजित किया।

(ङ) अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में सुधार के लिए यह मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण, आश्रम विद्यालयों की स्थापना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, प्रतिभा उन्नयन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान की योजनाएं चला रहा है। चिन्हित जिलों में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की साक्षरता में सुधार के लिए यह मंत्रालय कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना नामक योजना चला रहा है। ये योजनाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे सेक्टोरल नोडल मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के प्रयासों की पूरक हैं।

(च) गैर-सरकारी संगठनों को कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर, विशेष प्रोत्साहन, सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता-अनुदान, कोचिंग एवं सम्बद्ध एवं आदिम जनजातीय समूहों की विकास योजनाओं के अंतर्गत अनुदान दिए जाते हैं।

महिला और बाल संरक्षण इकाइयां

***638. श्री राम कृपाल यादव:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में जिला स्तर पर महिला और बाल संरक्षण इकाइयां गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त इकाइयों के मुख्य कार्य क्या हैं और जिला स्तर पर महिला और बाल संरक्षण इकाइयों के पर्यवेक्षण प्राधिकारी के नाम क्या हैं; और

(घ) इस योजना के लिए वार्षिक बजट का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांग्लादेश द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन

***639. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश राइफल्स के हेलीकाप्टर ने दिनांक 22 अप्रैल, 2005 को भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा इसके विरुद्ध इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश राइफल्स के हेलीकाप्टरों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का कितनी बार उल्लंघन किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या बांग्लादेश सीमा पर हथियारों का एक गुप्त भण्डार पाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। 22 अप्रैल, 2005 को सीमा सुरक्षा बल ने चोटाखिल, त्रिपुरा में देखा कि बांग्लादेश की तरफ से एक अज्ञात हेलीकाप्टर ने भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में बांग्लादेश राइफल्स के पास विरोध नोट दर्ज करा दिया गया है। सामान्यत: ऐसी घटनाओं को भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाता है। हवाई क्षेत्र के इस उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर निगरानी में वृद्धि भी कर दी है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश राइफल्स ने 6 (छ:) बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जब कभी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन होता है, बांग्लादेश राइफल्स के पास एक कड़ा विरोध दर्ज किया जाता है। इसी के साथ-साथ, भारतीय वायुसेना को भी सूचित किया जाता है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2005 के दौरान ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, 2004 के दौरान, भारत-बांग्लादेश सीमा से 01 यू एस निर्मित अधुनातन हथियारों सहित 12ए के राइफलें जब्त की गई थीं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ सीमा मुद्दे पर समझौता

***640. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजरों ने सीमा मुद्दे पर परस्पर समझ और सहयोग बढ़ाने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जैसा कि दिनांक 25 अप्रैल, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में समझौते के दौरान अनजाने में सीमा पार चले गए लोगों की वापसी हेतु कोई कार्यविधि बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सीमा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और पाकिस्तानी रेंजरों के बीच 21 से 24 अप्रैल, 2005 को कराची में निर्धारित द्विवार्षिक बैठक हुई थी। सीमा पर, शांति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए दोनों ही पक्ष आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने पर सहमत थे।

दोनों ही पक्ष, इस बात पर सहमत थे कि जो लोग अनजाने में सीमा पार कर लेते हैं, उनका सत्यापन करने के बाद उनके देश को सौंप दिया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि सीमा के स्तम्भों को नुकसान से बचाया जाएगा, दूसरे पक्ष को अग्रिम सूचना देने के बाद शून्य रेखा (जीरो लाइन) से दूर गोली-बारी का अभ्यास किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्षा निर्माण कार्यों से सीमा पर शांति और अमन-चैन प्रभावित न हो, स्वापक पदार्थों की तस्करी से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, सीमा पार के अपराधों को रोकने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे आदि।

हेरीटेज पब्लिक स्कूल की जमीन की बिक्री से संबंधित जांच

6578. श्री अधीर चौधरी:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पंजीकृत सोसाइटी के नाम पर वसंत कुंज, दिल्ली में हेरीटेज पब्लिक स्कूल की जमीन की बिक्री अत्यधिक सस्ती दरों पर किए जाने के संबंध में जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उस सोसायटी, जिसे प्रश्नगत भूमि आवंटित की गयी है, के सदस्यों में तथाकथित परिवर्तन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज से इस शिकायत से संबंधित सूचना मांगी है तथा सोसायटी की सदस्यता की जांच पहले ही शुरू कर दी है। निःशुल्कता की शर्त का पालन नहीं किए जाने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है।

[हिन्दी]

स्कूलों में शारीरिक शिक्षा

6579. श्री अतीक अहमद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर एक विशेषज्ञता का स्तर है। छात्रों को अपनी पसंदीदा विषय में अध्ययन करने का विकल्प दिया जाता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्र इसको निश्चित रूप से चुनेंगे। वे स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या ढांचे के नवीकरण के प्रयोजनार्थ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा गठित 21 फोकस ग्रुपों में से एक ग्रुप स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पर है, जिसने विषय क्षेत्र के संबंध में जांच की है, विचार-विमर्श किया है तथा कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा है। इस ग्रुप ने इस विषय क्षेत्र को उच्चतर शिक्षा स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में रखने तथा माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

सी.एस.आई.आर. हेतु धनराशि का दुर्विनियोजन

6580. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थानों से भगवाकरण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को सी.एस.आई.आर. की धनराशि के दुर्विनियोजन की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सी.एस.आई.आर. से प्राप्त सूचना के अनुसार निधियों के दुरूपयोग का कोई विशेष मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

शैक्षणिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों से भगवाकरण हटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा 12.6.2004 को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुनर्गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2005-06 से इतिहास की पहले की पुस्तकों को उपर्युक्त संशोधनों के साथ पुनः बहाल कर दिया जाएगा। तथापि, वर्तमान शैक्षिक सत्र के पहले ही काफी आगे बढ़ जाने के कारण इस स्तर पर पाठ्यपुस्तकों को बदलना व्यावहारिक नहीं होगा। उन शिक्षकों के दिशा-निर्देशन के लिए परामर्श भी जारी किए गए हैं जो मौजूदा पाठ्यपुस्तकों को काम में लेंगे।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा में संशोधन शुरू करने के लिए कहा गया था, जिसका समय हो गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की समीक्षा करने के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में 31-सदस्यीय राष्ट्रीय परिचालन समिति पहले ही गठित कर ली है।

3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों की त्वरित समीक्षा करने के लिए 23 समितियों का भी गठन किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी अंतर्वस्तु भारत के संविधान में निहित दृष्टि एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा संकल्पनात्मक, तथ्यपरक या भाषायी प्रकृति की त्रुटियों के चलते पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में यदि कोई कमी हो तो उसका पता चल सके। सभी 23 समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। इन समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

4. इस विभाग के अधीन सभी स्वायत्त निकायों से उनकी उन गतिविधियों, जिनसे संभवतः सम्प्रदायीकरण के बोध को बढ़ावा मिला हो, की समीक्षा करने और उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

5. व्यापक विचार-विमर्श का अवसर सुलभ कराने हेतु और संघीय भावना को महत्व देते हुए दिनांक 6.7.2004 के संकल्प के जरिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और 10-11 अगस्त को इस बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

6. मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए हाल ही में की गई सभी नियुक्तियों की छानबीन की जाए और अतीत में गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता के साथ-साथ गांधी अध्ययन संस्थान (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा) जैसी धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को केंद्रीय सहायता की अस्वीकृति के उदाहरणों की जांच की जाए। गांधी अध्ययन संस्थान (भारतीय समाज

विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा) की वित्तीय सहायता को रोके रखने के मामले की जांच की गई है और उक्त संस्थान को सहायता अनुदान जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपना हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया गया है।

7. "पाठ्यपुस्तकों और सरकारी तंत्र से बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली समानान्तर पाठ्यपुस्तकों के लिए विनियामक तंत्र" विषय पर केब की एक समिति प्रो. जोया हसन और प्रो. गोपाल गुरू की अध्यक्षता में गठित की गई है। उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित विषयों पर केब की छह समितियां गठित की गई हैं: –

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में "निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दे";

(2) असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई की अध्यक्षता में "बालिका शिक्षा और समान स्कूल प्रणाली";

(3) राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवारी की अध्यक्षता में "माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण";

(4) पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री श्री कांति बिश्वास की अध्यक्षता में "उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता";

(5) प्रो. यू.आर. अनंतमूर्ति की अध्यक्षता में "स्कूली पाठ्यचर्या में संस्कृति शिक्षा का समेकन";

(6) प्रो. भालचंद्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा का वित्तपोषण"।

विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु कृतिक बल

6581. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की स्थिति का आकलन करने तथा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल की संरचना किस प्रकार की है तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) इस कृतिक बल द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 22 मार्च, 2005 को एक कार्यबल का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. प्रो. एम.एम. शर्मा
2. प्रो. जी. मेहता, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
3. डा. कोटा हरिनारायण, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय
4. डा. एस.पी. त्यागराजन, कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
5. प्रो. पी. रामाराव, ए.आर.सी.आई., हैदराबाद
6. प्रो. वेद प्रकाश, सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग

कार्यबल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(1) विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करना;

(2) वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता बहाल करने और उसमें वृद्धि करने के समाधानों और कार्यनीतियों का सुझाव देना;

(3) इन समाधानों और इनके तरीकों को कार्यान्वित करने के लिए भौतिक और वित्तीय दृष्टिकोण से अपेक्षित संसाधनों का मूल्यांकन करना।

(घ) कार्यबल द्वारा जल्दी ही रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है।

(ङ) इसके लिए अलग से कोई राशि संस्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, बैठकों में शामिल होने के लिए सहभागियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर उठाए गए व्यय को वहन किया जाएगा।

सीमा व्यापार केन्द्र

6582. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के मरकाचन में सीमा व्यापार केन्द्र की क्या स्थिति है तथा इसके लिए संरवीकृत धनराशि सहित इसकी कार्य व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार असम के नलबाड़ी जिले, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से मिलती है, में इसी प्रकार का सीमा व्यापार केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जिला धुबरी, असम में मनकाचर स्थित सीमा व्यापार केन्द्र के विकास हेतु एक परियोजना को वर्ष 2001-2002 में वाणिज्य विभाग की महत्वपूर्ण बकाया अवसंरचना (सीआईबी) स्कीम के अंतर्गत मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना की कुल लागत 426.00 लाख रुपए थी। शुरूआत में सीआईबी स्कीम के अंतर्गत असम सरकार को 100 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। इस समय सीआईबी स्कीम का विलय निर्यात के लिए अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम में कर दिया गया है। राज्य सरकार एएसआईडीई स्कीम के राज्य घटक के अंतर्गत इस परियोजना को जारी रखे हुए है। असम सरकार ने यह बताया है कि सीआईबी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पहले से मंजूर 100 लाख रुपए के अलावा एएसआईडीई स्कीम के राज्य घटक के अंतर्गत 1.70 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम द्वारा धनराशि जुटाना

6583. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में दो प्रमुख तेल कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने असम चाय बागान सुरक्षा बल (ए टी पी एस एफ) के स्थान पर एक नया सुरक्षा बल बनाने के लिए धनराशि जुटाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन तथा कार्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में सुशासन

6584. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में सुशासन प्रदान करने संबंधी उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा राज्य कानूनों के लागू होने को ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं तथा क्या विनियम/विधान बनाए गए हैं तथा इसके अच्छे प्रभाव डालने के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एन डी एम सी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती

6585. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में "थम नहीं रहा है एन डी एम सी में 350 सफाई कर्मियों की भर्ती का विवाद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी सी बी आई जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर सामान्य श्रेणी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में एन डी एम सी के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच की गई है और समाचार-पत्र की रिपोर्ट में उल्लिखित भर्ती के अलग-अलग मामलों को निराधार पाया गया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने और निर्धारित प्रक्रिया तथा विद्यमान मानदंडों का पालन करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में 350 सफाई कर्मचारियों को दिहाड़ी पर नियुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आई सी एच आर

6586. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक नए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद निकाय का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या नवगठित परिषद में कुछ निवर्तमान सदस्यों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 23 मार्च, 2005 को 'परिषद' को पुनर्गठित करने संबंधी एक संकल्प जारी किया है। पुनर्गठित परिषद की संरचना को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दो व्यक्ति, नामतः प्रोफेसर के.एन. पाणिकर तथा प्रो. रजत के. राय जो पुनर्गठन से पहले परिषद के सदस्य थे, को भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित परिषद का फिर सदस्य नामित किया गया है।

विवरण

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

परिषद की वर्तमान संरचना:

1. अध्यक्ष: प्रो. डी.एन. त्रिपाठी (तीन वर्ष की अवधि के लिए 5.2.2004 को नियुक्त)

2. भारत सरकार द्वारा मनोनीत 18 इतिहासकार

1. प्रो. वाई, सुब्बारायलु, पुरालेखशास्त्र विभाग, तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर (तमिलनाडु)
2. प्रो. के.एन. पाणिकर, तिरूवनंतपुरम, केरल
3. प्रो. शिरीन मूसवी, अध्यक्ष, इतिहास में उच्च अध्ययन केन्द्र, डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
4. प्रो. जे.पी. मिश्रा, इतिहास विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.
5. प्रो. सूरजभान, 1817, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा
6. प्रो. रजत के. राय, इतिहास विभाग, प्रेसीडेंसी कालेज, कोलकाता
7. डा. इम्तियाज अहमद, निदेशक, खुदाबख्श पुस्तकालय, बौकीपुर, पटना, बिहार
8. प्रो. बरून डे, 55/2, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019
9. प्रो. तामो मिबांग, आदिवासीय अध्ययन विभाग तथा उपकुलपति, अरुणाचल विश्वविद्यालय
10. प्रो. डेविड रीड सिमीलीह, इतिहास के प्रोफेसर, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग-793022, मेघालय
11. प्रो. के. पाद्या, निदेशक, दक्कन कालेज, पुणे, महाराष्ट्र
12. प्रो. मरयम दोसाल, इतिहास विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई।

13. प्रो. अशरफ वाणी, इतिहास विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

14. प्रो. इंदु बांगा, इतिहास विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

15. प्रो. शाहिद अमीन, दिल्ली विश्वविद्यालय

16. प्रो. डी.एन. झा, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

17. प्रो. वासुदेव चटर्जी, प्रोफेसर, इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय

18. प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य, भूतपूर्व प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि।

4. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110001

1. महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली-110001

2. भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति

1. सचिव, माध्यमिक और उच्चर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2. सचिव, संस्कृति विभाग अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

3. वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016

1/2. सदस्य-सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

अमृतसर और लाहौर के बीच बस सेवा

6587. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमृतसर और लाहौर के बीच और अधिक बस सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान, अमृतसर और लाहौर/ननकाना साहिब के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं और इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण के उपायों सहित तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बुक बैंक योजना के अंतर्गत सहायता

6588. श्री कैलाश मेघवाल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए बुक बैंक योजना के अंतर्गत स्कूलों को ऋण, अनुदान तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की स्थिति के अनुसार कितनी राशि ऋण-अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा योजना-वार एवं राज्यवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पुस्तक बैंक योजना (जो अब मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का भाग) चलाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, कानून एवं पशु चिकित्सा डिग्री कालेजों में तथा सी.ए./एम.बी.ए., प्रबंधन पाठ्यक्रमों एवं पालिटेक्निकों में अध्ययनरत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु पुस्तक बैंक खोलने हेतु मंत्रालय द्वारा सहायता-अनुदान (ऋण नहीं) दिया जाता है।

स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम "पुस्तक बैंक" के उद्देश्य से कवर नहीं किए गए हैं।

सभी अर्थों में पूर्ण प्रस्तावों पर, यथा-पूर्व वर्ष में दिए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पुस्तकों के सैटों का विवरण, लाभार्थियों की संख्या एवं राज्य के हिस्से की उपलब्धता के आधार पर सहायता-अनुदान दिया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पुस्तक बैंक की स्थापना हेतु निर्मुक्त सहायता-अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

		2002-2003		2003-2004		2004-05	
क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	47.2	3496	-	-	शून्य	शून्य
2.	असम	0	0	3	152	शून्य	शून्य
3.	गुजरात	10.25	484	-	-	शून्य	शून्य
4.	कर्नाटक	20	1398	20	1536	शून्य	शून्य
5.	राजस्थान	5.2	960	5.6	2761	शून्य	शून्य
6.	तमिलनाडु	2.64	180	-	-	शून्य	शून्य
7.	त्रिपुरा	1.49	93	-	-	शून्य	शून्य
8.	छत्तीसगढ़	8.208	507	7.3	478	शून्य	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	30.13	2177	18.09	1876	शून्य	शून्य
10.	पश्चिम बंगाल	2.8457	170	-	-	शून्य	शून्य
11.	जम्मू-कश्मीर	7	386	-	-	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	5.02	326	5.62	350	शून्य	शून्य
13.	उत्तरांचल	-	-	2.42	186	शून्य	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1.4	87	शून्य	शून्य
	कुल	139.9837	10177	63.43	7426	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

महिलाओं की स्थिति

6589. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क में हाल ही में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न देशों और संगठनों के कितने प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया;

(ग) क्या समानता, विकास तथा शांति के क्षेत्रों में महिला अधिकारों के संबंध में पेइचिंग में 1995 में हुए सम्मेलन में तय किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्षों से महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय तथा असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 49वें सत्र का आयोजन 28 फरवरी से 11 मार्च,

2005 के दौरान न्यूयार्क में किया गया। इस समय, भारत सहित 45 देश इस आयोग के सदस्य हैं। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्रीमती कांति सिंह ने किया। इस सत्र में भाग लेने वाले विभिन्न देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) आयोग के 49वें सत्र की अंतिम रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गयी है।

(ङ) महिलाओं के साथ किये जाने वाले अन्याय तथा भेदभाव की समस्या का समाधान विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों के विभिन्न उपायों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इन सभी का ब्यौरा सदन के पटल पर समय-समय पर प्रस्तुत की गयी इन मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

विनियामक प्राधिकरण

6590. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण कंपनियों के परिसंघ ने निर्माण सामग्री के मूल्यों के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालय में रिक्त पद

6591. **श्री रनेन बर्मन:**
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे नवोदय विद्यालयों में आज की तिथि के अनुसार राज्यवार, जोनवार विभिन्न श्रेणियों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों के कब तक भरने की संभावना है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने में अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आज तक की स्थिति के अनुसार नवोदय विद्यालय में रिक्त पड़े पद चालू शैक्षिक सत्र के दौरान भरे जाने की उम्मीद है।

(ग) नवोदय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	रिक्तियां				
			प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	पीजीटी	टीजीटी	गैर-अध्यापन श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	मध्य प्रदेश	15	6	13	24	230
2.		छत्तीसगढ़	5	1	4	5	68
3.		उड़ीसा	11	0	2	42	129

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	3	1	2	20	31
5.		जम्मू-कश्मीर	10	0	15	43	47
6.		पंजाब	4	4	12	17	73
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1	3	6	12	48
8.		कर्नाटक	0	1	5	29	119
9.		केरल	1	0	4	5	29
10.		संघ राज्य क्षेत्र	1	0	1	8	22
11.	जयपुर	दिल्ली	0	1	1	2	8
12.		हरियाणा	6	2	9	29	76
13.		राजस्थान	5	9	8	37	120
14.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	26	3	6	4	361
15.		उत्तरांचल	4	2	0	18	29
16.	पटना	बिहार	11	4	0	14	79
17.		झारखंड	11	2	2	3	61
18.		पश्चिम बंगाल	5	0	2	17	31
19.	पुणे	महाराष्ट्र	4	2	16	6	116
20.		गुजरात	9	3	13	31	113
21.		गोवा	0	0	0	5	4
22.		संघ राज्य क्षेत्र	2	0	2	3	14
23.	शिलांग	असम	4	8	13	48	113
24.		अरुणाचल प्रदेश	8	0	2	18	42
25.		मेघालय	5	0	2	15	20
26.		मणिपुर	4	4	5	10	24
27.		नागालैंड	4	1	2	7	29
28.		सिक्किम	0	0	1	1	10
29.		त्रिपुरा	1	2	3	7	22
30.		मिजोरम	1	0	0	2	4
		कुल	161	59	149	482	2072

[हिन्दी]

रिसेटलमेंट कालोनी को गिराना

6592. श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 18 वर्ष पूर्व स्वयं के द्वारा बसाई गई गोविन्दपुरी ट्रांजिट कैंप के लोगों को विस्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली की सभी रिसेटलमेंट कालोनियों को गिराने का भी है यद्यपि इन कालोनियों के निवासियों द्वारा नियमित आधार पर किराए का भुगतान किया जा रहा है और उनके पास एलाटमेंट संबंधी कागजात भी हैं;

(ग) यदि नहीं, गोविंदपुरी ट्रांजिट कैम्प के साथ भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में न्यायालय में झूठा/गुमराह करने वाला विवरण दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त ट्रांजिट कैंपों के निवासियों को कोई राहत प्रदान करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ज) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी (सी) सं. 6324/2003 में दिनांक 22.9.2004 के आदेश तथा एलपीए सं. 1063/2004 में सी एम सं. 14228/2004 में दिनांक 4.4.2005 के अन्य आदेश के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को गोविन्दपुरी ट्रांजिट कैंप सहित कालकाजी एक्सटेंशन क्षेत्र में डिस्ट्रिक पार्क तथा परिवेशीय पार्कों से निर्माण/अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया है। ट्रांजिट कैंप के वासियों ने डब्ल्यू पी (सी) सं. 6916-33/2005 के तहत निर्माण को गिराने के खिलाफ अर्जी दी है और मामला न्यायाधीन है।

भारतीय ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देना

6593. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ज्योतिष विज्ञान, कैलेण्डर और संवत् को तैयार करने संबंधी भारतीय प्रणाली के अध्ययन और अनुसंधान के लिए अपनाई जाने वाली वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय परम्परागत ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विषयों को तिरूपति की राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और नई दिल्ली की श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अथवा किसी अन्य सरकारी केन्द्रों में पढ़ाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नौवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान विभाग स्थापित करने की स्कीम ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने और हिन्दी, गणित, वास्तुशास्त्र, मौसम-विज्ञान संबंधी अध्ययन, कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में अनुसंधान के नए आयाम जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और बीस विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था। इन विश्वविद्यालयों में से सात विश्वविद्यालयों ने ज्योतिर्विज्ञान विभाग शुरू कर दिए हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजना के दौरान कोई नया प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह भारतीय ज्योतिष-विज्ञान पद्धति और कलैण्डर तथा सम्वत तैयार करने में शिक्षा प्रदान करता है और अनुसंधान करवाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ज्योतिष-शास्त्र में पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

[अनुवाद]

ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि

6594. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गांववार ग्राम सभा के अंतर्गत कितनी कृषि भूमि आती है, और उक्त भूमि के कब्जे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा सहायता

6595. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वैच्छिक एजेंसियों ने गरीबी की समस्या और उसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाली बेरोजगारी के समाधान करने के लिए नई रणनीति को तैयार करने में सरकार की सहायता की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वैच्छिक एजेंसियों के सहयोग से गरीबी को समाप्त करने वाले अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए क्या रणनीति तैयार की है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) ''शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय नीति'' नामक परियोजना पर सहयोग के लिए भारत सरकार (जी ओ आई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) ने अक्टूबर, 2003 में करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के विकास का उद्देश्य जीवन्त बहस, स्थानीय/अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव और इस प्रयोजन पर अनुसंधान निष्कर्षों तथा शहरी गरीबी पर संभावित प्रतिक्रिया के आधार पर केन्द्र और राज्यों में शहरी गरीबी को कम करने हेतु एक नई राष्ट्रीय नीति अपनाने में सहयोग प्रदान करना है। यह परियोजना नीतियों और विनियमनों पर बातचीत करने के लिए अनुसंधान तथा नेटवर्क बनाने और दो भिन्न किन्तु आपसी सुदृढ़ीकरण घटकों अर्थात् राष्ट्रीय घटक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) घटक के जरिये निचले स्तर पर वास्तविक कार्य के लिए सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों को सहयोग प्रदान करने जैसे संयुक्त प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगी। भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना गैर-सरकारी संगठों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करके प्रायोगिक प्रयास करती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

6596. **श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पहले से ही केन्द्र प्रायोजित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना चला रहा है, जो एक व्यवसाय आधारित योजना है तथा सभी भारतीयों के लिए हैं, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या भी शामिल है। यह योजना उन सभी बच्चों के लिए चलाई जाती है, जिनके माता-पिता सफाई, चर्मशोधन एवं निस्त्वचन कार्यों में संलग्न हैं।

भारत-ईरान व्यापार

6597. **श्री राजनरायन बुधौलिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और ईरान सरकार के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय भारत से ईरान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के क्या नाम हैं;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार समझौते से अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात में भी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार और ईरान की सरकार के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में एक करार है, जिस पर 10 अप्रैल, 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार का आशय दोनों देशों के बीच समानता, पारस्परिक सम्मान एवं आपसी लाभों के आधार पर व्यापार संबंधों और आर्थिक सहयोग का विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं विविधिकरण करना है।

(ग) इस समय ईरान को निर्यात की जा रही कुछ प्रमुख मदों में पेट्रोलियम उत्पाद; प्राथमिक एवं अर्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात; मशीनें और उपकरण, प्रसंस्कृत खनिज, औषधियां, भेषज और उत्तम रसायन; अकार्बनिक, कार्बनिक, कृषि रसायन और धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत और ईरान के बीच व्यापार की मात्रा एवं मदों का निरंतर विस्तार हो रहा है। दोनों देशों के बीच सकल व्यापार 2000-2001 में 438.20 मिलियन अम. डा. से बढ़कर 2001-2002 में 536.85 मिलियन अम.डा. तथा 2002-03 में 913.03 मिलियन अम.डा. और 2003-04 में 1,284.94 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

केला क्षेत्र

6598. श्री वाई.जी. महाजन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के जलगांव को केला क्षेत्र घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 के दौरान इसकी वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) केलों के लिए एक कृषि निर्यात क्षेत्र (एईजेड) जिसमें महाराष्ट्र के जलगांव और कुछ अन्य जिले शामिल हैं, सितम्बर, 2004 में स्थापित किया गया था। इस एईजेड में 13.45 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है और इसके फलस्वरूप पांच वर्ष की अवधि में 52.55 करोड़ रुपए के उत्तरोत्तर निर्यात होने की उम्मीद है। इस एईजेड से अभी तक वास्तविक अथवा वित्तीय रूप से कोई उपलब्धि सूचित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाईओवरों का निर्माण

6599. श्री अनन्त नायक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक दिल्ली में कितने फ्लाईओवरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास उन फ्लाईओवरों के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के लिए फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निक्षेप कार्यों के रूप में 14 फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी धनराशि से द्वारका द्वार (सैक्टर-1 से 7) से पालम बाजार होते हुए दिल्ली-रिवाड़ी रेलवे लाइन तक एक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लाईओवरों के नीचे भूविन्यास का कार्य फ्लाईओवरों के लिए अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाता है और भूविन्यास की लागत प्रत्येक फ्लाईओवर की समग्र परियोजना लागत में शामिल होती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में अपनी धनराशि में से 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

शहरी क्षेत्र का मानचित्रीकरण

6600. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों के लिए शहरी मानचित्र तैयार करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या शहरी मानचित्र तैयार करने के लिए नगर परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कस्बों का एरियल सर्वे किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्र सकरार के पास महाराष्ट्र के सतारा जिले के एरियल सर्वे का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) शहरी विकास राज्यों का विषय है। अत: अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों को शहरी मानचित्र तैयार करना होता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से चुने गए 53 कस्बों के मानचित्रण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रायोगिक स्कीम अर्थात् शहरी मानचित्रण स्कीम शुरू की थी। इनमें से 16 कस्बों की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम थी। इन कस्बों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) शहरी मानचित्रण स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान 28 कस्बों का हवाई सर्वेक्षण किया गया था। ऐसे कस्बों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

शहरी मानचित्रण स्कीम के तहत एक लाख से कम आबादी वाले मानचित्रित कस्बे

क्र.सं.	कस्बे	राज्य	1991 की जनगणना*
1.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	56529
2.	वेरावल	गुजरात	96915
3.	वलसाद	गुजरात	70823
4.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश	29837
5.	नागापटनम	तमिलनाडु	86489
6.	कारीकुड्डी	तमिलनाडु	71965
7.	तिन्दीवनम	तमिलनाडु	61579
8.	त्रिरूचिन्दूर	तमिलनाडु	27420
9.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	16545
10.	पणजी	गोवा	53823
11.	हमीरपुर (एचपी)	हिमाचल प्रदेश	12544
12.	अम्बाला सदर	हरियाणा	90872
13.	नालागढ़	हिमाचल प्रदेश	7448
14.	कोहिमा	नागालैंड	51418
15.	मुख्तसर	पंजाब	66383
16.	गंगटोक	सिक्किम	25024

विवरण II

उन कस्बों की राज्यवार सूची जिनका मानचित्र विगत तीन वर्ष के दौरान हवाई सर्वेक्षण के जरिए बनाया गया

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कस्बा
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	1.	मंगलौर
		2.	मैसूर
2.	पश्चिम बंगाल	3.	आसनसोल
		4.	सिलीगुड़ी

1	2	3	4
3.	मध्य प्रदेश	5.	भोपाल
		6.	इन्दौर
4.	राजस्थान	7.	अजमेर
		8.	बीकानेर
5.	हरियाणा	9.	अम्बाला
		10.	गुड़गांव
6.	पंजाब	11.	मुक्तसर
		12.	मोगा
7.	मेघालय	13.	शिलांग
8.	सिक्किम	14.	गंगटोक
9.	चंडीगढ़	15.	चंडीगढ़
10.	असम	16.	गुवाहाटी
11.	केरल	17.	कोच्चि
		18.	तिरूवनन्तपुरम
12.	बिहार	19.	गया
		20.	छपरा
13.	पांडिचेरी	21.	पांडिचेरी
14.	गोवा	22.	पणजी
15.	हिमाचल प्रदेश	23.	हमीरपुर
		24.	नालागढ़
16.	त्रिपुरा	25.	अगरतला
17.	अरुणाचल प्रदेश	26.	ईटानगर
18.	मिजोरम	27.	ऐजवाल
19.	नागालैंड	28.	कोहिमा

[हिन्दी]

लौह अयस्कों का निर्यात

6601. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह-अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में जमा लौह अयस्क अपर्याप्त है; और

(घ) भारत द्वारा लौह अयस्कों पर लगाए गए प्रतिबंधों का विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) घरेलू मांग की पूर्ति हेतु लौह अयस्क के पर्याप्त स्रोत हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

6602. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र को जनवरी, 2003 में मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र (एमएसईजेड) में परिवर्तित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसईजेड में किए गए अवस्थापना विकास संबंधी कार्यों में शामिल है—मानक डिजाईन फैक्ट्री भवन में 26 माड्यूलों का निर्माण, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की स्थापना, क्षेत्र में जल आपूर्ति एवं सामान्य सुविधाओं में सुधार।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन हेतु क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी कार्य समय-

समय पर शुरू किए जाते हैं। इस दिशा में एमएसईजेड में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे कुछेक कार्यकलापों में शामिल हैं—परिधान इकाईयों में लिए सामान्य निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र की स्थापना और विद्युत आपूर्ति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालय

6603. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा हेतु अभी तक टर्मिनल परीक्षाएं और उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण प्रणाली अपनाई जाती है जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे बहुत समय पहले समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले को सही करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) ने कक्षा-5 तक की प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण मानदण्ड के बगैर निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन करने के संबंध में दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को सलाहकारी परिपत्र जारी किया है। तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, जो दिनांक 8 सितम्बर, 2001 के आदेश के तहत परिचालित पदोन्नति नियमों के अनुसार कक्षाओं के लिए टर्मिनल परीक्षा और उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण प्रणाली निर्धारित करता है, द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करता है।

(ख) जब कभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाएगा तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के लंबित प्रस्ताव

6604. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 26.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है। धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य को 2004-05 के दौरान 1422.61 लाख रुपए के अनन्तिम नियतन से अलग 12.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।

रामलीला के लिए वैकल्पिक स्थल

6605. श्री मिलिन्द देवरा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 10 जनवरी, 2005 को एक शपथ-पत्र दिया है कि वह तीन महीने में बाबा खिम्मनसिंह पार्क, अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली की जगह रामलीला के लिए वैकल्पिक स्थल ढूंढ़ लेगा;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या पार्क के एक हिस्से का क्रिकेट के लिए मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने पेड़ काटे गए हैं तथा इसे अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि रामलीला के लिए स्थल निर्धारित करने से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक स्थलों का निरीक्षण किया गया है और स्थल निश्चित करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि पार्क के किसी भाग को खेल के मैदान के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे कभी-कभी पार्क में क्रिकेट खेलते हैं जिस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्थानीय तंत्र रोक लगा देता है।

(घ) यह सूचित किया गया है कि इस पार्क में कोई भी पेड़ काटा नहीं गया है और पार्क के किसी भाग पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है।

साल्ट पैन लैण्ड, मुम्बई

6606. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मुम्बई की साल्ट पैन लैण्ड का कब्जा ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त भूमि के संबंध में डेवलपर्स एसोसिएशन ने सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों, बिल्डरों तथा एसोसिएशन के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) मुम्बई की साल्ट पैन भूमि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों ने साल्ट पैन भूमि के उपयोग के सिलसिले में शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क किया है।

(1) महाराष्ट्र चैम्बर आफ हाउसिंग इंडस्ट्री

(2) मैसर्स महेश गड़ोदिया एवं अन्य

(3) लोक आवास एवं निर्माण लि.

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने बताया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों/एसोसिएशनों ने मुम्बई की साल्ट पैन भूमि के सिलसिले में उनसे संपर्क किया है:

1. बाई कूमी पिरोजशा भरतानिया/नादिरशा पिरोजशा एंड कंपनी, शेफर्ड एंड शेफर्ड एनेक्सी, साल्ट वर्क्स के पट्टाधारी
2. श्री गड़ोदिया, आर्थर एंड जेनकिंग्स साल्ट वर्क्स के पट्टाधारी
3. श्री छेदा आफ पेस्तोमसागर साल्ट वर्क्स (अब छेदा नगर)
4. हनुमान साल्ट वर्क्स इत्यादि का लोक आवास निर्माण लि.

(ङ) मुंबई की साल्ट पैन भूमि के उपयोग के मुद्दे पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशी सहायता से विद्यालय भवन का निर्माण

6607. श्री एम. अप्पादुरईः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंग्लैंड द्वारा दिए गए 1555 करोड़ रु. का अनुदान सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के ग्रामीण/जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के साथ विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु इस राशि में से कितनी राशि राज्य को दी गई है;

(ग) क्या कुछ सामाजिक संगठन राजस्थान के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की स्थापना हेतु अवसंरचना निर्माण में लगे हैं तथा राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ इन संगठनों के नाम पर भूमि भी आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र/राज्य सरकार का विचार आधारभूत सुविधाओं सहित विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु उक्त संगठनों को इस अनुदान में से वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) यूनाइटेड किंगडम का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग 1555 करोड़ रु. की राश के साथ सर्व शिक्षा अभियान का आंशिक रूप से वित्तपोषण कर रहा है जिसने विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर 2003-04 से 2006-07 तक लगभग 4700 करोड़ रु. प्रतिभूत किए हैं। इन निधियों को विदेशी निधियन एजेंसियों से प्रतिपूर्ति के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से 425.942 करोड़ रु. प्राप्त किए जा चुके हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की निधियां भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को जारी की

जाती हैं। 2004-05 में राजस्थान को सर्व शिक्षा अभियान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 235 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में स्कूल भवनों एवं अन्य स्कूल अवसंरचना का निर्माण विद्यालयी विकास और प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर

6608. श्री गणेश सिंह: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सकरार को चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने स्कीम के स्वरोजगार घटक (यूएसईपी) के लिए 5.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध किया। धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 2004-05 के दौरान 3.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता जारी की गई। चालू वर्ष 2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कर्नाटक से विधेयक

6609. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा ''द कर्नाटका प्रोटेक्शन आफ इंटरस्ट आफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल इस्टेबिलशमेंट बिल, 2004'' केन्द्र सरकार का अनुमोदन हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार से विधेयक के उपबंधों पर कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

आतंकवाद पर अमरीका की रिपोर्ट

6610. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने आतंकवाद पर 2004 की अपनी कंट्री रिपोर्ट्स में उल्फा तथा सी पी आई (माओवादी) को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीका द्वारा अपनी हाल की रिपोर्टों में प्रतिबन्धित अन्य संगठनों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका (यू एस ए) ने अप्रैल, 2005 में आतंकवाद पर अपने देश की रिपोर्ट में ''अन्य चुनिंदा आतंकवादी संगठनों'' के रूप में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और काम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) को शामिल किया है। उपर्युक्त रिपोर्ट में प्रतिबंधित संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आतंकवाद पर यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट कंट्री रिपोर्ट में उल्लिखित आतंकवादी ग्रुप

विदेशी आतंकवादी संगठन

1. 17 नवम्बर
2. अबू निदल आर्गेनाइजेशन (ए एन ओ)
3. अबू सय्याफ ग्रुप (ए एस जी)
4. अल-अक्स मारटियर्स ब्रिगेड
5. अंसार अल-इस्लाम (ए आई)
6. आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप (जी आई ए)

7. असबत अल-अंसार
8. अयूम शिनरिक्यो (ए यू एम)
9. बास्क फादरलैंड एंड लिबर्टी (ई टी ए)
10. काम्यूनिस्ट पार्टी आफ फिलिपीन्स/न्यू पीपल्स आर्मी (सी पी पी/एन पी ए)
11. कंटिन्यूटी आइरिश रीपब्लिकन आर्मी (सी आई आर ए)
12. गामा अल-इस्लामिया (आई जी)
13. हमास
14. हरकत उल-मुजाहिदीन (एच यू एम)
15. हिजबुल्लाह
16. इस्लामिक मूवमेंट आफ उजबेकिस्तान (आई एम यू)
17. जैश-ए-मोहम्मद (जे ई एम)
18. जेमाह इस्लामिया आर्गेनाइजेशन (जे आई)
19. अल-जेहाद (ए जे)
20. कहने चाई (के ए सी एच)
21. कोंगरा-जेल (के जी के)
22. लश्कर-ए-तैयबा (एल टी)
23. लश्कर ई झांग्वी (एल जे)
24. लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)
25. लिबिनय इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप (एल आई एफ जी)
26. मुजाहिदीन-ई खल्क आर्गेनाइजेशन (एम ई के)
27. नेशनल लिब्रेशन आर्मी (ई एल एन)
28. पलेस्ताईन लिब्रेशन फ्रंट (पी एल एफ)
29. पलिस्तीनियन इस्लामिक जेहाद (पी आई जे)
30. पापुलर फ्रंट फार दि लिब्रेशन आफ पलिस्ताइन (पी एफ एल पी)
31. पापुलर फ्रंट फार दि लिब्रेशन आफ पलिस्ताइन-जनरल कमांड (पी एफ एल पी-जी सी)
32. अल-कायदा
33. रीअल आई आर ए (आर आई आर ए)
34. रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सिस आफ कोलंबिया (एफ ए आर सी)
35. रिवोल्यूशनरी न्यूक्ली (आर एन)
36. रिवोल्यूशनरी पीपल्स लिब्रेशन पार्टी/फ्रंट (डी एच के पी/सी)
37. सलाफिस्ट ग्रुप फार काल एंड कांबेट (जी एस पी सी)
38. शाइनिंग पाथ (एस एल)
39. तनजिम कायेदत अल-जेहाद फि बिलाद अल-रफीदियन (क्यू जे बी आर)
40. यूनाईटेड सेल्फ-डिफेंस फोर्सिस आफ कोलम्बिया (ए यू सी)

अन्य चुनिंदा आतंकवादी संगठन

41. अल-बदर मुजाहिदीन (अल बदर)
42. अल-इतिहाद अल-इस्लामी (ए आई ए आई)
43. एलेक्स बोनकाओ ब्रिगेड (ए बी बी)
44. एंटी-इम्पिरिएलिस्ट टेरिटोरिअल न्यूक्ली (एन टी ए)
45. कम्बोडिअन फ्रीडम फाइटर्स (सी एफ एफ)
46. काम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी)
47. काम्यूनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (माओवादी)
48. डेमोक्रेटिक फोर्सिस फार दि लिब्रेशन आफ रवांडा (एफ डी एल आर)
49. ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ई टी आई एम)
50. फर्स्ट आफ अक्तूबर एंटी फासिस्ट रेजिस्टेन्स ग्रुप (जी आर ए पी ओ)
51. हरकत उल-जेहाद-आई-इस्लामी (एच यू जे आई)
52. हरकत-उल-जेहाद-इस्लामी/बांग्लादेश (एच यू जे आई-बी)
53. हिज्ब-आई इस्लामी (गुल्बुद्दीन (एच आई जी)
54. हिज्बुल-मुजाहिदीन (एम एम)
55. आईरिश नेशनल लिब्रेशन आर्मी (आई एन एल ए)
56. आईरिश रिपब्लिकन आर्मी (आई आर ए)

57. इस्लामिक आर्मी आफ अदेन (आई ए ए)

58. इस्लामिक ग्रेट ईस्ट रेडर्स-फ्रंट (आई बी डी ए-सी)

59. इस्लामिक इंटरनेशनल पीसकीपिंग ब्रिगेड (आई आई पी बी)

60. इस्लामिक जेहाद ग्रुप (आई जे जी)

61. जमायत उल-मुजाहिद्दीन (जे यू एम)

62. जेपनीज रेड आर्मी (जे आर ए)

63. कुमपुलन मुजाहिदीन मलेशिया (के एम एम)

64. लार्ड्स रेजिस्टेन्स आर्मी (एल आर ए)

65. लायोलिस्ट वालन्टिअर फोर्स (एल वी एफ)

66. मोरोक्कन इस्लामिक कोम्बाटेंट ग्रुप (जी आई सी एम)

67. न्यू रेड ब्रिगेड्स/काम्यूनिस्ट कोम्बाटेंट पार्टी (बी आर/पी सी सी)

68. पीपल अगेन्स्ट गैंगस्टिरिस्म एंड ड्रग्स (पी ए जी ए डी)

69. रेड हैंड डिफेन्डर्स (आर एच डी)

70. रिवोल्यूशनरी प्रोलिटेरिअन इनशियेटिव न्यूक्ली (एन आई पी आर)

71. रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल (आर एस)

72. रियादस-सलीखिन रीकनसियांस एंड सेबोटेज बटालियन आफ चेचेन मारटियर्स (आर एस आर एस बी सी एम)

73. सिपाह-आई-सहाबा/पाकिस्तान (एस एस पी)

74. स्पेशल पर्पज इस्लामिक रेजीमेंट (एस पी आई आर)

75. ट्यूनिशियन कोम्बाटेंट ग्रुप (टी सी जी)

76. टूपक अमारू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट (एम आर टी ए)

77. टर्किश हिजबल्लाह

78. उल्सतर डिफेंस एसोसिएशन/उल्सतर फ्रीडम फाईटर्स (यू डी ए/यू एफ एफ)

79. उल्सतर वालंटियर फोर्स (यू वी एफ)

80. यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा)

अवैध निर्माणों का गिराया जाना

6611. श्री विजय कृष्णः
श्री कैलाश बैठाः
श्री रघुनाथ झाः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 13 मार्च, 2002 के अपने आदेश में डीडीए/एमसीडी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उन सभी अवैध निर्माणों को उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ाने से पहले ही गिरा देने का आदेश दिया है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदण्डों के उल्लंघन में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित रेडिसन होटल (महिपालपुर, दिल्ली) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदण्डों का उल्लंघन करके बनाया गया है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 से 50 मीटर के भीतर बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा इस होटल के निर्माण की स्वीकृति देने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त होटल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर स्थित अन्य अवैध निर्माणों को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि एन एच-8 पर बनाए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एन एच-8 के आसपास उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र से 137 अवैध ढांचों को गिराने के आदेश दिए हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने यह बताया है कि दिल्ली राज्य में एन एच-8 पर मार्गाधिकार में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है।

(ख) और (ग) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने यह बताया है कि रेडीसन होटल मार्गाधिकार (दिल्ली के लिए 60 मीटर) से दूर है।

अवसंरचनात्मक सहायता

6612. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समेकित कार्गो संभलाई की स्थापना, शीतागार सुविधाएं तथा रियायती दर पर ऋण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में क्रेता-विक्रेताओं की कितनो बैठकों का आयोजन किया गया तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश से सेब तथा अन्य फसलों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत निर्यातों के साथ सीधी जुड़ी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 53.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कार्गो हैंडलिंग, शीत भंडारण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) द्वारा किया जाता है। समेकित कार्गो हैंडलिंग, शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना रियायती ऋण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों द्वारा नियमित आधार पर क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकों की संख्या और प्रदान किए गए रियायती ऋण के संबंध में केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश से केवल आमों का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2003 और 2004 में क्रमशः 125 मी. टन और 60 मी. टन आमों का निर्यात किया गया था।

[हिन्दी]

संगमरमर उद्योग को बढ़ावा

6613. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संगमरमर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में संगमरमर के आयात के लिए कोई छूट देने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संगमरमर के आयात से देश के संगमरमर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) संगमरमर का आयात मुक्त है और निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची-2 में उल्लिखित निर्यात नीति के अनुसार इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) से (ङ) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 के अध्याय-68 के अंतर्गत शामिल तैयार किये हुए संगमरमर ब्लाक/टाइलें मुक्त रूप से आयात की जा सकती हैं और इनके लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारत में अपरिष्कृत और अनगढ़ संगमरमर पर आयात प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तदनुसार आईटीसी (एचएस) के अध्याय-25 के अंतर्गत शामिल अनगढ़ अथवा मोटे तौर पर तराशे गए संगमरमर का आयात, जिसकी अनगढ़ संगमरमर ब्लाकों के लिए 300 प्रति मी. टन अमरीकी डालर अथवा उससे अधिक और स्लेब्स के लिए 450 अमरीकी डालर और उससे अधिक की मूल्य की अधिकतम सीमा के साथ 1.4.1999 से 31.3.2001 तक एसआईएल को अभ्यर्पित करने पर अनुमति थी, को 1.4.2001 आयातों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के लागू रहते हुए भी सरकार घरेलू उद्योग के हित के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

नकदी फसलों पर राजसहायता

6614. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर निर्यात राजसहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अन्य नकदी फसलों विशेष रूप से काली मिर्च, इलायची तथा अन्य मसालों के लिए ऐसी राजसहायता देने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु वर्तमान में कोई निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा रही है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, मसाला बोर्ड मध्य पूर्व गन्तव्य स्थानों को निर्यात के प्रोयजनार्थ नीलामी केन्द्रों से खरीदी गई इलायची के लिए हवाई भाड़ा सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

चीन को लौह अयस्क का निर्यात

6615. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चीन को कम लौह तत्व वाले लौह अयस्क के निर्यात में हाल की तेजी पर सतर्कता बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह;

(ग) क्या चीन की 6.4 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क के प्रतिबन्धित निर्यात में इसके साथ-साथ कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा शिकायत की गई है कि घटिया किस्मों की आड़ में अच्छे किस्म के लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या टिप्पणियां हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) घटिया श्रेणी का लौह-अयस्क (64% से कम लौह तत्व वाला) निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है और मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।

(ग) और (घ) चीन को 64% लौह तत्व से अधिक वाले लौह अयस्क का निर्यात वर्ष 2003-04 में 17.0 मिलियन टन से घटकर वर्ष 2004-05 में 13.0 मिलियन टन (अनंतिम) रह गया है।

(ङ) और (च) विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के एक संयुक्त दल ने लौह-अयस्क के परेषणों की परीक्षण जांच की थी जिसमें केवल एक परेषण में उसी का निर्यात करने के लिए वैध अनुमति प्राप्त किए बगैर 64% से अधिक लौह तत्व वाला लौह अयस्क निर्यात किया हुआ पाया गया था और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन तदनुसार फर्म पर वित्तीय जुर्माने के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं।

फार्म हाउस

6616. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फार्म हाउसों को बनाने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ख) ये लक्ष्य और उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को फार्म हाउसों की आड़ में की जा रही बड़ी अनियमितताओं के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा फार्म हाउसों में चल रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक हैक्टेयर भूमि में फार्महाउस स्थापित किए जा सकते हैं और इनमें फूल, सब्जियां, पोल्ट्री फार्म इत्यादि विकसित किए जा सकते हैं। फार्म हाउसों में मास्टर प्लान में निर्धारित विकास नियंत्रण मानकों के अनुसार एक रिहायशी यूनिट भी हो सकती है।

(ग) और (घ) स्थानीय निकायों ने भी यह सूचित किया है कि जब भी अनधिकृत निर्माण अथवा दुरूपयोग के रूप में किसी अनियमितता का पता चलता है, संगत कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर खरीदने की क्षमता

6617. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के लोगों की कम्प्यूटर खरीदने की क्षमता को बढ़ाने तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हेतु एक टावर तथा कम्प्यूटर चिप के आयात को बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलाजी पार्क स्थापित करने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्प्यूटर चिप के आयात को बढ़ाने के लिए उक्त उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) लोगों की कम्प्यूटर खरीदने की क्षमता में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से कम्प्यूटरों की कीमत के साथ जुड़ी हुई है। वहनीय कीमतों पर देश में कम्प्यूटरों के विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। उठाए गए कुछ मुख्य कदमों में राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में आईटी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के निरंतर विकास पर बल देना, स्वचालित तरीके के अंतर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर विनिर्माण के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन, 60% पर कम्प्यूटरों के लिए मूल्य ह्रास, कम्प्यूटरों के विनिर्माण में अपेक्षित वस्तुओं सहित कम्प्यूटरों पर 0% शुल्क, माइक्रोप्रोसेसर्स हार्ड डिस्क ड्राईव्स, फ्लोपी ड्राईव्स और सीडी रोम ड्राईव्स सहित कम्प्यूटरों पर 0% उत्पाद शुल्क।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त सोसायटी साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआई) ने साफ्टवेयर के निर्यात का संवर्धन करने के लिए देश में 45 केन्द्र स्थापित किए हैं। देश में कम्प्यूटरों की खपत में वृद्धि के फलस्वरूप कम्प्यूटर चिप (माइक्रोप्रोसेसर्स) के आयात में समानुपाती वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

सफेद मुसली

6618. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफेद मुसली का कोई विशेष पेटेंट कराया है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों आदि में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सरकार ने इस दुर्लभ जड़ी-बूटी के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको पेटेंट न करवाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा ''सफेद मुसली'' नमक जड़ी-बूटी पर ऐसा कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है। पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार पादपों का पेटेंट करने की अनुमति नहीं है।

इमारती लकड़ी का आयात

6619. श्री मणि चारेनामैः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार से सागवान की लकड़ी और इमारती लकड़ी का मणिपुर स्थित मोरह लैण्ड कस्टम्स स्टेशन, जो भारत और म्यांमार के बीच एकमात्र कार्यशील भूमि मार्ग है, को छोड़कर भारत के सभी पत्तनों से मुक्त रूप से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में विदेश व्यापार नीति की तुलना में पूर्वोत्तर संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की भूमिका क्या है;

(घ) क्या उच्चाधिकार प्राप्त समिति की किसी कार्यवाही से असम, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश की इमारती लकड़ी पर आधारित प्लाइवुड उद्योग समाप्त होता जा रहा है और इससे इस उद्योग को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि सबसे अधिक मितव्ययी भूमि मार्ग से इमारती लकड़ी के आयात की अनुमति न देने से देश के हित को नुकसान हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) महोदय, सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र का विधेयक

6620. श्री हरिभाऊ राठौड़ः
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ाः
श्री बालासाहिब विखे पाटीलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु एक प्रस्तावित ''महाराष्ट्र स्पेशल इकोनोमिक जोन एण्ड डेजिगनेट्स एरिया एक्ट, 2004'' विधेयक भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से विधेयक के उपबंधों पर कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

वनस्पति हेतु कच्चा माल

6621. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल और श्रीलंका में वनस्पति कच्चे माल की लागत भारत से कम है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से स्थानीय विनिर्माताओं हेतु कच्चे माल की लागत में कटौती करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सड़क दुर्घटनाएं

6622. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय सौध के सामने और पीछे वाली सड़कें तथा श्रमशक्ति भवन के सामने वाली सड़क हाल ही में किए गए विभिन्न मार्ग परिवर्तनों की वजह से खतरनाक दुर्घटनाओं के संभवना केन्द्र बन गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पैदल यात्रियों द्वारा इन सड़कों को पार करने के लिए कोई भी गति अवरोधक अथवा यातायात सिगनल स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और आधा दर्जन पैदल यात्री सड़क पार करने के प्रयास में घायल हो चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बहुत से कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यातायात सिगनलों/गति अवरोधकों/उपरि पुल/सब-वे स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि हां, तो ये सुरक्षोपाय कब तक किये जायेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने यह बताया है कि पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के सामने और पीछे तथा श्रम शक्ति भवन के सामने की सड़कें मार्ग परिवर्तन के कारण खतरनाक दुर्घटनाओं का केन्द्र नहीं बनी हैं।

(ख) और (ग) यह भी बताया गया है कि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए हैं क्योंकि इम्तियाज खान मार्ग पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए स्यूडो स्पीड ब्रेकर और जेबरा क्रासिंग पहले से ही विद्यमान हैं। संसद मार्ग पर इरविन की प्रतिमा से परिवहन भवन जाने वाले वाहनों के लिए एक अलग लेन भी दी गई है। इसके अलावा संसद मार्ग-रफी मार्ग चौराहे पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए एक ट्रैफिक लाईट सिग्नल भी मौजूद है। साथ ही रफी मार्ग पर विट्ठल भाई पटेल भवन के सामने एक नया ट्रैफिक लाईट सिग्नल (पेलिकन) भी लगाया गया है।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि श्रम शक्ति भवन के सामने और संसद भवन एनेक्सी के सामने व पीछे की सड़कों पर मार्ग परिवर्तन करने और वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था शुरू करने के बाद किसी घातक दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। तथापि, वर्ष 2004 और 2005 (31.2.2005 तक) के दौरान एक-एक दुर्घटना हुई है और दोनों ही दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सामान्य चोटें लगी हैं।

(ङ) और (च) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह बताया है कि वहां स्पीड ब्रेकर/ओवर ब्रिज/सब-वे उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती को क्रिकेट मैच के प्रसारण अधिकार

6623. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट मैचों के सीधे प्रसारण के अधिकार प्रसार भारती को सौंप दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में न्यायिक मामलों में जारी किए गए दिशा-निर्देशों और दिए गए निर्णयों के संबंध में कोई दृष्टिकोण अपनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीतिगत ढांचा तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, "पिछले दशक से उन्होंने हमेशा भारत में क्रिकेट मैचों के टेलिविजन अधिकारों के लिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए खेल चैनलों वाली पार्टियों को आमंत्रित किया है। विचार-विमर्श के बाद इसके अधिकार अत्यधिक उपयुक्त पार्टी को प्रदान किए जाते थे। वित्तीय मामलों पर विचार करने के अलावा अन्य विचारों को भी ध्यान में रखा जाता था जैसे निर्माण (प्रोडक्शन) और उपस्कर की गुणवत्ता, कैमरों की संख्या, निर्माता/निदेशक का अनुभव तथा ऐसी अन्य बातें। 2004 में टी.वी. अधिकारों को नये सिरे से प्रदान करने का समय था। बी.सी.सी.आई. ने सोचा कि खुली निविदा बेहतर प्रतियोगिता आमंत्रित कर सकती है और बहुत से लोगों को अवसर प्रदान कर सकती है"। जैसा कि बी.सी.सी.आई. द्वारा आगे सूचित किया गया है कि निविदा प्रक्रिया के बाद मामला न्यायाधीन हो जाता है। इसके अलावा, "अक्तूबर-नवंबर, 2004 में आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका का भारत दौरा होना था, और इसके बाद मार्च-अप्रैल, 2005 में पाकिस्तान का दौरा होना था तथा समय निकला जा रहा था, क्रिकेट के विश्व निकाय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) ने कहा कि दौरों को रद्द किया जाएगा यदि टेलिविजन कवरेज नहीं मिलता। न्यायालय की छूट के साथ बी.सी.सी.आई. ने प्रसार भारती को सभी श्रृंखलाओं के लिए मैचों के क्षेत्रीय अधिकार प्रदान किए तथा विदेशी अधिकार अन्य चैनलों को प्रदान किए"।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघ सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं। हाल ही में प्रसारण अधिकारों के मुद्दे पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मैसर्स जी. टेलिफिल्म लिमिटेड द्वारा फाईल की गई, 2004 की रिट याचिका संख्या 541 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है कि बी.सी.सी.आई. संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "स्टेट" नहीं है।

(घ) इस प्रकार का कोई नीतिगत ढांचा इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों की सीटों की बिक्री

6624. श्री फ्रान्सिस फैन्थमः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार चिकित्सा संस्थाओं में सीटों की कथित बिक्री से अवगत है जिनके लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में 15% योग्यता आधारित स्थानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों व विनियमों के तहत अभिशासित भारत के मेडिकल/डेन्टल कालेजों हेतु अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेन्टल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता रहा है। चयन सूची केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर तैयार की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोल मार्किट में किए जा रहे कार्य की स्थिति

6625. श्री मुनव्वर हसनः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डीआईजेड क्षेत्र के सेक्टर-2 स्थित समाज सदन का निर्माण कार्य, मार्केट स्क्वायर डीआईजेड क्षेत्र में 48 टाइप-5 क्वार्टरों का निर्माण कार्य, डीआईजेड क्षेत्र में पी एण्ड टी कालोनी के समीप उद्यान मार्ग में 6 एकड़ वाले भूखण्ड के विकास और डीआईजेड क्षेत्र नई दिल्ली के सेक्टर-4 के टाइप-सी क्वार्टर में अतिरिक्त कमरे के निर्माण कार्य वाले चार कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) ये कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की संभावना है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित अथवा खर्च की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) गोल मार्केट में चार कार्यों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

(1) जिन प्रस्तावों में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है किन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है उन प्रस्तावों सहित समाज सदनों के नए निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.12.2004 के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए डीआईजेड क्षेत्र के सेक्टर-2 स्थित समाज सदन के निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया है।

(2) मार्केट स्क्वायर, डीआईजेड क्षेत्र में स्थित भूमि भूखण्ड जो कि टाईप-5 के 48 क्वार्टरों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था डीएमआरसी को आबंटित किया गया है तथा इसलिए प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

(3) डीआईजेड क्षेत्र में पी एण्ड टी कालोनी के समीप उद्यान मार्ग पर 6.00 एकड़ भूमि भूखण्ड पी एण्ड टी/बीएसएनएल के कब्जे में है।

(4) नई दिल्ली में डीआईजेड के सेक्टर-4 में टाइप-सी क्वार्टरों में एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण का कार्य चल रहा है तथा इसके दिसम्बर, 2005 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। 357.47 लाख रुपए की स्वीकृत राशि की तुलना में अब तक 123.80 लाख रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

शहरी विकास योजनाओं हेतु धनराशि आबंटन

6626. श्री रामसेवक सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्वालियर जिले में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि की उपलब्धियां क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मध्य प्रदेश में शहरी विकास मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

(1) छोटे एवं मझोले कस्बों का समन्वित विकास (आईडीएसएमटी)

(2) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(3) चुने हुए हवाई क्षेत्र कस्बों (ग्वालियर सहित) में कचरा निपटान तथा जल निकासी।

पिछले तीन वर्ष के दौरान आईडीएसएमटी, एयूडब्ल्यूएसपी तथा कचरा निपटान व जल निकासी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर क्रमशः 1864.37 लाख रु., 3568.23 लाख रुपए तथा 603.58 लाख रु. की राशि प्रदान की गई।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्वालियर जिले में किसी भी कस्बे को आईडीएसएमटी के तहत धनराशि प्रदान नहीं की गई। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्वालियर जिले में 3 कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कस्बे का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1.	पिछोड़	67.07
2.	बिलौआ	69.30
3.	अंतारा	57.66

उपर्युक्त योजनाओं के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 97.015 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

चुने हुए एयर फील्ड नगरों में ठोस कचरा निपटान एवं जल निकासी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर में अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.1.2005 को 603.58 लाख रु. (पहली किश्त) की राशि दी गई।

[अनुवाद]

बी.सी.ए. और एम.सी.ए.

6627. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी शैक्षणिक संस्थाओं से गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज की तिथि तक अपने राज्यों/संस्थाओं में बीसीए/एमसीए पाठ्यक्रम आरम्भ करने के कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, संस्था-वार तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ग) लम्बित आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तीस हजारी न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था

6628. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निचली अदालतों विशेषतः तीस हजारी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत लचर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निचली अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) निचली अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी में पुलिस चौकी के कार्मिकों की संख्या 23 से बढ़ाकर 36 कर दी है और कड़कड़डुमा में पुलिस चौकी में पहले से तैनात 20 कार्मिकों के अलावा 5 पुलिस कार्मिक और लगा दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा के लिए 9 पुलिस कार्मिक तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी जरूरत होती है तो अतिरिक्त बल तैनात किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति

6629. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल कितनी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है; और

(ख) कौन-कौन सी भाषाओं के शिक्षक नियुक्त नहीं किये गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाने के लिए *नियमित शिक्षकों* को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाएं विषय के रूप में पढ़ाई नहीं जा रही हैं। क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए कक्षा में 20 या उससे अधिक छात्र होने की स्थिति में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण हेतु व्यवस्था की जाती है। इसके लिए संविदा आधार पर अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

(ख) देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा और पाठ्यचर्या का एक समान कार्यक्रम प्रदान करके केन्द्रीय विद्यालय मूलरूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसलिए निरंतरता को बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी तथा संस्कृत को अपनाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार के राज्यपाल के सलाहकार

6630. श्री नीतीश कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से अब तक बिहार के राज्यपाल के सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ये नियुक्तियां कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या उक्त सलाहकारों की नियुक्तियां प्रशासन को गति देने के लिए अनिवार्य हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यदि और जब आवश्यकता होती है तो राज्यपाल के सलाहकार(रों) की नियुक्ति की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट संबंधी कृतिक बल

6631. **श्री रवि चन्द्रन सिप्पीपाराई:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट संबंधी कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करना, देशों को लक्ष्य में रखने के लिए देश से संबंधित कार्यक्रम बनाने वाले मिशनों को भेजना, कराधान नीति का सुमेलीकरण करना, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना, विदेशों में भारतीय मिशनों का क्षमता सृजन करना और भारतीय एक्जिम बैंक तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम को सुदृढ़ करना शामिल हैं। रिपोर्ट पर सचिवों की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन भारतीय विदेशी निर्माण परिषद को परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद में परिवर्तित कर दिया गया है।

के वी एस और एन वी एस द्वारा कक्षोन्नति नियमों में संशोधन

6632. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों ने हाल ही में नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षोन्नति नियमों में परिवर्तन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषताएं और ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस विषय पर मार्च, 2005 में निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को बाद में वापस ले लिया गया था।

नवोदय विद्यालयों ने 9 और 11 कक्षा के छात्रों के लिए कक्षोन्नति नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

6633. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री सुब्रत बोस:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में विशेषकर इसके निर्माण (बिल्डिंग) विभाग में अत्यधिक भ्रष्टाचार के व्याप्त होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिल्डरों के लिए विलम्ब को न होने देने तथा उन्हें होने वाली अनावश्यक परेशानी को दूर रकने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का है अर्थात् मानक योजनाएं अधिसूचित कर जो निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपनायी जा सकती है या/और जो आवश्यक सुरक्षोपायों के साधन वास्तुकारों को योजनाओं को मंजूरी देने की अनुमति प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण (बिल्डिंग) विभाग में कर्मचारियों द्वारा होने वाली अनावश्यक परेशानियों को दूर करने तथा विलंब को न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि गत तीन वर्षों में से उसके निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डीडीए योजनाओं की शीघ्र तैयारी और अनुमोदन को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्यिक केन्द्रों में विशिष्ट वास्तुशिल्पीय/भवन विकास मानक निर्धारित करता है। डीडीए ने 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी प्लाटों के लिए निर्माण परमिटों के सरलीकरण के एक प्रस्ताव को

भी अनुमोदित किया है जिसे वास्तुविद/संरचना इंजीनियर द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है। डीडीए ने विलंब को कम करने तथा जवाबदेही बढ़ाने की दृष्टि से प्रक्रियाओं को और सरल एवं कारगर बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद

6634. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक शर्त रखी है कि यदि उसे कर में छूट नहीं दी जाती है तो वह भारत में 2006 में क्रिकेट चैंपियन्स ट्राफी का आयोजन नहीं करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यमान प्रावधान ऐसी मांग के अनुपालन के अनुकूल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां। जैसा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) ने शर्त रखी है कि जब तक उसे कर में छूट प्रदान प्रदान नहीं की जाती तब तक वह चैंपियन्स ट्राफी, 2006 की मेजबानी नहीं करेगा।

(ख) बी.सी.सी.आई. ने सूचित किया है कि उन सभी देशों ने जहां आई.सी.सी. चैंपियन्स ट्राफी/विश्व कप की मेजबानी करती है, स्पोंसरशिप और टेलीविजन अधिकारों के मार्फत उनकी होने वाली आय पर करों में पूरी छूट प्रदान की तथा इन कार्यक्रमों से अर्जित धन का बड़ा हिस्सा विश्वभर के आई.सी.सी. के 92 सदस्य देशों में क्रिकेट के विकास पर खर्च किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से सूचित किया है कि अग्रिम नियमन प्राधिकरण, जिसको अप्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए लेन-देन से होने वाली आय, कर-योग्य है या नहीं विषय पर निर्णय लेने का विस्तृत क्षेत्राधिकार है, को आवेदन देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-गाजियाबाद रेल लाइन परियोजनाएं

6635. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड द्वारा पारित दिल्ली-गाजियाबाद रेल लाइन की दो परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं पर खर्च होने वाली कुल राशि और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के पृथक अनुमानित हिस्से का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यात्रियों के लिए कुशल और प्रभावी परिवहन उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत रेल-सह-बस परिवहन (आई आर बी टी) प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। इसमें तीन कारीडोर शामिल हैं नामतः शाहदरा से गाजियाबाद (14.9 कि.मी.), साहिबाबाद से शिवाजी ब्रिज (17.3 कि.मी.) और त्रिनगर से गुड़गांव (30.05 कि.मी.)। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2239 करोड़ रु. है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच प्रस्तावित दो रेल कारीडोरों की अनुमानित लागत 1286 करोड़ रु. है।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जिन विशेष प्रयोजन परिवहन व्यवस्था (एस पी बी) का प्रस्ताव है उसके लिए शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी से इक्विटी योगदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हयाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इनमें से प्रत्येक राज्य में अंततः अनुमोदित कारीडोर की लंबाई के अनुसार योगदान देगी।

योजना आयोग से परियोजना को सिद्धांततः अनुमोदन देने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में शकूरबस्ती में मेट्रो रेल स्टेशन

6636. श्री बापू हरी चौरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली में शकूरबस्ती में सबसे बड़ा मेट्रो रेल स्टेशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) शकूरबस्ती में मेट्रो रेल स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तथापि, दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के फेज-2 में, कीर्ति नगर-मुंडका कोरीडोर पर रोहतक रोड (शकूरबस्ती के समीप) पर पश्चिम विहार में मेट्रो स्टेशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान

6637. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने लाभान्वितों के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 में हडको द्वारा बिहार शहरी विकास प्राधिकरण (बीयूडीए) के लिए 9 स्कीमें मंजूर की गई जिनमें राज्य में 42 कस्बे शामिल करते हुए 1,01,729 यूनिटों को बदला जाएगा। इनमें से 20 कस्बों वाली 5 स्कीमों को बाद में हटा दिया गया और 7 कस्बों वाली एक स्कीम को झारखण्ड राज्य को अंतिरित कर दिया गया। इसलिए बिहार शहरी विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्कीमें केवल 3 रह गई जिसमें 15 कस्बे में 37954 यूनिटों को बदला जाएगा जिसके लिए 474.44 लाख रु. का ऋण है तथा 476.98 लाख रुपए की सब्सिडी और 106.75 लाख रुपए की अपफ्रंट सब्सिडी राज्य को जारी की गई। जारी की गई अपफ्रंड सब्सिडी के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र राज्य द्वारा अभी दिया जाना है।

[अनुवाद]

समुद्री पानी का खारापन कम करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी

6638. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात में पेयजल के उत्पादन के लिए समुद्री पानी का खारापन कम करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुणवत्ता वाला पेयजल उत्पादित करने के लिए अपनाए जा रहे अन्य तरीकों की तुलना में समुद्री पानी के खारेपन को दूर करने के लिए अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी किस सीमा तक किफायती होगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) गुजरात में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समुद्री जल का खारापन दूर करने हेतु कम लागत वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने का शहरी विकास मंत्रालय के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह अनुमान लगाया जाता है कि जल का खारापन दूर करने की प्रक्रिया से पेयजल उपलब्ध कराने की पूंजीगत लागत परम्परागत तरीकों से उपलब्ध कराये गए पेयजल से लगभग दो गुणा होगी। जल का खारापन दूर करने की प्रक्रिया से प्रचालन और अनुरक्षण लागत परम्परागत तरीकों से जल उपलब्ध कराने से लगभग 10 से 20 गुणा है क्योंकि जल का खारापन दूर करने की प्रक्रिया में भारी विद्युत आवश्यकता, अर्ध-पारगम्य कला, डी-स्केलिंग और मिनरेलाइजेशन हेतु रसायनों का उपयोग आदि शामिल हैं।

जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास

6639. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास और व्यापार क्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इससे ज्ञान आधारित क्षेत्र सुदृढ़ होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) भारत और स्विट्ज़रलैण्ड ने जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास सहित आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए मुख्य क्षेत्रों का पता लगाया है। दोनों पक्षों ने औद्योगिक और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी में भारत-स्विटजरलैंड सहयोग बढ़ाने के लिए सितम्बर, 1999 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के अनुसरण में जैव निवारण, जैव कीटनाशक, गेहूं/दाल जैव प्रौद्योगिकी नेटवर्क, कीटनाशकों की खोज के लिए जैव संवेदी के क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कीटनाशकों का स्तर कम करने के लिए मृदा निवारण पैकेज, कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक, खाद्य पदार्थों, जल और मृदा आदि में कीटनाशक अपशिष्ट का पता लगाने के लिए वाणिज्यिक रूप से कार्यक्षम जैव संवेदी आदि कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनका इस ज्ञान आधारित क्षेत्र में सहयोग के जरिए निराकरण किया गया है।

[हिन्दी]

वाहनों का उत्पादन

6640. डा. चिन्ता मोहन:
श्री नीतीश कुमार:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 में गत वर्ष की तुलना में देश में यात्री वाहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रकार के कुल कितने यात्री वाहनों का उत्पादन हुआ तथा विभिन्न देशों में इनकी क्या रैंक थी;

(घ) विभिन्न प्रकार के वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या देश में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उत्पादन का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आंकलन है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान यात्री वाहनों के उत्पादन में 22% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 के दौरान विनिर्मित विभिन्न प्रकार की यात्री वाहनों की कुल संख्या 1,209,654 थी। आर्गनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टियर्स डी आटोमोबाइल्स (ओआईसीए), पेरिस ने वर्ष 2004 में यात्री वाहनों के उत्पादन के लिए भारत का विभिन्न देशों में 11वां स्थान बताया है।

(घ) सरकार द्वारा की गई पहलों में: (1) लाइसेंसिंग नीति का निरंतर उदारीकरण, (2) वित्तीय ढांचे का यौक्तिकीकरण, (3) और सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर अधिक जोर देना शामिल है।

(ङ) और (च) प्रारंभिक अनुदानों से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2004-05 में आटोमोबाइल की घरेलू बिक्री तथा निर्यात दोनों का मूल्य 110,000 करोड़ रुपए से अधिक था। इससे भारत के सफल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्याप्त योगदान मिलता है।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स तथा नागरिक रक्षा पर खर्च

6641. श्री संतोष गंगवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड तथा नागरिक रक्षा विभाग के स्वीकृत पदों के लिए किए जाने वाले व्यय में केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय हिस्सा कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड पर उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय के केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति की पुनरीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और इसका पुनरीक्षण विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में पुनः सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत सहायता

6642. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में जनजातीय गांवों के पुनः सर्वेक्षण की परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को जनजातीय गांवों के पुनः सर्वेक्षण के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए टू टी एस पी) के अधीन केन्द्रीय सहायता के लिए गुजरात सरकार से 350 लाख रुपये का एक प्रस्ताव सितम्बर, 2004 में प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 हेतु राज्य सरकार की मंत्रणा से मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उसकी पात्रता के अनुसार राज्य सरकार को पहले ही निधियों की निर्मुक्ति कर दी थी।

(ग) और (घ) प्रस्ताव पर, उनकी पात्रता के अधीन तभी विचार किया जाएगा जब राज्य सरकार उस जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मंजूरी के लिए परियोजनाओं की अपनी सूची में शामिल करेगी।

[हिन्दी]

डालर विन्डो

6643. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छोटे निर्यातकों को एक सौ हजार डालर प्रति लेन-देन से कम की लेन-देन पर डालर ऋण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निर्यातकों के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा ऋण तथा ऋण सीमा का प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यात ऋण के लिए डालर विन्डो खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो इससे होने वाले संभावित लाभ/हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के मद्देनजर निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पहले ही प्रदान किए जा रहे हैं। ये ऋण लदान-पूर्व स्तर (विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण-पीसीएफसी) और लदान-पश्चात् स्तर पर दिए जाते हैं।

(च) निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में ऐसी अग्रिम धनराशियां प्रदान करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु उन्हें केवल विदेशी मुद्रा में निर्यातकों का वित्त पोषण करने के प्रयोजनार्थ बिना किसी सीमा के विदेशों से उधार लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है। इस प्रकार, निर्यातकों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं विद्यमान हैं।

जनवरी, 2004 में एक्जिम नीति में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में 18 मई, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड स्कीम के अनुसार उत्तम कार्य निष्पादन वाले लघु और मध्यम क्षेत्रों के निर्यातकों सहित ऋण योग्य सभी निर्यातक अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गोल्ड कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं। इस स्कीम में यह आवश्यक है कि गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण प्रदान करने के लिए वरीयता दी जाएगी।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि लघु एवं मध्यम निर्यातकों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक को किसी लघु निर्यातक से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण, बैंकों द्वारा निर्धारित प्रत्येक सौदे की मात्रा से संबंधित न्यूनतम सीमा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विदेशी मुद्रा में ऐसे निर्यात ऋण की ब्याज दर 180 दिन (छह महीने) तक की ऋण अवधि के लिए लंदन इंटर बैंक आफर्ड रेट्स (एलआईबीओआर) जमा 0.75% से अधिक नहीं होगी। पीसीएफसी के लिए 180 दिन के बाद 360 दिन तक

प्रभारित की जाने वाली अधिकतम ब्याज दर एलआईबीओआर+ 0.75%+2% होगी।

रुपये में निर्यात ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के लिए कम ब्याज दर की दृष्टि से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के लिए पर्याप्त मांग रही है जिसमें जून, 2002 से (जब रुपया निर्यात ऋण की मांग कम हो गई थी) दस गुणा वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

फूलों का निर्यात

6644. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से विभिन्न प्रकार के फूलों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक प्रकार के फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(ग) क्या गुलाब के फूलों के विशेषकर बैंगलोर तथा होसुर से निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश से विशेषकर बैंगलोर तथा होसुर से निर्यात की गई गुलाब के फूलों की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैंगलोर तथा होसुर के गुलाब के फूलों की अत्यधिक मांग है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंगलोर, होसुर तथा भारत के अन्य स्थानों से गुलाब के फूलों की विभिन्न किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय किये गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित पुष्पों की मात्रा निम्नानुसार है:-

मात्रा मी. टन में

2001-2002	2002-2003	2003-2004
4646.00	4355.00	3140.00

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

किस्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पुष्पों का निर्यात मुख्यत: जापान, नीदरलैंड, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, यूएई और आस्ट्रेलिया को किया गया था।

(ख) पुष्पोत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:- छ: कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना और प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी करना। निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु स्कीमों के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। पुष्पों के निर्यात हेतु बंगलौर, मुम्बई और नोएडा में थोक-बाजार सह-पुष्प-नीलामी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(ग) से (ङ) गुलाबों के निर्यात के बारे में राज्य-वार और किस्म-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगलौर और होसुर के गुलाबों की मांग में वृद्धि हुई है। ये जापान के बाजार में जगह बना रहे हैं।

(च) और (छ) देश से पुष्पोत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में कृषि निर्यात जोनों, बंगलौर में एक पुष्प नीलामी केन्द्र, होसूर में एक पुष्पोत्पादन अवसंरचना पार्क और चेन्नई तथा बंगलौर हवाई अड्डों पर शीतागार एवं कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना किए जाने से बंगलौर और होसुर से गुलाबों के निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पदों का सृजन

6645. श्री लालमणि प्रसाद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में कुल कितने पदों का सृजन किया गया;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए की गई भर्ती उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार ही की गई;

(ग) यदि हां, तो विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आरक्षित पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैं:

(1) आंतरिक सुरक्षा विभाग;

(2) राज्यों का विभाग;

(3) गृह विभाग;

(4) जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग;

(5) सीमा प्रबंधन विभाग; और

(6) राजभाषा विभाग।

उपर्युक्त सभी विभागों की एक साझी स्थापना है। गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों के लिए 32 पदों का सृजन किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दी जाती है जो वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार भर्ती पदों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दी जाती है जो वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार भर्ती करता है।

मथुरा में रह रहे विदेशी

6646. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी तथाकथित रूप से धर्म दर्शन का अध्ययन करने के लिए उनकी वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी अनधिकृत रूप से कई वर्षों से मथुरा, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वहां भूमि की खरीद की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आज की तारीख तक मथुरा में ऐसा कोई विदेशी राष्ट्रिक अप्राधिकृत रूप से नहीं रहा है जिसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

6647. श्री तापिर गाव: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज तक आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश को कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में मलिनबस्ती सुधार गरीबों के लिए आवास तथा विभिन्न सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य में गरीबों के लिए आवास और स्लम सुधार सहित आवासीय स्कीमों हेतु आवास और नगर विकास निगम (हडको) द्वारा स्वीकृत ऋण इस प्रकार है:-

वर्ष	ऋण राशि (करोड़ रुपए में)
2002-03	0.60
2003-04	7.63
2004-05	1.90
2005-06 (30.4.2005 तक)	शून्य

हडको को सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ताला उद्योग में लगे कारीगर

6648. चौधरी विजेन्द्र सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ के हाथ से बने ताले देश के ताले उद्योग की मुख्य उपलब्धि है;

(ख) यदि हां, तो ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों संबंधी ब्यौरा क्या है और ताले किन-किन क्षेत्रों में विनिर्मित किए जाते हैं;

(ग) तालों के विनिर्माण में लगे कारीगारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार की तालों की विनिर्माण में लगे कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी नहीं। तालों के विनिर्माण के लिए अलीगढ़ में अब व्यापक तौर पर मशीनी उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।

(ख) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा यूएनआईडीओ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., द आल इंडिया लॉक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, अलीगढ़ और द डिंडीगल लॉक वर्क इंडस्ट्रियल का-आपरेटिव सोसाइटी लि. डिंडीगल (तमिलनाडु) के सहयोग से ताला विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बढ़ाने के लिए ताला उद्योग के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीएलआई) तैयार किया जा रहा है। ताला उद्योग को उत्पादकता और दक्षता का अधिक अच्छा स्तर प्राप्त कराने के लिए उन्नत विनिर्माण पद्धतियों और बेहतर उत्पाद डिजाइनों से अवगत कराया गया है। कार्यक्रम में अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और डिंडीगुल (तमिलनाडु) में ताला इकाइयों के प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के संदर्भ में आयोजित लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार जबकि पंजीकृत ताला विनिर्माण इकाइयों में लगभग 6491 कारीगर लगे हुए थे, अपंजीकृत ताला विनिर्माण इकाइयों में लगभग 19,981 कारीगर कार्य कर रहे थे।

(घ) और (ङ) लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत लघु उद्योग मंत्रालय (एसएसआई) स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए 12% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है, जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ ताला उद्योग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 75,000/- रुपए तक आई एस ओ-9001/14001 प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की लागत की प्रतिपूर्ति के द्वारा वित्तीय सहायता और बार कोडिंग अपनाने के लिए 15,000/- रुपए तक पंजीकरण फीस की प्रतिपूर्ति भी ताला विनिर्माण इकाइयों सहित लघु उद्योगों को उपलब्ध कराई जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षेस देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

6649. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों और आयातित विभिन्न मदों सहित आयात के संबंध में मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत दक्षेस देशों के साथ की गई संधियों का देशवार, लागत-वार और आयात शुल्कवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य तेल का आयात एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी, भारतीय खाद्य निगम आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे आयातित तेल की लागत देश में उत्पादित तेल की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयातित तेल के जमाखोरों और कालाबाजारियों के पास जाने की किसी घटना के समाचार मिले हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रथा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ज) क्या सरकार केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेल को केवल 1 और 2 किलो के पैकेट तथा अधिकतम 5 किलो के टिन में आयात करने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अर्धसैनिक बलों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

6650. श्री पारसनाथ यादव:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अर्धसैनिक बलों हेतु कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए स्थानों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक केंद्र पर कितने जवानों को प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सरकार ने अर्द्ध सैनिक बलों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अनुमोदन किया है:

क्र.सं.	केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के नाम	प्रशिक्षण संस्थान, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और स्थान के नाम	प्रति वर्ष क्षमता
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और सेवाकालीन पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	895
2.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	नए भर्ती किए गए कांस्टेबलों को बुनियादी प्रशिक्षण देने हेतु रंगरूट प्रशिक्षण कालेज, हरिद्वार, उत्तरांचल	1215
3.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	विद्रोह विरोधी और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण स्कूल, सिलचर, असम	4/5 बटालियन
4.	असम राइफल्स	विद्रोह विरोधी और जंगल युद्ध कौशल पाठ्यक्रम, असम राइफल्स प्रशिक्षण केन्द्र एवं स्कूल, दिफू, कर्बी एन्गलोंग, असम	360 कर्मी/ अधिकारी एवं 42 कंपनी
5.	सीमा सुरक्षा बल	सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर (मध्य प्रदेश) में राष्ट्र स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	480

तिहाड़ जेल में कैदियों की मौत

6651. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा उसके बाद आज तक तिहाड़ जेल में खाद्य विषाक्तता के कारण कुल कितने कैदियों की मौत हुई तथा कितने बीमार पड़े;

(ख) क्या उपर्युक्त जेल में होने वाली मौत के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जेल में हथियारों, मोबाइल फोन आदि की अवैध तस्करी किए जाने की घटनाएं हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जेल में नशीले पदार्थों, हथियारों, मोबाइल फोन आदि के प्रवेश को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) गत तीन वर्षों के दौरान और 5 मई, 2004 तक, केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में बंद किसी भी कैदी की न तो विषाक्त भोजन खाने के कारण मृत्यु हुई न ही बीमार पड़ा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) और (ङ) हाल ही में ऐसे दो मामलों का पता चला। एक मामले में, बिना सिम कार्ड के एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। दूसरे मामले में एक बटन चालित चाकू सहित तीन

चाकू उस ट्रक से बरामद किए गए जो जेल में कच्ची सब्जियां ले जा रहा था। दोनों मामलों में संगत अधिनियमों के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

जेल प्रशासन ने ऐसी गतिविधियां को रोकने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें जेल परिसर में प्रवेश करने और बाहर जाने से पहले स्टाफ और आगंतुकों की तलाशी और जाम: तलाशी करना; वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आकस्मिक तलाशी लेना; ऐसे अपराधियों, जिनके पास जेल के अंदर तस्करी की निषिद्ध वस्तुएं पाई जाती हैं, के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवकों के मुद्दे/शिकायतें

6652. श्री पी. करूणाकरन: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार युवकों के मुद्दों और शिकायतों को हल करने हेतु कोई व्यापक कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जहां तक शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है तो ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-सिंगापुर व्यापार

6653. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सिंगापुर व्यापार संवर्धन हेतु वार्ता करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) सहित एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) जिनमें वस्तु, सेवा व्यापार और निवेश; निवेश संवर्धन, संरक्षण और सहयोग संबंधी एक द्विपक्षीय करार; दोहरे कराधान से बचने के लिए एक विकसित करार (डीटीएए); और आर्थिक सहयोग शामिल हैं, करने के लिए वार्ताएं कर रहे हैं। इन वार्ताओं की शुरूआत 27-28 मई, 2003 को नई दिल्ली में की गई थी तथा 9-10 मई, 2005 को नई दिल्ली में इनका अंतिम दौर आयोजित किया गया था। यद्यपि वस्तु व्यापार संबधी प्रमुख मुद्दों को निपटा लिया गया है, तथापि निवेश, सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार और डीटीएए संबंधी कुछेक बकाया मुद्दों का अभी समाधान किया जाना है। इस करार को मई, 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एमएमटीसी

6654. श्रीमती वी. राधिका सेलवी:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएमटीसी को वर्ष 2000-04 के दौरान निर्यात के प्रयोजनार्थ भारतीय खाद्य निगम से गेहूं और चावल की खरीद पर पैकिंग सामग्री (गनी बेग्स) पर बिक्री कर के कारण भारी घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा पैकिंग सामग्री पर बिक्री कर ऐसी वसूली कानूनी उपबंधों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम से धन वापसी का दावा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या एमएमटीसी ने भारत और विदेशों में मुकदमे किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मुकदमें की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसमें कितनी धनराशि लगी है;

(छ) क्या एमएमटीसी में लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में इसका प्रावधान किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसे तुलन-पत्र में सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत है, ने पत्तनों को भेजे जाने वाले गेहूं और चावल के लिए गनी बैगों की आपूर्ति के संबंध में बिक्री कर वसूल किया है। अतः एफसीआई द्वारा बिक्री कर की वसूली विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विदेशी खरीददारों और विदेशी खरीददारों के भारतीय एजेंटों द्वारा नामित किए गए हैंडलिंग एजेंटों ने एमएमटीसी तथा अन्यों के खिलाफ मुकदमें दायर किए हैं, तथा यह मामला भारत के माध्यस्थम निकायों/विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। तथापि, भारत के बाहर कोई मामला लंबित नहीं है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के साथ गोदाम भाड़े के लिए मध्यस्थता:

दावा की गई राशि 81,52,402 रुपए है जिसमें 18% वार्षिक ब्याज शामिल है। कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय, विजाग के साथ गोदाम भाड़े के लिए मध्यस्थता:

विवाचक ने दावाकर्त्ता के पक्ष में 18% वार्षिक ब्याज के साथ 27,23,865 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय दिया है। एमएमटीसी ने जिला न्यायालय, विजाग में इस निर्णय को चुनौती दी है।

(3) 12 लाख रुपए (अनुमानतः) के बाजार शुल्क हेतुः

पक्षकार के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद में एक मुकदमा दायर किया है। एमएमटीसी पहले ही अपना उत्तर प्रस्तुत कर चुका है। एफसीआई तथा आंध्र प्रदेश सरकार से उत्तर प्राप्त होना है।

(4) गनी बैगों पर बिक्री कर हेतु-19 लाख रुपए (अनुमानतः)

पक्षकार ने बिक्री कर के संबंध में एफसीआई तथा अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। एमएमटीसी दूसरे नम्बर का प्रतिवादी है। मामला लंबित है।

(छ) और (ज) लेखा मानकों के अनुसार, देयता/प्रावधान, विवाचक/न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात ही निर्धारित किए जाते हैं।

बाल श्रमिकों हेतु आवासीय विद्यालय

6655. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बालश्रमिकों हेतु विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के अनुसार जोखिम भरे व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों के पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के तहत 1128 विशेष स्कूल पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

साल्ट पैन लैंड

6656. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में 5410 एकड़ साल्ट पैन लैंड नमक की खेती हेतु पट्टे पर दी गई है और मुंबई समाहर्त्तात्य द्वारा भूमि के किसी भाग को महाराष्ट्र सरकार को भी स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पट्टे हेतु निर्धारित शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) नमक का विनिर्माण करने के लिए 1819 एकड़ साल्ट पैन लैंड पट्टे पर दी गई है और लगभग 2054 एकड़ भूमि नमक विनिर्माण लाइसेंस के अंतर्गत है। पट्टे की मुख्य शर्तें विवरण-I में दी गई हैं। इसमें से, 557 एकड़ भूमि महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ग) और (घ) नमक भूमि के विकास के लिए समय-समय पर कई प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकांश मामले न्यायाधीन हैं और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

पट्टे के मुख्य निबंधन व शर्तें

पट्टाधारी को:-

(क) पट्टान्तरित परिसरों का उपयोग केवल सामान्य व खाद्य नामक तथा इसके उपोत्पादों का ही विनिर्माण करने के लिए करना होगा।

(ख) पट्टान्तरित परिसरों में नमक का विनिर्माण इस संबंध में अनुदत्त किये जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) साल्ट वर्क्स के इनरोड्स अथवा बाढ़ों से पट्टान्तरित परिसरों अथवा इन पर निर्मित साल्ट वर्क्स का संरक्षण करने के प्रयोजन को छोड़कर पट्टान्तरित परिसरों के किसी भी भाग से कोई खुदाई कार्य नहीं करेगा वहां से कोई पत्थर, रेत, कंकर बजरी तथा मिट्टी नहीं हटायेगा।

(घ) नमक और उत्पाद-शुल्क के उपायुक्त, केन्द्रीय प्रभाग (तत्पश्चात् उपायुक्त के रूप में निर्दिष्ट किया गया) की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति को इस पट्टे को नहीं सौंपेगा अथवा इस पट्टे का कुछ भाग अथवा इसके किसी भी भाग को किराये पर नहीं देगा अथवा इस पट्टे द्वारा अनुदत्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों अथवा इनमें से किन्हीं भी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को नहीं देगा।

(ङ) अन्यथा लगाये जाने योग्य सभी शुल्कों एवं करों के अतिरिक्त पट्टान्तरित परिसरों पर निर्मित साल्ट पैन से निकाले जाने वाले नमक पर प्रति भारतीय मन पर चार पाईयों की दर से रायल्टी अदा करेगा।

(च) पट्टाधारक मुंबई नगरपालिका के प्रति एक हजार गैल पर आठ आने की दर से जल कर अदा करेगा अथवा पट्टाधारक अपने अथवा अपने सेवकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपभोग किये गये जल की मात्रा के संबंध में समय-समय पर यथानिर्धारित दर पर जलकर अदा करेगा।

(छ) पट्टान्तरित परिसरों पर विनिर्मित अथवा इन पर उत्पादिक नमक अथवा इसके उपोत्पादों के संबंध में लगाये जाने वाले नगरपालिका करों सहित सभी शुल्कों व करों का 99 वर्षों की कथित अवधि के दौरान भुगतान करेगा।

(ज) इसके अतिरिक्त पट्टाधारक सीमा-शुल्क, नमक और उत्पाद शुल्क आयुक्त की पूर्व लिखित स्वीकृति से पट्टान्तरित परिसरों का नमक के किसी भी प्रकार के उपोत्पादों का विनिर्माण करने के लिए उपयोग करेगा।

(झ) पट्टाधारक द्वारा नमक का इस प्रकार से किया जाने वाला विनिर्माण उन निबंधनों व शर्तों के अध्यधीन होगा जिन्हें सीमा-शुल्क, नमक और उत्पाद शुल्क आयुक्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा।

(ञ) इस प्रकार के विनिर्मित उपोत्पाद सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रायल्टी दरों की अदायगी के अध्यधीन होंगे।

आधारभूत अवसंरचना हेतु धनराशि जारी किया जाना

6657. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान आधारभूत अवसंरचना विशेषकर सड़कों और पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नगर निकायों को जारी विशेष निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरों में पेयजल और अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने हेतु अपनी कुछ नगर निगमों के लिए विशेष पैकेज हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरों/कस्बों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित स्कीमें संचालित की जाती हैं:-

(1) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

(2) छोटे एवं मझोले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी)

(3) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(4) एयरफील्ड वाले कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकास

(5) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान

उपर्युक्त स्कीमों के तहत स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। उपर्युक्त स्कीमों के तहत वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान जारी धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I से V में है।

तथापि बुनियादी अवस्थापना मुहैया कराने के लिए वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान शहरी सिविल निकायों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कोई विशेष धनराशि नहीं जारी की गई है।

(ख) कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान मेगा सिटी स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय अंश के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

मेगा शहर	राज्य	2003-04	2004-05	कुल
बंगलौर	कर्नाटक	34.23	52.75	86.98
चेन्नई	तमिलनाडु	34.82	53.66	88.48
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	38.54	59.41	97.95
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	41.30	63.65	104.95
मुम्बई	महाराष्ट्र	47.77	73.64	121.41

विवरण II

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत चुनिंदा एयरफील्ड वाले नगरों में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

एयरफील्ड शहर	राज्य	2003-04*	2004-05	कुल
सिरसा	हरियाणा	शून्य	6.64	6.64
जोधपुर	राजस्थान	शून्य	14.52	14.52
ग्वालियर	मध्य प्रदेश	शून्य	6.03	6.03
पुणे	महाराष्ट्र	शून्य	8.54	8.54
बरेली	उत्तर प्रदेश	शून्य	4.00	4.00

*स्कीम 2004-05 में शुरू की गई थी।

विवरण III

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान आईडीएसएमटी स्कीम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1298.28	1398.85	2697.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	192.00	-	192.00
3.	असम	40.00	344.84	384.84
4.	बिहार	317.00	323.83	640.83
5.	छत्तीसगढ़	337.82	382.80	720.62
6.	गोवा	-	16.08	16.08
7.	गुजरात	845.75	1090.00	1935.75
8.	हरियाणा	377.00	283.44	660.44
9.	हिमाचल प्रदेश	28.00	70.00	98.00
10.	जम्मू-कश्मीर	253.00	132.19	385.19
11.	झारखण्ड	-	-	0.00
12.	कर्नाटक	889.92	1578.38	2468.30
13.	केरल	384.00	225.00	609.00
14.	मध्य प्रदेश	568.25	583.00	1151.25
15.	महाराष्ट्र	834.00	1767.83	2601.83
16.	मणिपुर	6.00	-	6.00
17.	मेघालय	-	-	0.00
18.	मिजोरम	80.00	-	80.00
19.	नागालैंड	163.00	-	163.00
20.	उड़ीसा	138.00	257.00	395.00
21.	पंजाब	177.42	42.28	219.70
22.	राजस्थान	421.01	701.67	1122.68
23.	सिक्किम	-	-	0.00

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	851.50	1201.94	2053.44
25.	त्रिपुरा	88.12	94.00	182.12
26.	उत्तरांचल	86.00	93.00	179.00
27.	उत्तर प्रदेश	1049.79	1972.56	3022.35
28.	प. बंगाल	896.34	1555.31	2451.65
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	-	-	0.00
31.	दमन और दीव	-	-	0.00
32.	लक्षद्वीप	-	-	0.00
33.	पांडिचेरी	36.00	-	36.00
	कुल योग	10272.20	14200.00	24472.20

विवरण IV

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान एयूडब्ल्यूएसपी स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय अंश के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	492.57	1367.27	1859.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	124.16	113.27	237.43
3.	असम	256.22	635.27	891.49
4.	बिहार	386.05	219.87	605.92
5.	छत्तीसगढ़	337.87	200.96	538.83
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	918.08	867.83	4133.51
8.	हरियाणा	469.71	563.80	1033.51
9.	हिमाचल प्रदेश	79.46	232.15	3011.61
10.	जम्मू-कश्मीर	290.14	1198.68	1488.82

1	2	3	4	5
11.	झारखण्ड	0.00	417.93	417.93
12.	कर्नाटक	1119.84	1060.73	2180.57
13.	केरल	268.21	231.55	499.76
14.	मध्य प्रदेश	1509.09	822.68	2331.77
15.	महाराष्ट्र	705.84	1104.19	1810.03
16.	मणिपुर	269.36	254.07	523.43
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	46.57	0.00	46.57
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	409.36	577.39	986.75
21.	पंजाब	50.46	161.54	212
22.	राजस्थान	1012.50	1545.97	2558.82
23.	सिक्किम	83.97	0.00	83.97
24.	तमिलनाडु	653.41	808.19	1461.60
25.	त्रिपुरा	213.43	309.53	522.96
26.	उत्तर प्रदेश	2710.48	1664.93	4375.41
27.	उत्तरांचल	331.61	138.77	470.38
28.	प. बंगाल	417.62	103.43	521.05

विवरण V

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान के तहत जारी धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

राज्य	जारी धनराशि		कुल
	2003-04	2004-05	
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	20.10	20.10
असम	16.42	13.96	30.38

1	2	3	4
मणिपुर	14.63	28.01	42.64
मेघालय	3.00	3.80	6.80
मिजोरम	15.65	1.68	17.33
नागालैंड	13.61	20.69	34.30
सिक्किम	11.35	17.64	28.99
त्रिपुरा	17.34	8.62	25.96
कुल	92.00	114.50	206.50

गोसदनों को आवंटित भूमि खाली कराना

6658. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न गोसदनों को आवंटित ग्राम सभा की लगभग 150 एकड़ भूमि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा खाली करा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि दो गोसदनों के संबंध में इन गोसदनों की वास्तविक पशु/आश्रय क्षमता के आधार पर, आबंटित भूमि 63 एकड़ और 80 एकड़ को कम करके प्रत्येक के लिए 15 एकड़ कर दी गई है और संस्थानों को शेष भूमि खाली करने को कहा गया। इनमें से एक संस्थान ने गोसदन चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और तदनुसार ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से अवस्थापना, पशु तथा भूमि अपने कब्जे में ले ली है। दूसरे संस्थान का 15 एकड़ भूमि का लायसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

दिल्ली शहरी कला आयोग का पुनर्गठन

6659. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के पदाधिकारियों तथा उनकी योग्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) डीयूएसी के अगले दो वर्षों की कार्य योजना क्या है; और

(घ) आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में महलनुमा इमारतों के आस-पास झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती तथा कार्यालय भवनों में अनधिकृत निर्माण की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार ने 1 अप्रैल, 2005 को दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) के अध्यक्ष पद पर और तीन गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की है। आयोग में अब निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हैं:-

(1) श्री चार्ल्स कोरिया, वास्तुविद्या निष्णात, अध्यक्ष (अंशकालिक)

(2) श्री जसबीर साहनी, वास्तुविद्या निष्णात (यूएसए), सदस्य (अंशकालिक)

(3) श्री मोहम्मद शहरी, वास्तुविद्या स्नातक, वास्तुविद्या और शहरी डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एम ए (लैण्डस्कैप डिजाइन), सदस्य (अंशकालिक)

(4) श्रीमती नरयाणी गुप्ता, एम ए (आधुनिक इतिहास) पी एच डी, सदस्य (अंशकालिक)

(5) श्री पी.के. प्रधान, संयुक्त सचिव (दिल्ली एवं भूमि) शहरी विकास मंत्रालय, सरकारी सदस्य।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग उसे मिले अधिदेश के अनुसार में स्थानीय निकायों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करता है। यह आयोग दिल्ली से संबंधित पहलुओं के संबंध में अपनी ओर से अध्ययन भी करता है। आयोग द्वारा शुरू किए गए अध्ययन इस प्रकार हैं:-

(1) आईटीओ पर 'ए' पाइन्ट क्रोसिंग पर तथा मथुरा रोड, सिकन्दरा रोड, और तिलक मार्ग को जोड़ने वाली 'डब्ल्यू' पाइन्ट क्रोसिंग पर सड़क ज्यामिति।

(2) शाहदरा क्षेत्र में शहरी विकास पर मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) का प्रभाव।

(घ) झुग्गी-झोंपड़ी समूहों और अनधिकृत निर्माण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई संबंधित स्थानीय निकायों तथा भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा की जाती है।

स्टेडियमों का उन्नयन

6660. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्र मंडल खेलों से पूर्व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कुछ स्टेडियमों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का विचार उन्नयन की लागत के लिए किसी धनराशि का अंशदान देने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने सामान्य बजट के अतिरिक्त धनराशि के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के अनुरोध के साथ-साथ अवस्थापना संबंधी विकास तथा दिल्ली के सुन्दरीकरण के बारे में एक कार्य योजना भेजी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तालकटोरा तथा शिवाजी स्टेडियम के उन्नयन के अलावा इन स्टेडियमों के चारों ओर सड़कों में सुधार के लिए 50.00 करोड़ रुपये का अनंतिम आबंटन शामिल है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस मामले में मदद करेगा।

अतिरिक्त भूमि का अंतरण

6661. **श्री सी.एच. विजयशंकर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गवर्नमेंट आफ इंडिया टेक्स्ट बुक प्रेस, मैसूर की अतिरिक्त भूमि को चामाराजेन्द्र एकेडमी आफ विजुअल आर्ट्स (सी.ए.वी.ए.) को अंतरित करने हेतु कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां, कर्नाटक सरकार, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव ने दिनांक 31.12.2004 के पत्र के तहत भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, मैसूर से चामाराजेन्द्र एकेदमी आफ विजुअल आर्ट्स (सीएवीए) को 5 एकड़ भूमि अंतरित करने का अनुरोध किया है।

(ख) भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, मैसूर को बनाये रखने/आधुनिकीकरण करने के प्रस्ताव को देखते हुए भूमि की वास्तविक आवश्यकता का इस समय आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भूमि के अंतरण हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्नाटक में गरीबी उन्मूलन

6662. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के जनजातीय जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं हेतु आवंटित निधियों का योजनावार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन कर्नाटक राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकार को उनकी पात्रता के अनुसार 899.97 लाख रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

(घ) योजना आयोग जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अधीन वर्षवार निधियां आबंटित करता है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003 निर्मुक्त धनराशि	2003-2004 निर्मुक्त धनराशि	2004-2005 निर्मुक्त धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80	2359.52	2459.52
2.	असम	3058.99	2753.09	2064.82
3.	बिहार	556.56	500.90	250.45
4.	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82
5.	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87
6.	जम्मू-कश्मीर	971.94	925.50	874.75
7.	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97
8.	केरल	273.70	260.62	319.35
9.	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70
10.	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45
11.	मणिपुर	761.96	725.55	685.75
12.	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63
13.	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60
14.	सिक्किम	108.02	102.86	126.04
15.	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25
16.	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66
17.	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45
18.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31
19.	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22
20.	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76
21.	उत्तरांचल	92.91	88.47	83.62
22.	अंडमान एवं निकोबार*	200.85	0.00	0.00
23.	दमन व दीव*	99.15	0.00	0.00
	कुल	50000.00	46130.00	49700.00

*वर्ष 2003-04 के बाद संघ राज्य क्षेत्र के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के बजट का प्रावधान गृह मंत्रालय में किया गया है।

समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों/योजनाओं का वित्त पोषण

6663. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात जनजातीय उप-योजना योजनाओं के अंतर्गत निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों/समेकित जनजातीय विकास योजनाओं का सीधे वित्त पोषण न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारें टी.एस.पी. क्षेत्रों को निधियां बिल्कुल प्रदान नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(छ) क्या सरकार जनजातीय अतिरिक्त निधियों के व्यय का समन्वय और निगरानी कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 100% निधियां जारी की जा चुकी हैं, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		संविधान का अनुच्छेद 275(1)	
	बजट अनुमान	निर्मुक्त निधियां	बजट अनुमान	निर्मुक्त निधियां
2002-03	500.00	500.00	300.00	300.00
2003-04	461.30 (सं.अनु.)	461.30	252.70	(सं.अनु.) 252.70
2004-05	497.00	497.00	330.00	330.00

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय परिवारों की संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/एकीकृत जनजातीय विकास योजनाओं को सीधे निधियां देने के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा तथा योजना आयोग सहमत नहीं हुए।

(ङ) और (च) ऐसे मामले हुए हैं, जिसमें कतिपय योजना निधियों की अविभाज्यता जैसे विभिन्न कारणों से राज्य सरकारों ने जनजातीय उपयोजना निधियों का जनजातीय जनसंख्या के अनुसार आबंटन नहीं किया।

(छ) और (ज) जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करके जनजातीय उपयोजना का समन्वय एवं निगरानी कर रहा है:

(1) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व विगत निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निरीक्षण दौरा करते हैं।

(4) प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत करने, परियोजनाओं का कार्यान्वयन तीव्र करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र स्तर पर राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग के सचिवों की बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य/क्षेत्र स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद, ब्लाक स्तर पर आईटीडीपी की परियोजना कार्यान्वयन समितियां और पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां भी निधियों के समय से व्यय और योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

(6) लाइन विभागों, कार्यकारी एजेंसियों को राज्य योजना/वित्त और जनजातीय विकास विभागों द्वारा निधियों के वितरण में विलंब को रोकने के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन और उपयोगिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया गया है, जिसमें आईटीडीए/आईटीडीपी-वार विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों को निर्धारित करने का प्रावधान है। मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि आईटीडीपी, माडा क्लस्टर्स, पीटीजी, में जैसा भी मामला हो, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत वास्तविक कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुसार कवर करें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय परिवारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2003-2004 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2004-2005 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता (दिसम्बर, 2004 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	96440	171538	-
2.	असम	42928	42667	23223
3.	बिहार	5429	6588	3998
4.	गुजरात	96762	135482	-
5.	हिमाचल प्रदेश	4888	4743	99060
6.	जम्मू-कश्मीर	-	216	6328
7.	कर्नाटक	16589	29106	-
8.	केरल	1066	5269	-
9.	मध्य प्रदेश	220299	197408	504
10.	महाराष्ट्र	53799	26574	105615
11.	मणिपुर	2425	शून्य	-
12.	उड़ीसा	75732	88458	33258
13.	राजस्थान	87217	88167	1500
14.	सिक्किम	3979	6192	41063
15.	तमिलनाडु	9870	29843	48583
16.	त्रिपुरा	10616	9772	3454

1	2	3	4	5
17.	उत्तर प्रदेश	486	130	107546
18.	पश्चिम बंगाल	32234	30422	1066
19.	झारखंड	-	-	886
20.	छत्तीसगढ़	-	-	918
21.	उत्तरांचल	2415	1091	17802
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1881	1830	316
23.	दमन व दीव	783	772	1113
	जोड़	765838	877018	496135

[हिन्दी]

मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन

6664. श्री अजीत जोगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को संशोधित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग (एन एच आर सी) ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

6665. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) की स्वामित्व वाली भूमि के कुछ हिस्से को, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को आबंटित किया गया था, अभी तक सौंपा नहीं गया है और इसकी वजह से मेट्रो रेल की प्रगति में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) आईटीपीओ को आबंटित की गयी 13373 वर्ग मी. भूमि, भूमि एवं विकास अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन (डीएमआरसी) को डीएमआरसी द्वारा मेट्रो स्टेशन सेतु निर्माण हेतु "जहां है जैसी है" के आधार पर सौंपने के लिए दिनांक 27.4.2005 को पुनः ग्रहण कर लिया गया है।

नागरिकता पहचान-पत्र

6666. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग तथा असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अल्पसंख्यकों के नेता नागरिकता पहचान-पत्र तथा दर्रा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों विशेषकर उन लोगों को पाकिस्तान से, जोकि अब बंगलादेश का भाग है, 1971 से पहले आए थे, को उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि का पट्टा जारी करने हेतु अपनी मांग पर लम्बे समय से जोर देते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान-पत्र और निर्वाचन पंजीकरण ऐसे प्रवासियों की नागरिकता के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं; और

(ग) दर्रों में रह रहे ऐसे प्रवासियों की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सूचित किया कि उन्होंने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकता पहचान-पत्र और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर बंगलादेश प्रवासियों द्वारा दर्रा क्षेत्र में कब्जा की गई भूमि के बारे में भूमि का पट्टा जारी करने हेतु कोई मांग नहीं की है। असम में अल्पसंख्यकों के नेताओं ने, दर्रा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा की गई भूमि के बारे में पट्टा जारी करने की मांग की है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा संगत नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ग) दर्रा क्षेत्रों में बसे प्रवासियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंगलदोई भुटियाचांग सड़क हेतु निधियां

6667. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अव्यपगतनीय सेन्ट्रल पूल संसाधन के अंतर्गत असम के दरांग जिला में मंगलदोई भुटियाचांग सड़क की 5.99 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में से वर्ष 2002-2003 के दौरान मात्र 1.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2003-2005 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधियां को कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) असम में मंगलदोई-भूटियाचांग रोड के कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने वर्ष 2002-2003 के दौरान निधियों की आवश्यकता के अनुसार सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) को 5.99 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत में से 1.21 करोड़ रुपये जारी किये थे।

(ख) और (ग) डोनर मंत्रालय द्वारा जारी किये गये 1.21 करोड़ रुपये से बी आर ओ ने इस सड़क परियोजना के 43.30 कि.मी. से 52.00 कि.मी. के बीच का सुधार कार्य दिसम्बर, 2003 में पूरा कर लिया था। बी आर ओ द्वारा 6 एस पी टी पुलों को बदलने के लिए 4.78 करोड़ रुपये की शेष राशि की मांग की गई क्योंकि ये पुल अच्छी हालत में हैं और उनको बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग

6668. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग की हाल ही में हुई बैठक के पश्चात् कोई वक्तव्य जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-जर्मनी व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका कार्यक्षेप क्या है तथा इसका किस हद तक उन्नयन किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां। 4-5 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के 15वें सत्र के समापन के पश्चात् 5 अप्रैल, 2005 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।

(ख) 4-5 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के 15वें सत्र का आयोजन किया गया था। जर्मन शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री क्लेमेन्ट, एवं श्रम संघ मंत्री तथा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-जर्मन आर्थिक संबंधों में चल रहे विकास में औद्योगिक सहयोग और निवेश की मुख्य भूमिका पर सहमति व्यक्त की थी। दोनों पक्षों का यह विचार था कि सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी, रसायन, भेषज इत्यादि सहयोग की दृष्टि से अच्छी संभावना वाले क्षेत्र हैं। लघु और मझौले उद्यमों तथा मूलभूत अवसंरचना के ऐसे क्षेत्रों जिनमें जर्मनी की विशेषज्ञता प्राप्त है, में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने बायो-डीजल के उत्पादन और उपयोग जिसमें जर्मनी अग्रणी देश है, के संबंध में जर्मनी को प्राप्त अनुभव से लाभ उठाने के लिए अवसरों का पूर्वानुमान लगाया।

भारतीय पक्ष ने वीजा प्रक्रियाओं, एक भाषा प्रलेखन, आईटी व्यावसायिकों हेतु वर्क परमिटों के मुद्दों, कृषि एवं समुद्री उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों सहित भारतीय व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को जर्मनी की सरकार के ध्यान में लाया तथा यूरोपीय संघ द्वारा भारत के विरुद्ध किए

गए पाटनरोधी उपायों और उसके रजिस्ट्रेशन इवैल्यूएशन एवं आथोराइजेशन आफ केमिकल्स (आरईएसीएच) प्रस्तावों के संबंध में जर्मनी से सहायता की मांग की।

दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनोटेक्नोलाजी जैसे ज्ञान-आधारित क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान भारत-जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार 5433.66 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे, जिसमें वर्ष 2002-2003 की तुलना में 20.45% की वृद्धि हुई थी। अप्रैल-फरवरी, 2004-05 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 5,735.62 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे जिसमें वर्ष 2003-04 की इसी अवधि की तुलना में 18.59% की वृद्धि हुई।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार में वस्त्र/कपड़ा उत्पाद, मशीनें और उपकरण, औषध/भेषज, रसायन, चमड़े की वस्तुएं, मशीन के उपकरण, परिवहन उपकरण, धातु के विनिर्माण, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, रत्न/आभूषण इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

6669. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की जा रही उत्पादकता सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सेवाओं हेतु क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए ऋण और अनुदान दिए जाने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्र को आबंटित की गयी निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों के किन-किन स्थानों और किन-किन तिथियों को कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए तथा तत्संबंधी माध्यम क्या रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निम्नलिखित उत्पादकता सेवाएं उपलब्ध कराती है:

* उत्पादकता से संबंधित परामर्शदायी परियोजनाएं
* कार्मिकों के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
* प्रकाशन
* संगोष्ठियां एवं सम्मेलन
* उत्पादकता संबंधी अनुसंधान एवं सर्वेक्षण
* उत्पादकता पुरस्कार

(ख) और (ग) एन.पी.सी. ग्राहकों से प्राप्त की जाने वाली फीस के आधार पर उन्हें सेवाएं प्रदान करती है और उपरोक्त सेवाओं के लिए सरकारी ऋण एवं योजनाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु व्यक्तियों का चयन

6670. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 हेतु "शहरी योजना और डिजाइनिंग" के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त चयनित व्यक्तियों को प्रधान मंत्री द्वारा अब तक पुरस्कृत किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, किन्तु पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सके इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्ष 1998-99 हेतु "शहरी योजना और डिजाइन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार" के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को चुना गया है:-

श्रेणी-I उत्कृष्ट (गुणवत्ता वाले सृजित पर्यावरण को दर्शाने वाली कार्यान्वित शहरी योजना और डिजाइन परियोजनाएं

प्रथम पुरस्कार	जेवीएसएल उपनगर, बेल्लारी (श्री गेरार्ड दे कुन्हा, आर्कटिक्चर आटोनामस, गोवा)
द्वितीय पुरस्कार	कृषि उत्पाद मार्किट परिसर, तरभे, नवी मुंबई *(नगर और औद्योगिक विकास निगम, नवी* मुंबई)
श्रेणी-II	शहरी योजना और डिजाइन में अभिनव विचार/संकल्पनाएं तथा योजनाएं जहां परियोजनाएं अभी भी प्रक्रियाधीन अथवा कार्यान्वयन स्तर पर हैं।
प्रथम पुरस्कार	साबरमती नदी मुहाना विकास परियोजना (साबरमती नदी मुहना विकास निगम, अहमदाबाद)
द्वितीय पुरस्कार	रिस्ट्रक्चरिंग द हिस्टोरिक कोर, हैदराबाद (वास्तु शिल्प कंसल्टेन्ट्स, अहमदाबाद)

(ख) से (घ) ''शहरी योजना और डिजाइन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार'' प्रदान करने हेतु तारीख तय की जा रही है।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बलों को सेवानिवृत्ति लाभ

6671. श्री अनन्त नायक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण हेतु थल सेना, नौ सेना और वायु सेना की तर्ज पर एक सहायता और पुनर्वास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जो कार्मिक, कार्रवाई में मारे गए हैं और जो अपंग हो गए हैं, उनके निकट संबंधियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु बोर्ड का सृजन करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

6672. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले किस तिथि से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान कितने कर्मचारियों का उनके सेवाकाल में ही निधन हुआ;

(घ) उन मृत कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर अब तक रोजगार दिया जा चुका है;

(ङ) उन मृत कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है;

(च) अनेक वर्त बीत जाने के बाद भी मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम

6673. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 19.4.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम में पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले संबंधित राज्यों द्वारा छठे अनुसूचित क्षेत्र की तर्ज पर कानून संशोधित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य अधिनियम में छठे अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधित वित्तीय प्रशासनिक और अन्य प्रावधान करने हेतु कानून बनाने के लिए राज्यों को निर्देश देगी जैसा कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों में अभिकल्पना की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का

विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 की धारा 4(0) के उपबंधों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था है:-

राज्य विधान सभा अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों तक पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था करते समय संविधान की छठी अनुसूची की प्रक्रिया का अनुसरण करने का प्रयास करेगी।

(ख) और (ग) धारा 4(0) के उपबंध सलाहकारी हैं तथा सरकार की राज्य विधानसभाओं को छठी अनुसूची के पैटर्न का अनसुरण करने हेतु बाध्य करने की कोई मंशा नहीं है। इस संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

मुंबई के साल्ट पैन लैंड के मूल्य निर्धारण संबंधी आकलन

6674 श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के साल्ट पैन लैंड के मूल्य निर्धारण संबंधी कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो साल्ट आयुक्तालय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) मुम्बई के साल्ट पैन लैंड साल्ट आयुक्तालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हैं। डीआईपीपी ने बताया है कि मुम्बई के साल्ट पैन लैंड के मूल्य निर्धारण संबंधी कोई आकलन साल्ट आयुक्तालय द्वारा नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

6675. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की भारतीय क्षमता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या श्रम प्रधान उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत को विश्व का 'डिजाइनर हब' बनाने हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(च) क्या इस संबंध में भागीदारों के साथ कोई परामर्श/बैठक की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की भारतीय क्षमता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति लागू की है जिसमें श्रम प्रधान उद्योगों सहित अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। देश में एफडीआई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में उक्त नीति को उत्तरोत्तर उदार बनाना; प्रक्रियाओं को सरल करना; संवर्धन संबंधी समारोहों का आयोजन करना; और निवेश में सुविधा प्रदान करना शामिल है।

(ङ) से (छ) सरकार ने विभिन्न अंशधारकों के साथ परामर्श करके एक राष्ट्रीय डिजाइन नीति तैयार करने के उद्देश्य से कार्य आरंभ किया है। तदनुसार, शिक्षाविदों, उद्योग और डिजाइनरों के साथ परस्पर संपर्क सत्र आयोजित किए गए हैं और इससे डिजाइन नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति

6676. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **गृह मंत्री** 20.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) 20 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 के उत्तर में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति की कार्यान्वयन रिपोर्ट 21 मार्च, 2005 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि राहत व्यय को वित्त पोषित करने की वर्तमान योजना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार से आपदा राहत निधि (सी आर एफ) की समग्र निधि, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में संशोधन किया जाता है, में से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय शुरू करने की अपेक्षा की जाती है। गंभीर स्वरूप की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से भी राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2004-05 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 177.81 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी जिसमें से 133.36 करोड़ रुपये केन्द्र का और 44.45 करोड़ रुपये राज्य का अंशदान था। 2004-05 के दौरान केन्द्र के हिस्से की पूरी धनराशि जारी कर दी गई थी।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचेरपुर गांव में पेड़ों के गिरने की प्राकृतिक आपदा अपेक्षाकृत छोटी और स्थानीय है, इसलिए राज्य सरकार से उसे गृह मंत्रालय को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी और वह राज्य सरकार की जिम्मेवारी में ही आती थी।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. पूछताछ कार्यालयों में सिविल और इलैक्ट्रिकल फर्मों का पंजीकरण

6677. श्री रनेन बर्मन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और उसके बाहर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में सिविल और इलैक्ट्रिक फर्मों के पंजीकरण के लिए कोई नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के विभिन्न पूछताछ कार्यालयों द्वारा विभिन्न पंजीकृत सिविल और इलैक्ट्रिक फर्मों को निविदाएं प्रदान करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली तथा उससे बाहर विभिन्न के.लो.नि.वि. सेवा केन्द्रों में सिविल तथा वैद्युत फर्मों के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

(ग) नीति के अनुसार के.लो.नि.वि. को सौंपे गए मूल कार्य तथा कुछ किस्म के मरम्मत कार्य निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने के पश्चात् ठेका देकर कराए जाते हैं। केवल कुछ दैनंदिन मरम्मत कार्य सामान्यतः विभागीय कामगारों से कराए जाते हैं।

अग्निशमन उपकरण

6678. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ भागों में न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड (एन.डी.पी.एल.) द्वारा की गयी सुरक्षा लेखापरीक्षा से यह पता चला है कि कुछ विद्यालयों, अस्पतालों, सिनेमाघरों में अग्निशमन उपकरणों का अभाव है और इन्हें असुरिक्षत पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सार्वजनिक स्थानों को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां। नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एन डी पी एल) ने जुलाई, 2002 में एक सुरक्षा जांच (आडिट) आयोजित की थी और उन्होंने उपभोक्ताओं को विद्युत प्रतिष्ठानों में कमियों के बारे में बताया था।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि भवन उप नियम, 1983 के प्रवर्तन के पश्चात् निर्मित अस्पताल भवनों और सिनेमाघरों में कानून के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सिनेमाघरों में चलचित्र की नियमों के अनुसार भी अपेक्षित अग्निशमन सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। जहां तक विद्यालय भवनों में अग्निशमन सुरक्षा का संबंध है, भवनों की ऊंचाई का ध्यान किए बिना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों द्वारा पालन किए जाने हेतु व्यापक अग्निशमन सुरक्षा अनुदेश जारी किए हैं।

मुस्लिम महिलाओं का शोषण

6679. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुस्लिम महिला-पुरुष दोनों के लिए माडल निकाहनामा संबंधी दिशानिर्देशों वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेटेंट कानून संबंधी मुद्दे

6680. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय पेटेंट कानून संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विशेषज्ञ समूह को कौन-कौन से विशिष्ट क्षेत्र सौंपे गये हैं; और

(घ) यह विशेषज्ञ समूह कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) पेटेंट कानून संबंधी कुछ विशेष मामलों पर एक तकनीकी विशेषज्ञ दल का गठन कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1)	डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	– अध्यक्ष
(2)	प्रो. गोवर्धन मेहता, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	– सदस्य
(3)	प्रो. आसीस दत्ता, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट फार प्लांट जेनोम रिसर्च, नई दिल्ली	– सदस्य
(4)	प्रो. माधव मेनन, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, भोपाल	– सदस्य
(5)	प्रो. मूलचन्द शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल	– सदस्य

दल के विचारणीय विषय निम्नानुसार हैं:

(1) क्या भेषजीय पदार्थ के लिए पेटेंट प्रदानगी को इस प्रकार सीमित करना ट्रिप्स के अनुकूल होगा कि केवल ऐसे नए रासायनिक तत्वों अथवा नए चिकित्सा तत्वों के लिए हो जिन में एक या अधिक आविष्कारात्मक चरण शामिल हों, और

(2) क्या सूक्ष्म-जीवों को पेटेंटिंग से अलग रखना ट्रिप्स के अनुकूल होगा।

दल ने अपनी पहली बैठक का आयोजन 29 अप्रैल, 2005 को किया। दल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

6681. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् आज तक राजस्थान को शहरी विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता जारी की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत जोधपुर के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार पिछड़ा जिला श्रेणी के अंतर्गत जोधपुर के लिए विशेष पैकेज देने/वित्तीय सहायता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में भागीदारी के आधार पर 1991/2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों को पाईप लाइन से जल आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को सहायता मुहैया करायी जाती है। विकास की संभावना वाले तथा 1991 की जनगणना के अनुसार पांच लाख तक की आबादी वाले कस्बों में अवस्थापनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने/बढ़ाने के लिए छोटे एवं मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आईडीएसएमटी) के तहत भी सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों में इन दो स्कीमों के तहत राजस्थान राज्य को जारी वित्तीय सहायता निम्नलिखित है:

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.

वर्ष	राशि (लाख रु.)
2002-03	568.48
2003-04	1012.85
2004-05	1545.97

आई.डी.एस.एम.टी.

वर्ष	राशि (लाख रु.)
2002-03	282.79
2003-04	421.01
2004-05	721.67

इसके अतिरिक्त वायुसेना के सुरक्षा विमानों को पक्षियों से होने वाले संकट को रोकने तथा भारतीय वायुसेना के कार्मिकों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए जोधपुर के एयरफील्ड कस्बे में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकास की केन्द्र क्षेत्र की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इस स्कीम के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी) को 14.5297 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

(ख) मार्च, 1999 में राजस्थान राज्य को "विशेष केन्द्रीय सहायता" के तहत गत तीन वर्षों के दौरान जोधपुर कस्बे की शहरी जल आपूर्ति स्कीम पर खर्च की गयी राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	खर्च की गयी राशि (लाख रु. में)
2002-2003	176.00
2003-04	773.86
2004-05	190.00

(ग) और (घ) जी, नहीं। जोधपुर जिला राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के पिछड़ा जिला पहल के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की मौतें

6682. श्री [illegible]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश/दिल्ली से संबंधित अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है जिनकी सेवा काल के दौरान मौत हुई;

(ख) बल-वार और पदनाम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश/दिल्ली से संबंधित अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों की कुल संख्या जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई, नीचे दी गई है:

वर्ष	2002	2003	2004
संख्या	101	128	138

(ख) 2002-2004 के दौरान, उत्तर प्रदेश/दिल्ली से संबंधित जिन कर्मियों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई उनके बल-वार और पदनाम-वार ब्योरे निम्न प्रकार हैं:

पद	असम राइफल्स	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	एस एस बी
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय कमान अधिकारी	-	-	1	-	-	-
उप कमांडेंट	-	1	-	-	-	-
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	-	-	1	-	-	-
सहायक कमांडेंट	-	2	1	-	-	-
सब मेजर/ओ एस	-	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
निरीक्षक		-	4	-	-	-
उप-निरीक्षक/एस यु बी	[illegible]	6	11	16	1	-
सहायक उप निरीक्षक/एल एन के	1	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
हैड कांस्टेबल	11	23	41	[illegible]	[illegible]	[illegible]
लांस नायक	1	1	-	-	[illegible]	-
कांस्टेबल/राइफल मैन	15	47	56	37	16	1
फोलोअर्स	-	6	12	10	-	-
कुल	31	89	130	95	21	1

(ग) से (ङ) वर्ष 2002 से 2004 तक के दौरान अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियां निम्न प्रकार हैं:

केन्द्रीय पुलिस बल	अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों के मामले
असम राइफल्स	1
सीमा सुरक्षा बल	17
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	42
एस एस बी	1

अन्य मामलों में, या तो मृतक के आश्रितों ने आवेदन नहीं किया है या अनुरोध को मानदण्डों के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए धनराशि का आबंटन

6683. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूंकप से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त/अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में अब तक पूरा किये पुनर्निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है।

भारत-पाक का यूरोपीय संघ को निर्यात

6684. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान का पच्चीस राष्ट्रों वाले यूरोपियन यूनियन बाजार को निर्यात दिनांक 2 अप्रैल, 2005 से बराबर समझा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा किस तिथि को प्राथमिकता योजना की अपनी संशोधित सामान्यकृत प्रणाली शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विकासशील देशों का निर्यात यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शुल्कमुक्त होता है अथवा कम शुल्क दर पर होता है;

(घ) क्या यह संशोधित योजना कमजोर अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों को एक नए सौदे की पेशकश करती है;

(ङ) क्या भारत और पाकिस्तान उन विकासशील देशों की सूची में शामिल नहीं है जो जीएसपी-प्लस के हकदार हैं और इसे यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाए जाने की संभावना है;

(च) क्या जीएसपी योजना के अंतर्गत श्रीलंका इस सूची में शामिल है और बांग्लादेश अपने सभी निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त और कोटामुक्त प्रवेश का हकदार है;

(छ) यदि हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन से स्वयं को जीएसपी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो यूरोपीय यूनियन की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) अक्तूबर, 2004 में यूरोपीय आयोग ने 1 जुलाई, 2005 से प्रभावी संशोधित अधिमानी सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) आरम्भ करने का एक प्रस्ताव अंगीकार किया था। इस प्रस्ताव की यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा जांच की जा रही है। यद्यपि 1 अप्रैल, 2005 से संशोधित जीएसपी स्कीम को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने का एक प्रस्ताव किया गया था तथापि यह लागू नहीं हो पाया है।

(ग) से (च) यूरोपीय संघ अपनी जीएसपी स्कीम के अंतर्गत विकासशील देशों से आयातित अनेक उत्पादों के लिए या तो घटी हुई अथवा शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराता है। ईयू-जीएसपी के संशोधन प्रस्ताव में उन संवेदनशील देशों को विशेष लाभ उपलब्ध कराने के लिए ''जीएसपी+'' जो स्वापकों के विरुद्ध संघर्ष और ''हथियारों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु'' व्यवस्था सहित सामाजिक, मानवाधिकार, पर्यावरणीय संरक्षण एवं विनियमन से संबंधित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को स्वीकार करते हैं जिसमें बंगलादेश सहित विश्व के सबसे गरीब 50 देशों को सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त और कोटामुक्त पहुंच प्रदान की जाती है। ''जीएसपी+'' के लिए पात्र देशों की सूची को अधिसूचित नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) भारत सरकार ने नई जीएसपी स्कीम की ''जीएसपी'+'' व्यवस्था के अंतर्गत सुनामी विनाश के कारण भारतीय मत्स्य पालन उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने हेतु यूरोपीय आयोग (ईसी) के साथ इस मामले को उठाया है। तथापि, ईसी ने किसी देश के अलग-अलग क्षेत्रों को ''जीएसपी+'' व्यवहार प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ऐसा व्यवहार प्राप्त करने की शर्तें पूरी नहीं करता है।

बहुद्देश्यीय चक्रवात शरण स्थलों की स्थापना

6685. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चक्रवात प्रभावित राज्यों में बहुद्देश्यीय चक्रवात शरण स्थलों की स्थापना के लिए जर्मनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विदेशी सहायता से आज तक राज्य-वार ऐसे कितने शरण स्थल स्थापित किये गये; और

(घ) उक्त विदेशी सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी हां। श्रीमान भारत सरकार को उड़ीसा चक्रवात शरणस्थल चरण-I और II हेतु यूरो 2.556 मिलियन (डी एम 5 मिलियन) अनुदान और यूरो 5.113 मिलियन (डी एम 10 मिलियन)-अनुदान की राशि जर्मनी (के एफ डब्ल्यू) से वित्तीय सहायता के रूप में मिली है। यह परियोजना मई, 1996 से कार्यान्वित की जा रही है। जर्मनियों द्वारा प्रदान की गई धनराशि का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

(1) उड़ीसा के तटीय गांवों में बहुउद्देशीय चक्रवात शरणस्थलों का निर्माण,

(2) चक्रवात आपदाओं में इस्तेमाल किए जाने के लिए कार्य बल सदस्यों हेतु उपकरणों का प्रावधान।

(3) आपदा तैयारी और आपदा प्रबन्धन पर लक्षित जनसंख्या को प्रशिक्षण, तथा

(4) शरणस्थल अनुरक्षण के लिए प्रणाली का कार्यान्वयन।

भारत सरकार ने भारतीय रेड क्रास सोसायटी/उड़ीसा शाखा (परियोजना निष्पादन एजेंसी) को (उड़ीसा सरकार के माध्यम से) अनुदान के रूप में वित्तीय योगदान भेजा है। परियोजना के चरण-I के लिए समग्र वितरण कर दिया गया है तथा परियोजना के चरण-II के लिए (मार्च 2005 तक) यूरो 1.396 मिलियन वितरित किए गए हैं।

महिला अध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने हेतु समिति का गठन

6686. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से देश में विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर महिलाओं के अध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने के लिए स्थायी समिति गठित करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत महिलाओं के अध्ययन केन्द्रों की स्थिति वांछित स्तर से बहुत नीचे होने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने महिलाओं के अध्ययन केन्द्रों की नियमित जांच के लिए एक 5 सदस्यीय स्थायी समिति गठित की है जो इसकी आवधिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नौवीं योजनावधि के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में 34 महिला अध्ययन केन्द्र थे जिनकी समीक्षा की गई थी और उन्हें दसवीं योजना अवधि में जारी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, दसवीं योजनावधि के दौरान अब तक विश्वविद्यालयों में 21 नए महिला अध्ययन केन्द्र और कालेजों में 9 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6687. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने राजनैतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन में गांधी पर संपूर्ण पेपर को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पेपर को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एम.ए. (राजनीति विज्ञान) के पूर्व-संशोधित पाठ्यविवरण में गांधीवादी चिंतन एवं कार्य संबंधी एक वैकल्पिक पेपर था। छात्रों के केवल एक छोटे से वर्ग द्वारा यह पेपर रखा जाता था और अधिकांश छात्र गांधीवादी चिंतन को जानने तथा समझने के अवसर से वंचित रह जाते थे। अत: संशोधित पाठ्यविवरण में गांधीवादी चिंतन तथा विचाराधारा को विभिन्न अनिवार्य पाठ्यक्रमों के एक अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता

6688. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी सम्बद्धता को अद्यतन बनाने की सिफारिशों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कितने कालेजों को सम्बद्धता प्रदान की गई और कितने कालेजों को वर्ष 2005 के दौरान सम्बद्धता दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के संबद्ध प्रावधानों के तहत कालेजों/संस्थाओं को संबद्धन प्रदान करने संबंधी कार्यविधिक दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है। इस समिति ने विश्वविद्यालय के साथ संबद्धन की मांग करने वाली संस्थाओं से एकबारगी मान्यता शुल्क तथा वार्षिक संबद्धन शुल्क की उगाही की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के स्तर के आधार पर यह उगाही

1.00 लाख रु. से 10.00 लाख रु. तक भिन्न-भिन्न होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समिति की सिफारिशों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

(ङ) विश्वविद्यालय के विशाल आकार और कालेज शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण की आवश्यकता के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धन बड़ी मुश्किल से प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल दो संस्थाओं को ही संबद्धन प्रदान किया गया है और मौजूदा वर्ष के दौरान संबद्धन प्रदान किए जाने वाले कालेजों की संभावित संख्या बताना संभव नहीं है।

[illegible]

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के विकास हेतु कृतिक दल

6689. श्री महावीर भगोरा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के संबंध में 4 अगस्त, 2004 को एक कृतिक दल का गठन किया था जिसने 9 नवम्बर, 2004 को मुख्य कृतिक दल को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास पर 4 अगस्त, 2004 को एक अंतःमंत्रालय कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने और चार उप-दल गठित किए जिनमें से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक दल से 9 नवम्बर, 2004 को अपने मुख्य कार्यदल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उपदलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों एवं विचार-विमर्श के पश्चात कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

हॉस्टल/आश्रम स्कूल

6690. श्री एम. शिवन्ना:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से वर्ष 2004-05 में छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अनुदान जारी करने और आश्रमों की तर्ज पर स्कूलों का उन्नयन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर कर्नाटक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अनुदान कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) अनुसूचित जनजाति के लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण योजना और जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना योजना दो स्वतंत्र योजनाएं हैं। छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति हेतु राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, योजनाओं के अधीन सहायता अनुदान की निर्मुक्ति प्रस्ताव के सभी रूपों में पूर्ण होने अर्थात् मुफ्त भूमि की उपलब्धता, 50% राज्य के हिस्से की उपलब्धता की पुष्टि, पूर्ववर्ती वर्षों में मंजूर प्रस्तावों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट और निधियों की उपलब्धता, पर ही की जाती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय आश्रमों की तर्ज पर स्कूलों के उन्नयन जैसी किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

विवरण

योजना: अ.जा.अ.ज.जा. के लड़कों लड़कियों के लिए छात्रावास

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त अनुदान 2004-05
1	2	3
1.	गुजरात	67.60
2.	मध्य प्रदेश	300.00
3.	कर्नाटक	120.00

1	2	3
4.	महाराष्ट्र	242.04
5.	नागालैण्ड	151.00
6.	आई.आई.टी. दिल्ली	234.88
7.	झारखंड	98.86
8.	अरूणाचल प्रदेश	20.50
9.	पंजाब यूनीवर्सिटी चण्डीगढ़	66.12
	कुल	1300.00

योजना: जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त अनुदान 2004-05
1.	गुजरात	86.49
2.	मध्य प्रदेश	300.00
3.	कर्नाटक	77.51
4.	महाराष्ट्र	86.00
	कुल	550.00

राज्यों की राजधानियों को केन्द्रीय सहायता

6691. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वर्तमान शहरी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका राज्यों की राजधानियां लाभ उठा सकती हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्यों की राजधानियों को शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों की राजधानियों को ऐसी सहायता नहीं मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) वर्तमान में केवल राज्य की राजधानियों को सहायता देने के लिए कोई शहरी विकास स्कीम नहीं है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित शहरी विकास स्कीमें संचालित की जाती हैं:

(1) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

यह स्कीम वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए लागू है। यह स्कीम पांच राज्यों की राजधानियों अर्थात् मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई तथा कोलकाता में कार्यान्वित की जा रही है।

(2) छोटे एवं मझोले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी)

इस स्कीम का उद्देश्य विकास की संभावना वाले तथा वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक आबादी वाले कस्बों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराना/बढ़ाना है।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

यह स्कीम वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के लिए लागू है।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान की स्कीम

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम (राज्य की राजधानियों सहित) में अवस्थापना विकास परियोजनाओं को स्वीकृति इस उद्देश्य के लिए वार्षिक रूप से रखे गये दस प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान में से दी जाती है।

(5) एयर फील्ड वाले नगरों में ठोस कचरा प्रबंधन तथा जल निकास

इस स्कीम का उद्देश्य वायुसेना के विमानों को पक्षियों से होने वाले संकट, जो हवाई दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, को रोकने के लिए दस चुनिंदा एयरफील्ड वाले नगरों में ठोस कचरा प्रबंधन तथा जल निकास सहित समुचित सफाई सुविधाएं मुहैया कराना है। तथापि, दस चुनिंदा एयरफील्ड वाले नगरों में से कोई भी राज्य की राजधानी नहीं है।

उपर्युक्त क्रम सं. (1) से (4) में उल्लिखित स्कीमों के तहत राज्य की राजधानियों में शुरू की गयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनकी शुरूआत से दिनांक 31.3.2005 तक दी गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

मेगा सिटी स्कीम

शहर	करोड़ रुपये में
मुंबई	311.85
हैदराबाद	257.72
बंगलौर	228.84
चेन्नई	244.28
कोलकाता	291.73
कुल	1334.44

आईडीएसएमटी: संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

एयूडब्ल्यूएसपी: मार्च, 1998 में एयूडब्ल्यूएसपी के तहत अरूणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के लिए जल आपूर्ति स्कीम अनुमोदित की गई थी और 83.29 लाख रुपये का केन्द्रीय अंशदान जारी किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान की स्कीम

ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य की राजधानियां, जिनकी आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से कम/5 लाख से अधिक/20,000 से अधिक है, क्रमशः मेगा सिटी स्कीम, आईडीएसएमटी स्कीम तथाएयूडब्ल्यूएसपी के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।

विवरण I

31.3.2005 तक आईडीएसएमटी स्कीम के तहत शामिल की गयी राज्य की राजधानियों की सूची तथा जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	नगर	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	रायपुर	छत्तीसगढ़	90.00
2.	पणजी	गोवा	65.50
3.	इम्फाल	मणिपुर	46.00
4.	शिलांग*	मेघालय	225.40
5.	एजवाल*	मिजोरम	141.40
6.	कोहिमा*	नागालैंड	73.00
7.	गंगटोक	सिक्किम	29.75
8.	अगरतला*	त्रिपुरा	121.87
9.	देहरादून	उत्तरांचल	105.00

*इन राज्य की राजधानियों को आईडीएसएमटी के तहत 2 बार शामिल किया गया, शुरू में पुरानी स्कीम के तहत जिसमें उदार ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था तथा बाद में अगस्त, 1995 की संशोधित स्कीम के तहत जिसमें अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था। तदनुसार उपर दिखाई गई धनराशि में शिलांग के लिए 185.40 लाख रुपये, एजवाल के लिए 62.40 लाख रुपये, कोहिमा के लिए 33.00 लाख रुपये तथा अगरतला के लिए 88.12 लाख रुपये की अनुदान सहायता शामिल है।

विवरण II

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान की स्कीम के तहत राज्य की राजधानियों में स्वीकृत अवस्थापना परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि

(31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य की राजधानी का नाम	राज्य का नाम	जारी धनराशि
1.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	2591.16
2.	गुवाहाटी	असम	3660.84
3.	इम्फाल	मणिपुर	2440.62
4.	शिलांग	मेघालय	2948.82
5.	एजवाल	मिजोरम	3978.60
6.	कोहिमा	नागालैंड	1317.59
7.	गंगटोक	सिक्किम	3763.12
8.	अगरतला	त्रिपुरा	4531.28

'शांति शिक्षा' शुरू करना

6692. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूली पाठ्यक्रम में 'शांति शिक्षा' शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्रों के लिए यह एक नया विषय होगा;

(घ) क्या सरकार की योजना इस 'शांति शिक्षा' को अध्यापकों की सेवाकालीन और सेवा-पूर्व शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की समीक्षा कर रही है। इस परिषद् द्वारा पाठ्यचर्या समीक्षा के प्रयोजनार्थ गठित 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों में से एक समूह ''शांति शिक्षा'' से संबंधित है। शिक्षा एक मुख्य लक्ष्य एवं प्रयोजन शांति शिक्षा ही है और यह अपने आप में और अन्यों के साथ जिनमें प्रकृति भी शामिल है, मेल-मिलाप के साथ रहने हेतु अपेक्षित मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा कौशलों का पोषण करती है। शांति शिक्षा को एक समग्र सरोकार के रूप में देखा जाना चाहिए जो संपूर्ण स्कूल जीव व्यापी पाठ्यचर्या, शिक्षण-कक्ष परिवेश, स्कूल प्रबंधन शिक्षक-विद्यार्थी संबंध, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया और सम्पूर्ण स्कूल कार्यकलापों में व्याप्त है। स्कूल प्रणाली में शांति के मार्ग में अड़चने पाठ्यचर्या बोझ तथा ऐसे पाठ्यक्रम जो बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त न हो, और अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली, जिससे हताशा एवं असुरक्षा की भावना आए, के कारण आ सकती है। अत:, शांति शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इसे संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) शांति को बढ़ावा देने और स्वयं शांति के पथ पर चलने में शिक्षकों को सक्षम बनाने हेतु उन्हें सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने से भी संपूर्ण पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा संबंधी घटक शामिल हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

कृषि निर्यात

6693. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न जिन्सों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि और बागान जिन्सों पर से निर्यात उपकर हटा लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों के लिए निर्यात बाध्यताओं को भी 8% से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने तथा लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए देश में शीतागार श्रृंखलाओं और भाण्डागार पार्कों की शुरूआत की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों और उनके मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करके उनके निर्यात संवर्धन की दृष्टि से दिनांक 31.08.2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति में विशेष कृषि उपज योजना की घोषणा की थी। दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को घोषित और दिनांक 1.04.2004 से अद्यतन किए गए विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक अंक में ''दुग्ध, कुक्कुट और उनके मूल्यवर्द्धित उत्पादों'' के निर्यात को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाभों के लिए शामिल किया गया है।

चूंकि निर्यात बाह्य कारकों समेत अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं इसलिए निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस नीतिगत परिदृश्य के साथ कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, कृषि एवं बागान वस्तुओं पर निर्यात उपकर की समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उपकर की समाप्ति के विशिष्ट कारण हैं-निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करना; भारतीय कृषि निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और कृषि उत्पादों के निर्यात में सौदा लागत को कम करना।

(ङ) और (च) विदेश व्यापार नीति, 2004-09 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से ईपीसीजी स्कीम के तहत इस क्षेत्र के लिए कुछेक निर्यात संवर्धन उपायों की घोषणा की गयी है। इनमें ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत कृषि इकाइयों के मामले में 5% सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देना बशर्ते कि 8 वर्ष की अवधि में बचाए गए शुल्क की बजाय लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि में बचाए गए शुल्क के 6 गुने के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति कर दी गयी हो।

(छ) जी, हां।

(ज) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर कोल्ड चेन एवं शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की है। एपीडा ने सहारनपुर, लखनऊ, माल्दा, फतेहाबाद, रत्नागिरी, वाशी, जालना तथा सिद्धदुर्ग में आमों और अन्य फलों के लिए पैकहाउसों तथा इंदापुर में प्याज हेतु एक पैकहाउस की स्थापना भी की है। एपीडा ने उत्पाद की प्रतीक्षावधि को बढ़ाने के लिए विशिष्टीकृत शीतागारों की स्थापना हेतु निर्यातकों को सहायता भी प्रदान की है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

6694. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वित्तीय सहायता से शुरू की गई राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि के दौरान इस परियोजना को जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कार्यक्रम को दिसम्बर, 2002 तक जारी रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने दिसम्बर, 2002 के पश्चात् सहायता रोक दी क्योंकि इस कार्यक्रम ने स्कूल शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थानीकरण का अपना मुख्य उद्देश्य प्राप्त कर लिया था।

(ग) और (घ) यद्यपि जनसंख्या शिक्षा स्कूली शिक्षा तथा शिक्षकों की शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई, भारत सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी सहायता से निम्नलिखित कारणों से जारी रखने का निर्णय लिया:

(1) स्कूली शिक्षा तथा शिक्षकों की शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया में एच आई वी/एड्स तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग के तत्वों सहित किशोरावस्था प्रजननात्मक तथा यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता थी।

(2) शिक्षकों की शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण-पठन प्रक्रिया के अन्तर्गत जनसंख्या तथा विकास से सम्बन्धित उभरते मुद्दों जैसे कि सतत् विकास, स्त्री-पुरुष समानता, प्रजननात्मक अधिकारों, परिवार की परिवर्तनशील संरचना तथा परिवार के सदस्यों की भूमिका को अभी तक एकीकृत किया जाना था।

तंबाकू क्षेत्र

6695. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं;

(ख) इन समस्याओं को कम करने हेतु अभी तक क्या एहतियाती और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या तंबाकू उत्पादक राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के किसानों का तंबाकू का सारा स्टाक सरकारी एजेंसियों ने खरीद लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख कठिनाई, तंबाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल की मात्रा की तुलना में एफसीवी तंबाकू के अधिक व अनधिकृत उत्पादन का होना है।

(ख) निर्धारित मात्रा से अधिक एवं अनधिकृत उत्पादन पर जुर्माना लगाकर, उपजकर्ताओं को फसल की अधिकृत मात्रा से अधिक तम्बाकू का उत्पादन करने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है।

(ग) और (घ) एफसीवी तंबाकू का विपणन तंबाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर किया जाता है जहां व्यापारियों, निर्यातकों और विनिर्माताओं द्वारा तंबाकू की खरीद की जाती है। पिछले तीन वर्षों में तंबाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर लाए गए समग्र उत्पाद की बिक्री कर दी गई है।

[हिन्दी]

फर्जी जाति प्रमाणपत्र

6696. श्री अधीर चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद ऐसे कितने गिरोहों को पकड़ा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी, हां। अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2002	–	–
2003	1	4
2004	1	3
2005 (30 अप्रैल तक)	2	5

दिल्ली पुलिस ऐसे कदाचार में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कानून की समुचित धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भवनों और अनधिकृत निर्माणों को ढहाना

6697. श्री हितेन बर्मन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद आज की तारीख तक दिल्ली में ढहाए गए भवनों और अनधिकृत निर्माणों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रभावित लोगों को, यदि कोई मुआवजा प्रदान किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त भवनों को ढहाने हेतु अधिकांश संबंधित व्यक्तियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान 561 अनधिकृत भवन गिराए गए हैं जिनका जोन-वार ब्यौरा निम्नवत है:

रोहिणी जोन	347
दक्षिण-पूर्वी जोन	7
दक्षिण-पश्चिमी जोन	70
पश्चिमी जोन	3
पूर्वी जोन	28
उत्तरी जोन	106

दिल्ली नगर निगम ने 4278 अनधिकृत निर्माण गिराए हैं जिनका जोनवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

नरेला जोन	128
शाहदरा (उत्तरी जोन)	417
शाहदरा (दक्षिण) जोन	539
सिविल लाइन जोन	363
दक्षिणी जोन	460
केन्द्रीय जोन	486
करोल बाग जोन	376
सिटी जोन	286
एस पी जोन	376
पश्चिमी जोन	310
रोहिणी जोन	384
नजफगढ़ जोन	153

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस अवधि के दौरान 100 ढांचे गिराए जाने की सूचना दी है।

दिल्ली कैन्टनमेंट बोर्ड ने 60 भवन और अनधिकृत निर्माण गिराए जाने की सूचना दी है।

(ख) संगत अधिनियमों में अवैध और अनधिकृत निर्माण गिराने के लिए कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं।

मसालों का व्यापार

6698. **श्री पी.सी. थामस:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के मसालों और प्रत्येक राज्य से किए गए संगत निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के मसालों का आयात किया गया;

(ग) शुल्क अदायगी योजना के अंतर्गत कितनी मात्रा में विभिन्न मसालों का आयात किया गया;

(घ) ईओयू यूनिट स्कीम और शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत कितनी मात्रा में मसालों का आयात किया गया;

(ङ) क्या धोखाधड़ी से भी आयात किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(छ) क्या कोच्चि पत्तन, आईसीडी जयपुर, आईसीडी दिल्ली और आईसीडी रेवाड़ी पर लौंग और इलायची का आयात करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा शुल्क मुक्त आयात और विभिन्न पत्तनों पर बीजक के आयात के कारण भारतीय मसाला किसानों के हित की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पटना में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र बंद करना

6699. **श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा बिहार में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) देश में राज्य-वार इस समय कितने खेल प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पटना में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र (एन.एस.टी.सी.) चल रहा है तथा फुटबाल, कबड्डी, टेबल टेनिस,

वालीबाल तथा बास्केटबाल की खेल विधाओं में चयनित खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान एस.टी.सी. पटना में 61 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों से भारतीय प्राधिकरण बिहार के नालंदा, बेगुसराय और भोजपुर में तीन एन.एस.टी.सी. स्कूल, दानापुर में एक ए.बी.एस.सी. केन्द्र, पटना में एक भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र तथा मुजफ्फरपुर, किशनगंज और गिद्धौर में तीन एस.ए.जी. केन्द्र चला रहा है। इस राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के उपर्युक्त केन्द्रों में फुटबाल, कबड्डी, टेबल टेनिस, वालीबाल, बास्केटबाल, एथलेटिक्स, हाकी और कुश्ती की खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य में वर्ष 2002-03 के दौरान 248 प्रशिक्षणार्थियों, वर्ष 2003-04 के दौरान 348 प्रशिक्षणार्थियों तथा 2004-05 के दौरान 364 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था।

(घ) इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण पूरे देश में 57 भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण दर्शाई गई है।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों की राज्य-वार/क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्यों के नाम	भाखेप्रा केन्द्र	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, सिकन्दराबाद	175	38	213
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, इलूरू	53	-	53
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, विशाखापत्तनम	40	68	108
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, मेदक	18	-	18
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, कुरनूल	62	-	62
2.	अंडमान और निकोबार आईजल	वि.क्षे.खे., पोर्टब्लेयर	70	38	108
3.	बिहार	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	61	-	61
		वि.क्षे.खे, मुजफ्फरपुर	61	02	63
		वि.क्षे.खे., किशनगंज	40	-	40
		वि.क्षे.खे., गिद्दौर	31	-	31
4.	चण्डीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	क्षेत्रीय केन्द्र-भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़	-	68	68
5.	छत्तीसगढ़	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, राजनन्दगांव	42	-	42
6.	दिल्ली	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली-विस्तार केन्द्र जोहरी	155	93	248

1	2	3	4	5	6
		उत्कृष्टता केन्द्र, दिल्ली	02	01	03
7.	गुजरात	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर	113	27	140
		उत्कृष्टता केन्द्र, गांधीनगर	34	02	36
8.	गोवा	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, पोण्डा	87	81	168
9.	हिमाचल प्रदेश	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	52	-	52
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मशाला	-	82	82
10.	हरियाणा	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, भिवानी	89	-	89
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, कुरूक्षेत्र	81	-	81
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार-विस्तार केन्द्र, चौटाला	47	52	99
11.	झारखंड	वि.क्षे.खे. केन्द्र, रांची	36	32	68
12.	जम्मू-कश्मीर	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, उधमपुर	49	-	49
13.	कर्नाटक	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलूर	178	64	242
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, धारवाड़	66	19	85
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, मेदीकरी	-	29	29
		उत्कृष्टता केन्द्र, बंगलूर	77	25	102
14.	केरल	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, कोलाम	93	95	188
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	73	35	108
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिचूर	54	40	94
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, कालीकट	63	01	64
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, एलप्पी	27	34	61
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, तेल्लीचेरी	33	70	103
		उत्कृष्टता केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	06	08	14
15.	मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	93	14	107
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, धार	91	59	150
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर	104	105	209
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, टीकमगढ़	20	20	40

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, मुम्बई	103	25	128
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, औरंगाबाद	96	12	108
17.	उड़ीसा	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, धेनकनाल	57	–	57
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, कटक	57	25	82
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, जगतपुर	25	18	43
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, सुन्दरगढ़	31	25	56
18.	पंजाब	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, पटियाला	76	08	84
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, बादल	–	66	66
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, मस्ताना साहिब	50	–	50
		उत्कृष्टता केन्द्र, पटियाला	57	27	84
19.	पांडिचेरी	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, पांडिचेरी	90	–	90
20.	राजस्थान	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	55	–	55
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	87	03	90
21.	तमिलनाडु	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई	85	42	127
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, सलेम	97	24	121
		वि.क्षे.खे. केन्द्र, नागरकोईल	38	09	47
22.	उत्तर प्रदेश	उप-केन्द्र/भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ	105	70	175
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, रायबरेली	49	03	52
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, सैफई इटावा	71	–	71
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	08	15	23
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली	14	31	45
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी	26	–	26
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	50	29	79
		उत्कृष्टता केन्द्र, लखनऊ	13	11	24
23.	उत्तरांचल	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर	74	20	94
24.	पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय केन्द्र, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता	108	59	167
		भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, बर्द्धवान	27	–	27

पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	भाखेप्रा	बालक	बालिका	कुल
1.	असम	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, गोलाघाट	34	43	77
		उपकेन्द्र/भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी	67	50	117
2.	अरूणाचल प्रदेश	वि.क्षे.खे. नाहरलगून	55	27	82
3.	मणिपुर	क्षेत्रीय केन्द्र/भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, इम्फाल	123	101	224
		वि.क्षे.खे., उतलोव	84	–	84
		वि.क्षे.खे., इम्फाल	186	150	336
		उत्कृष्टता केन्द्र, इम्फाल	27	49	76
4.	मेघालय	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग	114	37	151
5.	मिजोरम	वि.क्षे.खे., आईजोल	62	70	132
6.	नागालैंड	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, दीमापुर	71	08	79
7.	त्रिपुरा	वि.क्षे.खे., अगरतला	76	12	88
8.	सिक्किम	वि.क्षे.के., नामची	46	–	46
		कुल:	945	547	1492

[अनुवाद]

कन्नड़ भाषा को लोकप्रिय बनाना

6700. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कन्नड़ भाषा के प्रचार-प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य योजना की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्य योजना को लागू करने के लिए कितनी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कन्नड़ भाषा के प्रचार-प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सरकार कन्नड़ सहित सभी भारतीय भाषाओं के विकास और प्रोन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार की कई स्कीमें और कार्यक्रम चल रहे हैं जिनका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कन्नड़ भाषा में पुस्तकों और सामग्रियों (श्रव्य-दृश्य सामग्री सहित) के प्रकाशन, अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण, पुस्तकों के प्रकाशन और थोक खरीददारी के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सहायता अनुदान तथा छोटी पत्रिकाओं को सहायता, आदि कार्यों में संलग्न है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा कन्नड़ भाषा में उत्कृष्ट कृतियों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तकों और अनूदित कृतियों को प्रकाशित करके, पुस्तक मेले, पुस्तक प्रदर्शनियों, पाठक क्लबों का आयोजन करके, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करके तथा प्रसिद्ध लेखकों को पुरस्कृत आदि करके अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ कन्नड़ भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है। लब्धप्रतिष्ठ कन्नड़ लेखक और व्यक्ति उपर्युक्त संगठनों के साथ सम्बद्ध हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कन्नड़ सहित भारतीय भाषाओं के विकास और प्रोन्नयन के लिए इन नियमित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के अलावा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने अप्रैल, 2005 में कन्नड़ आन लाईन शिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और साहित्य अकादमी ने अन्य भाषाओं में कन्नड़ कृतियों के अनुवाद सहित उत्कृष्ट कन्नड़ कृतियों/लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। कन्नड़ भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और पुस्तक-प्रदर्शनियों, आदि का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और साहित्य अकादमी ने अनेक पुस्तकों और कन्नड़ से विभिन्न भाषाओं में अनूदित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

समुद्री उत्पादों का आयात

6701. **श्री पी. करूणाकरन:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछली/समुद्री भोज्य पदार्थों के आयात से तटीय क्षेत्रों में हमारे घरेलू बाजार पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में किसी देश द्वारा घटिया गुणवत्ता के कारण भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात पर रोक लगायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या समुद्री भोज्य पदार्थों के निर्यात में गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हाल में किसी देश द्वारा भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ङ) और (च) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात संबंधी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान भारत से 1330.76 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात हुआ था जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.05% की वृद्धि प्रदर्शित हुई थी।

डीडीए अधिकारियों को मूल कार्यालय वापस भेजना

6702. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में 4000 करोड़ रु. के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित गंभीर भूमि घोटाले का पता लगाने और उसकी सूचना देने वाले कुछ ईमानदार अधिकारियों को उनके मूल कार्यालय में वापस भेज दिया है जैसा कि 26 फरवरी, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचना देने वालों के हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में उन्हें मूल कार्यालय भेजने का आदेश जारी करने से पहले ऐसे दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

6703. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तकनीकी रूप से वैश्विक उद्योग की तुलना में भारतीय उद्योगों को अग्रणी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दसवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु घरेलू उद्योगों के लिए "प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण" नामक एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना में, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक इकाइयों के लिए 30 प्रतिशत पूंजी राजसहायता और 10 प्रतिशत ब्याज राजसहायता की परिकल्पना थी। इस योजना को अब एक अन्य योजना "औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा उन्नयन योजना" (आईआईयूएस) के साथ मिला देने का निर्णय लिया गया है, जो सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईआईयूएस में ऐसे घटक भी शामिल, हैं, जो अनुमोदित उद्योग समूहों में औद्योगिक उन्नयन के बारे में हैं।

हुडको द्वारा दिया गया ऋण

6704. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् आज तक देश में विशेषत: गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा वर्षवार और राज्यवार कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, विशेषत: कमजोर वर्ग के लोगों को राज्यवार कितना आवासीय ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आवासीय क्षेत्र हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य विदेशी वित्त पोषण एजेन्सियों से ऋण प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के आवास हेतु उक्त बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से प्रत्येक राज्य को कितना ऋण दिया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास तथा नगर विकास निगम ने देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 863.19 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है जिसमें से 23.77 करोड़ रुपये की राशि गुजरात राज्य के लिए है। चालू वित्त वर्ष 2005-2006 के दौरान अब तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत रिहायसी यूनिटों की कुल संख्या 6,84,255 है। राज्य वार/वर्ष-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर हुडको द्वारा आवास ऋण मंजूर किए जाते हैं। इसलिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना (10वीं योजना) के शेष दो वर्षों के दौरान दिए जाने के लिए प्रस्तावित आवास ऋण की राशि का उल्लेख करना संभव नहीं है। चालू पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईडब्ल्यूएस (शहरी) श्रेणी के अन्तर्गत मंजूर राज्यवार आवास ऋण/रिहायशी यूनिट

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	ऋण	मंजूर रिहा. यूनिट*	ऋण	मंजूर रिहा. यूनिट*	ऋण	मंजूर रिहा. यूनिट*
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
आन्ध्र प्रदेश	29.42	46267	0.00	19066	0.00	23732

1	2	3	4	5	6	7
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
असम	0.20	0	5.56	1111	0.63	81
बिहार	0.00	128	0.00	512	0.00	0
चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
छत्तीसगढ़	24.20	11000	24.20	10000	0.00	0
दादर नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
गुजरात	0.00	18136	23.14	9259	0.63	793
हरियाणा	6.85	3263	0.00	0	0.00	0
हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	794	0.00	1032
झारखंड	0.00	10531	40.00	20000	0.00	0
कर्नाटक	217.45	84595	85.23	43052	222.43	51455
केरल	47.00	56540	8.38	10486	0.00	7698
लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
मध्य प्रदेश	7.25	4664	0.86	1983	13.47	6839
महाराष्ट्र	0.00	7166	4.50	33488	0.00	38031
मणिपुर	10.00	780	0.00	0	0.00	253
मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0
मिजोरम	0.00	0	2.00	115	0.00	0
नागालैंड	4.00	323	0.00	603	0.00	240
उड़ीसा	0.00	0	0.00	267	0.00	202
पांडिचेरी	0.00	0	0.00	408	0.00	903
पंजाब	12.56	4050	0.00	0	0.00	0
राजस्थान	0.00	0	0.00	700	25.00	12335

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
तमिलनाडु	28.00	17644	0.00	11214	4.41	67559
त्रिपुरा	0.54	801	0.00	976	0.00	0
उत्तर प्रदेश	0.00	5711	5.27	9709	0.54	8629
उत्तरांचल	2.14	890	3.89	1985	3.44	1806
पश्चिम बंगाल	0.00	6468	0.00	4340	0.00	3642
योग	389.61	278957	203.03	180068	270.55	225230

*वाम्बे के तहत स्वीकृत रिहायशी यूनिटों सहित

ब्रास स्क्रैप का आवंटन

6705. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ब्रास स्क्रैप के आवंटन के संबंध में एमएमटीसी के लिप्त होने से संबंधित कुछ अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) क्या अधिकारियों और एजेंटों की सांठ-गांठ है जो सभी सौदे अपने अनुसार कर लेते हैं और अन्य पात्र एजेंट अपना उचित कोटा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी को ब्रास स्क्रैप के प्रहस्तन के संबंध में जारी की गई मात्रा के आवंटन के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) एमएमटीसी ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्ण अग्रिम भुगतान के साथ वस्तु सूची के आधार पर 24 पंजीकृत लघु उद्योगों (एसएसआई) को रक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित 520 मी. टन ब्रास स्क्रैप की बिक्री की थी। अब यह मामला न्याय निर्णयाधीन है क्योंकि इनमें से एक पक्षकार ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी दायर कर दी है। इसलिए एमएमटीसी ने इन मामले में निर्णय होने तक इस व्यापार को स्थगित कर दिया है।

सीमेंट संयंत्र

6706. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री भीमसेन यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र बंद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कार्यरत सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश में सीमेंट की मांग व आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सीमेंट संयंत्रों के बंद होने के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) बंद सीमेंट संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या हाल ही में सीमेंट की कीमतों में भारी उछाल आया है; और

(झ) यदि हां, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी बड़े सीमेंट संयंत्र के बन्द होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे बड़े सीमेंट संयंत्रों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 2004-2005 के लिए देश में सीमेंट की मांग और आपूर्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(बड़े+मिनी सीमेंट संयंत्र)

(मिलियन टन में)

अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	घरेलू उपयोग	निर्यात	
			सीमेंट	क्लिंकर
161.24	131.56	127.07	4.07	5.99

(ङ) से (छ) (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) सीमेंट एक लाइसेंस-मुक्त और नियंत्रण-मुक्त वस्तु है और देश में मांग और पूर्ति की बाजार-शक्तियों द्वारा इसके मूल्यों का निर्धारण होता है। हाल के वर्षों में मूल्य कुल मिलाकर स्थिर रहे हैं। सरकार सीमेंट के मूल्यों पर नियमित रूप से निगरानी रखती है।

विवरण

देश में कार्यरत बड़े सीमेंट संयंत्रों की संख्या

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
पंजाब	3	3	3
राजस्थान	13	13	13
हिमाचल प्रदेश	3	3	3
जम्मू और कश्मीर	1	1	1
असम	1	1	1
मेघालय	1	1	1
बिहार	1	1	1
झारखंड	3	3	3
उड़ीसा	3	3	3
पश्चिम बंगाल	4	4	4
छत्तीसगढ़	7	7	7
आन्ध्र प्रदेश	18	18	18
तमिलनाडु	13	13	13
कर्नाटक	6	6	6
केरल	1	2	2
गुजरात	8	9	9
महाराष्ट्र	8	8	8
उत्तर प्रदेश	4	4	5
मध्य प्रदेश	9	9	9
योग	107	109	110

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा बिल्डर और स्लम माफिया को भूमि देना

6707. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालकाजी, दक्षिण दिल्ली में पार्क के लिए नियत लगभग 12 हेक्टेयर भूमि को बिल्डर और स्लम माफिया को देने का प्रयास करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगायी है और छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण को हटाए जाने के अनुदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिविप्रा ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त घटना में दिविप्रा के अधिकारियों की संलिप्तता का

पता लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई जांच की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में दिविप्रा के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने वर्ष 1984-86 में विभिन्न झुग्गी समूहों से झुग्गी वासियों को ट्राजिट कैम्प गोविन्दपुरी, कालकाजी में अस्थायी रूप से एक कमरे में टेनीमेंट में बसाया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी (सी) सं. 6324/2003 में दिनांक 22.9.2004 के आदेश तथा एलपीए सं. 1063/2004 में सी एम सं. 14228/2004 में दिनांक 4.4.2005 के एक अन्य आदेश के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को ट्रांजिट कैम्प तथा डिस्ट्रिक्ट पार्क के क्षेत्र में अन्य निर्माण/अतिक्रमण को हटाने और पुनः उसका उपयोग करने का निदेश दिया है। ट्रांजिट कैम्प में कुछ प्रभावित व्यक्तियों ने न्यायालय में अर्जी दी है और मामला न्यायाधीन है।

इसी बीच प्रवासियों से संबंधित 265 संरचनाओं को गिराने की कार्रवाई की गई है जो उस क्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे थे और बाद में उन्हें डीडीए द्वारा फ्लैट आबंटित किए गए थे।

[अनुवाद]

केंद्रीय विद्यालयों में तरणताल

6708. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में उन केंद्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें तरणताल हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केंद्रीय विद्यालयों के तरणतालों में हुई दुर्घटनाओं/मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन तरणतालों में दुर्घटनाओं/मौतों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दिल्ली के तरणताल वाले केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1.	ए.जी.सी.आर. कालोनी, दिल्ली
2.	एण्ड्रूज गंज, नई दिल्ली
3.	जे.एन.यू. परिसर, नई दिल्ली
4.	पश्चिम विहार दिल्ली
5.	सेक्टर 8 आर.के. पुरम, नई दिल्ली
6.	सेक्टर, 8 रोहिणी, दिल्ली
7.	सेक्टर, 2 आर.के. पुरम, नई दिल्ली
8.	सेक्टर, 3 रोहिणी, दिल्ली
9.	सैनिक विहार, दिल्ली
10.	लारेंस रोड, दिल्ली
11.	जनकपुरी, नई दिल्ली
12.	विकासपुरी, नई दिल्ली
13.	टैगोर गार्डन, नई दिल्ली

(ख) दिनांक 14 अप्रैल को प्रातः 7.00 बजे एक लड़का अपनी मां के साथ केन्द्रीय विद्यालय, एन्ड्रूज गंज के तरणताल में तैरने आया था। 10-15 मिनट तक तैरने के पश्चात् उसने छाती में दर्द की शिकायत की और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्ट मोर्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी नहीं पाया गया। पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी केन्द्रीय विद्यालय के तरणताल में किसी बच्चे की डूबने से मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

(ग) क्योंकि तरणताल प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा निर्माण प्रचालन और अंतरण आधार पर चलाए जाते हैं इसलिए प्रचालक को सुरक्षोपाय, कोच, अनुदेशक और प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

[हिन्दी]

सस्ते आयातों को रोकने की योजना

6709. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू उद्योगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सस्ते आयात रोकने की योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका घरेलू उत्पादकों के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या तीन ऐसे उत्पादों की पहचान की गयी है जो देश में उच्च राज सहायता पर बेचे जा रहे हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से उत्पन्न व्यापार विकृति का प्रतिरोध करने की दृष्टि से सरकार ने पाटन के आरोपों की जांच करने के लिए पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) की स्थापना की है। पाटनरोधी जांचों की शुरूआत घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों, जिनमें पाटन, क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का आरोप लगाया जाता है, के आधार पर की जाती है। डीजीएडी पाटन की मौजूदगी और उसकी मात्रा की जांच करता है, पाटित वस्तुओं की पहचान करता है और वित्त मंत्रालय के समक्ष अंतरिम और/या अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें जहां उचित हो, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पाटन एवं क्षति के आरोप संबंधी आवेदन पर प्रक्रियाओं के अनुसार और 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 1992 से दिनांक 4.5.2005 तक डीजीएडी ने 181 पाटनरोधी जांच शुरू की हैं। इन 181 मामलों में से 158 मामलों में अंतिम जांच परिणाम और 3 मामलों में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं, 11 मामलों में प्रारंभिक/अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने के लिए जांच की जानी है तथा 9 मामलों को जांच शुरू करने के बाद बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

डीडीए अधिकारियों पर अभियोजन

6710. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कथित तौर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त डीडीए के अधिकारियों का अभियोजन करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध अभियोजन की अनुमति दे दी गयी है और जिनके विरुद्ध अनुमति रोक दी गयी है; और

(घ) सीबीआई की जांच के कारण निलंबित और बर्खास्त डीडीए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सीबीआई ने 18 मामलों में शामिल दिल्ली विकास प्राधिकरण के 19 अधिकारियों का अभियोजन करने की अनुमति मांगी है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने 17 मामलों में संलिप्त 17 अधिकारियों के अभियोजन की अनुमति दे दी है। सीबीआई के अनुरोध पर एक मामले में संलिप्त तीन अधिकारियों के अभियोजन की अनुमति आस्थगित है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सीबीआई की जांच के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में उनके आठ अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा चार अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है।

वाहन कलपुर्जों का निर्यात

6711. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वाहन कल पुर्जों के निर्यात को बढ़ाने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन बाजारों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां भारत में निर्मित वाहनों के कलपुर्जों की बढ़ती मांग है;

(ग) इन देशों में वाहनों के कलपुर्जों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां। वित्त वर्ष 2004-05 में भारत से बाहर वाहन के कलपुर्जों का निर्यात 1.4 बिलियन अमरीकी डालर होने की आशा है जो वाहन कलपुर्जा उद्योग के कुल कारोबार का लगभग 16% है। वर्ष 2003-04 में निर्यात 1 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था और इस प्रकार पिछले 1 वर्ष में निर्यात वृद्धि 40% रही थी। आटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) और मेकिंसे एंड कम्पनी के हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में वर्ष 2015 तक 20-25 बिलियन अमरीकी डालरर के मूल्य तक वाहन कलपुर्जों का निर्यात लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है।

इस निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तरी अमरीका तथा पश्चिम यूरोपीय देशों का होगा जिनका हिस्सा आज भारत के वाहन कलपुर्जों के निर्यात का 60% से अधिक है।

(ख) से (घ) निर्यात अवसरों का पता लगाने तथा भारतीय आपूर्तिकर्ताओं एवं यूएसए तथा ईयू के बड़े ओईएम एवं टीयर 1 क्रेता के बीच आवश्यक संपर्क स्थापित करने के लिए एसीएमए ने अनेक पहलें शुरू की है। एसीएमए द्वारा देशवार बाजार अध्ययन किए गए हैं और एक समेकित निर्यात नीति कार्यनीति तैयार की गयी है। एसीएमए द्वारा इन देशों के लिए उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट व्यापार मिशनों का आयोजन भी किया जाता है। एसीएमए द्वारा इन देशों के लिए उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट व्यापार मिशनों का आयोजन भी किया जाता है और इन देशों से क्रेता मिशनों का स्वागत भी किया जाता है। वे प्रमुख आटोमोटिव व्यापार शो में भाग भी लेते हैं और ग्राहक संकेन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा व्यापार विकास समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। रूस और ईरान के व्यापक संभावना वाले बाजारों पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) के जरिए व्यापार प्रदर्शनियों के आयोजन एवं उनमें भाग लेने, भारत और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजने आदि जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा वाहन कलपुर्जों सहित इंजीनियरी उत्पादों के लिए शुल्क वापसी स्कीम तथा विदेश व्यापार नीति के तहत अन्य संवर्धन स्कीमों जैसे निर्यात संवर्धन तंत्रों को लागू किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं में रिक्त पद

6712. **डा. बाबूराव मिडियम:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य अध्ययन विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं विशेषत: उड़िया और तेलुगु के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त विभाग में तेलुगु और उड़िया भाषाओं में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यक अध्ययन विभाग में उड़िया के व्याख्याता का कोई पद रिक्त नहीं है और विभाग द्वारा उड़िया में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, एम.फिल तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तथापि इस समय तेलुगु में ये पाठ्यक्रम विभाग में तेलुगु के व्याख्याता की दो रिक्तियों के कारण नहीं चलाए जा रहे हैं। इन रिक्तियों को भरने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग

6713. **श्री अजीत जोगी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और उसके पश्चात इन संगठनों को योजनावार और संगठन-वार आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आबंटित धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) विगत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। संबंधित योजनाओं के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकार द्वारा निधियों के उपयुक्त उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिए जाने तथा जिला कलेक्टर से संतोषजनक जांच प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा स्वीकृत योजना और निर्मुक्त धनराशि

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	निर्मुक्त निधियां (रुपए में)		
			2002-03	2003-04	2004-05
अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान					
1.	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान, पो. बुद्धवानीपारा, डोनगढ़, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय	463406	956453	0
2.	आर.के. मिशन आश्रम (नारायणपुर) पो. नारायणपुर, जिला बस्त, छत्तीसगढ़	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग और छात्रावास (सं. 6)	740652	1724974	778899
3.	सरस्वती शिक्षा समिति, आयुर्वेदिक कालेज के पीछे, सरस्वती विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़	आवासीय स्कूल	157500	0	0
जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर					
4.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ सोशन हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	शैक्षिक परिसर	973400	920400	1173400
आदिम जनजातीय समूहों का विकास					
5.	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर नगर	सचल औषधालय	578000	0	0
6.	एटेरनल केयर, भोपाल	सचल औषधालय	446000	0	0
7.	विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	चारदीवारी वाले नए छात्रावासों को दो यूनिटों का निर्माण	0	2515000	0
8.	आर.के. मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	1. नारायणपुर में छात्रावास का निर्माण पूरा 2. आकाबेदा और कुंडाला में दो छात्रावासों का निर्माण	0	6630000	0

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज

6714. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अप्रैल, 2005 को उन्नत पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) की पहली बैठक का उद्घाटन करते समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास की नई पहलों को रेखांकित किया जो भारत की ''लुक ईस्ट पालिसी'' का एक अभिन्न अंग हैं;

(ख) यदि हां, तो विकास की नई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं और वर्ष 2005-2006 में इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) माननीय प्रधान मंत्री ने पुनर्गठित पूर्वोत्तर परिषद की पहली बैठक को 12 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में सम्बोधित किया। उन्होंने परिषद को पूर्वोत्तर राज्यों को यंत्रवत योजनागत निधियां आबंटित करने वाले निधि वितरण निकाय की बजाय विकास और सुरक्षा दोनों मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके एक व्यापक रोड मैप तैयार करने की जरूरत बताई जो कि इस प्रकार हैं: एन ई आर में उपलब्ध मानव संसाधनों का विकास, कार्य बल के कौशलों का उन्नयन, विपणन श्रृंखला का विकास, प्राथमिक स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन, मार्किट केन्द्रों से सरल सम्पर्क के साथ वृद्धि केन्द्रों की योजना बनाना, विपणन कौशल प्रदान करना, प्रक्रिया को सरल बनाना, सड़क और हवाई सम्पर्क। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनन और खनिजों, गैस, तेल, डाऊन स्ट्रीम उद्योगों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि जैसे सम्भावय क्षेत्रों पर भी बल दिया। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बागवानी सहित कृषि, औषधीय और सुगन्ध वाली जड़ी बूटियों और बांस, जल संसाधनों, पवन ऊर्जा संसाधनों और खनिजों के क्षेत्र में विशाल सम्भावनाओं का उपयोग करके ग्रामीण परिवारों के आय स्तर में पर्याप्त वृद्धि की जाये। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि आसियान मार्किट एन.ई.आर.के. लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराती है। एन.ई.सी. को सरकार की ''पूर्व की ओर देखो नीति'' का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि एन.ई.सी. के अध्यक्ष 15 वर्ष के परिप्रेक्ष्य के साथ एक विजन दस्तावेज, विजन दस्तावेज 2020 तैयार करवा रहे हैं।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों का विकास

6715. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन और सिंगल बजट पहले ही अपना लिया था;

(ख) अन्य राज्यों द्वारा सिद्धांततः इस संकल्पना को अब तक न स्वीकारने और न अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संविधान के उपबंध पर ध्यान दिया था और इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा विवाद

6716. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री जुएल ओराम:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों का सीमा विवाद अभी भी बिना सुलझे पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभी की तिथि के अनुसार तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के अन्य भागों में सीमा विवाद का समाधान करने हेतु क्या प्रयास किए गए; और

(घ) इसका स्थाई समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में असम-मेघालय; असम-अरूणाचल प्रदेश और असम-नागालैंड के

बीच सीमा विवाद हैं। केन्द्र सरकार ने असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद पर 1976 में एक अध्ययन करवाया था और दो राज्यों के बीच सीमा विवाद से निपटने के लिए शास्त्री आयोग का गठन किया था। इसी प्रकार, असम और अरूणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था। असम सरकार ने नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के साथ अपने सीमा विवादों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं। ये मामले अदालत में लम्बित हैं।

बिहार-उत्तर प्रदेश; हरियाणा-उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद हैं जो अधिकांशत: दावों और प्रति-दावों से उत्पन्न हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद को हल करने के उद्देश्य से, बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़, पंजाब को देने के संबंध में पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद है। चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को मिलने वाले पंजाब के क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए अब तक तीन आयोग गठित किए जा चुके हैं। तथापि अभी भी यह विवाद बना हुआ है।

इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के साथ सीमा विवाद है। उड़ीसा राज्य के झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा विवाद हैं। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद हैं। इनमें से किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद को हल करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने एक-सदस्यीय महाजन आयोग का गठन किया था जिसने अगस्त, 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। चूंकि कर्नाटक सरकार, महाजन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने पर जोर देती है जबकि महाराष्ट्र सरकार, आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है इसलिए विवाद अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जो शीर्ष न्यायालय में लम्बित है।

केन्द्र सरकार का निरंतर ही यह दृष्टिकोण रहा है कि संबंधित राज्य सरकारों को स्वैच्छिक सहयोग से ही अंतर-राज्य सीमा विवादों को हल किया जा सकता है और यह कि केन्द्र सरकार, केवल आपसी सहमति और समझ-बूझ से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मददगार के रूप में ही कार्य करती है।

(घ) इन विवादों को हल करने के लिए सही-सही समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

भूकम्प के झटकों की घटनाएं

6717. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में हाल में भूकम्प के झटकों के कारण किसी जान-माल की हानि का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीड़ित लोगों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) हाल में भूकम्प के झटकों के कारण गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने किसी जनहानि की सूचना नहीं दी है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 114 घरों की दीवारें ढह गई और सतारा जिले के पाटन ताल्लुक में 579 घरों में दरारें आ गई। राज्य सरकार ने घरों की मरम्मत के लिए 325 परिवारों को सी.आर.एफ. के संग्रह में से लगभग 4.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई है।

अभी तक गोवा और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने सम्पत्ति हानि की कोई सूचना नहीं दी है।

देवदासी प्रथा

6718. श्री अनन्त नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों के मंदिरों में "देवदासी" प्रथा अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रथा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) देवदासी प्रथा आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मंदिरों में जारी है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में पहले से ही देवदासी के रूप में बालिकाओं के अर्पण का निषेध करने वाले कानून मौजूद हैं। इन कानूनों के अंतर्गत जो कोई भी बालिकाओं को देवदासी के रूप में अर्पित करने हेतु आयोजित किये जाने वाले समारोहों में भाग लेता है, ऐसे समारोहों को बढ़ावा देता है या प्रेरित करता है, वह दण्ड का भागी है। देवदासियों के उत्पीड़न के मामलों पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

चाय व्यापार

6719. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
डा. के. धनराजू:
श्री फुरकान अंसारी:
श्री जुएल ओराम:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैलेंडर वर्ष 2004 में चाय का आयात 30 मिलियन कि.ग्रा. तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 के दौरान किए गए चाय के निर्यात का ब्यौरा क्या है और इस पर देश-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) इस समय भारत में चाय नीलामी केंद्रों का ब्यौरा क्या है और क्या और अधिक नीलामी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीनी निर्यात उद्योग ने अपने देश में हमारी नकल करने के लिए हमारी चाय नीलामी पद्धति का बारीकी से अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो भारतीय चाय उद्योग पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(छ) क्या उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सिलिगुड़ी का दौरा किया था और चाय मैन्युफेक्चरर्स को चीन में संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या चीनी भारत से काली चाय का आयात करने और बदले में भारत को हरी चाय का निर्यात करने का इच्छुक है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या चाय व्यापार के लिए किसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्ष 2004 के दौरान भारत में चाय का कुल आयात 30.52 मि. कि.ग्रा. हुआ था। आयातों के मूल्य के साथ वर्ष 2004 के दौरान देश-वार प्रमुख चाय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

देश का नाम	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3
वियतनाम	17.28	56.27
केन्या	3.30	27.12
नेपाल	2.86	16.84
इंडोनेशिया	2.65	15.30
चीन	1.67	6.22
पापुआ न्यूगिनी	0.52	2.96
श्रीलंका	0.47	3.78
मलावी	0.38	2.50
अर्जेंटीना	0.36	1.58
तुर्की	0.30	1.02
ईरान	0.24	0.72

1	2	3
युनाइटेड किंगडम	0.16	2.26
यूएसए	0.12	0.55
जर्मनी	0.11	1.60
अन्य	0.10	0.71
योग	30.52	139.43

(ग) और (घ) इस समय भारत में नौ चाय नीलामी केन्द्र प्रचालनरत हैं। ये केन्द्र कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, जलपाइगुड़ी, अमृतसर, कोचीन, कोयम्बटूर और कुनूर (कुनूर में चाय सेवा नीलामी समेत दो चाय नीलामी केन्द्र है) में स्थित हैं। इस समय कोई नया चाय नीलामी केन्द्र खोलने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (ज) चीन के चाय उद्योग के एक दल ने हाल में भारत का दौरा किया था और भारतीय चाय उद्योग के विभिन्न तबकों के साथ विचार-विमर्श किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस दल ने भारतीय नीलामी प्रणाली की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चाय के दलालों के साथ बातचीत की। उनके द्वारा भारतीय विनिर्माताओं को चीन में संयंत्रों की स्थापना करने की किसी पेशकश के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है।

(झ) और (ञ) कुछेक भारतीय चाय निर्यातक भारत से काली चाय का निर्यात करने के लिए चीन के आयातकों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ट) जी नहीं।

(ठ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भाषा पाठ्यक्रम

6720. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा पढ़ रहे छात्र चीनी भाषा की तुलना में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा को अब कम वरीयता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दो विश्वविद्यालयों में भाषा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या सीमित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कालेज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में भाषा पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवसर देने हेतु प्रबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

6721. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने ग्यारहवीं योजना में विश्वविद्यालयों के लिए "स्टेट सुपरवाइजरी माडल" का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संबद्ध करने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कालेज शामिल हैं। चूंकि डिग्रियां प्रदान करने का प्राधिकार कालेजों के पास नहीं है, अतः ये कालेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं; ये विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को उनकी बारी आने पर डिग्रियां प्रदान करते हैं। संबद्धन प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन

6722. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लिए बजट आवंटन को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जनजातीय विकास हेतु कुछ योजनाओं को राज्यों के पास अंतरित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2004-05 का बजट आबंटन 1146.00 करोड़ रुपए था। फिर भी, वित्त मंत्रालय के एक परिपत्र के कारण जिसमें वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमान के 33% तक सीमित कर दिया गया था, बजट के अधीन व्यय की जा सकने वाली राशि की पुन: गणना की गई, जो 1069.45 करोड़ रुपये थी। मंत्रालय राज्यों से मंत्रालय की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय आबंटनों के अनुसार समय के प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करता है, जिससे निर्मुक्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में एकत्रित न हो जाएं। इसके अतिरिक्त, समय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को गति देने के लिए यह मंत्रालय राज्यों के जनजातीय कल्याण सचिवों के साथ बैठक भी आयोजित करता है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के केन्द्र प्रायोजित दो योजनाओं (1) अनुसूचित जनजातीय लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास; (2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना को 1.4.2005 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस मामले को योजना आयोग में उठाया। अब योजना आयोग ने सूचित किया है कि यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखी गई है, जिसका अर्थ है कि योजनाएं हस्तांतरित नहीं की जाएंगी।

[हिन्दी]

द्वारका में डी.डी.ए. द्वारा नई आवास परियोजनाएं

6723. श्री एम. शिवन्ना: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) पेयजल की अत्यधिक कमी के बावजूद द्वारका में नई आवास परियोजनाएं शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अब तक पहले की विकसित किए जा चुके क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने तक डी.डी.ए. को नई आवास परियोजनाएं स्थगित करने/रोकने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो डी.डी.ए. द्वारा इस संबंध में कितने प्रयास किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किए है कि वर्तमान में द्वारका में किसी नई आवास स्कीम का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने जुलाई 2004 में डीडीए को इस आशय के निर्देश जारी किए थे कि मकानों/प्लाटों के आबंटन के साथ-साथ उचित नागरिक सुविधाओं, जल आपूर्ति, बिजली और अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए और अपेक्षित सुविधाओं को समय पर पूरा करने के लिए डीडीए विभिन्न एजेंसियों से समन्वय करे। जब तक संबंधित संगठनों द्वारा इस प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जाता है तब तक कमियों को दूर करने के लिए डीडीए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें। तदनुसार, डीडीए ने पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति के लिए मामले को दिल्ली जल बोर्ड के साथ उठाया है। अंतरिम उपाय के रूप में डीडीए ने 10 नए नलकूपों का उपयोग किया है ताकि द्वारका में मौजूदा जल आपूर्ति को बढ़ाया जा सके और 15 और नलकूपों को चालू करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त दूर-किनारों के पाकेटों में अनिश्चित/कम आपूर्ति संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकरों के जरिए भी नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मुम्बई के विकास हेतु अभ्यावेदन

6724. श्री गुरूदास कामत:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुम्बई के विकास की आवश्यकता के बारे में विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए संसद सदस्यों के माध्यम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय और कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मुम्बई के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित/समर्पित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अब तक कितनी राशि खर्च की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मुम्बई शहरी अवस्थापना परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) मुम्बई सहित चुनिंदा शहरों को अवस्थापनात्मक विकास के लिए सुधार से जुड़ी केन्द्रीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है। मिशन के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों में भवनों के निर्माण के लिए व्यय की गई राशि

6725. श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अब तक सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण और उक्त विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधा विकास संबंधी शीर्ष के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई और व्यय की गई राशि का राज्य-वार, क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): भारत सरकार भूमि की उपलब्धता/तत्संबंधी कार्य की प्रगति के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवन के निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को योजनागत अनुदान देती है।

निधियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन को राज्यवार या क्षेत्र-वार नहीं दी जाती है बल्कि एक मुश्त दी जाती है। पिछले पांच वर्षो के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आवंटित/जारी/उपयोग में लाई गई निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	आवंटित/जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	टिप्पणियां
2000-2001	9500	12452	कुछ वर्षों में अत्यधिक व्यय इस वजह से हुआ कि सरकार ने बाद के वर्षों में पूर्व वर्षों की खर्च न की गई शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दी।
2001-2002	8110	8740	
2002-2003	8500	8797	
2003-2004	10357	10007	
2004-2005	11200	11805	

[अनुवाद]

भारत-इटली व्यापार

6726. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इटली ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत-इटली व्यापार मंच की कोई बैठक हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच क्या प्रमुख समझौते हुए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) 7 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-इटली संयुक्त आयोग के 16वें सत्र में दोनों पक्षों ने, दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह सहित आर्थिक सहयोग को सुधारने के लिए सहमति दी है।

(ख) और (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कानफिंडस्ट्रिया (इतावली उद्योग परिसंघ), इतालवी विदेश व्यापार संस्थान तथा बैंकिंग उद्योग एसोसिएशन की भागीदारी के साथ, इटली के राष्ट्रपति और उनके साथ आए व्यापारिक शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान 15 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में भारत-इटली

व्यापार मंच का आयोजन किया था। इस बैठक से दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों के संबध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ।

(घ) 14 फरवरी, 2005 को दोनों देशों के बीच मत्स्यन पालन और जल कृषि उत्पादों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जनजातियों के लिए रोजगार योजनाएं

6727. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडमः
श्री हितेन बर्मनः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक देश में अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृजित अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान इन योजनाओं से अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार टी.वी. मरम्मत की कला, कार चलाने की कला और इसी तरह के अन्य कामों की कला में जनजातियों को प्रशिक्षित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है, जो मुख्यतः आय एवं रोजगार सृजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास, लघु वन्य उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, शैक्षणिक विकास एवं स्वैच्छिक प्रयासों के संवर्धन इत्यादि के लिए हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभागों को जारी की जाती हैं, जिनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि ये लाभार्थियों तक पहुंचे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किए गए परिवारों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	सहायता प्राप्त परिवार
2002-03	765838
2003-04	877018
2004-05	496135

*दिसम्बर, 2004 तक।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र में टी.वी. रिपेयरिंग इत्यादि सहित पांच व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

झुग्गी-झोपड़ी तथा छोटी बस्तियों में जलापूर्ति

6728. श्री ब्रजेश पाठकः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विभिन्न झुग्गी-झोपड़ियों और छोटी बस्तियों में जलापूर्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और लोग अशुद्ध तथा रोग लगाने वाला जल पीने के लिए विवश है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के स्लम तथा झुग्गी-झोपड़ी विभाग ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा विकसित सभी पुनर्वास पाकेटों में जल आपूर्ति के लिए अवस्थापना सुविधा उपलब्ध है।

दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि स्लम कालोनियों में अधिकांश जल आपूर्ति पब्लिक वाटर हाइड्रेन्ट्स, गहरे खुदे हैण्ड पंपों तथा नल कूपों के जरिए की जाती है। पानी की कमी के मामले में उसकी प्रतिपूर्ति टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति करके की जाती है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियमित रूप से सैंपलिंग की जाती है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

6729. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्याग पत्र देने वाले नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षकों की संख्या कितनी है तथा इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या
2002	157
2003	183
2004	191

शिक्षकों ने त्यागपत्र मुख्यत: निजी कारणों तथा नौकरी बाहर होने की वजह से दिया।

एकल विद्यालय

6730. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में कई वर्षों से केंद्रीय अनुदान से एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इन विद्यालयों को कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने इस बात का खुलासा किया है कि अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में केंद्रीय धनराशि के ऐसे दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा योजना के एक घटक नवाचारी तथा प्रायोगिक शिक्षा के तहत फ्रैंड्स आफ ट्राइबल सोसायटी नामक स्वैच्छिक संगठन को वर्ष 1999-2000 से झारखंड मे एकल शिक्षक विद्यालय की उनकी परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड परियोजना के लिए फ्रैंड्स आफ ट्राइबल सोसायटी को जारी अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

2002-2003	:	49,97,376 रुपए
2003-2004	:	33,40,656 रुपए
2004-2005	:	शून्य

(ग) और (घ) नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा योजना के तहत फ्रैंड्स आफ ट्राइबल सोसायटी के कार्यकलापों तथा इस सोसायटी को संस्वीकृत निधियों के उपयोग की जांच के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने बताया है कि अनुदान राशि का उपयोग योजना के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

(ङ) फ्रैंड्स आफ ट्राइबल सोसायटी को अनुदान रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

यूनेस्को ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट

6731. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने हाल की अपनी ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की है;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है। यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में नहीं है। तथापि, शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार कम करने हेतु उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सामुदायिक स्वामित्व तथा सर्व शिक्षा अभियान की मानीटरिंग संबंधी प्रावधान करना, शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुवीक्षण करवाना और साथ ही सनदी लेखाकारों द्वारा सभी लेखाओं की सांविधिक लेखा-परीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बाह्य लेखा परीक्षा करवाना शामिल है।

[अनुवाद]

बिना विवाह के मां बनने की घटनाएं

6732. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिना विवाह के मां बनने की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण बहुत से राज्यों में उत्पन्न स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को पीड़ितों की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) सरकार द्वारा इस विषय में कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग को इस विषय में केवल एक याचिका प्राप्त हुई है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई कानून बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नक्सलवाद

6733. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उत्तरांचल के मुख्य मंत्रियों को शामिल करके एक स्थाई समिति का गठन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी राज्य मंत्री भी समिति के सदस्य है।

स्थाई समिति की आवधिक रूप से बैठक होगी और यह नक्सल से संबंधित सभी मुद्दों और संगत पहलुओं पर चर्चा करेगी तथा राजनैतिक, सुरक्षा और विकास के मोर्चों पर नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए समन्वित नीति और विशिष्ट उपाय तैयार करेगी।

विश्व व्यापार संगठन के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

6734. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ किसी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक हस्ताक्षरित समझौतों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन चीजों की सूची क्या है जिन्हें शुल्क में कोई छूट दी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के नामों को दर्शाने वाला एक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में दिनांक 28 दिसंबर, 1998 को एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो मार्च, 2000 से लागू हो गया है। इस करार में चरणबद्ध ढंग से टैरिफों की समाप्ति के जरिए मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जो इस प्रकार है:

1. भारत की वचनबद्धताएं: भारत करार के कार्यान्वयन के बाद तुरंत 1350 टैरिफ लाइनों पर टैरिफों को घटाकर शून्य कर देगा। नकारात्मक सूची में शामिल 429 मदों के अतिरिक्त शेष के लिए करार के कार्यान्वयन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सर्वव्यापी रूप से शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जाएगी। 15 मिलि. कि.ग्रा. चाय के लिए 8 मिलि. परिधान नगों के लिए टैरिफ दर कोटा है। 18 मार्च, 2003 से शुल्क कम करने की भारत की वचनबद्धता पूरी हो गई है। सुमेलीकृत कोड के छ: अंकीय स्तर पर 429 टैरिफ लाइनों की नकारात्मक सूची की मदें विभिन्न क्षेत्रों की है: जैसे-रबड़ उत्पाद, कागज और कागज का बोर्ड, प्लास्टिक और उसके उत्पाद, नारियल, अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ और वस्त्र मदें आदि।

2. श्रीलंका की वचनबद्धताएं: श्रीलंका करार के लागू होने की तारीख को 319 टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क रियायतें देगा। इसके अतिरिक्त उसने करार के लागू होने की तारीख को 839 टैरिफ लाइनों पर 50% रियायतें दी हैं जो इस समय 100% घटा दी गई हैं। शेष मदों के लिए श्रीलंका 3 चरणों में 8 वर्ष की अवधि के दौरान टैरिफों को घटाकर शून्य प्रतिशत करेगा अर्थात् तीसरे, छठे और आठवें वर्ष की समाप्ति से पहले 35% और 70% तक 100% कमी करेगा। दूसरे शब्दों में इन मदों पर भारत के निर्यातों पर वर्तमान स्थिति के अनुसार श्रीलंका से 35% शुल्क रियायतें प्राप्त हैं। श्रीलंका की नकारात्मक सूची में 1180 टैरिफ लाइनें शामिल हैं।

विवरण

विश्व व्यापार संगठन के 148 सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	सदस्यता/शामिल होने की तारीख
1	2	3
1.	अल्बानिया	8 सितम्बर, 2000
2.	अंगोला	23 नवम्बर, 1996
3.	एंटीगुआ और बारबुडा	1 जनवरी, 1995
4.	अर्जेंटीना	1 जनवरी, 1995
5.	अर्मेनिया	5 फरवरी, 2003
6.	आस्ट्रेलिया	1 जनवरी, 1995
7.	आस्ट्रिया	1 जनवरी, 1995
8.	बरहीन गणराज्य	1 जनवरी, 1995
9.	बांग्लादेश	1 जनवरी, 1995
10.	बारबाडोस	1 जनवरी, 1995
11.	बेल्जियम	1 जनवरी, 1995
12.	बेलाइज	1 जनवरी, 1995
13.	बेनीन	22 फरवरी, 1996
14.	बोलीविया	12 सितम्बर, 1995
15.	बोत्सवाना	31 मई, 1995
16.	ब्राजील	1 जनवरी, 1995
17.	ब्रुनेई दारूस्सलाम	1 जनवरी, 1995
18.	बुल्गारिया	1 दिसम्बर, 1996
19.	बुरकिना फासो	3 जून, 1995
20.	बुरूण्डी	23 जुलाई, 1995
21.	कम्बोडिया	13 अक्तूबर, 2004
22.	कैमरून	13 दिसम्बर, 1995
23.	कनाडा	1 जनवरी, 1995
24.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	31 मई, 1995
25.	चाड	19 अक्तूबर, 1996
26.	चिली	1 जनवरी, 1995
27.	चीन	11 दिसम्बर, 2001
28.	कोलम्बिया	30 अप्रैल, 1995
29.	कांगो	27 मार्च, 1997
30.	कोस्टारिका	1 जनवरी, 1995
31.	आइवरी कोस्ट	1 जनवरी, 1995

1	2	3
32.	क्रोएशिया	30 नवम्बर, 2000
33.	क्यूबा	20 अप्रैल, 1995
34.	साइप्रस	30 जुलाई, 1995
35.	चेक गणराज्य	1 जनवरी, 1995
36.	कांगो जनतांत्रिक गणराज्य	1 जनवरी, 1997
37.	डेनमार्क	1 जनवरी, 1995
38.	जिबोटी	31 मई, 1995
39.	डोमिनिका	1 जनवरी, 1995
40.	डोमिनिकन गणराज्य	9 मार्च, 1995
41.	इक्वाडोर	21 जनवरी, 1996
42.	मिस्र	30 जून, 1995
43.	अल-सल्वाडोर	7 मई, 1995
44.	एस्टोनिया	13 नवम्बर, 1999
45.	यूरोपीय समुदाय	1 जनवरी, 1995
46.	फिजी	14 जनवरी, 1996
47.	फिनलैंड	1 जनवरी, 1995
48.	मेसेडोनिया का पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य (एफवाई-आरओएम)	4 अप्रैल, 2003
49.	फ्रांस	1 जनवरी, 1995
50.	गेबन	1 जनवरी, 1995
51.	गाम्बिया	23 अक्तूबर, 1996
52.	जार्जिया	14 जून, 2000
53.	जर्मनी	1 जनवरी, 1995
54.	घाना	1 जनवरी, 1995
55.	ग्रीस	1 जनवरी, 1995
56.	ग्रेनेडा	22 फरवरी, 1996
57.	ग्वाटेमाला	21 जुलाई, 1995
58.	गुयाना	25 अक्तूबर, 1995
59.	गुयाना बिसाऊ	31 मई, 1995
60.	गुयाना	1 जनवरी, 1995
61.	हैती	30 जनवरी, 1996
62.	हुंडुरास	1 जनवरी, 1995
63.	हांगकांग, चीन	1 जनवरी, 1995
64.	हंगरी	1 जनवरी, 1995
65.	आइसलैंड	1 जनवरी, 1995
66.	भारत	1 जनवरी, 1995
67.	इंडोनेशिया	1 जनवरी, 1995
68.	आयरलैंड	1 जनवरी, 1995
69.	इजरायल	21 अप्रैल, 2000
70.	इटली	1 जनवरी, 1995
71.	जमैका	9 मार्च, 1995
72.	जापान	1 जनवरी, 1995
73.	जार्डन	11 अप्रैल, 2000
74.	केन्या	1 जनवरी, 1995
75.	कोरिया गणराज्य	1 जनवरी, 1995
76.	कुवैत	1 जनवरी, 1995
77.	किरगिज गणराज्य	20 दिसम्बर, 1998
78.	लाटीविया	10 फरवरी, 1998
79.	लेसोथो	31 मई, 1995
80.	लाइटेंस्टिन	1 सितम्बर, 1995
81.	लिथुआनिया	31 मई, 2001
82.	लैग्जमबर्ग	1 जनवरी, 1995
83.	मकाओ, चीन	1 जनवरी, 1995
84.	मैडागास्कर	17 नवम्बर, 1995
85.	मलावी	31 मई, 1995

1	2	3
86.	मलेशिया	1 जनवरी, 1995
87.	मालदीव	31 मई, 1995
88.	माली	31 मई, 1995
89.	माल्टा	1 जनवरी, 1995
90.	मौरीटेनिया	31 मई, 1995
91.	मारीशस	1 जनवरी, 1995
92.	मैक्सिको	1 जनवरी, 1995
93.	मोल्डोवा	26 जुलाई, 2001
94.	मंगोलिया	29 जनवरी, 1997
95.	मोरक्को	1 जनवरी, 1995
96.	मोजाम्बिक	26 अगस्त, 1995
97.	म्यांमार	1 जनवरी, 1995
98.	नामीबिया	1 जनवरी, 1995
99.	नेपाल	23 अप्रैल, 2004
100.	नीदरलैंड	1 जनवरी, 1995
101.	न्यूजीलैंड	1 जनवरी, 1995
102.	निकारागुआ	3 सितम्बर, 1995
103.	नाइजर	13 दिसम्बर, 1996
104.	नाइजीरिया	1 जनवरी, 1995
105.	नार्वे	1 जनवरी, 1995
106.	ओमान	9 नवम्बर, 2000
107.	पाकिस्तान	1 जनवरी, 1995
108.	पनामा	6 सितम्बर, 1997
109.	पापुआ न्यूगिनी	9 जून, 1996
110.	पराग्वे	1 जनवरी, 1995
111.	पेरू	1 जनवरी, 1995
112.	फिलिपींस	1 जनवरी, 1995
113.	पोलैंड	1 जुलाई, 1995
114.	पुर्तगाल	1 जनवरी, 1995
115.	कतर	13 जनवरी, 1996
116.	रोमानिया	1 जनवरी, 1995
117.	रवांडा	22 मई, 1996
118.	सैंट किट्स और नेवीस	21 फरवरी, 1996
119.	सैंट लुसिया	1 जनवरी, 1995
120.	सैंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स	1 जनवरी, 1995
121.	सेनेगल	1 जनवरी, 1995
122.	सियरा लिओन	23 जुलाई, 1995
123.	सिंगापुर	1 जनवरी, 1995
124.	स्लोवाक गणराज्य	1 जनवरी, 1995
125.	स्लोवानिया	30 जुलाई, 1995
126.	सोलोमन द्वीप	26 जुलाई, 1996
127.	दक्षिण अफ्रीका	1 जनवरी, 1995
128.	स्पेन	1 जनवरी, 1995
129.	श्रीलंका	1 जनवरी, 1995
130.	सूरीनाम	1 जनवरी, 1995
131.	स्वाजीलैंड	1 जनवरी, 1995
132.	स्वीडन	1 जनवरी, 1995
133.	स्विटजरलैंड	1 जुलाई, 1995
134.	चीनी ताइपेई	1 जनवरी, 2002
135.	तंजानिया	1 जनवरी, 1995
136.	थाइलैंड	1 जनवरी, 1995
137.	टोगो	31 मई, 1995
138.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो	1 मार्च, 1995
139.	ट्यूनीशिया	29 मार्च, 1995
140.	तुर्की	26 मार्च, 1995
141.	युगांडा	1 जनवरी, 1995

1	2	3
142.	संयुक्त अरब अमीरात	10 अप्रैल, 1996
143.	युनाइटेड किंग्डम	1 जनवरी, 1995
144.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1 जनवरी, 1995
145.	उरूग्वे	1 जनवरी, 1995
146.	वेनेजुएला	1 जनवरी, 1995
147.	जाम्बिया	1 जनवरी, 1995
148.	जिम्बाब्वे	5 मार्च, 1995

बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

6735. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 के लिए बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों का चयन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उनका नाम क्या है;

(ग) उनके चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुरस्कार पाने वालों के नाम क्या हैं; और

(घ) पुरस्कार पाने वाले को दिये जा रहे प्रोत्साहन क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का नामांकन बाल कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यों की गुणवत्ता, मात्रा तथा अवधि के आधार पर किया जाता है। विगत तीन वर्षों (2000, 2001 तथा 2002) के दौरान, पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची विवरण में दी गयी है। वर्ष 2003 तथा 2004 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन अभी नहीं किया गया है।

(घ) इस पुरस्कार के अंतर्गत संस्था को 3 लाख रुपये की नकद राशि तथा एक प्रशस्ति-पत्र और व्यक्ति को एक लाख रुपये की नकद राशि तथा एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, 2000

व्यक्ति

(1) डा. नन्नापनेनी मंगा देवी
संस्थापक सचिव
श्री वेंकटेश्वरा बाल कुटीर,
श्यामालंगार, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश

(2) मोहम्मद नरूल अमीन चाधरा
गांव छोटा रुपेही (नूर नगर),
डाकघर हेरापेटी, जिला-नगांव
असम-782002

(3) कु बर्था डिनजामिक्स दरबर
शिलांग, मेघालय

संस्थाएं

(1) चाइल्ड फाउंडेशन आफ इण्डिया
प्रशासनिक कार्यालय
36-46-51, कांचरपालेन मेन रोड,
विशाखापत्तनम-530008
आन्ध्र प्रदेश

(2) एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स विलेज एसोसिएशन
बाल निकेतन, सेक्टर-2, पंचकुला
हरियाणा-134112

(3) वांगजिंग टैंठा फार्मर्स डवलपमेंट एसोसिएशन
टैंठा विलेज, डाकघर-वांगजिंग-795148
थाउबल जिला, मणिपुर

(4) निवेदिता ग्रामीण कर्म मंदिर
स्थान व डाकघर-माणिकपाड़ा, थाना झरग्राम,
जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल-721513

(5) पोप पाल मर्सी होम
पेरीगंडूर, डाकघर-त्रिसूर,
केरल-680581

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, 2001

व्यक्ति

(1) डा. अरुण घोष
43,कंकुलिया रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700029

(2) स्व. श्री विनीत खन्ना
934, सेक्टर-40/ए, चण्डीगढ़

(3) श्रीमती रोजेरियो लोपेज
तूरा अरीमिले, वेस्ट गारो हिल्स-794001
मेघालय

संस्थाएं

(1) विमुक्ति जाति अभ्युदय संघ
अभ्युदय आश्रम, वाटर वर्क्स कालोनी
मुरैना (मध्य प्रदेश)-476001

(2) मेजरैलो मिशन होम
गारोबाढा, वेस्ट गारो हिल्स
मेघालय

(3) गांधी उड़ीसा बालाश्रम
स्थान व डाकघर-गरढपुर वाया भद्रक
जिला-भद्रक, उड़ीसा-756100

(4) सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट
राजेन्द्र नगर, क्रास रोड, हिम्मतनगर,
जिला-साबरकांठा, गुजरात

(5) महिला कल्याण समिति
2015, कोरे गली, शाहपुर,
बेलगांव, कर्नाटक

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, 2002

व्यक्ति

(1) श्रीमती अर्चना वंकिमभाई देसाई
शिशु विहार, मोरारजी काका नी वाड़ी
तिटाई रोड, बलसाड़-396001, गुजरात

(2) डा. एडवर्ड लोबो
निर्मला शंकरपुरा, उडुपी जिला-574115, कर्नाटक

(3) श्रीराम स्नेही
अभ्युदय आश्रम, वाटर वर्क्स कालोनी
मुरैना, मध्य प्रदेश

संस्थाएं

(1) फादर एगनेल निकेतन (बायज होम)
पिलर डाकघर गोवा-403203

(2) मिजोरम हमईथई एसोसिएशन
मिजोरम विडोज एसोसिएशन
अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल-796001

(3) ह्यूमन डवलपमेंट फाउंडेशन आफ सिक्किम
तासीखार, चुंगयाल काम्पलैक्स, एम.जी. मार्ग
गंगटोक, सिक्किम

(4) रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन
7, रीवर साइड रोड, डाकघर बैरकपुर
जिला-उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743101

(4) शिवानन्द मठ, किला मुंगेर
बिहार-811201

विशेष आर्थिक जोन

6736. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोनों के लिए केन्द्रीय विधान संबंधी मंत्री समूह ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री समूह द्वारा की गई सिफारिशों को अंतिम अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पुर:स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

6737. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को स्लम/बाहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के लिए विदेशी दाता एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों पर कब तक अंतिम निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैराजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय सुधार के लिए विदेशी सहायता की मांग करने वाले निम्नलिखित तीन प्रस्ताव मिले हैं।

(1) यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से सहायता की मांग करते हुए मई, 2003 में प्राप्त "गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवाएं कार्यक्रम" परियोजना की अनुमानित लागत 102,000,000 $(ब्रिटिश पौंड) है और इसकी अवधि 14.1.2004 से 31.3.2011 तक है।

(2) डीएफआईडी से सहायता की मांग करते हुए फरवरी, 2003 में प्राप्त "शहरी सेवा सुधार परियोजना, उड़ीसा"।

(3) स्लम सफाई कार्यक्रम और मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II के कार्यान्वयन के लिए अनुदान/उधार/ऋण का अनुरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार के जल आपूर्ति एवं सफाई विभाग से प्राप्त एक परियोजना प्रस्ताव।

(ग) और (घ) (एक) क्रम सं. (1) की परियोजना डीएफआइडी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और अब चल रही है।

(दो) डीईए ने उपर्युक्त क्रम सं. (2) की परियोजना को सहायता देने में डीएफआईडी की असमर्थता के बारे में बता दिया है।

(तीन) जहां तक उपर्युक्त क्रम सं. (3) का संबंध है, डीईए से इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। डीईए ने अब निम्नलिखित सूचना दी है:

मुम्बई को विश्व बैंक की सहायता से विश्व स्तर का शहर बनाने के लिए मुम्बई शहर के लिए प्रस्तावित विस्तृत बहुक्षेत्रीय योजना की डिजायन में मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना-II तथा स्लम सफाई कार्यों को शामिल करने के लिए दिनांक 1.3.2005 को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है क्योंकि वर्तमान में राज्य के पास कोई अतिरिक्त ऋण लेने की क्षमता नहीं प्रतीत होती है। विश्व बैंक के बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञों का दल मुम्बई शहर को विश्व श्रेणी का शहर में बदलने के सिलसिले में 22 से 31 मार्च, 2005 के दौरान राज्य का पहले ही दौरा कर चुका है और उन्होंने दिनांक 30.3.2005 को सचिव (ई ए) के साथ एक बैठक भी की थी।

चर्म और वस्त्र निर्यात

6738. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चर्म तथा वस्त्र उद्योग दो ऐसे उद्योग हैं जो अपनी आकर्षक विकास संभावनाओं के कारण अपने-अपने क्षेत्र में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने का वादा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों की तुलना में विश्व बाजार में चर्म और वस्त्र उद्योगों का वर्तमान हिस्सा क्या रहा;

(ग) क्या चर्म और वस्त्र उद्योग में मौजूद विकास की भारी संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़े संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने तथा भागीदारी किए जाने की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कम उठाए गए हैं; और

(च) इन क्षेत्रों में 16 प्रतिशत के लक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चर्म और वस्त्र उद्योग निर्यातों के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इन दोनों उद्योगों की मुक्त कच्ची सामग्री, सस्ते श्रम की उपलब्धता और 1 जनवरी, 2005 से बहुफाइबर करार (एमएफए) के हटा लिए जाने जैसे आपूर्ति और मांग घटकों को ध्यान में रखते हुए बेहतर भावी संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका: यूएन 2004 के अनुसार भारत का विश्व में चमड़े, चमड़े के विनिर्माण और ड्रैस्ड पर स्कीन व्यापार में वर्ष 2000, 2001 और 2002 में क्रमश: 3.3%, 3.4% और 3.4% हिस्सा था। इन तीन वर्षों में वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, निर्मित वस्तुओं में भारत का विश्व व्यापार में क्रमश: 3.6%, 3.4% और 3.6% हिस्सा था।

(ग) से (च) यह मानते हुए कि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण है, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में इन दोनों क्षेत्रों के लिए विशेष फोकस पहलों की घोषणा की गयी है जिनमें शुल्क मुक्त आयात, निर्यात उत्कृष्टता के शहरों का अभिज्ञान और बाजार पहुंच पहल/बाजार

विकास सहायता (एमएआई/एमडीए) स्कीमों के अंतर्गत विपणन पहलों के लिए सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति और इसके वार्षिक परिशिष्ट में अनेक मुख्य कार्यनीतियां स्वीकार की गई हैं जिनसे इन दोनों क्षेत्रों को भी लाभ होगा। इनमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सौदा लागत में कमी, निर्यातों के लिए उत्पादन हेतु लगाई गई लेवियों और शुल्कों के भार को निष्क्रिय करना और विनिर्माण, व्यापार तथा सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र विकसित करना शामिल हैं।

यौन-उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए समिति गठित करना

6739. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक महाविद्यालय में यौन-उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर महाविद्यालयों द्वारा कौन सी अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कुछ महाविद्यालयों ने दावा किया है कि ऐसे आदेश अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 9 जून, 1998, 26 मार्च, 1999 और 30 मई, 2001 को जारी परिपत्रों के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/कुल सचिवों से अनुरोध किया है कि वे यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मामलों से निबटने हेतु अपने विश्वविद्यालयों तथा उनके अधीन संचालित कालेजों में स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण क्षेत्र में उत्पादन

6740. **श्री एस.के. खारवेन्थन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में काफी, चाय, रबड़ और काली मिर्च का सामग्री-वार उत्पादन क्या रहा तथा कितने क्षेत्र में इनका उत्पादन किया जाता है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन फसलों के लिए किसानों द्वारा वर्ष-वार कितनी कीमत प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान और वृक्षारोपण मजदूर बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो किसानों और वृक्षारोपण मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ वृक्षारोपण क्षेत्रों में गरीबी से मौतें हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) काफी, चाय, रबड़ और काली मिर्च का उत्पादन (हजार टनों में) निम्नानुसार था:

वस्तु	2002-2003	2003-2004	2004-2005
काफी	275.27	270.50	275.50#
चाय	837.60	850.49	765.15*
रबड़	649.45	711.65	750.00@
काली मिर्च	63.95	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

#अंतिम अनुमान, *जनवरी, 2005 तक, @अनंतिम

कृषि के अंतर्गत क्षेत्र* (हेक्टेयर में) (लगभग) निम्नानुसार था:

काफी	चाय	रबड़	काली मिर्च
354840	517655	578000	213870

*नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार

(ख) काफी, चाय, रबड़ और काली मिर्च की वर्षवार कीमत (रुपए किग्रा. में) निम्नानुसार थी:

वर्ष	काफी (बागान ए)	काफी (रोबस्टा चैरी एबी)	चाय
2002	56.86	27.92	55.95
2003	56.18	33.58	56.03
2004	72.16	34.94	64.57

वर्ष	रबड़	काली मिर्च
2002-2003	39.19	88.32
2003-2004	50.40	74.11
2004-2005	55.71	69.16

(ग) उत्पादन में ऐसी कोई भारी कमी नहीं हुई है।

(घ) से (च) वित्तीय कठिनाइयों के कारण बागान क्षेत्र में पिछले कुछ समय में आत्महत्या के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं; तथापि ऐसे मामलों के लिए अनेक अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं।

चाय उपजकर्ताओं की सहायता हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं-वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में चाय पर एक रुपए प्रति किग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को वापस लेना, चाय बागान क्षेत्र के दीर्घावधि विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान चाय पर एक रुपए प्रति कि.ग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूलियों से विशेष निधि की स्थापना करना, चाय क्षेत्र के लिए विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) का कार्यान्वयन करना, फरवरी से मई, 2004 तक की चार माह की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन करना, 1.4.2004 के लघु चाय उपजकर्ताओं और विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूले का कार्यान्वयन करना आदि।

काफी उपजकर्ताओं की मदद हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं-काफी उपजकर्ताओं द्वारा विशेष काफी आवधिक ऋण (एससीटीएल) के रूप में वाणिज्यक बैंकों से लिए गए ऋणों का पुन: निर्धारण/पुनर्गठन तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों के वापसी भुगतान पर बड़े एवं लघु उपजकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी।

सरकार ने 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु रबड़ बागान विकास स्कीम को अनुमोदित किया है। सरकार ने चाय, काफी, रबड़ तथा तम्बाकू उपजकर्ताओं के लाभार्थ कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की है।

सरकार विभिन्न बोर्डों के जरिए कामगारों एवं उनके आश्रितों के लाभार्थ कल्याणकारी कार्यक्रम तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करती हैं।

नान-टैरिफ बैरियर्स

6741. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही नान-टैरिफ बैरियर्स के मुद्दे के समाधान के लिए बेल्जियम से पहल की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नान-टैरिफ बैरियर्स परिकल्पित स्वास्थ्य, सफाई तथा फाइटोसैनिटरी मानकों के संबंध में सृजित किए जा रहे थे;

(घ) यदि हां, तो क्या बेल्जियम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वास्तविक आवक तथा अनुमोदित राशि के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत और बेल्जियम के बीच वर्ष 2002-03 के दौरान 5.37 बिलियन डालर की तुलना में 2003-04 के दौरान 5.7 बिलियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ; और

(च) यदि हां, तो भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता/पादप स्वच्छता मानकों के आधार पर यूरोपीय संघ (ईयू) में भारतीय निर्यातकों के समक्ष आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं के मुद्दों को अन्य बातों के साथ-साथ बेल्जियम के प्रिंस फिलिप के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल, जिसने 12 और 19 मार्च, 2005 के बीच भारत का दौरा किया था, के साथ हुई परस्पर वार्ताओं के दौरान उठाया गया था। अपने भारतीय समकक्ष अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेल्जियम के व्यवसायियों ने संभावित क्षेत्रों में भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने में रुचि दिखाई थी। इन पहलों से बेल्जियम द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किए जाने के संबंध में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) जी हां।

(च) भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार में सुधार हेतु किए गए प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार में आने वाली बाधाओं का समाधान करने के लिए सरकारी स्तर पर नियमित वार्ताएं करना, भारतीय उद्योग को अन्य बातों के साथ बाजार अध्ययन, व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल हैं।

अमरीकी काल सेंटरों का स्थानांतरण

6742. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में कुछ अमरीकी काल सेंटर अन्य एशियाई देशों में अपना बेस शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के काल सेंटर चलाने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान करते समय निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 24.1.2005 को प्रकाशित एक समाचार में एक निजी कंपनी साइकेस इंटरप्राइजेज" के अपने आऊटसोर्सिंग व्यवसाय को भारत से किसी अन्य अज्ञात गंतव्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया है। समाचार पत्र द्वारा इस व्यवसाय स्थानांतरण का मुख्य कारण कंपनी का एक पूर्णतः वित्तीय निर्णय बताया गया है। इस समाचार रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है।

(ग) दूरसंचार विभाग देश में काल सेंटर्स चलाने के लिए कोई लाइसेंस प्रदान नहीं करता है। तथापि दूरसंचार विभाग द्वारा ऐसे मामले "अन्य सेवा प्रदाता" श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। पंजीकरण के लिए अपेक्षित शर्तें डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इनवेस्टइंडियाटेलीकाम.काम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

दोहा राउंड की उपलब्धियां

6743. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पिछले वर्ष अगस्त में दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन में प्रारूप समझौते के सभी प्रमुख उद्देश्य को हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले समान विचार रखने वाले देश कौन-कौन से हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) डब्ल्यू टी ओ महापरिषद् द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2004 को आम सहमति से पारित कार्य ढांचा करार में कृषि, गैर कृषि बाजार पहुंच, व्यापार सुविधा और खासकर विकास से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए आगे वार्ताएं करने के लिए सिद्धांत और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। व्यापार एवं निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति और सरकारी खरीद से संबंधित मुद्दों को हटा दिया गया है। जहां तक सेवा एवं विकास से जुड़े मुद्दों का संबंध है, इसमें उनके विकासपरक पहलुओं की महत्ता को स्वीकार कर लिया गया है तथा समयसीमाएं निर्धारित की गई हैं।

भारत में कृषि पर वार्ताओं सहित वार्ताओं के विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किए गए मसौदों में समुचित समाधान हेतु भारत की चिन्ता के विशिष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। भारत ने कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन (जो इस समय 21 विकासशील देशों का एक गठबंधन है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका तथा थाइलैंड शामिल हैं) और विशेष उत्पादों से संबंधित जी-33 गठबंधन (42 विकासशील देशों का मौजूदा गठबंधन जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, कोरिया, मारीशस, श्रीलंका, तुर्की एवं जिम्बाब्वे शामिल है) सहित समान विचारों वाले विकासशील देशों के साथ साझा दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियां तैयार करने के लिए संयुक्त प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित हुआ है कि कृषि संबंधी सहमत कार्यढांचे में समाविष्ट सिद्धांतों से विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने कृषि क्षेत्र को प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडी में पर्याप्त कमी होती है, उनकी निर्यात सब्सिडी की समाप्ति हेतु एक विश्वसनीय अंतिम तारीख तय होती है और विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार होता है। इसके अलावा कृषि संबंधी वार्ता हेतु दोहा अधिदेश के अनुरूप भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा खासकर बाजार पहुंच में की जाने वाली किसी अतिरिक्त वचनबद्धता से उनकी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का समाधान एवं ग्रामीण विकास की जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए।

दिनांक 1 अगस्त, 2004 के कार्यढांचा करार में भारत के हितों और चिन्ताओं का विधिवत समाधान किया गया है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना रहा है कि वार्ताओं में समुचित भागीदारी के जरिए और डब्ल्यू टी ओ के समान विचारों वाले सदस्यों एवं जी-20 तथा जी-33 जैसे सदस्यों के समूहों के साथ गठबंधन के जरिए भारत के हितों की सुरक्षा होती है।

कार्यढांचा करार चल रही बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं की समाप्ति की दिशा में केवल एक अंतरिम चरण है। अगले कदम से रूपरेखाओं को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा जिसकी परिणति अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ कमी हेतु फार्मूले के साथ-साथ घरेलू सहायता में कमी हेतु फार्मूले पर सहमति एवं कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडी की समाप्ति हेतु वास्तविक तारीख के निर्धारण के रूप में होगी। भारत इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जैसे-जैसे वार्ताएं आगे बढ़ती जाएं, हमारी चिन्ताओं का समुचित समाधान होता रहे।

उत्पादों का पेटेंट

6744. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर भेषज क्षेत्र में उत्पादों को पेटेंट दिये जाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादों को पेटेंट दिये जाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, किसी पेटेंट के आवेदन की तब तक जांच करना अपेक्षित नहीं है, जब तक कि ऐसा करने के लिए अनुरोध न किया जाए। इस समय, पेटेंट कार्यालय में निपटान हेतु 4384 अनुरोध लंबित हैं, जो प्रौद्योगिकी के समस्त क्षेत्रों में उत्पाद व प्रक्रिया, दोनों से ही संबंधित हैं। इनमें से 2280 भेषजों की श्रेणी में आते हैं और वर्तमान में उन पर कार्यवाही चल रही है।

(ग) पेटेंट प्रदानगी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने पेटेंट कार्यालयों के व्यापक आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया है। इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं-मौजूदा विधियों की समीक्षा करना और नई उपयोगकर्तानुकूल विधियों का विकास करना, पेटेंट प्रदानगी की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण, अतिरिक्त जांचकर्ताओं की भर्ती एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन क्षमताओं का विकास, कार्यालयों की नेटवर्किंग नवीनता खोज सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, जागरूकता एवं आउटरीच कार्यकलाप। ये कानूनी उपायों के अतिरिक्त हैं, जैसे कि पेटेंट आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण और समय-सीमाओं को युक्तिसंगत बनाना।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण

6745. श्री संजय धोत्रे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल, सिविल तथा बागवानी डिवीजनों में कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता के स्तर के अधिकारियों के एक स्टेशन पर तैनाती की सामान्य समय-सीमा 3-4 वर्ष हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ग्रेडों वाले उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अधिक समय तक दिल्ली-स्टेशन में तैनात हैं तथा इनमें से उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थानांतरण आदेश के बाद भी कार्यमुक्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के तुरन्त स्थानांतरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। दिल्ली में कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता की तैनाती का सामान्य कार्यकाल क्रमशः 12 और 10 वर्ष है जबकि कार्यपालक अभियन्ता के स्तर के अधिकारियों के मामले में यह 5 वर्ष है।

(ख) विवरण के अनुसार ब्यौरा उपलब्ध है।

(ग) और (घ) दिल्ली के अलावा अन्य स्टेशनों पर उपलब्ध विभिन्न ग्रेडों के पदों की संख्या बहुत कम है। इसलिए एक स्टेशन पर कार्यकाल पूरा करते ही सभी अधिकारियों का स्थानांतरण करना तथा दूसरे स्टेशनों पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों को समान संख्या में लाना संभव नहीं है। प्रत्येक स्टेशन पर रहने की अवधि के आधार पर स्थानांतरण किए जाते हैं। कई बार अधिकारियों को अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद भी चिकित्सा या अनुकम्पा आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता या 2 वर्ष के भीतर लंबित सेवानिवृत्ति पर एक स्टेशन पर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विवरण

दिल्ली में समय से अधिक ठहरने वाले विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों के मामले में स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए गए हैं किन्तु जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, की संख्या

पद का नाम	दिल्ली में समय से अधिक रहने वाले अधिकारी	अधिकारी जिन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है
1	2	3
कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)	40	9
कार्यपालक अभियन्ता (वैद्युत)	10	3
सहायक अभियन्ता (सिविल)	249	36
सहायक अभियन्ता (वैद्युत)	52	15

1	2	3
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	245	69
कनिष्ठ अभियन्ता (वैद्युत)	246	23
उप निदेशक (बागवानी)	2	-
सहायक निदेशक (बागवानी)	-	-
अनुभाग अधिकारी (बागवानी)	3	-

विशेष पैकेज तथा रियायतें

6746. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए विशेष पैकेज तथा रियायतें स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त श्रेणी के तहत राज्य के चयन के लिए अपनाएं जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा तथा महाराष्ट्र सबसे अधिक पिछड़े राज्य हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन राज्यों का उक्त श्रेणी में शामिल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों के लिए एक नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों की क्रमश: दिनांक 14.06.2002, 23.12.2002 और 07.01.2003 को घोषणा की थी। नीतिगत पैकेज के अंतर्गत, राज्य में स्थापित औद्योगिक एककों को विभिन्न रियायतों की अनुमति है जिनमें औद्योगिक अवसंरचना का विकास, उत्पाद-शुल्क और आयकर में छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजसहायताएं शामिल हैं। इन राज्यों के पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम होने के कारण ही इनके लिए पैकेज (पेकेजों) की घोषणा की गई थी। चूंकि उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों को ऐसे भौगोलिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है इसलिए इन राज्यों में स्थित उद्योगों के लिए किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन-पैकेज का प्रस्ताव नहीं है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेशनरी आफिस पर व्यय

6747. **श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेशनरी आफिस के क्रय स्कंध की निगरानी पर हुआ व्यय इसके कार्यभार के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् इसके बजट आबंटन और कार्य निष्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसको समाप्त करने अथवा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ इसी प्रकार की क्रय एजेंसी के साथ प्रबंधन करने का है;

(घ) क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेशनरी आफिस का बजटीय आबंटन इसकी आवश्यकता पर आधारित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। व्यय सुधार आयोग ने भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता को बंद करने की सिफारिश की है। तथापि, इस मंत्रालय ने उक्त आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की है तथा इस कार्यालय को बनाए रखने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। इन्हें बंद करने/जारी रखने संबंधी अन्तिम निर्णय लिए जाने तक सरकार द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान मुहैया नहीं कराया जा रहा। इस समय उपर्युक्त परिस्थितियों में सामग्री की खरीद और आपूर्ति के बजट अनुदान की संस्थापना व्यय के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद बजट नियतन और व्यय का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) मुद्रण और लेखन सामग्री कार्य भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियमों में शहरी विकास मंत्रालय को आबंटित किया गया है। भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय कोलकाता खुली सामान्य निविदा के जरिए तथा आपूर्ति वन निपटान महानिदेशालय की दर संविदा के जरिए, लेखन सामग्री भंडार की खरीद करता है। मुद्रण और लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा खरीदी जा रही सभी मदें आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदा पर उपलब्ध नहीं है। अत: किसी समकक्ष खरीद एजेंसी द्वारा आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय के साथ भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय के कार्यों के प्रबंधन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय की मांग के आधार पर बजट आबंटन संगठन को बंद करने संबंधी व्यय सुधार आयोग की सिफारिश के साथ जुड़ा है और जारी रखने या न रखने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने पर ही इस पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान			वास्तविक व्यय		
		सामग्री और आपूर्ति	संस्थापना	कुल	सामग्री और आपूर्ति	संस्थापना	कुल
1.	2002-03	20.00	8.78	28.78	14.39	8.34	22.73
2.	2003-04	15.00	9.07	24.07	13.32	8.42	21.74
3.	2004-05	5.00	9.13	14.13	5.10	9.21	14.31
4.	2005-06	5.00	9.57	14.57	-	-	-

विदेश व्यापार

6748. **मोहम्मद शाहिद:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेश व्यापार में वृद्धि करने हेतु कुछ विनिर्माताओं के लिए "सर्वड् फ्राम इंडिया" नामक एक योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत पात्र बनने के लिए विनिर्माताओं द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अजित की जानी अपेक्षित है;

(घ) क्या इस योजना से मांस व्यापारियों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) "सर्वड् फ्राम इंडिया" स्कीम विदेश व्यापार नीति 2004-09 में दिनांक 31.8.2004 को शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य "सेवाओं" के निर्यात में वृद्धि को बढ़ाना है ताकि एक शक्तिशाली और अद्वितीय सर्वड् फ्राम इंडिया ब्रांड तैयार किया जा सके जो इस समय पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त और आदरणीय है। ऐसे सभी सेवा प्रदाता जिन्होंने पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10 लाख रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित की है, शुल्क ऋण हकदारी के लिए पात्र हैं। तथापि, व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के लिए पिछले वित्त वर्ष में 5 लाख रु. का पात्रता मानदंड है।

सभी सेवा प्रदाता (होटलों और रेस्टोरेंटों को छोड़कर) पिछले वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10% के बराबर शुल्क ऋण के लिए पात्र हैं। तथापि, यह पात्रता एक स्टार और अधिक के होटलों के लिए (मैनेज्ड होटलों और हैरिटेज होटलों सहित) 5% और स्टैंड एलोन रेस्टोरेंट के लिए 20% तक सीमित है।

(घ) से (च) जी नहीं, क्योंकि मांस व्यापारी सर्वड् फ्राम इंडिया स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो केवल वस्तुओं के निर्यातों के लिए नहीं बल्कि सेवा निर्यातों के लिए है।

महाराष्ट्र की बार-बालाएं

6749. **श्री हंसराज जी. अहीर:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की बार-बालाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग से राज्य के डांस बारों में अपने प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामले को उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय आयोग और महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से उक्त प्रतिबंध से प्रभावित हुए लोगों के लिए रोजगार और वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) अब तक इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि बार-बाला संघ के एक प्रतिनिधि ने आयोग की एक सदस्य से मुलाकात की थी तथा इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति 2.5.2005 को मुम्बई जा चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि उसे 12.4.2005 को भारतीय बार-बाला यूनियन, थाणे से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को बार बालाओं का उपयुक्त पुनर्वास किये बिना डांस-बारों को बन्द न करने का निदेश देने का अनुरोध किया गया है। शिकायत का अध्ययन करने के बाद 12.4.2005 को आयोग ने निदेश दिया कि शिकायत को महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को 4 सप्ताह के अन्दर अपनी टिप्पणियां देने हेतु भेजा जाय। तद्नुसार, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को आयोग के निदेशों के बारे में सूचित कर दिया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि आयोग के पत्र की प्राप्ति की तारीख से 4 सप्ताह के अन्दर अपनी टिप्पणियां भेज दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

(च) मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

सी.आई.पी.ई.टी. की स्थापना

6750. श्री राम सिंह कस्वां: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में सी.आई.पी.ई.टी. की स्थापना की गयी है;

(ख) इस कार्य में केन्द्र/राज्य सरकारों का अलग-अलग अंशदान कितना है;

(ग) तत्संबंधी राजस्व व्यय किस प्रकार वहन किया जाता है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार गत 6-7 वर्षों से केन्द्र सरकार से जयपुर, राजस्थान में सी.आई.पी.ई.टी. की स्थापना करने का अनुरोध कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेकनालाजी (सी.आई.पी.ई.टी.) की स्थापना तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में की गई है। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में सी.आई.पी.ई.टी. केन्द्रों की लागत उठाने का अनुपात 7वीं व 8वीं योजनावधि के दौरान राज्य और केन्द्र सरकार के बीच 50:50 है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर स्थित सी.आई.पी.ई.टी. केन्द्रों की स्थापना 9वीं और 10वीं योजनावधि के दौरान राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से इक्विटी सहभागिता के आधार पर किया गया है।

(ग) सभी सी.आई.पी.ई.टी.केन्द्रों के लिए 3 वर्षों की परियोजनावधि के दौरान राजस्व व्यय को राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 आधार पर पूरा किया जाता था। परियोजनावधि के पूरा हो जाने पर, केन्द्र सरकार द्वारा तब तक राजस्व व्यय को गैर-योजना सहायता अनुदान के जरिये पूरा किया जाता है, जब तक केन्द्र राजस्व व्यय को पूरा करने में आत्म-निर्भर नहीं हो जाता।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने झुंझुनू (राजस्थान) में एक सी.आई.पी.ई.टी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को 1997 में अनुमोदन प्रदान किया था। किंतु विभिन्न कारणों से यह केन्द्र स्थापित न किया जा सका। वर्ष 2003 में, राजस्थान सरकार ने जयपुर में एक

सी.आई.पी.ई.टी. केन्द्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। भारत सरकार ने कुल 23.76 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस प्रस्ताव को फरवरी, 2005 में अनुमोदित कर दिया है, जिसे राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा बराबरी के आधार पर पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

व्यापार संबंधी बाधाएं

6751. श्री गुरूदास कामत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों ने भारत पर अपने औद्योगिक हितों से संबंधित व्यापार बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन देशों और उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध व्यापारिक बाधाएं खड़ी की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत कोई व्यापार बाधाएं लागू नहीं करता है। कुछ देश कभी-कभी भारत को उनके निर्यातों को प्रभावित करने वाले हमारे घरेलू विनियमनों के मुद्दे उठाते हैं।

(ख) और (ग) ऐसे कुछ घरेलू विनियमन एवं शर्तें हैं जो भारत में आयातों पर लागू होती हैं और उन्हें कभी-कभी निर्यातक देशों द्वारा भारत को उनकी निर्यात योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाता है।

[हिन्दी]

"स्टीलवेल" का पुनर्निर्माण

6752. श्री संतोष गंगवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए चीन के पुन्नाह प्रांत को म्यांमार और भारत से जोड़ने वाले ऐतिहासिक स्टील वेल राजमार्ग के पुनर्निर्माण कार्य को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन के पुन्नान्ह प्रान्त को म्यांमार और भारत से जोड़ने वाले स्टिलवेल राजमार्ग के पुनर्निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

6753. श्री रनेन बर्मन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों के रिकार्ड को डिजिटल बनाने तथा पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है ताकि डी.डी.ए. के कार्यालयों में दलालों के प्रवेश को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) डी.डी.ए. के सभी कर्मचारियों को कब तक पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे; और

(घ) इसके फलस्वरूप डी.डी.ए. कार्यालयों में दलालों के प्रवेश को रोकने में कितनी सफलता मिली है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उन्होंने कार्मिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली के भाग के रूप में कर्मचारियों के रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करने का निर्णय लिया है। डीडीए अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करता रहा है और पिछले पांच वर्षों के दौरान 20,549 पहचान पत्र जारी/नवीकृत किये गये हैं। डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि पहचान पत्र जारी करने/नवीकरण के लिए कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

(घ) डीडीए ने सूचित किया है कि सभी प्रवेश द्वारों पर पहचान पत्रों की जांच की जाती है और यह प्रणाली अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने में कारगर रही है।

कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम

6754. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और तत्पश्चात् आज तक देश में, राज्यवार, विशेषकर असम में, कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कितने लोग प्रशिक्षित हुए; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य में जिलों के चयन के दौरान असम के किन-किन जिलों को प्राथमिकता दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) असम राज्य में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के संचालनार्थ प्राथमिकता प्रदान किए गए जिलों में करीमगंज, कोकराझार, डिब्रुगढ़, सिबसागर, दरांग, तिनसुकिया, बारपेटा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, लखीमपुर, कछार, बोंगाईगांव, हैलाकाण्डी, ग्वालपारा, कारबी आंगलांग तथा नौगांव शामिल हैं।

विवरण

उन राज्यों के नाम जहां इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम प्रचालित किया है

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरूणाचल प्रदेश	202	464	146
2.	नागालैण्ड	137	52	30
3.	मणिपुर	-	326	742
4.	मिजोरम	78	398	315
5.	त्रिपुरा	97	544	845
6.	असम	36	497	448
7.	मेघालय	112	428	206
8.	सिक्किम	-	20	195
9.	उड़ीसा	-	-	391
10.	बिहार	-	-	815
11.	झारखण्ड	-	-	430
12.	मध्य प्रदेश	-	-	125
13.	उत्तर प्रदेश	-	-	12

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

6755. श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी खबर है कि लौह अयस्क का निर्यात करने वाली कंपनियां निर्यात संबंधी उपबंधों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या देश में लौह अयस्क का भंडार अपर्याप्त है; और

(च) लौह अयस्क के विदेश व्यापार पर इस तरह प्रतिबंध लगाए जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के एक संयुक्त दल ने लौह अयस्क के परेषणों की परीक्षण जांच की थी जिसमें केवल एक परेषण में उसी का निर्यात करने के लिए वैद्य अनुमति प्राप्त किए बगैर 64% से अधिक लौह तत्व वाला लौह अयस्क निर्यात किया हुआ पाया गया था और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन तदनुसार फर्म पर वित्तीय जुर्माने के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं।

(ङ) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में लौह-अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एसटीसी द्वारा निवेश

6756. श्री रघुनाथ झा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) ने विशेषज्ञ एजेंसी की राय के विरुद्ध वर्ष 1995 के दौरान दो जलचर पालन परियोजनाओं में 2.15 करोड़ रुपए का निवेश किया था और परिणामस्वरूप इसे पूरे निवेश में घाटा हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह हुए घाटे के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एसटीसी को इस घाटे की भरपाई किस तरह किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) एसटीसी ने निर्यातों के लिए आबद्ध आपूर्ति आधार विकसित करने की दृष्टि से मै. ब्लू गोल्ड मेरीटेक इंटरनेशनल लि. और मै. रिचफील्ड एक्वोटेक लि. के साथ दिनांक 15.9.1995 को क्रमश: 1.60 करोड़ रु. और 0.55 करोड़ रु. की इक्विटी से दो अलग-अलग जल कृषि संयुक्त उद्यम करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस भागीदारी का निर्णय परियोजनाओं के पूरे मूल्यांकन और विशेषज्ञ एजेंसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया था।

(ग) और (घ) चूंकि यह निर्णय विशेषज्ञ एजेंसी की सलाह सहित सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित में लिया गया था और चूंकि यह मामला किसी भी स्तर पर दुर्भावपूर्ण मंशा न होते हुए सामान्य व्यवसाय घाटे का था, इसलिए कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सका।

(ङ) संवर्धनकर्त्ताओं का पक्षकारों के साथ किए गए करारों के अनुसार लागत जमा ब्याज आधार पर एसटीसी की इक्विटी धारिता खरीदने का दायित्व था। तथापि, संवर्धनकर्त्ताओं द्वारा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए मध्यस्थता/वसूली की कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

रत्न-परीक्षण विज्ञान संस्थान

6757. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बाजार में बिकने वाले 93 प्रतिशत हीरे को भारत में तराशा और चमकाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डिजाइन बदलने और इन उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए रत्न-परीक्षण विज्ञान केन्द्र आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ताकि बढ़ते विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में सक्षम बने बनाए आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विश्व के तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरा बाजार में कीमतों के अनुसार भारत का लगभग 92% हिस्सा है। तथापि तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों में हमारा बाजार का हिस्सा मूल्य के अनुसार लगभग 60% है।

(ख) और (ग) कोई रत्न संस्थान शुरू करने के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे किसी संस्थान को स्थापित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से किसी विशिष्ट अनुमोदन की आवश्कता नहीं है।

(घ) मौजूदा विदेश व्यापार नीति में तैयार आभूषणों सहित रत्न एवं आभूषण के निर्यात को एक जोर दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है और इसके लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

(1) 8 कैरेट और अधिक के स्वर्ण का आयात पुन:पूर्ति स्कीम के अंतर्गत अनुमत होगा बशर्ते कि शुद्धता, वजन, मिश्र धातु हिस्से को विनिर्दिष्ट करते हुए एक कसौटी प्रमाण पत्र आयात के साथ लगा हो।

(2) स्वर्ण और प्लेटिनम को छोड़कर धातुओं के लिए उपभोज्य वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की पात्रता पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 2% के लिए होगी।

(3) वाणिज्यिक नमूनों के आयात की शुल्क मुक्त पात्रता 3,00,000 रु. होगी।

(4) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात प्रात्रता निर्यातों के एफओबी मूल्य की 2% होगी।

(5) रत्न और आभूषणों का तराशना और पालिश करना आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ विनिर्माण समझा जाएगा।

रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्र को दी गई कुछ अन्य सुविधाओं में बिना तराशे हीरों का शुल्क और लाइसेंस मुक्त आयात, हीरा खनन देशों से बिना तराशे, हीरों की सीधी खरीद, आभूषण क्षेत्र के डिजाइनिंग में कुशलता प्रदान करने के लिए सरकार की वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में प्रशिक्षण बुनियादी सुविधाएं सृजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।

सुरंग का निर्माण

6758. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने से पहले रिंग रोड और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बीच एक सुरंग के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सुरंग परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार ने रिंग रोड पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के शुरू होने से पहले एन.एच.-24/रिंग रोड इंटरसेक्शन और नीला गुम्बद के बीच सुरंग आधारित सड़क के निर्माण का एक प्रस्ताव है। तथापि प्रस्ताव योजना के आरंभिक चरण में ही है और कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

लिंग भेद

6759. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विकास सूचकों के संबंध में लिंग के आधार पर अलग-अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण पुरुषों के साथ समानता प्राप्त करने की दिशा में महिलाओं की स्थिति सुधारने के कार्य में हुई प्रगति की निगरानी करने में राज्य और जिला स्तरों पर बड़ी समस्या रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा महिलाओं पर कराए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि महिलाओं के 51 प्रतिशत कार्य को मान्यता नहीं मिलती है और इसलिए इस कार्य का उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले से संबंधित प्राधिकारियों/संगठनों से चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक सफलता हासिल हुई है; और

(छ) सरकार द्वारा महिलाओं के कार्य को देश के राष्ट्रीय लेखाओं में दर्शाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) यद्यपि सभी स्तरों पर सभी विकास संसूचकों हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि महिला-पुरुष अनुपात, साक्षरता दरों, स्कूलों में नामांकन के अनुपात, स्कूली शिक्षा छोड़ने के मामलों की दरों, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, पंचायती राज संस्थाओं आदि में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में राज्य-स्तर पर ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं। जिला-स्तर पर भी ऐसे कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। विभिन्न विकास संसूचकों के क्षेत्रों में की गई प्रगति के प्रबोधन के लिए ऐसे आंकड़े अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्ष 1998-99 में गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा तथा तमिलनाडु नामक छः राज्यों में समय के उपयोग का सर्वेक्षण कराया था, ताकि घरेलू कार्य के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पुरुषों एवं महिलाओं के योगदान का मूल्यांकन किया जा सके। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि महिलाओं द्वारा 50.52 प्रतिशत तथा पुरूषों द्वारा 33.15 प्रतिशत अवैतनिक कार्य किए जा रहे थे।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने समय के उपयोग के सर्वेक्षण के आधार पर 'अवैतनिक घरेलू कार्य का मूल्यांकन' तथा 'कार्य बल का आकलन' के दो कार्य आरम्भ किए। उपर्युक्त कार्यों के आधार पर तैयार किए गए दो संकल्पना-पत्रों पर नई दिल्ली में 8-9 अक्तूबर, 2002 को 'समय के उपयोग संबंधी आंकड़ों का अनुप्रयोग' विषय पर आयोजित की गई राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने समय के उपयोग के सर्वेक्षण में शामिल किए गए कार्यकलापों का वर्गीकरण करने के लिए 'समय के उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुप्रयोग' विषय पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(च) हमारे देश में महिलाओं से संबंधित आंकड़ों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इनके संग्रहण एवं संकलन में सुधार हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में महिला मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु अनेक संसूचकों का अभिनिर्धारण तथा महिलाओं से संबंधित विशिष्ट आंकड़ों के संग्रहण हेतु संगठनों का अभिनिर्धारण करने वाली राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। उक्त राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुवर्तन के परिणामस्वरूप भूमि के स्वामित्व, बैंकों से ऋण की उपलब्धता जैसे कुछ संसूचकों और मातृ मृत्यु दर के संबंध में महिलाओं के सम्बन्ध में अलग आंकड़ों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है।

(छ) महिला मुद्दों से संबंधित आंकड़ों में सुधार की राष्ट्रीय कार्य योजना में महिलाओं के योगदान से जुड़ा कार्य बिन्दु भी शामिल था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राष्ट्रीय खातों में महिलाओं के योगदान का आकलन कर सकता है तथा पांच वर्ष में कम-से-कम एक बार तत्संबधी आंकड़ों को प्रकाशित कर सकता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने भी भारतीय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों) में सुधार हेतु अनेक अनुशंसाएं की हैं।

एक्सपोर्ट अर्नर्स फारेन करेंसी

6760. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुखी इकाइयों से अलग निर्यातकों को एक्सपोर्ट अर्नर्स फारेन करेंसी अकाऊन्ट में 100 प्रतिशत परिवर्तनीयता की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) निर्यातोन्मुखी इकाइयों से बाहर से प्रचालन करने वाले निर्यातकों के लिए निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में 100 प्रतिशत परिवर्तनीयता को अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव वाणिज्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा खाता स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को उनके ईईएफसी खाते के लिए विदेशी मुद्रा का 100% उधार देने की अनुमति दी गई है:

(1) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में कोई इकाई;

(2) कोई दर्जा धारक निर्यातक; और

(3) भारत में किसी निवासी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में दी गई व्यवसायिक सेवाओं के लिए।

फूलों का निर्यात

6761. श्री एम. शिवन्ना:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के फूलों का कुल कितना/कितने मूल्य का निर्यात/आयात किया गया है और उन देशों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक किस्म के फूलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या गुलाब के निर्यात में विशेषकर बंगलौर और होसट के गुलाब के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से विशेषकर बंगलौर और होसट से निर्यात किए गए विभिन्न किस्मों के गुलाब के फूलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगलौर और होसट के गुलाब की भारी मांग है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बंगलौर और होसट से तथा देश के अन्य स्थानों से निर्यात किए जाने वाले विभिन्न किस्मों के गुलाब के फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) (1) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित पुष्पों की मात्रा निम्नानुसार है:

मात्राः मीट्रिक टन में, मूल्यः करोड़ रु. में

2001-02		2002-03		2003-04	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
4646.00	3799.00	4355.00	43.23	3140.00	45.74

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

किस्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पुष्पों का निर्यात मुख्यतः जापान, नीदरलैंड, यूएसए, यूके, जर्मनी और इटली को किया गया था।

(2) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान टहनी युक्त फूल समेत पुष्पोत्पादों के आयात का मूल्य निम्नानुसार है:

मूल्यः करोड़ रु. में

2001-2002	2002-2003	2003-2004
5.71	11.28	9.01

इनका आयात मुख्यतः नीदरलैंड, चीन और थाइलैण्ड से किया गया है।

(ख) पुष्पोत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं: छः कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना और प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी करना। निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु स्कीमों के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। पुष्पों के निर्यात हेतु बंगलौर, मुम्बई और नोएडा में थोक-बाजार सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(ग) से (ङ) गुलाबों के निर्यात के बारे में राज्य-वार और किस्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगलौर और होसुर के गुलाबों की मांग में वृद्धि हुई है। ये जापान के बाजार में जगह बना रहे हैं।

(च) और (छ) देश से पुष्पोत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है। बंगलौर और होसुर से गुलाबों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैः कृषि निर्यात जोनों, होसुर में एक पुष्प नीलामी केन्द्र, एक पुष्पोत्पाद अवसंरचना पार्क, बंगलौर और चेन्नई हवाई अड्डों पर कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं की स्थापना करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधान की समीक्षा

6762. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और महिलाओं और बच्चों से संबंधित कृतिक बल ने महिलाओं और बच्चों के लिए विद्यमान विधान की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और कृतिक बल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विद्यमान विधान में संशोधन करने अथवा महिला अधिकारिता और बाल विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिलाओं और बच्चों पर कार्य बल ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों की महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की। इन कानूनों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य इन कानूनों में संशोधन के विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा कार्य बल द्वारा की गई अनुशंसाओं की जांच व कार्यान्वयन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है। इस समिति में इन कानूनों से प्रशासनिक रूप से जुड़े मंत्रालयों/विभागों तथा महिला स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	अधिनियम का नाम	समीक्षक	
		रा.म.आ.	कार्यबल
1	2	3	4
1.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	हां	हां
2.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	हां	हां
3.	स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	हां	हां
4.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	हां	हां
5.	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984	हां	हां
6.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	हां	हां
7.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	हां	हां
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	हां	हां
9.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	हां	हां
10.	कारखाना अधिनियम, 1948	हां	हां
11.	अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979	हां	हां
12.	विधि व्यावसायी (महिला) अधिनियम, 1923	हां	हां
13.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	हां	हां
14.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	हां	हां
15.	भारतीय दण्ड संहिता के प्रासंगिक उपबन्ध	हां	हां
16.	दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक उपबन्ध	हां	हां
17.	बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	नहीं	हां
18.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936	नहीं	हां
19.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	नहीं	हां
20.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923	नहीं	हां
21.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	नहीं	हां
22.	चलचित्र अधिनियम, 1952	नहीं	हां
23.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	हां	नहीं
24.	प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994	हां	नहीं

1	2	3	4
25.	किशोर न्याय अधिनियम, 1986	हां	नहीं
26.	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	हां	नहीं
27.	विदेशी विवाह अधिनियम, 1969	हां	नहीं
28.	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1990	हां	नहीं
29.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	हां	नहीं
30.	विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874	हां	नहीं
31.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	हां	नहीं
32.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	हां	नहीं
33.	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869	हां	नहीं
34.	हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	हां	नहीं
35.	हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956	हां	नहीं
36.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	हां	नहीं
37.	मुस्लिम स्वीय विधि (वरीयता) अधिनियम, 1937	हां	नहीं
38.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध	हां	नहीं
39.	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	हां	नहीं
40.	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866	नहीं	नहीं
41.	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987	नहीं	नहीं
42.	सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	नहीं	नहीं
43.	खान अधिनियम, 1952	नहीं	नहीं
44.	ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15)	नहीं*	नहीं

*राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधायी विभाग द्वारा प्रस्तावित ईसाई विवाह विधेयक, 2000 के प्रारूप पर कतिपय टिप्पणियां की हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

6763. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में क्षमता के सृजन के लिए दस अतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकार पीठों की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में दस अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पीठों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इनमें से तीन पीठें भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में स्थापित

की जाएंगी—बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन के क्षेत्र में अहमदाबाद, कोलकाता अं.र बंगलौर स्थित आईआईएम में एक-एक; पांच पीठों की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में की जाएगी—पेटेंटों, ट्रेड मार्कों, औद्योगिक डिजाइनों और भौगोलिक संकेतों से संबंधित आईपीआर क्षेत्र में दिल्ली, खड़गपुर, चेन्नई, मुम्बई और कानपुर स्थित आईआईटी में एक-एक; तथा दो अन्य पीठें—बौद्धिक सम्पदा और विकास के क्षेत्र में दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय और स्कूल आफ इकोनोमिक स्टडीज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक-एक स्थापित की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपकी जानकारी हेतु सभा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): हमारे गुजरात के बारे में श्री प्रमोद महाजन जी ने कहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। यदि आप सभा की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान पैदा करेंगे तो आपको इस सभा से बाहर जाना होगा। यह सब क्या हो रहा है? यह हंसी मजाक का विषय नहीं है। आप मुस्कराइए मत। आप अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के समय व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आपको यह सब करने के लिए किसने कहा है?

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा में किए गए कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आपकी जानकारी हेतु मैं इस सभा द्वारा पिछले सप्ताह अर्थात् 2 से 6 मई, 2005 तक किए गए मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकृत किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया। 955 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 56 मामले उठाए। इसके अतिरिक्त, प्रश्नकाल के पश्चात् अविलंबनीय लोक महत्व के 57 मामले उठाए गए।

तीन दिनों में 10 घंटे 21 मिनट तक हुई व्यापक चर्चा, जिसमें 32 सदस्यों ने भाग लिया, के पश्चात् सभा ने वित्त विधेयक, 2005 पारित किया। सभा ने संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2005, राज्य सभा द्वारा यथा पारित नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005 और राज्य सभा द्वारा यथा पारित तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 और धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 जैसे महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा करने और उन्हें पारित करने के लिए 4 घंटे और 14 मिनट का समय दिया।

सभा ने चुनाव सुधारों के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत अल्प अवधि चर्चा करने में 6 घंटे और 35 मिनट का समय लिया।

दो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा की गई। एक संकल्प श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा 16 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा की गई और उसे अस्वीकृत किया गया और दूसरा श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा की गई।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने सभा को 12 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

माननीय सदस्यगण, पिछले सप्ताह के दौरान, आवश्यक कार्य करने के लिए सभा की बैठक लगभग 4 घंटे और 50 मिनट की अवधि तक देर तक चली।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 6)—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—पेट्रोलियम सेक्टर, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2149/05]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2150/05]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2151/05]

(5) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2152/05]

(7) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2153/05]

(9) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2154/05]

(11) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2155/05]

(13) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2156/05]

(15) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2157/05]

(17) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2158/05]

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2159/05]

(21) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2160/05]

(23) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2161/05]

(25) (एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2162/05]

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मद्रास), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मद्रास), चेन्नई के वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मद्रास), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2163/05]

(29) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन/(जी)/रजिस्ट्रार/2003/1706 जो 16 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। जिसमें रजिस्ट्रार की स्थिति के संबंध में परिनियम 5(6)(दो) और (तीन), उपखंड (ख), (ग) और (घ), 9 (सात) और 10(1)(चार) में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन/(जी)/आर्ड, 14/2000/1710 जो 16 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें विभिन्न डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों के प्रवेश, पात्रता, अवधि और संरचना के बारे में अध्यादेश संख्या 14 के खंड 1(3) में संशोधन/परिवर्धन अंतर्विष्ट हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन/(जी)/रजिस्ट्रार/2003/1765 जो 16 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एकेडमिक काउंसिल और प्लानिंग बोर्ड आफ दि यूनिवर्सिटी की बैठकों के लिए विनियमों में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

(चार) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन/(जी)/आर्ड, 2/2000/1804 जो 9 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कर्मचारियों (शिक्षकों और शैक्षणिक स्टाफ सहित) को छुट्टी के विनियमन के बारे में अध्यादेश संख्या 2 में संशोधन/परिवर्धन अंतर्विष्ट हैं।

(पांच) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन/(जी)/आर्ड, 5/2003/1802 जो 9 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें परीक्षाओं/डिग्रियों को मान्यता के बारे में अध्यादेश संख्या 5 में संशोधन/अंतर्विष्ट हैं।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2164/05]

(31) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2165/05]

(33) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2166/05]

(35) (एक) बोर्ड आफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2167/05]

(37) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2168/05]

(38) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2169/05]

(39) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2170/05]

(40) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त मद संख्या (37 से 40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2171/05]

(42) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2172/05]

(44) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2173/05]

(46) (एक) महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2174/05]

(48) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2175/05]

(50) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2176/05]

(52) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2177/05]

(54) (एक) स्टेट मिशन अथारिटी, सिक्किम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथारिटी, सिक्किम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2178/05]

(56) (एक) बोर्ड आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2179/05]

(58) (एक) बोर्ड आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2180/05]

(60) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी आफ केरल (सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम) के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी आफ केरल (सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम) के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2181/05]

(62) (एक) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2182/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2183/05]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 9 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 9 मई, 2005 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं, छावनी विधेयक, 2003 के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 152वें और 157वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के 73क निर्देश के अनुसरण में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की 152वीं तथा 157वीं रिपोर्टों में शामिल सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति पर वह वक्तव्य दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप विशेषरूप से इसे पढ़ना न चाहें, तो आप वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री सुनील दत्त: मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं।

*मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की तथा इस बारे में अपनी रिपोर्ट 26 अगस्त, 2004 को लोक सभा के पटल पर रखी। रिपोर्ट में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों तथा नीतियों पर समिति की 62 मूल्यवान टिप्पणियां तथा सिफारिशें की गयीं थीं। ये सिफारिशें मुख्य रूप से योजनागत से गैर-योजनागत बजट में धनराशि के पुनर्विनियोजन, संशोधित अनुमान के स्तर पर मंत्रालय के लिए अधिक बजट आबंटन, आबंटनों का पूर्णतया उपयुक्त उपयोग, लिंग आधारित बजट विश्लेषण, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के संदर्भ में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लेखाओं के विलंब से निपटान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का पर्याप्त स्टाफ एवं बेहतर कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना का मूल्यांकन, राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की योजना का विस्तार, लंबित युवा छात्रावास परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन तथा युवा छात्रावास सुविधाओं का पर्याप्त प्रचार, ग्रामीण युवा और खेल क्लबों की योजना के लिए उच्च आबंटन, किशोरों और राष्ट्रीय/राज्य युवा केन्द्रों से संबंधित नई योजनाओं को जल्दी अंतिम रूप देना, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था में पर्याप्त अकादमिक स्टाफ तथा भौतिक अवस्थापना, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों की नियमित निगरानी हेतु कार्यप्रणाली, एनएसएस तथा स्कूलों में खेल सुविधाओं जैसी योजनाओं के लिए शिक्षा उपकर के जरिए मंत्रालय की बजटीय जरूरतों को पूरा करना, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा धनराशि का अनुकूलतम उपयोग, डोप परीक्षण तथा संबंधित अनुसंधान/प्रशिक्षण व शिक्षा के लिए उपायों को कारगर बनाना, भारतीय खेल प्राधिकरण के आदेश तथा संगठन ढांचे की पुनर्जांच, मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली, मंत्रालय के खेल परिसंघों, भारतीय ओलंपिक संघ तथा अन्य खेलों में अन्य पणधारियों के बीच बेहतर समन्वयन और सहयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में पृथक एकक, जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस समिति की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार किया गया था तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट इस समिति को सौंप दी गई थी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये**, सं. एल.टी.-2184/05

[श्री सुनील दत्त]

समिति ने 23 मार्च, 2005 को लोक सभा के पटल पर रखी गई 157वीं रिपोर्ट में इस मंत्रालय द्वारा की-गई-कारवाई रिपोर्ट पर विचार किया है।

समिति की 152वीं रिपोर्ट की 62 सिफारिशों/टिप्पणियों में से इस मंत्रालय द्वारा 6 को स्वीकार कर लिया गया है तथा समिति ने मंत्रालय द्वारा इस समिति को प्रस्तुत किए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए 29 सिफारिशों को निष्पादित न करने का निर्णय लिया है।

समिति ने अपनी 152वीं रिपोर्ट में की गई 26 सिफारिशों/टिप्पणियों पर मंत्रालय के जवाबों को स्वीकार नहीं किया है। इनमें से एक सिफारिश लिंग आधारित बजट से संबंधित है। मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 के लिए लिंग आधारित बजट तैयार किया है तथा उसे इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2004-05) में प्रकाशित किया है तथापि, इसे अनुदान मांगों (2005-06) में शामिल करना संभव नहीं था। मंत्रालय ऐसी अन्य सिफारिशों/टिप्पणियों पर पुनः जांच कर रहा है तथा वर्ष 2005-06 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की स्थिति में इस समिति को ऐसे अनेक मामलों के संबंध में अद्यतन जवाब भी भेज दिए गए हैं।

(दो) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले और चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति*

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य के आकार के आधार पर आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): यह लगभग ढाई पृष्ठों का है।

आपकी अनुमति से मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि यह सदस्यों को परिचालित कर दिया जाएगा।

कुमारी शैलजा: मैं यह विवरण राज्य सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 266 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24 सितम्बर, 2004 को जारी आपके निदेश, जो निम्नलिखित हैं, के अनुसरण में प्रस्तुत करती हूं:

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में राज्य सभा की अपने विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सदन में 6 माह में एक बार विवरण अवश्य प्रस्तुत करेंगे।"

* मैं सदन के माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए उन्हें यह सूचित करना चाहूंगी कि चौदहवीं लोक सभा की शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी स्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट राज्य सभा में दिनांक 23.8.2004 को प्रस्तुत की गयी थी। इस रिपोर्ट में 38 सिफारिशें की गयी थीं। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर की-गयी-कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां 31.12.2004 को समिति को प्रस्तुत की गयी थीं।

* शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों में निहित सरकार के उत्तरों की जांच करने के बाद, माननीय समिति ने दिनांक 11 मार्च 2005 को सदन में अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

* माननीय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में निहित 38 सिफारिशों पर "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों" को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है:

(1)	सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें	- 27
(2)	सरकार के उत्तरों के मद्देनजर समिति जिन सिफारिशों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है	- 1
(3)	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किए हैं	- 6
(4)	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं	-

* सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहती हूं कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई 27 सिफारिशों के संबंध में जहां कहीं आवश्यक होगा और आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और यथासमय माननीय सदन को उससे अवगत कराया जाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को देखते हुए समिति जिस एक सिफारिश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है उसके संबंध में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आगे कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये,** सं. एल.टी.-2185/05

* माननीय समिति ने 6 सिफारिशों के संबंध में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और 4 सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। समिति चाहती है कि उन सिफारिशों, जिनके लिए सरकार द्वारा केवल अंतरिम उत्तर दिये गये हैं, के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन महीनों अर्थात् 11.03.2005 से तीन महीनों के अंदर समिति को प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा ये उत्तर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अपराह्न 12.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वर्ष 1980 से पूर्व जिस वन भूमि पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है, उस वन भूमि को नियमित करने के लिए अनुदेशों और दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"किसानों द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व खेती की जा रही वन भूमि के नियमितीकरण के लिए पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): महरोदय, एक संक्षिप्त वक्तव्य सभापटल पर रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आप इसे सभापटल पर नहीं रख सकते हैं। आपको इसे पढ़ना होगा। यह क्या है?

श्री ए. राजा: यह काफी लंबा है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक नई व्यवस्था कायम कर रहे हैं। आपको इसे पढ़ना होगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री ए. राजा: चूंकि यह लंबा है इसीलिये मैंने सोचा कि मैं आपकी अनुमति से इसे सभापटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह लंबा हो सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है? आपको यह वक्तव्य संक्षेप में तैयार करना चाहिये था।

***श्री ए. राजा**: महोदय, राष्ट्राय वन नीति, 1988, वनवासियों के अधिकारों, जिनमें वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकार भी शामिल हैं, की सुरक्षा करती है। इन अधिकारों में ईंधन लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पाद, निर्माण काष्ठ को एकत्र करने के अधिकार, चराई के अधिकार और अन्य कई विशिष्ट अधिकार जो वन क्षेत्रों की अधिसूचना से पूर्व एक विशिष्ट समुदाय द्वारा उपयोग किए जाते रहे हों, भी शामिल हैं। यह तीन वन सीमा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा उपभोग किए जा रहे अधिकारों और रियायतों की भी सुरक्षा करती है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निहित वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने वन भूमि पर वास्तविक वनवासियों के भूमि अधिकारों की मान्यता और नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक विनियामक अधिनियम है न कि निषेधात्मक। यह अधिनियम विकासोन्मुख अधिनियम है और इसमें संतुलित तंत्र विद्यमान है। यह अधिनियम भावी पीढ़ियों के लिए एक ओर तो प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने के लिए लक्षित है और दूसरी ओर पूर्व के वन भूमि के न्यायोचित उपयोग की विकासीय गतिविधियों के लिए अनुमति देता है ताकि मानवजाति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कहां से इसे पढ़ रहे हैं? मेरी प्रति भिन्न है।

श्री ए. राजा: महोदय, हमने वही प्रति परिचालित की थी।

अध्यक्ष महोदय: आपने कुछ और परिचालित कर दिया है।

श्री ए. राजा: मैं उसी पत्र को पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, पैरा संख्या 3 से शुरू करें।

आपका पैरा संख्या 3 क्या है?

श्री ए. राजा: महोदय, यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 से शुरू होता है।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये**, सं. एल.टी.-2186/05

अध्यक्ष महोदय: वह प्रथम पैरा है। आप तीसरे पैरा पर आइये।

श्री ए. राजा: यह "वन भूमि के अपवर्तन की यह प्रक्रिया..." से शुरू होता है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु, अब आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री ए. राजा: मैं इस पर आऊंगा।

स्वतंत्रता के बाद, 1950 से 1980 के बीच, लगभग 45 लाख हेक्टेयर पूर्व प्राकृतिक वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अपवर्तित कर दिया गया था। लगभग आधी भूमि अतिक्रमणों के अंतर्गत थी। चूंकि वन भूमियों में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है और इसे खुले संसाधन के रूप में लिया जा सकता है, अतः ये अतिक्रमण आशंकित रूप से हैं। देश में भूमि की प्रबल भूख ने वन भूमि के प्रबंधन की समस्या को जटिल बना दिया है। इसके अलावा राज्य/संघ शासित सरकारों पर स्थानीय दबाव भी पड़ता है।

गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन की यह पद्धति लगभग 30 वर्षों से बेरोक-टोक चलती रही, जिसके फलस्वरूप ऊपरी मृदा का अत्यधिक कटाव हुआ, अनियमित वर्षा हुई, बार-बार बाढ़ आई और सूखा पड़ा, जिसके पारिस्थितिकीय संतुलन पर दबाव बढ़ा। केन्द्र सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया और "वनों" को 1976 में राज्य सूची से "समवर्ती सूची" में डाल दिया गया है। अप्रैल, 1976 में राज्य/संघ शासित प्रशासनों से यह कहा गया कि वनावरण को हटाने का प्रत्येक प्रस्ताव वन महानिरीक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से मूल्यांकित होना चाहिए जब कभी भी ऐसा अपवर्तन वन क्षेत्र का करना हो जिसे गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए परिकल्पित किया गया हो। अगस्त, 1976 में राज्य/संघ शासित प्रशासनों को यह बताया गया कि वे गैर-वानिकी प्रयोजनों की सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाओं हेतु 10 हेक्टेयर तक को अपवर्तित कर सकते हैं। 1978 में भारत सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को यह सुझाव दिया कि 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि के अवर्तन करने से पूर्व वे केन्द्र सरकार की मंजूरी लें। लेकिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रशासनों में स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और सतत् रूप से वनावरण में कमी आती रही।

भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने 20.4.1980 को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ देश की प्राकृतिक संपदा की निराशाजनक स्थिति के संबंध में चिंता प्रकट की। देश की सामूहिक राजनीतिक विद्वता द्वारा यह महसूस किया गया कि एक 'नियामक अधिनियम' समय की मांग है। अतः 1980 में गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन/अनारक्षण को नियमित करने के लिए अध्यादेश लाया गया और जिसे बाद में वन (संरक्षण) अधिनियम द्वारा 25.10.1980 को प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कानाफूसी न करें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

मेरे ख्याल से आप पैरा 5 से पढ़िये। यह वर्तमान स्थिति से संबंधित है और न कि संपूर्ण इतिहास से।

श्री ए. राजा: मैं उस पर आऊंगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक विनियामक अधिनियम है न कि निषेधात्मक। यह अधिनियम विकासोन्मुख अधिनियम है और इसमें संतुलित तंत्र विद्यमान है। यह अधिनियम भावी पीढ़ियों के लिए एक ओर तो प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने के लिए लक्षित है और दूसरी ओर पूर्व के वन भूमि के न्यायोचित उपयोग की विकासीय गतिविधियों के लिए अनुमति देता है ताकि मानवजाति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इस अधिनियम से, जैसाकि अपेक्षित या वांछित परिणाम प्राप्त हुए। वर्ष 1950-80 के दौरान गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग की दर 1,50,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी। लेकिन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियम के बाद, गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु भूमि के उपयोग की दर घटकर 38,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई और वह भी अधिकांशतः रेलवे, सिंचाई, सड़कों, पन-विद्युत, ताप विद्युत, पारेषण लाइनों, खनन, जनजातियों सहित वनवासियों के 1980 पूर्व उचित अतिक्रमण के नियमितीकरण सहित अधिकारों के निपटान तथा वन भूमियों पर वन गांवों को राजस्व गांवों में तब्दील करने जैसे विकासात्मक परियोजनाओं के लिए है। इसलिए, विकास के अतिरिक्त, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने वन भूमि पर रहने वाले प्रमाणिक वनवासियों के भू-अधिकारों को मान्यता देने और उसे नियमित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

केन्द्र सरकार द्वारा वन भूमि पर रहने वाले जनजातियों सहित, वनवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 18 सितंबर, 1990 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा 1980-पूर्व उचित अतिक्रमण के नियमन, वन भूमि की राजस्व भूमि में तब्दीली और आदिवासियों के विवादित दावों, पट्टों, लीज आदि के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय सहमति और

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद बनाए गए हैं, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और इन्हें 1991 और 1992 में दोहराया है।

वर्ष 1990 से 2002 तक, 8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से 1980-पूर्व उचित अतिक्रमणों को नियमित करने, और दो राज्यों नामत: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से वन ग्रामों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निपटान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त प्रस्तावों की जांच के बाद केन्द्र सरकार ने इन आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के संबंध में 3.66 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर किए गये 1980-पूर्व उचित अतिक्रमणों को नियमित कर दिया है। केन्द्र सरकार ने देश के वर्तमान 2690 वन गांवों में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 384 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित कर दिया है (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार) चूंकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से आदिवासियों के दावों के निपटान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अत: इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

इस प्रकार, केन्द्र सरकार ने वन भूमि पर भूमि अधिकार के निपटान के लिए 1990 के दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया है। वन भूमियों पर अधिकार के निपटान की प्रक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण अचानक झटका लगा। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.11.2000 के आदेश द्वारा वनों/राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का आरक्षण समाप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और दिनांक 23.11.2001 के आदेश द्वारा केन्द्र सरकार पर भी वन भूमियों पर अतिक्रमण को आगे नियमित करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

वन भूमियों पर आदिवासियों और वनवासियों पर विवादित दावों के निपटान के मुद्दे की जांच करते समय, और दिनांक 23.11.2001 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वन भूमियों से अनुपयुक्त अतिक्रमणकारियों को हटाते समय केन्द्र सरकार ने पाया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अतिक्रमणकारियों और वन भूमियों पर रहने वाले मूल आदिवासियों तथा अन्य वनवासियों के बीच अंतर कर पाने में समर्थ नहीं थी।

वनभूमियों पर रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 21.12.2004 को सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं और अनुपयुक्त अतिक्रमणकारियों के अलावा आदिवासियों और वनवासियों को तब तक न हटाने का अनुरोध किया है, जब तक कि राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के दिनांक 18.09.1990 और 30.10.2002 के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक डिप्टी कलेक्टर एक उप-मण्डलीय वनाधिकारी और जनजाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि वाली जिला स्तरीय समितियों के गठन के बाद ऐसे लोगों और उनके अधिकारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पहले ही 21.12.2004 को सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और उनसे आदिवासियों और वनवासियों को उनके भू अधिकारों के सत्यापन और निर्धारण के अभाव में वन भूमि से न हटाने का अनुरोध किया है।

मंत्रालय ने इसे उपयुक्त पाया है और, इसलिए, यह दोहराया है कि आदिवासियों सहित वनवासियों के वनभूमियों पर अतिक्रमण के नियमन सहित भूमि अधिकार के निपटान की अन्तिम तिथि 25.10.1980 होनी चाहिए, अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन की तिथि, जैसकि 18 सितम्बर 1990 को जारी दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, उपयुक्तता और अनुपयुक्तता मानदण्ड को स्पष्ट करने के लिए यह उल्लेखनीय है कि आदिवासियों सहित वनवासी, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन की तिथि 25.10.1980 से पहले वन भूमियों पर रह रहे थे वन भूमि पर अतिक्रमण के नियमन सहित भूमि अधिकार के निपटान के लिए उपयुक्त होंगे। इससे यह अंतर नहीं पड़ता कि राज्य/संघ राज्य सरकार ने पहले कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं। आदिवासियों सहित वनवासी, जो 25.10.1980 को अथवा इसके बाद वनभूमियों पर रह रहे हैं, इसके पात्र नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 03.01.2005 के पत्र के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के खण्ड-2 के अंतर्गत एकमुश्त वितरण सामान्य अनुमति दी है और विद्यालयों औषधालय/अस्पताल, बिजली और संचाल लाइनों, पेयजल परियोजनाओं, जल/वर्षा जल संचयन संरचनाओं, लघु सिंचाई नहर, अपारम्परिक ऊर्जा के साधनों, क्षमता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र विद्युत उप-केन्द्रों, संचार पोस्ट और संवेदनशील क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) पुलिस थानों/चौकियों/सीमा चौकियों/निगरानी स्तम्भों जैसी पुलिस स्थापनाओं के निर्माण हेतु सरकारी विभागों के पक्ष में प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम वनभूमि के आवश्यकता आधारित उपयोग के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कड़ाई से पालन की अनुमति दी है।

इस वितरण का उद्देश्य आदिवासियों और वनों के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले अन्य लोगों के लिए मूलभूत विकासपरक

[श्री ए. राजा]

सुविधाएं मुहैया कराना है यह सामान्य अनुमति पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है और 31.12.2005 तक वैध है।

1980-पूर्व अतिक्रमणों का नियमन, वन भूमियों का अनारक्षण, वन भूमि संबंधी अधिकारों के निपटान के मामले उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय को मामले की पहले से ही जानकारी है और वह न्यायालय के इन आदेशों में संशोधन करने और स्थगन आदेश को शीघ्रातिशीघ्र रद्द करवाने के मामले में जोर-शोर से कार्यवाही कर रहा है। आदेशों संशोधन/उन्हें रद्द करने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, वनभूमियों पर अधिकार के निपटान का कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय 1980-पूर्व वनभूमियों पर अतिक्रमण के नियमन के मामले सहित वनवासियों/आदिवासियों के भूमि अधिकारों के निपटान के मामलों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ सार्थक बात कर रहा है और उनके भूमि अधिकारों के सत्यापन और निर्धारण के लिए पारदर्शी प्रणाली अपना रहा है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): वक्तव्य के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं परन्तु मैं विशेषकर माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से खुश नहीं हूं। यह विभाग की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू करने में उत्सुक नहीं हैं। अनेक राज्यों को, 1980 से पूर्व जिस भूमि पर की जाती थी इसके लिए मैं अतिक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, को नियमित करना था।

हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो मध्य भारत, पूर्वोत्तर के कुछ लोगों और ऐसे ही जगहों पर रहने वाले इस देश के लोगों से संबंधित हैं। मेरे राज्य में 15 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं, राजस्थान में $12^1/_2$ प्रतिशत हैं, महाराष्ट्र में लगभग 12 प्रतिशत, उड़ीसा में लगभग 22 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत से अधिक हैं। वे सदियों से वहां रह रहे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने ये वन कानून बनाए थे। 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। एक ही झटके में सम्पूर्ण वन विकास को राज्य का विषय बना दिया गया। वहां रह रहे लोगों को यह साबित करना पड़ा कि वह भूमि उनकी है।

मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनजातीय लोगों की एक पुरानी परम्परा है कि वे कोई रिकार्ड नहीं रखते। किसी के पास कोई भी रिकार्ड नहीं है। आपको देश के किसी भी जनजातीय क्षेत्र में कोई रिकार्ड नहीं मिलेगा। 1952 में वन नीति जारी की गई थी जिसमें स्पष्टतया बताया गया था कि हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं कर सकते अथवा राष्ट्रीय हित स्थानीय हित से पहले नहीं आ सकता। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय लोग, जो सदियों से इस भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हें उस समय इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से राज्य के वन विभाग अधिक मजबूत हो गए क्योंकि पहली बार वन विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। जो राज्य जनजातीय लोगों को वन भूमि देना चाहता, उसे केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। 1990 में इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

मुझे इस बात की चिंता है कि उस दिशानिर्देश के जारी करने के पश्चात्, और संघ सरकार के अक्तूबर 2002, दिसम्बर 2004 और फरवरी 2005 के परिपत्र जारी होने के पश्चात् पूरे देश में अनेक राज्यों को, जहां बन्दोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, वहां जिस भूमि पर 1980 से पहले खेती हो रही थी, उस भूमि को नियमित करने के लिए बन्दोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ी। कई वर्षों तक राज्यों के अनेक वन विभागों ने ऐसा नहीं किया जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को बेदखल कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 7000 से अधिक परिवारों को बेदखल कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री का कहना है कि यह मामला न्यायाधीन है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: परन्तु इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय उन्हें 1980 के पूर्व की वन भूमि को नियमित करने से नहीं रोक सके। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि वह भूमि जिस पर 1980 से पहले, खेती की जा रही थी अथवा अतिक्रमण किया गया था उसे नियमित न किया जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में नियमित करने के लिए नहीं कहा गया है और मैं मंत्री अथवा विभाग द्वारा दिए गए वक्तव्य का विरोध करता हूं। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित तेरहवीं लोक सभा की स्थायी समिति का सदस्य था। समिति ने अनेक राज्यों का दौरा किया था और पाया कि इन लोगों को इनके वैध अधिकारों से वंचित किया गया और इन्हें तंग किया जा रहा था।

ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वन विभाग ने उचित कदम नहीं उठाए। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में विभाग वास्तव में क्या कर रहा है। यह नई भूमि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या प्रश्न है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे एक समय-सीमा के भीतर ऐसा करेंगे। क्या पर्यावरण और

वन मंत्रालय यह देखने के लिए कि, इस सारी भूमि जिस पर इस देश के आदिवासियों और वनवासियों द्वारा खेती की जाती रही है- जो उनके कब्जे में है-को नियमित किया गया है—एक वर्ष अथवा दो वर्ष के भीतर एकमुश्त बंदोबस्त करेगा। वे पेड़ नहीं काट रहे है। यह उनकी जमीन है और वे सालों से उस पर खेती कर रहे हैं। यह गणना में भी नहीं आती। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उनका क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। वे अधिकारियों के वश में हैं।

अध्यक्ष महोदय: अधिकारियों को बीच में मत लाइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि यह देखने के लिए कि इसे नियमित किया गया है या नहीं उनका कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह पहले ही पूछ चुके हैं। आप बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सनद और पट्टा दिया जाना चाहिए। उनके पास वन अपराध रजिस्टर नहीं है। कानून के अन्तर्गत वन अपराध की जो परिभाषा दी गई है वह इतनी व्यापक है कि आप जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकते हैं जो रेत या पेड़ अथवा कोई भी चीज लाया हो। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्ताव किया गया है, वे उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब यह आम बात हो गई है। एक माननीय सदस्य सूचना देता है और उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को देखकर अन्य सदस्य भी अपनी सूचना देने लगते हैं। पांच माननीय सदस्यों को अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि पांच सदस्य एक सदस्य की सूचना देखकर अपनी सूचना देने लगें। प्रत्येक दिन अध्यक्षपीठ को निर्णय देने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। नियम के अन्तर्गत केवल पांच सदस्यों की इजाजत है परन्तु आपको अपने समर्थकों को ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भविष्य में मैं थोड़ा सख्ती से काम लूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, अध्यक्षपीठ को उदार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या नियमों का अनुपालन न करना उदारीकरण है और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैंने इस संबंध में सूचना दी थी।

यह वनवासियों का वन क्षेत्र से बेदखल करने के संबंध में है। पहले मैं आंकड़ों का उल्लेख करूंगा क्योंकि माननीय मंत्री ने जब बोलना शुरू किया था—उन्होंने कई हैक्टेयर वन भूमि का उल्लेख किया था जिसकी उर्वरकता में कमी आई है। वन भूमि की उर्वरकता में कमी, वनवासियों की वजह से नहीं बल्कि बेईमान खनिकों, लकड़ी माफिया और अन्य लोगों, जिन्हें वन भूमि के वास्तविक संरक्षण के प्रभारी लोगों का मुफ्त सहयोग प्राप्त है, की वजह से है। मेरे विचार से इसे किसी भी प्रकार से वनवासियों की राह में नहीं आना चाहिए जिन्होंने सदियों से वन क्षेत्र की रक्षा की है।

वर्ष 1990 में मंत्रालय ने आदिवासियों के भूमि संबंधी अधिकारों के निपटारे के लिए निर्देश दिया। 15 वर्ष बीत जाने के बावजूद हकीकत यह है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय आज तक आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों के निपटारे में विफल रहा है। आज भी कई राज्यों में जबरन उन्हें जंगलों से बाहर निकाला जा रहा है। यह तब किया गया जब जनजातीय कार्य मंत्रालय नहीं था। नौवें दशक के मध्यम में केन्द्र सरकार में जनजातीय कार्य नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। मेरे विचार से जनजातीय कार्य मंत्रालय को इन मामलों की निगरानी सौंप दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि गोधा बर्मन मामले में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया जिसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से रह रहे वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के संबध में विशेष टिप्पणियां की थीं—मैं उस शपथपत्र से उद्धरण देकर सभा का समय नहीं व्यर्थ नहीं करना चाहता। हम दान नहीं मांग रहे हैं। यह अतिक्रमण नहीं है। वनवासी सदियों से वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ रहते आये हैं और अपनी आजीविका उनसे प्राप्त करते रहे हैं। अत: पर्यावरण और वन की सुरक्षा करना उनके हित में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथपत्र पर कायम रहेगा या फिर उससे मुकर जायेगा।

दूसरी बात, वनवासियों और आदिवासियों के हितों की देखभाल का काम अब जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय इसमें सहयोग करेगा या बाधा डालेगा क्योंकि हमें ऐसा अहसास है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के अधिकारों के निपटारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय बड़ी बाधा बन गया है।

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में वनों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को मान्यता देने का उल्लेख बार-बार किया गया है। यह

[श्री संदीप दीक्षित]

नीति 1952 से प्रचलन में है और 1982 में वन नीति में कुछ परिवर्तन किए गए।

हालांकि, हमेशा से यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने और उनका दस्तावेजीकरण किए जाने की आवश्यकता है फिर भी राज्य सरकारें इस संबंध में कुछ करने की बजाय वनों में रहने वाले गरीब लोगों को वनों से बाहर निकालने का काम लगातार कर रही हैं।

क्या मंत्रालय का वनों में रहने वाले लोगों को एकबारगी मान्यता देकर इस मुद्दे को निपटाने का विचार है? लोकतंत्र में अपने नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देना सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य बात है। वनों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने और प्रलेखीकरण के बाद ही वन भूमि के संबंध में सरकार की योजना की बात आती है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद स्थिति और विकट हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप क्या कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.04 को राज्य सरकारों को इस आशय के निर्देश दिये जाने कि वे अवैध अतिक्रमण करने वालों के अलावा आदिवासी लोगों को वनों से बाहर न निकालें, हजारों आदिवासियों को उनकी भूमि से हटा दिया गया। 15 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों को उनकी भूमि से हटाये जाने के कई मामले सामने आए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद हजारों आदिवासी लोगों को उनकी वन भूमि से हटा दिया गया।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ताकि इन जंगलों में पैदा होने वाले, बड़े होने वाले और अंततः यहीं मृत्यु की नींद में सो जाने वाले आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

करीब आठ करोड़ आदिवासी लोग वनभूमि पर रहते हैं और यदि आज इन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया तो वे कहां जायेंगे? अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है ताकि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को भविष्य में उनके घरों से हटाया न जाए। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों जैसे केरल के वायनाड जिले, कर्नाटक से विस्थापित किये गये आदिवासी लोगों को पुनः बसाया जायेगा या नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वनवासी या आदिवासी कई पीढ़ियों से, जन्म से लेकर मृत्यु तक वहीं रहते हैं, उनके स्वैच्छिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार क्या योजना बना रही है? यदि वहां कोई पर्यावरण सम्बन्धी दिक्कत है, तो क्या उन्हें कहीं और पुनर्स्थापित करने की कोई योजना आपके मंत्रालय ने तैयार की है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अपवादस्वरूप श्री गिरिधर गमांग को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): महोदय, आदिवासियों में असंतोष का एक कारण वन भूमि पर उन्हें उनके अधिकारों को मान्यता न दिया जाना है और इस कारण देश के विभिन्न हिस्सों में इनमें अशांति है।

महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला यह कि वन ग्रामों को 1980 से पहले ही मान्यता दे दी जानी चाहिये थी। लेकिन इसमें सम्मिलित किये गये 'अतिक्रमण' शब्द की काफी गलत व्याख्या की गई है। वन ग्राम को राजस्व ग्राम की भांति मान्यता दी जानी चाहिए थी।

महोदय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की वनों और जनजातियों के संबंध में समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिये क्योंकि वन और जनजातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिये, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रस्तावित विधेयक को देखेंगे जिसके द्वारा वनों में जनजातियों को अधिकार दिये जायेंगे और क्या जनजातियों के वन अधिकारों की गैर-मान्यता के परिणामस्वरूप असंतोष को खत्म किया जायेगा।

श्री ए. राजा: महोदय, मोटे तौर पर, वन ग्रामों में रहने वाले लोगों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जा सकता है। इस बात को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों तथा दिशानिर्देशों के जरिए स्वयं इस अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

पहली श्रेणी के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो 1980 से पूर्व वन क्षेत्रों में रह रहे हैं क्योंकि उस समय सीमा निर्धारण किया गया था। वर्ष 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम अस्तित्व में आया। अन्य शब्दों में मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अधिनियम के अस्तित्व में आने की तिथि के अनुसार वे व्यक्ति

जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं को वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुसार वन पर अतिक्रमण करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रथम श्रेणी है।

दूसरी श्रेणी में वन ग्रामों में रहने वाले लोग हैं। निश्चय ही वन ग्रामों में रहने वाले ये लोग आदिवासी हो भी सकते हैं और नहीं भी। मेरे ख्याल से ब्रिटिश काल के दौरान वन क्षेत्रों से बाहर से इन लोगों को लाया गया है जब वन अधिनियम 1927 वनों को नियमित करने के लिये अस्तित्व में आया। ये लोग उन ग्रामों में रह रहे हैं जिन्हें वन ग्राम कहा जाता है। इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना है। यह दूसरी श्रेणी है।

तीसरी श्रेणी में कुछ विवादास्पद दावे हैं। इन दावों का निपटान भारतीय वन अधिनियम के अधीन नियुक्त निपटान अधिकारी करेंगे। ये मौजूदा तीन श्रेणियां हैं जिसके लिये अधिकारों को कानून द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

कई माननीय सदस्यों के मन में यह गलत धारणा है कि भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम एक निषेधात्मक अधिनियम है जो आदिवासियों को वैधानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अपने दावों को प्रमाणित करने हेतु उनके अधिकारों से वंचित करता है। यह अधिनियम निषेधात्मक नहीं अपितु विनियामक है। तथ्य यह है कि मैं यह कह सकता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने के समय से लेकर अब तक 3.66 मिलियन हैक्टेयर भूमि इन लोगों को सौंपी जा चुकी है क्योंकि हमने उन्हें वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के रूप में मान्यता दी है। केवल यही नहीं है। वन क्षेत्रों में इस समय मौजूद 2600 वन ग्रामों में से अभी तक 384 ग्रामों से अधिक ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। यह कहना आवश्यक नहीं है इन सभी कारकों हेतु 3.66 मिलियन हैक्टेयर भूमि को आदिवासियों हेतु वन ग्रामों में परिवर्तित किया गया है और 384 ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वन अधिनियम यह अधिकार देता है और इस बात की भी अनुमति देता है कि वन जनजातियों के अधिकारों को राजस्व अधिकारों अथवा नागरिक अधिकारों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यह समस्या तब खड़ी हुई है जब उच्चतम न्यायालय ने तीन स्थगन आदेश जारी किये है। हमने दिशानिर्देश जारी किये थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री आपको इन्हें उत्तर नहीं देना है। कृपया उन प्रश्नों का उत्तर दीजिये जो आपसे पहले ही पूछे गये हैं।

श्री ए. राजा: कानून का अपना अधिकार-क्षेत्र है। जनजातियों को मान्यताप्राप्त अधिकार प्रदान करने हेतु हमारे अपने कानून हैं। इसके संबंध में दो मत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ अन्य कार्यवाहियों की वजह से आपको रोक दिया गया है।

श्री ए. राजा: समस्या यह है कि जब हमने वर्ष 1980 से पूर्व अतिक्रमण के संबंध में वर्ष 1990 में दिशानिर्देश जारी किये थे तो उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। पुनः, हमने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये थे और उन पर भी उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। पूर्व सरकार ने देश में उस समय विद्यमान राजनीतिक हालत के बावजूद इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। मैं नहीं जानता कि क्या इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है अथवा नहीं। मेरे विचार में इन्हें मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश जिसमें 12 वर्ष के कब्जे संबंधी अनुमति दी गई है उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय-मित्र द्वारा चुनौती दी गई थी। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके पास वन क्षेत्र में 12 वर्ष का कब्जा है। चाहे वर्ष 1980 से पूर्व अथवा इसके पश्चात् की बात हो, किसी व्यक्ति को अपने आदिवासी अधिकारों को प्रमाणित करने के लिये 12 वर्ष का अनिवार्य कब्जा होना आवश्यक है।

इस बात को भी उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह राजनीति से प्रेरित है। न्याय-मित्र के इस तर्क को सुनकर उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया चाहे यह वर्ष 1980 से पूर्व हो अथवा वर्ष 1980 के पश्चात् हो अथवा चाहे यह 12 वर्ष हो अथवा 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय ने इस आशंका के मद्देनजर कि इन दिशानिर्देशों से वनों का कटाव होगा इस प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है। अब हमारे समक्ष एक ही अवरोध है और वह है उच्चतम न्यायालय का आदेश। मैं भारत के महान्यायवादी से स्थगन-आदेश हटाने हेतु दो बार व्यक्तिगत रूप से मिला था। निश्चय ही उन्होंने यह सुझाव दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इसे हटा नहीं सकते हैं।

श्री ए. राजा: नहीं, महोदय, वे उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पहले से दर्ज किया गया शपथपत्र बहुत ही कठोर था और हम शपथपत्र में परिवर्तन (फेरबदल) कर सकते हैं। उसी के अनुसार हमने शपथपत्र में फेरबदल किया। इसे दर्ज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: एक और शपथपत्र।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, उच्चतम न्यायालय वर्ष 1980 से पहले के संबंध में बेदखली हेतु नहीं कहता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि माननीय मंत्री ने सभा को गुमराह किया है। यदि उन्होंने सभा को गुमराह किया है तो आपके सामने नई तरीके खुले हुये हैं। आप उनका सहारा ले सकते हैं।

श्री ए. राजा: उसी के अनुसार चाहे कैसी भी स्थितियां हों तथा उच्चतम न्यायालय में कैसी भी आशंका हो। हमने शपथपत्र में फेरबदल किया था। यदि जनजातियों के कानूनी अधिकारों को प्रमाणित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वन कानून को सरल बनाया जाएगा और इस प्रकार की आशंकाओं को किसी भी परिस्थितियों को निर्दिष्ट करके हटाया जायेगा, क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस पर दृढ़ रहने के लिये तैयार है। हमने उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिज्ञा ली। उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस सारी न्यायिक प्रक्रिया और राज्य और केन्द्रीय सरकार के साथ चल रही प्रक्रिया के बावजूद मैं माननीय सदस्य के साथ यह बात कर सकता हूं कि हमने दिनांक 21.12.2004 को राज्य सरकारों को वर्गीकृत निर्देश जारी किये थे। यह सारी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो रही है। जब तक कि उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट निर्देश नहीं आते हैं हमने वन भूमि से किसी भी व्यक्ति को बेदखल न करने हेतु राज्य सरकारों से कहा है। यह राज्य सरकारों को दिया गया स्थायी आदेश है। हम आशावादी है कि जैसे ही स्थगन आदेश को हटा दिया जाता है हम जनजातियों को अधिकार देंगे। यह सरकार इस बात के संबंध में वचनबद्ध है और सी.एम.पी. में भी यह वचन दिया गया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मेरे पास केवल एक स्पष्टीकरण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री सभी राज्य सरकारों को स्थायी अनुदेश जारी करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: इसे पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि राज्य इसका उल्लंघन करते हैं तो वे किसी प्रकार की कार्यवाही करना चाहते हैं? यही बात मैं जानना चाहता था।

श्री ए. राजा: यह राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कहते हैं।

अपराह्न 12.37 बजे

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): आपकी अनुमति से अपने सहयोगी श्री के. नटवर सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली के संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप यह दर्शाएं कि, कि यह पूरी तरह विशेषाधिकार के हनन का मामला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने दीजिए। मेरे पास विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध में दो सूचनाएं हैं-एक श्री मोहम्मद सलीम की 11.03 बजे और दूसरी श्री रूपचंद पाल की 11.53 बजे। वे सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। हम नियमों से बंधे हुए हैं। यह नियम, जिसमें संशोधन किया गया है और जो सभी पर लागू होता है, इस प्रकार है:

> ''विधेयक को पुर:स्थापित करने वाली सूचना महासचिव को संबोधित की जाएगी, जिसमें उठाए जाने वाली आपत्तियों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा और यह सूचना उस दिन 10.00 बजे तक दे दी जाएगी, जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कार्य-सूची में शामिल किया गया हो।''

नियम में संशोधन किया गया था और श्री रूपचंद पाल द्वारा इसे अनुमोदित भी किया गया था। चूंकि ये सूचनाएं नियमों के विरुद्ध हैं, इसलिए मैं अब प्रश्न रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> ''कि सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, विधेयक परिचालित नहीं किया गया ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): कृपया नियम 74 का संदर्भ लें। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 10.5.2005 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदयः मामले का निपटारा हो जाने के बाद, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मामले का निपटारा हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पालः विधेयक रविवार को परिचालित किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जीः इसमें एक अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी।

श्री रूपचंद पालः वह ठीक है। हम भी प्रतिबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदयः विधेयक 8 मई, 2005 को परिचालित किए गए थे। यदि कोई बात है, तो मेरे कक्ष में आएं; मैं इसका समाधान करने का प्रयास कर सकता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): इस सभा के सभी वर्गों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदयः यह इस बात की चर्चा करने की जगह नहीं है कि आपसी परामर्श किया जाएगा अथवा नहीं। यह एक ऐसा मामला है, जिसके बारे में कहीं और निर्णय लिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, यह संसदीय मामला नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः दलों में आपसी परामर्श होना चाहिए अथवा नहीं यह कोई संसदीय मामला नहीं है।

श्री रामजी लाल सुमन, अब अपना मुद्दा उठाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली और देश के अन्य भागों में मेनिनजाइटिस रोग फैलने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। श्री रामजीलाल सुमन इस मुद्दे को उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन है। मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। मैने मैटर्स आफ अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेंस के संबंध में शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस दिया था, उसकी जानकारी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, यह सही है। मैंने स्वयं आपका ध्यान नियम के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया था। उसमें नियम 193 का जिक्र नहीं है। आपको उस प्राधिकरण विशेष के संबंध में विशेष प्रस्ताव देना होगा। यह प्रस्ताव नहीं है। एक पृथक प्रस्ताव देना होगा। नियम 193 इसके लिए संगत नहीं है। आप मेरे पास आइये, मैं स्पष्ट करता हूं। हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि इसे कैसे किया जाए। आप यह भली-भांति जानते हैं। आप सभापति पैनल के एक अति विशिष्ट सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर इस पर विचार करूंगा, लेकिन आप मुझे एक उचित प्रस्ताव दें। आपको अनुमति न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न नियमों के अनुपालन का है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष महोदय, एक मई से दिल्ली में मेनिनजाइटिस या मैनिंगोकाक्सेमिया नाम की बीमारी शुरू हुई और लगातार इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस मर्ज के लिए जो दवाइयां उपलब्ध थी, वे गायब हैं। लगभग 750 करोड़ रुपए की दवाइयों का कारोबार था। इनमें से पचास प्रतिशत दवाइयां बाजार से गायब हो गई और नौबत यहां तक आ गई कि वैक्सीन की कीमत आठ सौ रुपए हो गई। इस सदन में दो-तीन बार सवाल को उठाया गया और कहा गया कि इस बीमारी का निरंतर प्रकोप बढ़ रहा है, इस भंयकर बीमारी की वजह से दिल्ली के सैंकड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। आज स्थिति यह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में भी इस बीमारी का प्रकोप हुआ है। श्री हन्नान मोल्लाह और हमने जब यह सवाल उठाया तो 6 तारीख को मंत्री जी ने बयान दिया कि

[श्री रामजीलाल सुमन]

[अनुवाद]

"दवाईयों का पर्याप्त भंडार मौजूद है।"

[हिन्दी]

जबकि सभी समाचार-पत्रों में प्रमुखता के साथ छपा है कि 50 फीसदी दवाएं बाजार से गायब हैं और 6 मई को यह भी कहा गया कि

[अनुवाद]

"स्थिति नियंत्रण में है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ से बाहर है कि सरकार कहती है कि स्थिति पर नियंत्रण है और हमारे पास पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन न तो दवाएं हैं, न स्थिति पर नियंत्रण है और न कोई आपात योजना बनाई गई है। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी जो इस रोग का शिकार है वह आठ सौ रुपए का वैक्सीन किस परिस्थिति में लगा सकता है। यह बहुत गंभीर सवाल है। मैं आपके मार्फत सरकार पर आरोप लगाना चाहूंगा कि जितनी गंभीरता के साथ इस बीमारी को लिया जाना चाहिए था, सरकार ने इस बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम यह हो रहा है कि यह बीमारी दिल्ली की चारदीवारियों को तोड़कर अन्य प्रांतों में भी फैल रही है। आज यह सवाल सबसे अहम है कि न तो वैक्सीन उपलब्ध न दवाइयां उपलब्ध हैं। समाचार पत्रों में निरंतर छप रहा है कि लोगों के उचित उपचार की व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह संसद है, यहां हम लोग इसलिए आते हैं कि हम जन-जीवन के जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को इस सदन में रखेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे तो सरकार का उस समस्या के निदान के लिए सकारात्मक रुख होगा। हम लोग सांसद के रूप में सार्थक नहीं हैं। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में बराबर इस समस्या को उठाने के बाद भी सरकार निरंतरण इस गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी पर किसी भी कीमत पर अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर रही है।

हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक क्या किया? क्या सरकार ने आपात योजना बनाई? यह बीमारी विकराल रूप धारण कर रही है, इसके लिए सरकार ने क्या किया? जो गरीब लोग हैं, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, क्या उन्हें दवाइयां देने के लिए कोई इंतजाम किया। क्या उनके लिए वैक्सीन का इंतजाम किया? जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने 50 फीसदी दवाएं बाजार से गायब कर दीं जिससे गरीब आदमी उन दवाओं से वंचित रह गए, मैं चाहूंगा कि सरकार इस सवाल का जवाब दे। दूसरे प्रान्तों में यह बीमारी न फैले, सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये क्या किया है?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष जी, मैं भी इस ईश्यू पर शामिल होता हूं। मैं पहले भी यह सवाल उठाता रहा हूं। यह बीमारी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जायें। आप लोगों को पता है कि मेरी परमिशन के बिना खड़े होने पर बोली गई बात रिकार्ड में नहीं जाती है।

[अनुवाद]

मुद्दे के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए कल विस्तृत चर्चा के बावजूद, मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए, मैंने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे उत्तर देने के लिए स्वयं सदन में उपस्थित हों। वे यहां उपस्थित हैं, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे यकीन है कि आपको समुचित उत्तर प्राप्त हो जाएगा।

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं माननीय सदस्य, अन्य सदस्यगण तथा आपकी चिंताओं से अवगत हूं। आप बार-बार इस बीमारी को नियंत्रित करने की बात कहते रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस वक्तव्य का कड़े शब्दों में खंडन करता हूं कि सरकार इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार इस मुद्दे के बारे में बहुत चिंतित है। प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हम अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं तथा तथा वास्तव में यह कोई महामारी नहीं है। आज तक मस्तिष्क ज्वर तथा मेनिंगोकोक्सेमिया के 214 मामले सामने आए हैं तथा इससे आज तक 16 मौतें हुई हैं।

पिछले चार दिनों में केवल एक मृत्यु हुई है तथा पिछले 24 घंटों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। पिछली बार लगभग 20 वर्ष पूर्व

1985-86 में दिल्ली में यह बीमारी फैली थी, जिससे उस समय 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह जीवाणु, ग्राम-नगेटिव जीवाणु है, न कि वायरस। यह एक जीवाणु है तथा इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। यह जीवाणु सालों भर 20 प्रतिशत जनता में व्याप्त रहता है। यह सालों भर व्याप्त रहता है। कई बार मौसमी परिस्थितियों के चलते यह बीमारी फैल जाती है। इनमें दो श्रेणियां हैं; प्रथम यदि यह मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो यह मस्तिष्क ज्वर कहलाता है तथा यदि यह शरीर में फैल जाए तो इसे मेनिंगोकोक्सेमिया कहते हैं। साधारण एंटी-बायोटिक, सस्ते एंटी-बायोटिक बाजार में बहुतायत रूप में मौजूद है। मैं इस वक्तव्य का भी खंडन करता हूं कि दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सिफ्रोफ्लोकोसिन एंटी-बायोटिक की एक खुराक वयस्कों के लिए तथा रिफैम्पीसिन एंटी-बायोटिक की एक खुराक बच्चों के लिए तथा एक पैंसिलीन का टीका रोगी की जान बचाने तथा इस बीमारी को संपूर्ण रूप से ठीक करने के लिए पर्याप्त है। दवाओं की अनुपलब्धता का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये दवाएं अथवा एंटी-बायोटिक सिफ्रोफ्लैक्सीन, रिफैम्पसीन हर जगह बहुतायत में मौजूद हैं तथा सभी सरकारी अस्पताल इन्हें मुफ्त दे रहे हैं।

इसमें दो भाग हैं। एक उपचार भाग है तथा अन्य निरोधात्मक भाग है। निरोधात्मक भाग टीकाकरण संबंधित है। इस समय, प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रही समूची जनता के लिए वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। हम केवल रोगी जिसे वह बीमारी हो, के संपर्क में आए तथा निकट संबंधी तथा अन्य रोगियों को ही टीका लगाते हैं। दिल्ली में अब तक 214 मामलों में से हम व्यक्तिगत रूप से 137 लोगों के घरों में गए हैं। हमने उनका सर्वेक्षण किया तथा उनको टीका लगाया। हमने उन्हें सिपरोफ्लैक्सिन दी है। इस रोग से बचने के लिए एक दिन में सिपरोफ्लैक्सिन की 500 मि.ग्रा. की एक खुराक काफी है। चूंकि यह एन बैक्टीरियल (जीवाणु) जनित रोग है इसलिए इसे आसानी से नियंत्रित तथा उपचार किया जा सकता है।

सरकार सभी उपाय कर रही है। प्रतिदिन हम बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं तथा यहां तक कि रविवार को भी वे बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहे हैं हम दृश्य मीडिया तथा अखबारों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ढोल तथा लाउडस्पीकर के साथ स्वास्थ्यकर्मी जगह-जगह दौरा कर रहे हैं तथा बता रहे हैं कि यदि किसी को बुखार अथवा सरदर्द है तो उसे यह एंटी-बायोटिक लेने के लिए पास के चिकित्सक के पास जाना चाहिए। टीकाकरण, गंदी भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे छात्रावास, तथा कुछ जेलों तथा ऐसी ही अन्य जगहों पर आवश्यक है। गंदगी वाले क्षेत्रों में टीकाकरण की आवश्यकता है। यह संक्रमण ड्राप्लैट द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है। हम केवल मूलभूत साफ-सफाई की आदतों का ही प्रचार कर रहे हैं। हमने इस प्रकार के तथाकथित नोटिस भी जारी किए हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जाए इस संबंध में हमने सब जगह पोस्टर तथा पर्चे भी बांटे हैं। हम एक भी मृत्यु के बारे में भी अत्यंत चिंतित हैं। हमें इन मौतों को रोकना होगा तथा हम इसकी बहुत सूक्ष्मता से निगरानी कर रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं। वक्तव्य में भी मैंने कहा था कि "घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।" आज भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय यह बीमारी समाप्ति की ओर है। ग्रीष्मकाल तथा तापमान के बढ़ने के साथ ही यह बीमारी कम फैल रही है। यद्यपि, मस्तिष्क ज्वर के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तथापि हम सावधानी बरत रहे हैं कि एक भी मौत न हो। सरकार इस संबंध में अत्यंत चिंतित है।

जहां तक टीके का प्रश्न है। मैं कहना चाहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन आई सी डी) के साथ 18,000 टीके उपलब्ध हैं। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 10,000 टीके दिए हैं। एक भेषज कंपनी जिसका नाम बायो-मेड है, के पास 1,60,000 टीके उपलब्ध हैं। एक अन्य कंपनी जिसका नाम एवन्टीस है, के पास फ्रांस में लगभग एक लाख टीके उपलब्ध हैं। उन्हें शीघ्रता से भारत में मंगाया जा सकता है। हम सूक्ष्म निगरानी कर रहे हैं। महोदय मुझे यकीन है तथा मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्यवाही कर रही है। प्रतिदिन हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ हम हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी समन्वय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इन बैठकों का परिणाम क्या निकला है। सरकार ने पहले भी कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है।

अध्यक्ष महोदयः आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमनः आठ सौ रुपये का वैक्सीन मिल रहा है। गरीब आदमी आठ सौ रुपये का वैक्सीन कहां से लायेगा। अगर स्थिति नियंत्रण में है तो मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही

[श्री रामजीलाल सुमन]

है? ...*(व्यवधान)* जो बैठकें हो रही हैं उनका परिणाम क्या निकल रहा है। गरीब आदमी आठ सौ रुपये का वैक्सीन कहां से लायेगा, मंत्री जी बतायें?

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: कोई भी दवा महंगी नहीं है। ये बहुत ही सस्ती एंटी-बायोटिक हैं, जो सभी अस्पतालों में पहले से ही उपलब्ध हैं। सिपरो-फ्लैक्सिन महंगी एंटी-बायोटिक नहीं है। वास्तव में, हम सब रोगियों को इसकी मुफ्त आपूर्ति कर रहे हैं। यह आसानी से उपचारयोग्य है। यह कोई वायरल बीमारी नहीं है यह जीवाणु जनित रोग है तथा यह आसानी से उपचार-योग्य है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.52 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामजीलाल सुमन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय को वाद-विवाद में परिवर्तित नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्षमा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। मुद्दे की तात्कालिकता को देखते हुए, मैंने मंत्री जी को अनुमति दे दी थी। उन्होंने संपूर्ण वक्तव्य रखा। उन्होंने सब कुछ कह दिया। हमें इस प्रकार से मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जिससे इस देश में एक घबराहट का माहौल बन जाए।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: किस विषय पर?

डा. एम. जगन्नाथ: मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आप डाक्टर हैं इसलिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है वह ठीक है। मस्तिष्क ज्वर दो प्रकार का होता है:—वैक्टीरियल मेनिनजाइटिस तथा वायरल मेनिनजाईटिस। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये तकनीकी मामले हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, जहां तक बैक्टीरिया से होने वाले गर्दन तोड़ बुखार (मैनिनजाइटिस) का संबंध है, जो कुछ भी माननीय मंत्री जी ने कहा है वह पूर्णतः सत्य है। इसका उपचार एंटी बायोटिक्स से किया जा सकता है। जहां तक वायरस से होने वाले गर्दन तोड़ बुखार का संबंध है तो इसे नियमित एंटीबायोटिक्स दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। साफ-सफाई तथा ड्रापलैट को नियन्त्रण में रखकर ही इस पर नियन्त्रण किया जा सकता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। प्रतिवर्ष यह एक गंभीर समस्या बन रही है।

जब तक मलिन बस्तियों में कुछ निरोधात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक वायरस से होने वाले इस मैनिनजाइटिस संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम भली-भांति जानते हैं कि यह वायरस मैनिनजाइटिस किस मौसम में होता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई महामारी नहीं है। हम इसे महामारी का नाम न दें।

डा. एम. जगन्नाथ: मेरा भी यही प्रयास है। जब यह मौसम आएगा और यह वायरस फैलेगा तब इसको नियंत्रित करने के लिए निरोधामक उपाय किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मैं केवल डाक्टर सदस्यों को ही बोलने का अवसर दूंगा। यह सब अपवाद है। इसे एक परिपाटी नहीं मानना चाहिए।

डा. रामचन्द्र डोम।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, महोदय। यह एक सुझाव है। इस रोग का उपचार एंटी बायोटिक्स से किया जा सकता है। हम सबके लिए यह एक चिंता की बात है कि जब एंटी बायोटिक्स उपलब्ध हैं तो ये 16 मौतें क्यों हुई हैं। चिंता का मुख्य मुद्दा यही है।

अध्यक्ष महोदय: 16 लोगों की मौत क्यों हुई।

डा. रामचन्द्र डोम: यह सब भारत की राजधानी में हुआ है। यही चिंता का मुख्य कारण है। रोगियों की समय पर पहचान करने और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने तथा समुचित एंटीबायोटिक उपचार देने की प्रक्रिया में कुछ कमी है।

अध्यक्ष महोदय: इस देश में कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए।

डा. रामचन्द्र डोम: कोई व्यवस्था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने मलिन बस्तियों में टीकाकरण करवाया था। तब ये 16 मौतें क्यों हुई हैं?

डा. रामचन्द्र डोम: इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ये सभी अनुकूल और अच्छे सुझाव हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यदि वे लोग शीघ्र ही अस्पताल चले गए होते तो जो 16 मौतें हुई हैं इन्हें रोका जा सकता था। इस मैनिनगोकोक्सेमिया के फैलने के समय से ही सरकार आम लोगों में एक जागरूकता अभियान चला रही है कि यदि किसी व्यक्ति को सिरदर्द अथवा बुखार या शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हों अथवा गर्दन में जकड़न हो तो उसे तत्काल डाक्टर के पास जाना चाहिए। ये 16 मौतें इसलिए हुईं कि वे अपना उपचार कराने के लिए तत्काल डाक्टर के पास नहीं गए। यह मैनिनजाइटिस रोग 24 घंटे के अंदर मैनिनगोकोक्सेमिया रोग बन जाता है। यह इस रोग का लक्षण है। इस रोग के फैलने के पश्चात् इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए हमने एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है।

अब हम एक नया कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं जिसका नाम है एकीकृत रोग निगरानी परियोजना। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपये आएगी और पूरे देश में इसे लागू करने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा। इस परियोजना को लागू करने के बाद, भारत सरकार तथा स्थानीय राज्य सरकारों को किसी भी रोग से होने वाली मौत के संबंध में पांच से छः घंटे के अन्दर अधिसूचित किया जाएगा ताकि हम इस प्रकार होने वाली मौतों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकें।

चूंकि इसमें साफ-सफाई संबंधी बहुत सी बातें शामिल हैं अतः देश में एक अच्छी सार्वजनिक साफ-सफाई व्यवस्था की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: हम आशा करते हैं कि देश में इस रोग से कोई और मौत न हो।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, महोदय। इस संबंध में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, जुहु बीच, मुंबई में सेंटोर होटल के विनिवेश के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा पर प्रतिक्रिया करते हुए वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं। यह सभा अपराह्न 1.15 बजे तक चलेगी। कृपया 20 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: तो मुझे और 20 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी पार्टी के नेता हैं। आपको अन्य सांसदों के सामने उदाहरण पेश करना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 56 वर्ष बाद भी देश में वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके जायज हक नहीं मिल रहे हैं। उनका एकमात्र रोजगार सफाई था, जिसका अब निजीकरण किया जा रहा है। सफाई कार्यों का निजीकरण करने से वाल्मीकि समाज के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम इस समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार कोई विशेष योजना तैयार करे ताकि उस समाज की सुरक्षा हो सके और अपनी रोजी-रोटी से वह समाज से जुड़ सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रत्येक सदस्य को इसी प्रकार अध्यक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए।

श्री येरननायडु, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को लाना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार 12 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है। जनवरी महीने में उन्होंने

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

बबली सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य आरंभ किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के हितों के विपरीत है। गोदावरी न्यायाधिकरण पंचाट के अंतर्गत पहले ही 250 टी एम सी पानी प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने उसका उपयोग कर लिया है। अब केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति के बिना ही वे इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। यदि ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो सरकारी स्रोतों के अनुसार आंध्र प्रदेश को लगभग 50 से 60 टी एम सी पानी की कमी होगी। इससे श्रीराम सागर परियोजना में जल प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे आंध्र प्रदेश के निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नालगोंडा जिले प्रभावित होंगे। हमें बबली सिंचाई परियोजना के निर्माण को रोकना होगा। अन्यथा, भविष्य में वे गोदावरी नदी की उपरी धारा में और 11 छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश, विशेषरूप से तेलंगाना क्षेत्र की जनता इससे बहुत अधिक पीड़ित हो रही है। अतः, भारत सरकार को केन्द्रीय जल आयोग से बबली सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को बंद करने के लिए कहना चाहिए। आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय को यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जल संसाधन मंत्री से इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, परन्तु मैं किसी मंत्री को कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री येरननायडु द्वारा उठाए गए मामले से स्वंय को संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं भी स्वयं को इस मामले से संबद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके नाम संबद्ध कर दिये जाएंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, लगभग एक सप्ताह पूर्व यह मामला समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु जी, आप जानते हैं कि मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। आपका मामला महत्वपूर्ण है। इसी कारण से मैंने इस मामले को उठाने की अनुमति दी है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपकी बात सुनी होगी। परन्तु मैं किसी मंत्री को तुरन्त कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, जल संसाधन मंत्री एक ऊर्जावान मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे इस मामले पर उत्तर देने का अनुरोध करना चाहता हूं।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हमारे मंत्रालय की यह आम नीति है कि यदि हमें कहीं से कोई शिकायत मिलती है कि केन्द्रीय जल आयोग की सहमति के बिना कोई परियोजना अथवा कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है तो हम तुरंत उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसकी जांच करते हैं और राज्यों से मामले के गुण-दोष का पता लगाकर उस संबंध में निर्णय करते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

चूंकि हमें इसकी सूचना दी गई है अतः मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, आप जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में किसान दो कारणों से अत्यंत विपत्ति में हैं। पहला कारण है भारी ओलावृष्टि, पिछले 15 दिनों के दौरान भारी ओलावृष्टि के कारण पश्चिम बंगाल के जिलों जैसे बीरभूम, 24 परगना, बर्दवान, उत्तर बंगाल और हावड़ा के किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान भारी विपत्ति में हैं। सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरे, अन्य भागों में सरसों का भारी उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में लगभग 34 लाख टन सरसों का उत्पादन हो रहा है। परन्तु सरकार और नाफेड ने इसमें से केवल 10 लाख टन ही खरीदा है और अब नाफेड ने इसको खरीदना बंद कर दिया है। ये दो बातें है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान और देश के अन्य भागों के किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनकी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपका मामला विशेषकर केवल ओलावृष्टि से संबंधित था।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य के साहिबगंज, पाकुड़

और गोड्डा आदि जिलों में "काम के बदले अनाज" योजना के अंतर्गत अनाजों की अनुपलब्धता और उठान के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में एक प्रभावी एवं उत्तरदायी योजना है, परन्तु अनाज उपलब्ध नहीं होने या अनाज उपलब्ध होने पर अनाज का उठान नहीं होने के कारण यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य से दूर हटता जा रहा है, जिसके कारण सरकार का कार्य निष्पादन और योजनाओं को सरजमी पर लागू करने की बात को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। देश की आवाम को वर्तमान लोकप्रिय सरकार खासकर लोकप्रिय गठबंधन से काफी आशा है।

इस कार्यक्रम की जमीनी हकीकत यह है कि जब हम 50 करोड़ रुपये योजना की अनुशंसा करते हैं तो 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान होती है।

अतः सरकार से आग्रह है कि "काम के बदले अनाज" योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों के अनुसार आवंटित राशि का अनाज देश के प्रत्येक जिले खास कर साहिबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा जिलों में उपलब्ध कराने और अनाजों का शत-प्रतिशत उठान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी करने की व्यवस्था की जाए ताकि इस कार्यक्रम से देश के गरीबों एवं बेरोजगारों के दर्द को कम करने एवं उनकी भूख मिटाने में हम सफल साबित हो सकें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विद्यार्थी संघों के चुनावों पर प्रतिबंध लगाने पर हाल ही में लिया गया निर्णय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्रीय मामला कैसे है?

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय: संविधान का उल्लंघन होने से यह केन्द्रीय मामला नहीं बन जाता।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं किसी अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर रहा और न ही मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको आलोचना करने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में केन्द्र सरकार कैसे शामिल है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से केवल यह अनुरोध कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कि वे राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करें?

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि राजस्थान सरकार कोई अपील नहीं कर रही तो मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विद्यार्थी संगठनों के चुनावों पर लगाए गए प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ अपील करें।

अध्यक्ष महोदय: वे इसके पक्षकार नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, अध्यापक और कर्मचारी परिषदों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: भारत की संसद इसमें कैसे शामिल की जा सकती है? यदि इसमें कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल होता, तो मैं इसकी अनुमति दे देता।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने 4 मई *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को कल भी उठाया गया था। इस मामले को दुबारा नहीं उठाया जा सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह अतिमहत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण होगा पर एक ही मामले पर रोज चर्चा नहीं कर सकते। कृपया अपने मामले को संक्षेप में बताइए।

श्री बुसदेव आचार्य: महोदय, माननीय मंत्री ने सभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे दिया था, दो होटलों विशेषकर जुहू सैन्टूर होटल को बेचने में अनियमितताएं हुईं।

उन्होंने कहा है कि जब नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आएगा तो वे निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। हमारी मांग यह है कि इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जाए। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया है कि लेन-देन में रियायत देने और बोलीदाताओं के लिए बार-बार समय में वृद्धि करने के संबंध में भारी अनियमितताएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके सौदे के वित्त पोषण को सुकर बनाया जो एक गंभीर मामला है—मंत्रालय ने निलम्बित भुगतान के लिए ब्याज भी नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दी थी। इसे कल भी उठाया गया था। आप फिर से वही सब पढ़ रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि विनिवेश मंत्री ने इस विशेष होटल को बेचने के संबंध में सक्रिय रुचि दर्शाई थी । हमने इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाने की मांग की थी। जब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने खुलासा कर दिया है तब यह मामला स्पष्ट हो गया है।

जब वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा था कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: हम जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रूपचंद पाल इस बात पर स्वयं को संबद्ध करेंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: हमने यह भी मांग की है कि समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिए और इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रूपचंद पाल।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, कृपया आप बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपेगी और उसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और समझौते को भी निरस्त किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल: बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात कह रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा 4 मई को दिया गया आश्वासन यह था कि जैसे ही सी.ए.जी. अंतिम प्रतिवेदन देगी वे उस पर कार्यवाही करेंगे। हमारी मांग यह थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने 'जैसे ही' नहीं कहा था।

श्री रूपचंद पाल: केवल तीन दिन बचे हैं। शुक्रवार को यह विशेष सत्र समाप्त होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अपनी मांग कीजिये।

श्री रूपचंद पाल: सरकार को अपना आश्वासन देना चाहिये कि वे इस अत्यधिक अनियमितता के संबंध में कार्रवाई करने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव। अन्य कुछ भी और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी भी माननीय मंत्री को तुरंत ही उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: आश्वासन सभा में दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने 'जैसे ही इसे प्राप्त किया जाता है' नहीं कहा था। उन्होंने यह नहीं कहा था।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं केवल इस सभा को चलाने के लिये हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. डोम, कृपया बैठ जाइये कोई भी अंश कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री राम कृपाल यादव के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, आपके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं दिया जा रहा है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) यदि आप अनुमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी भी माननीय सदस्य द्वारा बैठकर बोलना भारी अशिष्टता है। किसी को भी तब तक नहीं बोलना चाहिये जब तक कि मैं नहीं कहता हूं। इस बात को समझा जाना चाहिये।

श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि देश के 32 बड़े शहरों का मुआयना किया गया। इसमें चिन्ता का विषय यह है कि देश की राजधानी दिल्ली, जो सत्ता का केन्द्र है और जहां से पूरे देश का शासन चलता है, वहां इस वर्ष अब तक सुसाइड के 200 प्रकरण हो चुके हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि इनमें अधिकतर मामले ऐसे हैं, जिनमें 14 से 29 वर्ष के लड़कों ने सुसाइड किया। जिन्होंने सुसाइड किया, वे लड़के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के थे।

लगभग चार सूसाइड प्रतिदिन हो रहे हैं, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि यह विषय हम सब लोगों के लिए विचारणीय है कि आखिल क्यों वे लड़के सूसाइड कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसकी तह में जाना पड़ेगा। उसकी जान की रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पर विचार करना पड़ेगा, कहीं देश की राजधानी खुदकुशी का शहर न बन जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अविलम्ब कार्यवाही करे। इस पर पुलिस भी नोटिस नहीं लेती है और पुलिस के अलावा (एनसीआरबी), नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो भी कोई नोटिस नहीं लेती है। अगर इस पर सही ढंग से नोटिस नहीं लिया गया तो इसकी दर और भी बढ़ सकती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे कहा है। कृपया संक्षिप्त में कहिये ताकि अन्य जानकारी सदस्य इसमें भाग ले सकें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के पैमाने पर प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत खुदकुशी की दर बढ़ रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि सरकार इस पर अविलम्ब कार्यवाही करे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने निवेदन ग्रहण किया।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे ग्रहण करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें जोड़ने हेतु और कुछ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पर अविलम्ब कार्यवाही कराई जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी सरकार तुरंत ही प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है।

श्री चन्द्रभूषण सिंह उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग दें तो मैं अनेक माननीय सदस्यों को समायोजित कर सकता हूं।

अब, श्री करूणाकरन, जल्दी कीजिये।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा विशेषकर निजी और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में मौजूद कुछ गंभीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका संबंध वास्तव में शुल्क ढांचे और दाखिला संबंधी नीति से भी है। फरवरी, 2005 में माननीय शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस मामले के संबंध में एक व्यापक विधान लाने का भी निर्णय किया गया था। विद्यार्थियों के दाखिले के संबंध में कर्नाटक के टी.एम.ए. पाई मामले से पूर्व दाखिला पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया था। उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश मामले के पश्चात् निजी संस्थानों ने भी भर्ती की ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया धैर्य रखिये।

श्री पी. करूणाकरन: यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण था कि टी.एम.ए. पाई मामले का अनुसरण करते हुये यद्यपि यह अल्पमत मुद्दे से संबंधित था इसका न केवल अल्पमत तक विस्तार किया गया था अपितु निजी प्रबंधन तक भी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक आंदोलन चल रहे थे। कुछ याचिकायें भी उच्च न्यायालय में आई हैं। इसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने एक नये पांच-सदस्यीय आयोग का भी गठन किया था।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री पी. करूणाकरन: इस आयोग के आधार पर राज्यों में नई समितियों का गठन किया गया था परन्तु इस प्रतिवेदन के संबंध में भी विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधन द्वारा भी प्रश्न किये गये थे। अतः, एक नया आयोग दुबारा बना है और वह है उच्चतम न्यायालय का सात-सदस्यीय आयोग मुख्य मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय आधार पर एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता है। यू.पी.ए. सरकार ने अपने आप प्रारंभिक स्तर पर यह वायदा किया था कि सरकार बजट सत्र में एक व्यापक विधान लायेगी। केवल चार दिन बचे हैं। हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है। अतः, यदि अगले वैज्ञानिक वर्ष के लिये भी इस प्रकार का कोई विधान नहीं है तो हड़तालों जैसी समस्यायें होनी चाहिये और न्यायालय में दर्ज मामले भी होंगे। अतः, मैं चाहता हूं कि सरकार शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले इस प्रकार का विधान लाये ...*(व्यवधान)*

श्री खगेन दास (त्रिपुरा, पश्चिम): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उदारीकरण नीतियों के साथ अनुवर्ती केन्द्रीय सरकारों ने सारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवहारतः विघटित और नष्ट कर दिया है। इससे गरीब, व्यक्तियों को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जनजातीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति है जहां पर भूख और भुखमरी से नियमित तौर पर मृत्यु होने लगी है। अतः, सस्ती दरों पर जन वितरण की सर्वव्यापकता होनी चाहिये ताकि अधिकांश गरीब लोग इसे वहन कर सकें। मैं पुरजोर ढंग से सरकार से यह मांग करता हूं कि सभी आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये जिसे प्रत्येक राज्य में उचित दर की दुकानों के विस्तार किये गये नेटवर्क से सुसज्जित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यह वास्तव में 'शून्यकाल' हेतु मामला नहीं है।

श्री खगेन दास: वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का अवश्य ही उन्मूलन किया जाना चाहिये। जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक उचित दर की दुकानों को खोला जाना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह 'शून्यकाल' में उठाया जाने वाला मामला नहीं है।

यह समुचित चर्चा हेतु एक मामला है। यह देश और गरीब लोगों से संबंधित मामला है। मैं सहमत हूं कि यह महत्वपूर्ण है परन्तु इस बार नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली में बलात्कार के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली भारत में महिलाओं के लिये सबसे अधिक असुरक्षित शहर बन गया है। पूर्वोत्तर राज्यों से लड़कियों, जिन्होंने या तो दिल्ली में अध्ययन किया है अथवा कोई काम किया, की बुरी यादें हैं। सबसे खराब बात यह है कि उन लोगों के लिये कोई सुरक्षा प्रतीत नहीं होती है जिनके सामने पहले से ही हिन्दी में बोलने संबंधी बाधा है।

महोदय, रविवार को एक कालेज की लड़की के बलात्कार ने दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों से विद्यार्थियों की कमजोरी को सामने

लाया है। दुर्व्यवहार और अपमान की कई घटनायें हैं तथा जिनमें से अधिकांश की रिपोर्ट नहीं की जाती है। उनका अकसर अनुचित अपमान किया जाता है और उन्हें सही नजर से नहीं देखा जाता है।

महोदय, वेंकटेश्वर कालेज से एक 20-वर्षीय लड़की धौलाकुआं के पास रविवार को सुबह 2 बजे के आसपास चार व्यक्तियों के एक गैंग द्वारा अपहरण किया गया था। उसे मोतीबाग गुरूद्वारे के पास सुबह 4.15 बजे के आसपास छोड़ा गया। लगभग दो घंटों के लिये कार सड़कों पर बेधड़क दौड़ती रही परन्तु पुलिस से कोई मदद नहीं मिनी जब तक कि उसे छोड़ा नहीं गया। पीड़ित व्यक्ति के मित्र द्वारा तुरंत ही पुलिस को सूचित किये जाने के बावजूद यह हुआ। यद्यपि, कार सारे शहर में बिना रोके चलती रही जिसमें अति सुरक्षित राजघाट क्षेत्र भी शामिल है तब भी पुलिस, जिसे सारे शहर में पी.सी.आर. वाहनों के नेटवर्क के होने पर अपने आप पर गर्व है, कार को रोक नहीं सकी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस घटना का सारा ब्यौरा आवश्यक नहीं है। वह समाचार-पत्र में आया है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है क्योंकि उत्तर-पूर्व से विद्यार्थी उन क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी में अध्ययन करने आते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। आपको इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। दिल्ली के लोगों को पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य ही विकसित करना चाहिये। पुलिस को भी सावधान रहना चाहिये और उन्हें पूर्वोत्तर से विद्यार्थियों के मामलों के संबंध में भी गंभीर होना चाहिये।

इसलिये, महोदय, मैं सरकार से अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सख्ती से दण्ड देने के लिये कठोर उपाय करने के लिये अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु साग्रह अपील भी करता हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा करने में निश्चित तौर पर विफल हुई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको संक्षेप में कहना है।

...(व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: मैं उस बात पर आ रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप पांच मिनट के बाद इस मुद्दे पर आ रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, यह एक सुरक्षा का मामला है और विशेषकर पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की सुरक्षा का मामला है जिनके साथ अक्सर ऐसा ही अपमान होता है। गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस को इस प्रकार के मामले को गंभीरता से लेने के लिये अनुदेश देने चाहिये और पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले को उठाने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री लरित मोहन शुक्लवैद्य, श्री अनवर हुसैन और डा. अरूण शर्मा इस मामले के साथ संबद्ध हैं।

अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.15 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम को बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक,

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, दिनांक 10.05.2005 में प्रकाशित।

[उपाध्यक्ष महोदय]

2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सभा की अनुमति लेने के लिये बुलाऊं, मुझे यह सूचित करना है कि माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 10 मई, 2005 को अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि माननीय राष्ट्रपति ने प्रस्तावित बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005 के विषय के बारे में सूचित किये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत लोकसभा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की सिफारिश की है।

श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य में वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित कानून को समेकित करने और उसमें संशोधन करने हेतु तथा उससे संगत या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि बिहार राज्य में वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री कर के उद्ग्रहण से संबंधित कानून को समेकित करने और उसमें संशोधन करने हेतु तथा उससे संगत या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम मद संख्या 11 लेंगे। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाये। मेरे ख्याल से उन्हें आज सभा की कार्यवाहियों का भाग माना जायेगा।

(एक) अलवर में दुग्ध विकास परियोजना को स्थापित किए जाने हेतु राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र-अलवर में कृषि के साथ में डेयरी विकास की विपुल सम्भावनायें हैं। गत वर्षों में निरंतर कम होती जा रही वर्षा तथा बहुत तेजी से गिरते हुए भूजल स्तर के कारण कृषि उपज में निरन्तर कमी होती जा रही है। अतः अकाल व अभाव की स्थिति में क्षेत्र का ग्रामीण तबका डेयरी उद्योग के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित कर सकता है।

दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जिले की अलवर काओपरेटिव दुग्ध डेयरी राजधानी दिल्ली को काफी मात्रा में दूध उपलब्ध करवाती है। अब भी गांवों में डेयरी उद्योग को पनपाने की प्रचुर संभावनायें हैं।

राजस्थान सरकार ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अलवर जिले में डेयरी विकास परियोजना स्वीकृति हेतु भेजी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ है।

ग्रामीण विकास मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ग्राम रोजगार की विपुल संभावना को देखते हुए अलवर जिले की दुग्ध डेयरी विकास परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

(दो) मुम्बई, महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को एस.आर.ए. योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निवास एकक और जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गोविन्दा (मुम्बई-उत्तर): अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक राजधानी, विश्व की जानी-मानी और देश को साठ हजार करोड़ का कर प्रदान करने वाली मुम्बई, जहां लोग काम, मान-सम्मान सब पाते हैं और यहां बस जाते हैं। कभी इमारतों में तो कभी भीड़ से भरी बेकारी, बीमारी और लाचारियों से भरी बस्तियों में, जो कि शहरी की सुंदरता पर काला तिल है, जो बढ़ता चला जा रहा है।

मेरी से इल्तजाह है, मुम्बई से प्राप्त दौलत के बदले अगर सरकार दौलत न दे तो कम से कम सोहलत दे दे।

एस.आर.ए. स्कीम में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनकी सहूलियतों के और भी कायदे लाये जायें ताकि गरीब, बिल्डर का पार्टनर बन जाये। सरकार मददगार हो जाए, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि शहर की शक्ल न बदले। क्योंकि शहर की सीरत तो बड़ी अच्छी है, सूरत अभी बदलनी है। तकदीर बनाने वाले शहर की खुद की तकदीर आज भी संवरनी है।

है जुस्तजु कि खूब से खूबतर कहां,
अब देखिए, ठहरती है जाकर नजर कहां।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(तीन) देश में शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अध्ययन सामग्री को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट (दौसा): इस सम्माननीय सभा को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे देश का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग है। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि हमें पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे लोगों की संस्कृति, इतिहास, रीति-रिवाज और प्रथाओं के बारे में एक औसत भारतीय को शिक्षित करने हेतु अवश्य ही और अधिक प्रयास करना चाहिये। भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में इसके बारे में पर्याप्त सूचना का अभाव है।

हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्कता है कि हमारे स्कूलों और कालेजों में पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित पर्याप्त सामग्री हो। मेरा यह विचार है कि स्कूलों में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित पर्याप्त सामग्री का न तो अध्ययन किया जाता है और न ही पढ़ाई जाती है। नवयुवकों को इन राज्यों में भूगोल, जनजातीय संस्कृति, विभिन्न भाषायें और लोगों की जैवन-शैली को सीखने और समझने का अवसर मिलना चाहिये।

यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमने देश के सभी भागों से लोगों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं के बारे में अपने आप को सुग्राही और शिक्षित किया है ताकि वे अपने आपको राष्ट्र के निर्माण में रचनात्मक ढंग से लगा सकें। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में मौजूद मनमुटाव (अपमान) की भावना को खत्म करने में मदद मिलेगी।

इसीलिये, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र और इससे लोगों से संबंधित और अधिक पाठ्यक्रम, और अधिक सूचना, अध्ययन सामग्री और मामलों को हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल करने हेतु पर्याप्त उपाय करने का आग्रह करता हूं।

(चार) दिल्ली में निर्बाधित विद्युत आपूर्ति हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, राजधानी सरकार दिल्ली ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी क्षेत्र में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिये निजीकरण किया था तथा निजी बिजली वितरण कंपनियों यानि बी.एस.ई.एस. और एन.डी.पी.एल. से यह अपेक्षा की थी कि शहर में बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी जायेगी लेकिन व्यवस्था और बदत्तर हो गयी है। आम जनता को घंटों बिजली के ब्रेकडाउन सहने पड़ रहे हैं। विशेषकर अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वासित कालोनियों और गांवों में हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए दिल्ली में बिजली का निजीकरण किया गया था, निजी कंपनियां बी.एस.ई.एस. और एन.डी.पी.एल. उसमें सफल होती प्रतीत नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु ने अपना प्रभाव अभी पूरी तरह से नहीं दिखाया है तब हालात इतने खराब हो गए हैं। भविष्य में हालत और गंभीर होने की संभावना है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर आने वाले दिनों बिजली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करे।

(पांच) तैयार स्वर्ण पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने तथा आयातित स्वर्ण सामग्रियों पर से सीमा शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान गोल्ड में प्रयोग की जा रही आयात नीति में कई कमियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह नीति भारत में सोने की रिफाइनरी कंपनियों को बंद करने वाली है और देश में बेरोजगारी को बढ़ाने वाली है। वर्तमान समय में फिनिसिंग गोल्ड पर अगर भारत में कस्टम ड्यूटी लगती है और दूसरी ओर कच्चे गोल्ड के मैटेरियल को भारत में आयात करके लाया जाता है तो उस पर पांच प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती है जिसके कारण भारत में फिनिसिंग गोल्ड ही आयात हो रहा है। लोग कच्चे गोल्ड मैटेरियल को 5 प्रतिशत ड्यूटी लगने के कारण आयात नहीं करते हैं, जिसके कारण गोल्ड रिफाइनरी की सारी 10 कंपनियां बंद पड़ी हैं और इनमें 700 करोड़ रुपये का निवेश हो रखा है, जिसका उपयोग राष्ट्र को नहीं मिल रहा है और इसमें काम करने वाले सभी मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गये हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फिनिसिंग गोल्ड में कस्टम ड्यूटी दो प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाये और कच्चे गोल्ड मैटेरियल के आयात पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की जाये, जिससे इन बंद कंपनी को पुनः खोल सकें और इसमें लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ कच्चे गोल्ड मैटेरियल में अन्य जो मैटेरियल निकलता है, उसका भी हम उपयोग कर सकें।

(छह) झारखंड में कोरबा से होकर लोहरदगा और गुमला के बीच रेलवे लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा): अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां वन सम्पदा एवं खनिज

[डा. रामेश्वर उरांव]

पदार्थ भरे पड़े हैं। लेकिन अनेक इलाके हैं, जो रेल लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र में गुमला जिला है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर अवस्थित है। यदि लोहरदगा, जहां तक अभी तक रेल लाइन गयी है, से गुमला होते हुए कोरबा, छत्तीसगढ़ तक रेल लाइन बिछायी जाती है तो गुमला जिला को लोहरदगा होते हुए रांची एवं कोरबा होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

अतः मेरी मांग है कि लोहरदगा से गुमला होते हुए कोरबा तक रेल लाइन बिछायी जाये ताकि इस आदिवासी क्षेत्र का विकास हो सके।

(सात) उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिला क्षेत्रों में पानी की विकट समस्या है। यहां के लोगों को पेयजल एवं मवेशियों के लिए पानी नहीं मिल पाता है। लोगों को पानी को लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उत्तर गुजरात के कई हिस्सों में भूमि से नमकीन पानी ही निकलता है और सरकार पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करती है, जिसमें कई दिनों तक पानी नहीं आता है और पाइप लाइन भी बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण यह जगह-जगह से टूट जाती है। टूटने पर पानी आगे तक नहीं पहुंच पाता है। इन सब कारणों से यहां के लोग मवेशियों के साथ दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन के जिला क्षेत्रों में पानी को उपलब्ध कराने हेतु जो कार्य किये जा रहे हैं उनकी समीक्षा कर हर गांव में पानी पहुंचाने का कार्य करे।

(आठ) नाबार्ड के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): देश में नाबार्ड कर्मचारी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों और विकास वित्तीय संस्था (डी.एफ.आई.) की स्थिति को कमजोर करने हेतु नाबार्ड के विरुद्ध अनुचित भेदभाव और संघ सरकार के कदम के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं। सरकार नाबार्ड की डी.एफ.आई. स्थिति को समाप्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अविभाज्य आरगैनिक जुड़ाव को कम करने हेतु अतिरिक्त समय कार्य कर रही है। नाबार्ड के कर्मचारियों की मुख्य मांग किसानों को कम ब्याज दर ऋण, इससे सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को कमजोर न किया जाना और भारतीय रिजर्व बैंक में समान दर्जे वाले व्यक्तियों के साथ नाबार्ड कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती निधियों का नियमित आगमन है।

अतः, मैं सरकार से इस प्रकार के उपायों से बचने और नाबार्ड कर्मचारियों की समुचित मांगों को पूरा करने हेतु आग्रह करता हूं।

(नौ) त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): त्रिपुरा के लोग और राज्य सरकार लंबे समय से त्रिपुरा विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने हेतु मांग कर रही है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। परन्तु निधियों की कमी के कारण आवश्यक ढांचा विकसित करना और अच्छी शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रम प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रमों में विविधता (परिवर्तन) लाना संभव नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोहिमा, सिलचर, तेजपुर, आइजवाल और शिलांग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो मुख्य रूप से केन्द्रीय वित्तपोषण के कारण अवसंरचना और शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इस विशिष्ट स्थिति से क्षेत्र में शिक्षा संबंधी सुविधाओं में अत्यधिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने मणिपुर विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का प्रस्ताव करते हुए राज्य सभा में एक विधेयक 'मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005' पुरःस्थापित किया है। त्रिपुरा के पिछड़ेपन और दूरस्थ होने पर विचार करते हुये त्रिपुरा विश्वविद्यालय को परिवर्तित करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध शिक्षा संबंधी सुविधाओं में असंतुलन को कम करना भी तत्काल ही आवश्यक है। इसीलिये, मैं यह पुरजोर मांग करता हूं कि संघ सरकार को त्रिपुरा विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु तुरंत की कदम उठाना चाहिये।

(दस) बलिया और वाराणसी के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी संख्या 565 को बढ़ाकर इलाहाबाद तक किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय का ध्यान पैसेंजर रेलगाड़ी नं. 565 के परिचालन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह रेलगाड़ी

बलिया से वाराणसी होकर मडुआडीह तक चलती है। मडुआडीह में एक डेढ़ घंटे रुकने के बाद नए नंबर और नए रेक के साथ फिर वही ट्रेन इलाहाबाद रवाना हो जाती है। यदि इसी ट्रेन को सीधे बलिया वाराणसी मडुआडीह से बढ़ाकर इलाहाबाद तक चलाया जाता तो बलिया, गाजीपुर व औड़िहार के यात्रियों को काफी फायदा होता। पहले जब यह रेल लाइन मीटर गेज अर्थात् छोटी लाइन थी तो बलिया से इलाहाबाद तक हाइकोर्ट नाम से एक रेलगाड़ी चलती थी, जिससे इलाहाबाद जाने में यात्रियों को काफी सुविधा होती थी। अब उक्त लाइन के बड़ी लाइन में तब्दील हो जाने के बाद बलिया, गाजीपुर, औड़िहार आदि जगहों से इलाहाबाद जाने के लिए कोई भी पैसेंजर या दूसरी रेलगाड़ी नहीं है। परिणामस्वरूप लोगों को बसों का सहारा लेना पड़ता है, उसमें भी इलाहाबाद पहुंचने के लिए दो या तीन जगहों पर बसें बदलनी पड़ती हैं।

अत: सरकार व रेल मंत्री से मेरा आग्रह है कि पैसेंजर रेलगाड़ी नं. 565 को बलिया और वाराणसी से सीधे इलाहाबाद तक चलाया जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में देवरिया के केन्द्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में छात्रों को दाखिला दिए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र देवरिया में केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत है। इस संस्था में सुचारू रूप से पठन-पाठन हो रहा है। इस साल दर्जा एक में प्रवेश सहसा बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गयी हैं। वहां आशंका व्याप्त है कि केन्द्रीय विद्यालय को ही बंद कर देने की योजना है। इससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

मेरी मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय देवरिया, उत्तर प्रदेश को ठीक से संचालित किया जाये। दर्जा एक में प्रवेश तत्काल शुरू किया जाये और इस विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था की जाये।

(बारह) बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, बिहार के हथुआ अनुमंडल की एकमात्र बंद पड़ी बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन इकाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त चीनी मिल 1997 के बंद पड़ी है। वर्तमान में इस मिल में 1300 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका वेतन के रूप में इस मिल पर लगभग 10 करोड़ रुपये बकाया है। वेतन नहीं मिलने के कारण लगभग 16 कर्मचारी भूख तथा दवा के अभाव में मर चुके हैं।

इस मिल पर 784 गांव के 23,000 गन्ना किसानों का लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपया बकाया है।

1997 के बाद से तीन बार बिहार सरकार की मंत्रीमंडलीय स्वीकृति के बाद भी मिल को पुन: चालू नहीं किया जा सका है।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू किया जाये और मिल के ऊपर मजदूरों और किसानों का जो रुपया बकाया है, उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाये।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र के कुछ खंडों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

मो. मुकीम (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कुछ निम्न स्तरीय सड़कों का निर्माण किया गया है, जो निम्नलिखित है:

1. पीलीभीत-बहराइच मार्ग से वासाचक, विकास खंड डुमरियागंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
2. डी.डी. मार्ग से झकहीया, सेमरा मार्ग, विकास खण्ड इटावा, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
3. डी.डी. मार्ग से पकड़ीहवा मार्ग, विकास खण्ड बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
4. सोहरतगढ़-डेमरूआ मार्ग से तुलसीयापुर-भुतहीया-झुमहवा मार्ग, विकास खण्ड बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
5. सोहास लोटन मार्ग से भीटपरा मार्ग, विकास खण्ड उस्का, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
6. एल.डी. रोड भगवानपुर, विकास खण्ड वर्डपुर, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।

ऊपर वर्णित क्रम संख्या 1 से 5 तक की सभी सड़कों का निर्माण वर्ष 2002 के अंत में हुआ है। जबकि क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित सड़क निर्माण वर्ष 2003 के अंत में हुआ है।

[मो. मुकीम]

उक्त सड़कों के निर्माण में सरकारी धन का सदुपयोग नहीं हुआ है। परिणामत: मात्र दो साल के भीतर ही सड़कों का टूटना शुरू हो गया है, जिससे जनमानस में रोष स्वाभाविक है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कार्यों की समीक्षा की जाये।

(चौदह) देश में निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर): भारत में और विदेशों में रहने वाले जिन लोगों को भारत सरकार और मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों से शिकायतें हैं वे इन्हें दूर करने के लिए संसद सदस्यों से संपर्क करते हैं। संसद सदस्य जन प्रतिनिधि होने के नाते संबंधित अधिकारियों के साथ प्रमाणिक मुद्दों को उठाते हैं। परन्तु अधिकारी इन मुद्दों को हल नहीं करते और उन्हें लंबित रखते हैं। मैंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम को बिक्री के पश्चात् निर्यातकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गेहूं के मूल्यों में वृद्धि और ऐसी बिक्री के लिए निर्यातकों से 100% अग्रिम राशि प्राप्त करने के मामले में अभ्यावेदन दिए थे।

एम.एम.टी.सी. लिमिटेड और क्रासलैन्ड मार्केटिंग (2000) पी.टी.ई. लिमिटेड, सिंगापुर ने भारतीय खाद्य निगम को इस मूल्य वृद्धि की राशि की वापसी की मांग प्रस्तुत की थी। परन्तु भारतीय खाद्य निगम और मंत्रालय ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा मैंने सहायक निर्यातकों से बिक्री-कर, बाजार शुल्क की गलत ढंग से वसूली करने और समझौते के विपरीत लिए गए निर्णयों जैसे भण्डारण किराया प्रभारों, सी.एच.ए. दरों में उत्तर के मामलों पर एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली को अभ्यावेदन दिए थे। सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के गलत निर्णयों और निष्क्रियता के कारण भारतीय नौकरशाही और संसद सदस्य जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं और जनता को लगातार कष्ट सहना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच करें।

(पन्द्रह) देश में खाद्यान्न निर्यातकों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): सरकारी क्षेत्र का उपक्रम एम.एम.टी.सी. भारतीय निर्यातकों के खाद्यान्नों का विदेशों में व्यापार करने के लिए जिम्मेदार हैं। खाद्यान्नों की दर के संबंध में एम.एम.टी.सी. और निर्यातकों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। परन्तु निर्यात के साथ एम.एम.टी.सी. दरों संबंधी समझौते का उल्लंघन करके खाद्यान्नों की दरों में वृद्दि कर देता है जिससे निर्यातकों को भारी हानि होती है? पीड़ित निर्यातक न्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं। एम.एम.टी.सी. के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ रही है। दोनों के कानूनी खर्चे में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। यह बोरियों पर भी बिक्री कर लेता है जिसका समझौते में कोई उल्लेख नहीं है और इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को और अधिक हानि होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह निर्यतकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करे और एम.एम.टी.सी. को अनुदेश जारी करे कि वह भण्डारण किराया, सी.एच.ए. दरों में अंतर आदि द्वारा संविदा समझौते का उल्लेख न करे।

(सोलह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर और इचलकरांजी संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोज्य किराया प्रभारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरांजी): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के कोल्हापुर और इचलकरांजी संसदीय क्षेत्रों में टेलीफोन विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन लगाने हेतु जमा राशि और मासिक किराया शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रखा है। परन्तु, टेलीफोन विभाग की लापरवाही के कारण उपरोक्त क्षेत्रों में ग्रामीण जनता से नगरीय क्षेत्रों के बराबर ही अग्रिम जमा तथा मासिक किराया लिया जा रहा है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करके इन अनियमितताओं को दूर किया जाये और अधिक वसूल किया गया किराया तथा अग्रिम राशि का भुगतान किया जाये। साथ ही मैं सरकार से यह मांग भी करती हूं कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता से शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम दर पर काल की वसूली करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की टेलीफोन लगाने की उदार नीति सही मायनों में सफल हो सके।

(सत्रह) देश में साक्षरता दर बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): यद्यपि, भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है और अनेक लक्ष्यों को प्राप्त किया है परन्तु जब

हम साक्षरता दर के आंकड़ों को देखते हैं तो शिक्षा के मामले में यह अत्यंत पिछड़ा हुआ है। साक्षरता दर बहुत कम है। भारत सरकार ने 12 राज्यों में 146 जिलों का पता लगाया है जिसमें इसकी खराब स्थिति का स्वयं पता चलता है।

सरकार को उन जिलों की सूची अलग से तैयार करनी चाहिए जहां केन्द्रीय विद्यालयों और सामुदायिक पालीटैक्निक नहीं हैं। वहां प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालय खोले जाने चाहिएं।

केन्द्र सरकार को मानदण्डों में हिदायत बरतनी चाहिए और तदनुसार राज्य सरकारों को प्राथमिक विद्यालय खोलने, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, वर्दी, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए स्थान का आरक्षण, दाखिले के समय न्यूनतम अंकों में छूट, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान शुरू करना, आवासीय विद्यालयों, शैक्षिक परिसरों को खोलना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास खोलना आदि सुविधाएं प्रदान करने का अनुदेश देना चाहिए। शैक्षिक कौशल में सुधार के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करना, जनजातीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए शैक्षिक परिसरों को खोलने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सरकार को अधिक आवासीय विद्यालय, सामुदायिक कालेज, आईटीआई, सायंकालीन विद्यालय और रात्रि शिक्षा केन्द्रों को खोलना चाहिए।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यदि उक्त कदम उठाए जाएंगे तो न केवल पिछड़े जिलों में बल्कि देश के सभी भागों में साक्षरता दर बढ़ेगी।

(अठारह) झारखंड के बोकारो जिले में सी.सी.एल. द्वारा खनन कार्यकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के बोकारो जिला स्थित सी.सी.एल. द्वारा कोयला उत्खनन एवं ढुलायी के कारण गोविंदपुर, कठाहारा, बोडिया, जरगडीह, असनापानी, जरीडीह, कारो, बैदकारों, अमलो धुठीयाटांड, कुरकपनिया, बेरमों वस्ती, चार नंबर, तुरीयो, तारमी, भड़ारीदाह, कल्याणी, राजाबेड़ा, चन्द्रपुरा, फुसरो, दुग्दा, करमाटांड, सिजुवा तथा इनके बीच में बसी कालोनियों में कोयले की ढुलायी एवं डी.वी.सी. के बी.टी.पी.एस. एवं सी.टी.पी.एस. की छायी की ढुलायी से वहां पर्यावरण भारी दूषित हो रहा है। तरह-तरह की बीमारियों हो रही हैं। कुआं, तालाब का पानी प्रदूषित हो गया है। खेती योग्य जमीन बंजर हो गई है। सड़क से गुजरने वाले ट्रकों से उड़ने वाली छायी के कारण वहां के लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है तथा वहां वाहन दुर्घटना से रोज लोग मर रहे हैं। प्रतिदिन दुर्घटनायें हो रही हैं।

अत: वहां प्रदूषण को रोकने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के मुछआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1952 से आंध्र प्रदेश को छोड़कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है। वास्तव में मछुआरा समुदाय का अनुरोध सही है क्योंकि उनकी जीविका मछली पकड़ने पर निर्भर करती है। यदि मछली पकड़ते समय कोई समस्या आ जाती है तो उस दिन उनके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कराने के मुद्दे पर संसद भवन के सामने कई धरने दिए। मैंने भी इस संबंध में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे।

(बीस) असम सहकारी पटसन मिल लिमिटेड द्वारा तेजपुर रेलवे स्टेशन से बोरियों की चरणबद्ध तरीके से बुकिंग पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम कोआपरेटिव जूट मिल्स लिमिटेड असम राज्य में एकमात्र कम्पोजिट जूट उद्योग है। इस जूट मिल की असम समझौते की शर्तों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से पुनर्स्थापना की गई थी। यह वर्तमान में लाभ कमाने वाले कुछ राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों में से एक है।

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन और परिवहन संबंधी अड़चनों के कारण उत्पादों के विपणन की समस्याओं की जानकारी होगी। यह मिल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गनी बैगों के केन्द्र सरकार के मांग आदेशों पर निर्भर है।

पिछले दस सालों से लंबित बुकिंग प्रणाली द्वारा बोरों को रेल के माध्यम से तेजपुर रेलवे स्टेशन से विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है परन्तु फरवरी, 2005 से रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने गनी बैगों की खंडित बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोआपरेटिव मिल लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। दूसरे, कच्चे जूट का उत्पादन करने वाले स्थानीय लोग भी अपना कच्चा जूट उत्पाद बेचने के लिए इसी मिल पर निर्भर हैं। पर यह प्रतिबंध एक सांघातिक प्रहार की तरह है और जूट उद्योग को बंद करने के लिए बाध्य कर रहा है क्योंकि मिल के पास गनी बैगों को भेजने के लिए कोई अन्य सस्ता अर्थक्षम विकल्प नहीं है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इस मामले पर तत्काल विचार करे।

अपराह्न 2.23 बजे

सरकारी विधेयक

(एक) सूचना का अधिकार विधेयक, 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या-12 लेते हैं। माननीय मंत्री यह प्रस्ताव भी करेंगे कि सूचना का अधिकार विधेयक पर विचार किया जाये।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनता के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यू.पी.ए. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भारत के लोगों को ईमानदार, पारदर्शी, उत्तरदायी शासन देने हेतु और ऐसा प्रशासन, जो सारे समय लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, देने के लिये विधिवत वायदा किया गया था। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सूचना के अधिकार को और अधिक प्रगतिशील, भागीदारी से संबंधित तथा अर्थपूर्ण होने के लिये भी वायदा किया गया था। सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 को 23 दिसम्बर, 2004 को इस सभा में मेरे द्वारा पुर:स्थापित किया गया था जो कि इस वायदे को पूरा करने में एक कदम आगे था।

महोदय, यू.पी.ए. अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह के गतिशील (कर्मठ) और दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के तहत हम सूचना के अधिकार के संबंध में एक नये और बेहतर विधान को लायेंगे। हमारा विश्वास है कि नये विधान से लोगों के साथ राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा सूचना को देने के माध्यम से गोपनीयता संबंधी प्रशासनिक आचार और संस्कृति का आमूल परिवर्तन होगा। शासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का युग प्रारंभ होने वाला है। सूचना तथा इससे भी उचित यह कहना होगा कि सूचना तक पहुंच लोगों को केवल सूचनाप्रद विकल्प चुनने में ही सहायक नहीं होगी बल्कि निर्णय निर्धारण प्रक्रियाओं में प्रभावशाली रूप से भाग लेने में भी सहायक होगी।

महोदय, लोगों को सक्षम बनाने और अधिकार देने के मद्देनजर सूचना का अधिकार लोगों को प्रदान करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। वर्ष 1980 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने विचार के स्रोत का पता लगाते हुए कहा:

"आधुनिक समाज सूचना संबंधी समाज है। नागरिकों की जीवन के सभी क्षेत्रों में रुचि है और वे ऐसी सूचना की मांग करते हैं जो जहां तक संभव हो व्यापक सही और उचित हो। तथापि, सूचना का अधिकार संबंधी विचारधारा आने वाली है।"

इस विधेयक को विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया और इसके प्रतिवेदन को 21 मार्च, 2005 को इस सभा पटल पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, समिति जिसने कुछ मुख्य सिफारिशें की थी, सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् से उपयोगी सुझाव भी प्राप्त किये। सरकार को इन प्रस्तावों से काफी लाभ हुआ है। साधारण नागरिकों को आसानी से और प्रभावशाली ढंग से जन सूचना प्रदान करने के हमारे निश्फल प्रयासों में सरकार ने अधिकांश सुझाव स्वीकार कर लिये हैं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभी माननीय सदस्यों को अधिकारिक संशोधनों हेतु नोटिस परिचालित किया गया है और वे मेरे साथ सहमत होंगे कि संशोधन सूचना व्यवस्था को मजबूत करने में और सूचना के अधिकार को सारपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने में मददगार होंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को माना है जिसमें इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है जैसाकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। इसीलिये, विधेयक जो इस अधिकार के आसानी से प्रयोग का एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित करने का प्रयास है, इसे उचित रूप से 'सूचना का अधिकार विधेयक' शीर्षक दिया गया है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान इसके अधिनियमित होते ही प्रभावी हो जायेंगे जबकि शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के 120 दिन बाद प्रभावी होंगे। इसीलिये यह सरकारी प्राधिकारियों के लिये आवश्यक होगा कि वह इस अवधि के भीतर नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें विकसित करें। सूचना शब्द को खण्ड 2(घ) में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और इसके कार्य क्षेत्र के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में भी निर्धारित सामग्री शामिल की गई है।

इस विधेयक के कार्य क्षेत्र का विस्तारीकरण संविधान अथवा अन्य कानून के अंतर्गत आने वाले प्राधिकरणों तथा निकायों पर लागू किया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अंतर्गत अधिकरण शामिल है। सरकारी निधियों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों को इस विधेयक के दायरे में भी लाया जा रहा है।

इस विधेयक के खण्ड-4 में जैसा कि निर्धारित किया गया है स्वत: ही जन सूचना और अन्य सूचना प्रदान करने के लिये प्रत्येक जन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है ताकि लोग सूचना प्राप्त करने हेतु इस विधान का उपयोग करने के लिये न्यूनतम सहारा ले। जन अधिकारी को रिकार्ड, सारणी और अनुक्रमणिका को इस तरीके से बनाये रखने हेतु भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि, जैसा कि इस विधान के अंतर्गत उपबंध है, नागरिक आसानी से सूचना प्राप्त कर सकें।

जैसा कि इस विधेयक के खण्ड 6 में उपबंध है सूचना लेने की प्रक्रिया काफी आसान है। एक नागरिक को केवल उसके द्वारा मांगी गई सूचना का ब्यौरा देते हुये संबंधित जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी को अनुरोध करना होता है। उससे सूचना लेने हेतु कोई कारण देना अथवा उससे संपर्क करने हेतु आवश्यक ब्यौरे के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा देना अपेक्षित नहीं है। सूचना हेतु अनुरोध हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा राज्य की अधिकारिक भाषा में किया जा सकता है। भुगतान किया जाने वाला शुल्क तार्किक होगा। इसके अतिरिक्त, गरीबों के लिये हमारी सरकार की चिंता के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के सदस्य को नि:शुल्क सूचना प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। नागरिकों की सुविधा हेतु सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने अथवा अपील करने हेतु प्रत्येक उप-मंडल स्तर पर प्रत्येक जन अधिकारी द्वारा सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार की सूचना मांगने वाले लोगों को संगत सहायता देने के लिये जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी लगाई गई है और यदि व्यक्ति लिखित में अनुरोध करने में असमर्थ है तो उसके द्वारा मौखिक अनुरोध करने में उसे दी गई सहायता को लिखित में परिवर्तित किया जायेगा। इसके अलावा यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य जन अधिकारी के पास है तो संबंधित जन सूचना अधिकारी को अनुरोध भेजने हेतु उनकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है।

महोदय, मांगी गई सूचना तुरंत प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विधेयक के खंड 7 में यह बाध्यकारी किया गया है कि मांगी गई सूचना तथा विधेयक के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार जन सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर दी जाए। तथापि, जहां पर मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित होती है वहां पर अनुरोध के प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर इसे प्रदान किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। तीसरे व्यक्ति (पार्टी) से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध के मामले में विधेयक के खंड 11 में ऐसे व्यक्ति को एक लिखित नोटिस दिया जाना और उस व्यक्ति के पास इसका उत्तर देने हेतु 10 दिन होना अपेक्षित है। जन सूचना अधिकारी से तीसरे व्यक्ति को अवसर देने के पश्चात् मामले पर 40 दिन के भीतर निर्णय लेना अपेक्षित है।

महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राय: अत्यंत महत्वाकांक्षी विधान अक्सर अपने प्रावधानों को कार्यान्वित करने में प्रभावशाली सत्ता के अभाव में विधि पुस्तकों तक ही सीमित रहते हैं। हम सूचना का अधिकार को ऐसी नियति से बचाने के लिये दृढ़ संकल्प थे। सभी सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरोध को उच्च प्राथमिकता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु मांगी गई सूचना समय पर प्रदान न किये जाने, सूचना हेतु की गई प्रार्थना को स्वीकार न करने, गलत जानकारी देने, अधूरी अथवा गुमराह करने वाली सूचना अथवा तोड़-मरोड़कर जानकारी दिये जाने पर निवारक दण्ड का प्रावधान किया गया है। विलंब के प्रत्येक दिन के लिये 250 रुपये जुर्माना होगा और यह 25,000 रुपये तक होगा। एक उच्चस्तरीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है और इस तरह के मामलों में निश्चित समय-सीमा में जुर्माना

[श्री सुरेश पचौरी]

लगाने और मुकदमा चलाने के लिये इसे प्राधिकृत किया गया है। जन सेवकों पर निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त, यह आयोग सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। जुमाना हेतु उपबंध विधेयक के खंड 17 में अंतर्विष्ट है।

महोदय, विधेयक के खंड 16 में अपील हेतु द्विस्तरीय तंत्र अन्तर्विष्ट है। पहली अपील संगठन के भीतर ऐसे अधिकारी से कर सकते हैं जो जन सूचना अधिकारी से दर्जे में वरिष्ठ हो। दूसरी अपील सूचना आयोग से कर सकते हैं। निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर विधेयक के खंड-20 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रकटीकरण से छूट दी गई सूचना के वर्ग न्यूनतम है और विधेयक के खंड 8 में अंतर्विष्ट हैं। ये छूटें भी पूर्ण नहीं हैं और यदि सूचना के प्रकटीकरण से जन प्राधिकरणों को हानि अधिक होती है तो जनहित में उन्हें उस तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार के प्रकटीकरण की अनुमति दी गई है यद्यपि यह शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, दो वर्गों को छोड़कर—जो सूचना प्रकटीकरण से संबंधित है—जो भारत की संप्रभुसत्ता और अखंडता आदि को प्रभावित करे अथवा मंत्रिमंडलीय पत्रों आदि से संबंधित सूचना छूट प्राप्त सूचना के अन्य सभी वर्गों को 20 वर्षों के पश्चात् प्रकट किया जायेगा।

विधेयक के खंड 21 के अंतर्गत सुरक्षा और आसूचना संगठनों को विधेयक के उपबंधों से मुक्त रखा गया है। तथापि, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप संबंधी मामलों में इन एजेंसियों के लिये भी छूट नहीं होगी। मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों के मामले में सूचना को सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् उपलब्ध कराया जायेगा। विधेयक के खंड 19 में अंतर्विष्ट एक अन्य खास बात यह है कि इस विधेयक के प्रावधानों और शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 अथवा अन्य किसी कानून, जो इस समय लागू है, के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इस विधेयक का अध्यारोही प्रभाव होगा।

मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के प्रावधानों से हमारे देश में सूचना के अधिकार की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होंगे और भारत को उन चंद देशों के बराबर ला खड़ा करेगा। जहां इस तरह के कानून मौजूद हैं। कई पहलुओं से हमारा कानून जब पारित होगा तो काफी उदार और विकसित होगा क्योंकि यह नागरिकों के पक्ष में राज्य और नागरिकों के मध्य विरोध का समाधान करता है। यह ऐसे समय आ रहा है जब भारत विश्व समाज में एक मुख्य सार्वभौमिक भागीदार के रूप में उभर रहा है और अपने उचित स्थान हेतु दावा कर रहा है। परन्तु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधान के माध्यम से हम सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को छोड़ शासन प्रणाली को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और सरकार और जनता के बीच की दीवार तोड़कर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यह विधान नागरिकों को और अधिक जानकारी देने के माध्यम से विकास हेतु और सरकार को और अधिक उत्तरदायी बनाकर प्रेरणादायक होगा।

मेरा विश्वास है कि इस विधेयक को जिसका उद्देश्य इस देश के नागरिकों के जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाना है, इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य का समर्थन प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा के विचारार्थ इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनता के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, प्रारम्भ में मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में चर्चा शुरू करने के लिए मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस अर्थ में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है कि यह प्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 से संबंधित है।

यह हमारा प्रथम प्रयास नहीं है—पूर्व में भी हमने सूचना का अधिकार जिसे संविधान में शामिल किया गया है को संहिताबद्ध करने हेतु प्रयास किया था तेरहवीं लोक सभा में मेरे विचार से हमने सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 नामक वैसा ही कानून पारित किया था। उस विधान, उस कानून में परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था। इसमें कई त्रुटियां थी। इस अधिनियम में अपने आप में कई तरीकों से त्रुटियां थी। समय की कमी के कारण मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसीलिए, अंततः सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया था।

अब यह नया विधेयक सभा के समक्ष लाया गया है। इस अलग विधान की आवश्यकता है। केवल दिखावे के संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण परिवर्तन अथवा इस सभा द्वारा पारित कानून का अच्छी तरह निरीक्षण करना आवश्यक था। इसीलिए, यह

निर्णय लिया गया है अथवा कानून में संशोधन करने की बजाए एक अलग से विधान का होना विवेकपूर्ण अथवा कार्यसाधक है और जिसे पूर्व एन.डी.ए. शासन के दौरान कार्यान्वित नहीं किया गया था। जिस सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 को लाया गया था वह सूचना स्वतंत्रता अधिनियम से पूर्णत: भिन्न है। सूचना का अधिकार विधेयक कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। परन्तु, प्रारंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने सभा के प्रति न्याय नहीं किया था। प्रक्रिया के नियमों के नियम 74 के अनुसार माननीय मंत्री द्वारा संशोधनों का अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। इस विधेयक में किये गये संशोधन करीब-करीब एक भिन्न विधेयक के रूप में दिखाई देते हैं। यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। माननीय सदस्यों को इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक, का अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। माननीय सदस्यों को कोई समय नहीं दिया गया था। इसे केवल सुबह ही परिचालित किया गया था। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे नियमों के अनुसार दो दिन पहले परिचालित किया जाना चाहिए था। जिसे उन्होंने नहीं किया है। इसे केवल आज ही परिचालित किया गया था।

इस विधेयक में प्रत्येक खण्ड में संशोधन किये गये हैं जोकि महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार के लिए केवल सूचना आयोग हेतु प्रावधान है। अब राज्य के लिए भी प्रावधानों में संशोधन किये गये हैं। यह पूरी तरह से एक भिन्न बात है। आप ऐसे प्रावधानों को नहीं पायेंगे जो मूल विधेयक में है और जिसे इस सभा में पुर:स्थापित किया गया था। ये सभी प्रावधान नये हैं। ये सभी नये संशोधन हैं। मैं इसे इस तरह कह सकता हूं कि जहां तक 2004 विधेयक का संबंध है संपूर्ण परिवर्तन किया गया है। मैं प्रावधानों के साथ सहमत हूं क्योंकि मैं उन सदस्यों में से एक सदस्य हूं। जिन्होंने स्थायी समिति में विधेयक का अध्ययन किया था। मेरे अनुरोध पर ही कुछ संशोधन किये गये थे। इसीलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मुझे इस बात की जानकारी है। परन्तु अन्य सदस्यों को पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है। उन्हें भी यह जानना चाहिए कि इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन कौन से हैं। समय नहीं था क्योंकि इसे केवल आज ही परिचालित किया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है।

हम ऐसे कानून बना रहे हैं जो राज्यों सहित संपूर्ण भारत में मान्य है। हमें अवश्य ही यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य और कुछ अन्य राज्यों में पहले से ही सूचना अधिनियम है और इस सूचना का अधिकार संबंधी कानून को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। उन कानूनों में नागरिक चार्टर है। इसीलिए, प्रश्न ही कहां उठता है कि क्या यह समवर्ती सूची में है अथवा क्या इसका उपयोग संघ सरकार द्वारा अकेले ही किया जाता है? राज्य इस बात का दावा करते हैं कि इसे विधान में लाने का उन्हें अधिकार है। इसीलिए, राज्य विधानसभाओं ने इस आधार पर इस प्रकार के विधेयक को पारित किया है कि यह एक समवर्ती विषय है। अत:, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर ऐसे राज्य हैं जहां पर यह सूचना विधेयक अथवा अधिनियम लागू है। उनके साथ क्या होगा? क्या संघीय पद्धति का प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठेगा? क्या होगा? कौन सा मौजूद होगा—यह अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम? यदि। राज्य अधिनियम को रहना है तो यह इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जाता है; यदि केन्द्रीय अधिनियम को रहना है तो यह कभी-कभार राज्य अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रावधानों के विरुद्ध जायेगा। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हमें इस कठिनाई से निपटना होगा। निस्संदेह, हमारे पास एक ऐसा प्रावधान हो सकता है कि केन्द्रीय अधिनियम अभी राज्य अधिनियम पर हावी होगा। परन्तु यह निर्णय लेना न्यायालय का काम है कि कौन-सा अधिनियम विद्यमान रहेगा। यह एक अन्य मामला है। चूंकि यह राज्यों से भी संबंधित मामला है और विधानसभाओं ने इस संबंध में कानून बनाया है अत: यह समझदारी होगी और उचित होगा कि उनकी भी राय ले ली जाए। परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। एक पहलू यह भी है।

मैं पुन: यह बताना चाहता हूं कि हमने 2002 की संविधि का पालन क्यों नहीं किया। 2002 संविधि में कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं था। उसका उल्लंघन होने पर कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं था। यह केवल सलाहकार स्वरूप का था। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। मान लीजिए कोई नागरिक किसी सरकारी अधिकारी से कोई जानकारी लेना चाहता है और वह उस जानकारी को देने से इन्कार कर देता है तो सभा द्वारा पारित पूर्व अधिनियम में उसके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं था। इस विधेयक में ऐसा नहीं है। इसे दण्डात्मक अपराध बनाया गया है। यदि कोई जिम्मेदार सरकारी अधिकारी कोई जानकारी देने से मना कर देता है तो अब उसे सजा दी जा सकती है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह केवल नारा नहीं है, इसे लागू भी किया जाएगा। यदि इसका कोई उल्लंघन होगा तो उसे दण्डित किया जाएगा। इस विशेष विधेयक में यह अंतर है।

अब मैं सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बात करूंगा। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर गठित समिति द्वारा की जाती है। समिति को, एक व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना होगा। मूल अधिनियम में 'मुख्य' शब्द नहीं है। मूल अधिनियम में वह केवल केन्द्रीय सूचना अधिकारी था। अब केन्द्रीय सूचना आयोग में तीन व्यक्ति हैं—सूचना आयुक्त और उसकी सहायता के लिए दो अन्य व्यक्ति। उनकी आयु 65 वर्ष रखी गई है जैसाकि

[श्री वरकला राधाकृष्णन]
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में है। अब परिचालित संशोधन के द्वारा वर्तमान अधिनियम में ये कुछ प्रावधान लाए गए हैं।

एक अन्य पहलू है जिसके संबंध में जानकारी सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। हमने विस्तार से चर्चा की थी और इस विधेयक के खण्ड 8 के अंतर्गत संशोधन में ठीक से बताया गया है। ऐसी कोई भी जानकारी देने से छूट दी जाए जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसे स्पष्ट रूप से मना किया गया है; जिससे संसद अथवा विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन हो और रक्षा मामलों से संबंधित जानकारी। इन्हें खण्ड 8(क) से (छ) में सूचीबद्ध किया गया है। ये इस खण्ड के लिए अपवाद स्वरूप हैं। जहां यह समझा जाता है कि राज्य के हित में जानकारी देना आवश्यक है वहां ऐसा किया जाएगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राज्य के सचिवालय में और संघ मंत्रालय में वास्तव में क्या हो रहा है। नागरिक को यह जानने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। चोरी-छिपे कई काम किए जाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के सचिवालयों में कई संदेहास्पद सौदे किये जाते हैं और यह जानकारी हमेशा छिपी रह जाएगी। हमारे लोकतांत्रिक देश में ऐसी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारा देश एक गणराज्य है। नागरिकों को सचिवालय में चल रही गतिविधियों को जानने का अधिकार होना चाहिए। इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, निर्णय लिए जाने के पश्चात् मंत्रीमंडल के दस्तावेजों को भी खुलासा किया जाना चाहिए। यह अन्य लोगों की जानकारी से नहीं छुपाया जा सकता। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। परंतु कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल के दस्तावेजों को गुप्त रखा जा सकता है। किस जानकारी का रहस्योद्‌घाटन किया जाए और किसका नहीं, इस मामले पर मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि सरकारी सूचना अधिकारी के निर्णय पर कोई विवाद है अथवा निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसके लिए अपील की जा सकती है। अतः विधेयक में 'अपील' का प्रावधान भी है। मूल विधेयक में संशोधन द्वारा मंत्री जी ने ये मुख्य परिवर्तन किए हैं जिन्हें, यदि मैं सही हूं, तो दिसम्बर, 2004 को सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसे 2005 की तरह संशोधित किया जाना है।

मूल विधेयक में जानकारी के लिए कुछ सीमाएं हैं जिन्हें इससे छूट दी गई है। अधिकारी यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशेष जानकारी न देना सार्वजनिक हित में होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिकारी यह निर्णय करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि इस विशेष जानकारी को दिया जाए या नहीं। इस पर विधेयक के 'छूट प्राप्त' खण्ड के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल उसी के आधार पर निर्णय होगा और कोई अधिकारी यह निर्णय नहीं कर सकेगा कि यह विशेष जानकारी जनहित में है या नहीं। अतः इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

लोगों को शीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और जब किसी जानकारी के लिए आवेदन किया गया हो तो किसी भी व्यक्ति को इसे मना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जानकारी प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना होगा। न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए हमें हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, किसी विशेष सरकारी अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क को कम किया जाना चाहिए। उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को बिना किसी रुकावट और बिना कोई शुल्क दिए जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, यह निरर्थक हो जाएगा। अतः जब एक गरीब व्यक्ति किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क करता है तो अधिकारी उसे वह जानकारी देगा और इस प्रयोजन के लिए वह किसी शुल्क के भुगतान पर जोर नहीं दे सकता।

जानकारी देने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। सूचना देने में विलम्ब करना अन्याय है जैसे 'न्याय करने में विलम्ब करना न्याय से वंचित करना है।' इसी प्रकार जब हम किसी सरकारी जानकारी की मांग करते हैं तो यह संबंधित व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह उचित तरीके से उचित समय में जानकारी दे।

परन्तु मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि केन्द्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे समय में कुछ समस्याएं आ सकती हैं जब राज्यों ने पहले ही मामले की जांच कर ली हो और हम इसमें विलम्ब करें। संसद का दायित्व बाद में आएगा। कुछ राज्य तो इससे भी आगे चले गए हैं। अतः ऐसा समय आ सकता है जब संविधान के संघीय ढांचे के संबध में, और यह निर्णय करने के लिए कि क्या इसे राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण माना जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए—यह मामला ऐसा है जिसका निर्णय केवल अनुभव और इस विशेष संविधि के कार्यान्वयन से किया जा सकता है।

केन्द्र और राज्य दो क्षेत्र हैं। अतः केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग दो आयोग होंगे। दोनों के लिए नियुक्ति का स्वरूप एक समान होगा। राज्य की समिति की अध्यक्षता राज्य के विपक्ष के नेता अथवा कुछ मामलों में मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल या मुख्य न्यायमूर्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी। किसी विशेष राज्य में प्रथा केन्द्र में भी मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति के

लिए एक समिति होगी। इसमें यह प्रावधान है और यदि उचित ढंग से लागू किया जाएगा तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात होगी।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ; आज तक हमने नागरिकों को सूचना का मूल अधिकार नहीं दिया है। उनकी जानकारी के बिना कई कार्य किये गये हैं। उनको जानने का अधिकार है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार, संसद तथा हर एक संस्था भी लोगों के प्रति जवाबदेह है। इसमें न्यायपालिका भी शामिल है; और प्रत्येक संस्था लोगों के प्रति जवाबदेह है। उन्हें यह जानना चाहिए और वे यह जानने के हकदार हैं कि देश के शासन में वास्तव में क्या हो रहा है।

यह विधेयक इस प्रयोजनार्थ हेतु लाया गया है। यह एक उत्तम प्रयास है और इसका समुदाय के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। इस विधेयक को अवश्य ही पारित किया जाना चाहिए, यद्यपि, माननीय मंत्री ने गलती की है क्योंकि उन्होंने इस विधेयक को पहले परिचालित नहीं किया जिससे कि माननीय सदस्य इसका अध्ययन करने और अपने बहुमूल्य सुझाव देते। मंत्री द्वारा उसे आज ही परिचालित करके उस अवसर से वंचित कर दिया गया है। वित्त मंत्री द्वारा बिहार वैट संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने का एक अन्य प्रयास किया गया था। उन्होंने उस विधेयक को पुर:स्थापित करने का आज एक प्रयास किया है। ये संसदीय परम्पराएं नहीं हैं। विपक्ष यहां मौजूद नहीं है। मैं उनसे मिला हूं; और मैं इन बातों को हल्के ढंग से नहीं ले सकता हूं। विपक्ष की अनुपस्थिति में, मैं सरकार से इस प्रकार की कार्यवाही को न दोहराने का अनुरोध करूंगा। विधान सभा और इस सभा में अपने अनुभव से मैं पुन: सरकार से इसके बाद इस परम्परा को न दोहराने और सभी संशोधनों को पहले परिचालित करने का अनुरोध करता हूं। इन सभी संशधनों को पहले परिचालित किया जाना चाहिए था न कि आज प्रात:। ऐसी बातों को मत दोहराइये। मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, क्या आप अपनी सीट पर हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें सबसे पहले अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब कोई सदस्य परमिशन लेगा, तभी सदस्य को परमिट करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामजीलाल सुमन की सीट से श्री राधाकृष्णन जी बोल रहे थे। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना के अधिकार का *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, यदि आप अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या मैं किसी अन्य सदस्य से बोलने के लिए कहूं?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार का जो बिल सरकार ने प्रस्तुत किया है, वह एक अच्छा प्रयास है। अभी श्री राधाकृष्णन जी ने कहा कि इस विधेयक में 147 संशोधन सरकार की ओर से हैं। माननीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी यहां बैठे हैं, बेहतर यह होता कि ये संशोधन परिचालित हो जाते तो इस पर सार्थक चर्चा हो सकती थी। लेकिन जो संशोधन सरकार की तरफ से थे, वे परिचालित नहीं हुए, मैं नहीं जानता कि वे संशोधन क्या हैं। यह ठीक प्रयास है लेकिन असली और बुनियादी सवाल यह है कि क्या सरकार इस बिल के माध्यम से किसी हद तक आम आदमी का भला कर पाएंगे? सूचना का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, देश के हर नागरिक को संविधान में यह अधिकार मिला हुआ है। वर्ष 1996 में श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि लोगों को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। इसे अफसोस ही कहा जाएगा कि 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान के आम आदमी को सूचना का अधिकार नहीं मिला। उसे जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जो सूचनाएं उसे मिलनी चाहिए, वे सूचनाएं उसे नहीं मिल पा रही हैं। जब श्री गुजराल जी ने यह बात कही तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलकर बिल का प्रारूप तैयार किया गया और बाद में एनडीए सरकार ने वर्ष 2002 में इसे एक बिल की शक्ल दी। लेकिन वह बिल किसी भी कीमत पर आम आदमी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है जिस मंशा से यह बिल पेश किया गया है, उससे भी यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है। अहम

[श्री रामजीलाल सुमन]

सवाल यह है कि जो सशस्त्र बल है, उसे इस दायरे से अलग रखा गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में हमारे पुलिस बल के काम करने के तरीके और उसके आचरण को आप भली-भांति जानते हैं। किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को पकड़कर, उसे थाने में रखना और उसे न बताना कि उसे किस कारण से पकड़ा गया है, उसका क्या गुनाह है? अगर उसके परिवारजनों को यह सूचना नहीं मिलेगी जिसका कि उसे प्राप्त करने का अधिकार है, निश्चित रूप से इस बिल का कोई मकसद नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश के पुलसि बल का जो काम करने का तौर-तरीका है, उस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता और उसे सूचना के अधिकार की परिधि में लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से जिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सूचना दे या न दे, इसका सीधा मतलब यह होगा कि सारी ताकत नौकरशाहों के हाथ में चली जायेगी। उस कानून की व्याख्या वह करेगा जो किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी प्रकार की सूचना नहीं दे रहा है, इसकी शिकायत सूचना आयुक्त के पास होगी लेकिन उसे दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस एक्ट के मुताबिक मामला कोर्ट में जायेगा। बिल के माध्यम से मंत्री जी ने यह व्यवस्था की है कि सूचना आयुक्त को इत्तला दी जायेगी और फिर वह मामला न्यायालय के समक्ष जायेगा जिसका एक निश्चित अवधि में निपटारा कर दिया जायेगा।

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, मैंने 7-8 दिन पहले एक सवाल उठाया था। इस देश में फास्ट ट्रेक कोर्ट्स काम कर रही हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। 11वें वित्त आयोग ने उसके लिए धन का प्रावधान किया था लेकिन 12वें वित्त आयोग ने कोई धन का प्रावधान नहीं किया है। आज की तारीख में ढाई करोड़ मुकदमे निचली अदालतों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। मुझे इस बात का संदेह है कि सूचना नहीं मिलने के बाद, सूचना आयुक्त, जिसे दंड देने का अधिकार नहीं है, वह मामला कोर्ट में जायेगा, क्या वह निश्चित अवधि में इस बात का निस्तारण कर पायेगा क्योंकि आज न्यायपालिका पर काफी बड़ा दबाव है। कोर्ट में इतने मामले विचाराधीन हैं कि जिनका निस्तारण हम लोग नहीं कर पाये हैं। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त भूषण के मुताबिक इस कानून की परिधि में वहीं अधिकारी आयेंगे जो भारत सरकार के अधीन हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो स्थानीय निकाय हैं—जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड—आम जनता को सर्वाधिक समस्यायें इन से जुड़ी हुई होती हैं, सूचना का अधिकार इन पर प्रभावी नहीं होगा। इसलिए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यह आधा-अधूरा कानून है। आम आदमी परेशान है, उसकी समस्यायें वही हैं यानी ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई हैं। अगर उसे स्थानीय स्तर पर सूचना का अधिकार नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि इस बिल का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान के वे लोग, जिनकी रोजमर्रा की समस्यायें हैं, जिसे उसकी सूचना पाने का अधिकार है, इसकी कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं की गई है। इसके अलावा सूचना दिये जाने का आधार भी स्पष्ट नहीं है, उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकारी अपनी सुविधानुसार व्याख्या करेगा, सूचना न देने का औचित्य सिद्ध करेगा। इसलिए इन सब बातों को स्पष्ट तौर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, मैं अंत में इतना निवेदन और करना चाहूंगा कि आज सूचना की दौड़ में टी.वी. मोबाइल, इंटरनैट दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हो गये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के 80-85 प्रतिशत लोगों का टी.वी., इंटरनैट से क्या ताल्लुक है? आम आदमी के पास क्या सुविधा है जिसके आधार पर उसे आप सूचना देंगे? उसने कभी इंटरनैट नहीं देखा, सूचना देने का अधिकार का आम आदमी से क्या रिश्ता है, यह सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आम आदमी सुविधाओं से वंचित है।

अंत में मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जो आम आदमी है, उस आम आदमी का संबंध इंटरनैट से नहीं है। वह आम आदमी यह जानना चाहता है कि फसल काटने के बाद जब वह बाजार जाता है तो उसे अपनी फसल के पूरे दाम क्यों नहीं मिलते हैं? वह यह जानना चाहता है कि जब उत्पादन लागत बढ़ रही है तो उसे उसके उत्पादों के सही दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? वह यह जानना चाहता है कि सब्सिडी पर जो बहस हो रही है और उसका हक छिनने की बात हो रही है, इसका औचित्य क्या है? वह यह जानना चाहता है कि देश में डीजल, पैट्रोल, खाद, बिजली और पानी के जो दाम बढ़ रहे हैं आखिर इन दामों को बढ़ाये जाने का औचित्य क्या है? इसलिए आपकी मार्फत इस सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो बिल आप ला रहे हैं, इस बिल का केन्द्र बिन्दु आम आदमी होना चाहिए। इस बिल का केन्द्र बिन्दु हिन्दुस्तान का भूखा, प्यासा, बेबस और लाचार व्यक्ति होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने भी कहा और मैं भी दोहराना चाहता हूं कि सरकार ने खुद अपनी तरफ से इसमें 147 संशोधन प्रस्तुत किये हैं, आखिर ये संशोधन क्या है। न तो ये संशोधन परिचालित हुए हैं और न इनके बारे में कोई जानकारी है। जब तक इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक इस सदन में कोई सार्थक बहस नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इसमें जो खामियां और कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने का काम किया जायेगा। असली हिन्दुस्तान गांव और गरीब से जाना जाता है और सूचना के अधिकार का उस समय तक कोई औचित्य नहीं है, जब तक इस बिल का रिश्ता गांव और गरीब से नहीं होगा। यही मुझे निवेदन करना था।

[अनुवाद]

श्री मिलिन्द देवरा (मुंबई-दक्षिण): महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने स्थान से थोड़ा आगे खड़ा होकर बोल रहा हूं।

महोदय, मैं कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में सही कहा है कि यह एक अहम विधान है। इस विधेयक को यदि संक्षेप में एक शब्द में कहा जाये तो यह अधिकार प्रदान करने वाला विधेयक है— यह एक अरब भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करने; उन्हें अधिक स्वायत्तता देने, पारदर्शिता लाने और सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही तक पहुंच सुगम बनाने वाला विधेयक है जो मेरे विचार में भारत में कई वर्षों से नहीं हुआ है।

राजनीतिक विज्ञान अथवा राजनीति का मूल तत्व, जिसके लिए हम सभी संसद सदस्य यहां पर हैं, न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करना है। न्याय का स्वरूप प्रक्रियात्मक है; और न्याय का स्वरूप सामाजिक है। इस विधेयक से प्रक्रियात्मक न्याय की और न्याय देने की प्रक्रिया को मजबूत मिलेगी जो अकसर ही सामाजिक न्याय से पहले आता है।

महोदय, यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार है जो हमें भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसकी अक्सर उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना प्राप्त करने और देने के अधिकार के रूप में व्याख्या की गई है। इससे भारत सार्वभौमिक पद्धतियों के समकक्ष आ जायेगा और हम अमरीका, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे तीसरे विश्व के 43 देशों के संघ में शामिल हो जायेंगे।

जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया करते हैं कोई वैश्वीकरण के बारे में बोलता है तथा कोई इंटरनैट टेलीफोनी के बारे में बोलता है। इससे भारत वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और अधिक विश्वास तथा उन्नत प्रणालियों के साथ प्रवेश करेगा। नौकरशाही के एक बड़े सिद्धान्तवादी मैक्स वेबर, के लेखों और कार्यों के बारे में वामपंथी दलों के कई लोग जानते होंगे—जिन्होंने नौकरशाही के बारे में निम्नलिखित लिखा और मैं उद्धृत करता हूं:

> "नौकरशाही किसी संस्था के कार्यकलापों को व्यवस्थित करने का तरीका है ताकि यह जनहित के लिए कुशलतापूर्वक और अव्यक्तिक तरीके से कार्य कर सके।"

मेरे विचार से सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 मैक्स वेबर के इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि नौकरशाही कुशलतापूर्वक और व्यक्तिक रूप से कार्य करे, प्रशासनिक सुधारों और नौकरशाही में सुधारों को सुनिश्चित करने के यू.पी.ए. सरकार के वायदे का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

महोदय, दिवंगत दूरदृष्टा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दो दशक पहले कहा था कि एक रुपये में से 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं जिनके लिये यह पैसा भेजा जाता है। उन्होंने समस्याओं, खामियों और सरकार की सुपुर्दगी तंत्र की विफलता के बारे में कहा था। अन्ततः मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष, श्रीमती गांधी और डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पहली बार केन्द्रीय सरकार ने नौकरशाही और प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने के लिए पहल की है जिससे दो दशक पहले स्वर्गीय राजीव गांधी की कही हुई बातों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और सुपुर्दगी प्रणाली और अधिक जवाबदेह होगी।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में परिव्यय बनाम परिणाम के बारे में चिंता जताई। यह ऐसा विधेयक है जिससे अरबों डालर या हजारों करोड़ रुपये के परिव्यय से परिणाम हासिल करने में सफलता मिलेगी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष करीब 40,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तब भी हमारे यहां 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन या सुपुर्दगी तंत्र में कुछ खामी है। मेरे विचार से यह विधेयक इसका समाधान हो सकता है।

यह विधेयक, भारत के वर्तमान नेतृत्व के पारदर्शी दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति है और इस तरह के निर्भीक विधान को अधिनियमित करने वाली सरकार निश्चित ही जनसेवा के प्रति वचनबद्ध होगी। मेरा मानना है कि इसी कारण राजग सरकार सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 को पारित नहीं करा सकी। सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के बाद यह विधेयक वर्ष 2000 में संसद में रखा गया है और 2 वर्ष तक यह प्रवर समिति के पास रहा। वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय ने यह माना और निर्णय देते

[श्री मिलिन्द देवरा]

हुए कहा कि सूचना प्राप्त करने और देने का अधिकार भी मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद ही राजग सरकार ने दिसम्बर 2002 में इसे पारित कराया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद यह कानून बना लेकिन वर्ष 2002 से 2004 तक जब वे सत्ता से बाहर हो गए तब तक यानि पूरे दो वर्षों तक उन्होंने इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया और इस प्रकार यह केवल कागज में ही अधिनियम या कानून रहा। यह कानून लालफीताशाही का शिकार रहा। हालांकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के दबाव पर यूपीए सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने हेतु 120 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राजग और यूपीए के बीच विचारधारा का यह मतभेद है कि वे इसे सूचना की स्वतंत्रता मानते हैं और हम सूचना का अधिकार। हम इसे मौलिक अधिकार मानते हैं न कि सूचना की स्वतंत्रता।

लोगों को इस विधेयक से कई लाभ हैं। निश्चित तौर पर नियम सरकार के निर्णयों पर आधारित होते हैं। अपराध दर, खाद्य सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले लाभों के ब्यौरे से रोजगार आवेदन मंजूर न किए जाने के मानदण्ड और यहां तक कि किसी विशेष संसदीय क्षेत्र में कितना धन व्यय किया गया आदि के बारे में भारत के नागरिकों को सूचना मिल सकेगी। और यह विधेयक सशक्तीकरण की कुंजी है।

मेरा यह भी मानना है कि इससे व्यवस्था में तटस्थता और सटीकता के नये युग का सूत्रपात होगा और इसमें गैर-जिम्मेदार समाचार पैनल और राजनीतिज्ञ के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। कम विश्वसनीयता वाले सनसनीखेज बयान के लिए विधेयक में कोई जगह नहीं होगी। इससे हमें बेहतर ढंग से सूचना प्राप्त करने और बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। हाल में, उच्चतम न्यायालय ने भी कंपनियों की तरह वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में निपटाये गये मामलों और लंबित मामलों संबंधी आंकड़े प्रकाशित किये। अत: इन बातों को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं।

ऐसी ही एक बात और भी है। जिस तरह सरकारी कंपनी का शेयरधारक प्रबंधन जिसे वह अदा करता है, से अधिक जवाबदेही चाहता है, उसी प्रकार भारतीय करदाता जो भारत सरकार में शेयरधारक है, सरकार से अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है। वर्ष 2005 में ही अमरीका में सूचना अधिकार संबधी प्राधिकारी से 32 लाख अनुरोध किये गए। कई ऐसे प्रतिवेदन हैं जिससे साबित होता है कि अमरीका के सूचना अधिकार प्राधिकारी ने देश में अपनी उत्पादकता बढ़ाई जिससे सरकार की लागत और खर्च में कमी हुई।

इसी प्रकार भारत में आज जो कानून हम अधिनियमित कर रहे हैं, उससे हमारी व्यवस्था में खुलापन और पारदर्शिता आयेगी, क्रियान्वयन लागत घटेगी और अंतत: सरकार के खर्च में कमी आएगी जिससे प्रशासन की गुणवत्ता बेहतर होगी।

वर्ष 2002 के सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 और सूचना अधिकार विधेयक में कई मूलभूत अंतर है। मेरे विचार से दोनों की तुलना करना अनुचित है। लेकिन आप द्वारा व्यक्त की गई आशंका को दूर करने के लिए मैं कुछ कहूंगा। महोदय अपने भाषण में आपने यह चर्चा शुरू की कि आयोग का गठन कैसे किया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य निर्वाचित आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना करने का है। मुख्य न्यायाधीश अब निर्णय नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नामित मंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय सूचना आयुक्त के निर्वाचन का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। इससे उसका निष्पक्ष और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना सुनिश्चित हो सकेगा।

सभापति महोदय: मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। लेकिन वह तीन सदस्यों में से एक होंगे।

...(व्यवधान)

श्री मिलिन्द देवरा: संशोधन, जिससे आप सम्बद्ध थे, समय पर नहीं दिए गए थे।

इसी प्रकार विधेयक में उन अधिकारियों को, जिन पर सूचना सार्वजनिक करने का दायित्व है, और अधिक जवाबदेह बनाने का प्रावधान है। यदि 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मिलिन्द देवरा: इसका भी प्रावधान किया गया है। मैं इस बारे में भी बताऊंगा।

सभापति महोदय: मैंने भी इसका उल्लेख किया है।

श्री मिलिन्द देवरा: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय इस तरफ मैं आपका प्रतिनिधि हूं। संसद में वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि कितनी सूचना प्राप्त हुई, कितने मामले लंबित हैं, सूचना न दिए जाने के क्या कारण थे आदि। इससे संसद सदस्यों को इसकी जांच करने का अवसर मिलेगा। संसद सदस्य जो जन प्रतिनिधि हैं, द्वारा इसकी

जांच किए जाने से जनता जान जाएगी कि यह सूचना आयुक्त किस प्रकार कार्य कर रहा है। इस तरह से सरकार भी विधेयक के बारे में जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि उनकी जागरूकता बढ़े क्योंकि इससे वे सशक्त होंगे। इसलिए उनका लक्ष्य विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है।

महोदय, सर्वप्रथम आपने स्थायी समिति का उल्लेख किया, आप इसके सदस्य हैं। सर्वप्रथम मैं आपको तथा सभी सदस्यों को समिति के प्रतिवेदन के लिए बधाई देता हूं। यह एक बहुत ही प्रगतिशील प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन में आपके बहुत से प्रगतिशील सुझावों का उल्लेख है जिनमें से अनेक को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

महोदय, एक अन्य सदस्य द्वारा एक ऐसे ही मुद्दे का जिक्र किया गया था, इस बारे में मैं समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करूंगा जो इस प्रकार है:

खंड 2 के उप-खंड 'ग' का संशोधन ''इस प्रकार किया जाए जिससे कि राज्यों तथा स्थानीय निकायों या प्राधिकारियों को इसके कार्यक्षेत्र में लाया जा सके।''

महोदय, संशोधन में राज्यों के स्थानीय निकायों तथा केन्द्रीय जन प्राधिकारियों द्वारा लोगों को सूचना प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा करके हम वास्तव में नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध कर रहे हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने इस मुद्दे पर एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। अब नौ राज्यों ने सूचना के अधिकार संबंधी विधान को पारित किया है। ऐसा करने वाले अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का शासन है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में रहते हुए हम पारदर्शिता में विश्वास रखते है। हम सूचना देने में विश्वास रखते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य देश में निम्न स्तर तक जानकारी प्रदान करना है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कार्यान्वयन प्राधिकारियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में विश्वास करते हैं। यह श्री राजीव गांधी की चिंता को दूर करेगा कि लोगों तक एक रुपया में से मात्र 16 पैसा ही पहुंच पाता है। बाकी 85 पैसे रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। महोदय, शायद एक ऐसा अधिनियम बनाया जा सकता है जो समस्त देश के हर विभाग पर लागू हो। इस प्रकार यह विधेयक बहुत ही प्रगतिशील है। यह देश के सभी विभागों पर लागू होता है।

मैं मंत्री और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यद्यपि यह विधेयक हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही सकारात्मक है इसको वैश्विक स्तर पर स्पर्धात्मक तथा और अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उद्देशिका को ही लीजिए। स्थायी समिति ने इस संबंध में निम्नवत् उद्धृत किया:

> ''कि, उद्देशिका विधेयक द्वारा लागू किये जाने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों को स्पष्ट नहीं करती है।''

मैं स्थायी समिति के प्रतिवेदन को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। परन्तु उन्होंने इसको ध्यान में रखा है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उद्देशिका में यह उल्लेख किया गया है कि पारदर्शिता नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि इसके द्वारा कि तंत्र कैसे मजबूत होगा। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं।

तथापि, महाराष्ट्र का सूचना का अधिकार अधिनियम इस बारे में बहुत ही प्रगतिशील है। क्योंकि, इस सूचना के अधिकार के अधिनियम में-यदि मैं उद्धृत करूं-अधिनियम की उद्देशिका में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एवं मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया है:

> ''जब कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकार का भाग माना गया है यदि ऐसा ही कुछ उद्देशिका में जोड़ा जा सके तो यह बहुत ही सहायक होगा। यदि इस विधेयक को कभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह कानून बनता है और भविष्य में किसी खामी के संबंध में बहस होती है तो जहां तक व्याख्या का प्रश्न है उद्देशिका ही सही मानी जाएगी।''

इससे विधेयक और अधिक सशक्त होगा।

अब मैं तीसरे पक्षकारों के बारे में बोलूंगा। इसमें प्रावधान है कि जानकारी का खुलासा करने से पूर्व तीसरे पक्षकारों को सहमति देनी होगी।

संशोधन के उप-खंड (1) में ऐसा प्रावधान है। मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> ''.... सूचना देने की अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसा करने से जन हित ऐसे तीसरे पक्षकारों की संभावित हानि या उनके हितों को होने वाले नुकसान से अधिक हो।''

यद्यपि इसे शामिल किया गया है, यद्यपि तीसरे पक्षकारों की तुलना में जनहित को सर्वोपरि रखा गया है इसके बावजूद संसद के बाहर बुद्धिजीवियों में तथा इससे जुड़े व्यक्तियों में यह बहस

[श्री मिलिन्द देवरा]

डर यही है कि कहीं तीसरे पक्षकार के इस प्रावधान से विधेयक में छोटी-मोटी खामी रह सकती है।

यहां मैं इससे संबंधित ऐसे दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। मुंबई में, जहां से मैं आया हूं वहां एक कार्यकर्ता हैं, श्री शैलेश गांधी जो महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम का बी.एम.सी., स्थानीय नगर निगम के अनेक तीसरे पक्षकारों से संबंधित उनके पट्टा समझौते के बारे में आंकड़े और जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रयोग करते हैं वह कलेक्टर से सूचना प्राप्त करने तथा कई पार्टियों के साथ उनके पट्टा करारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम का नियमित प्रयोग करते हैं। अब, यदि उन्हें तीसरे पक्षों की सहमति की प्रतीक्षा करनी होती, भले ही इसमें दस दिन लगे, या कई दिनों का समय लगे, उन्हें अनेक 'तीसरे पक्षों' के आगमन तथा सहमति' की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तभी उन्हें 'तीसरे पक्ष के बारे में सूचना उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार, यदि एक ठेकेदार को सड़क का ठेका दिया जाना हो, यदि हम वास्तव में उन मानदण्डों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके आधार पर किसी पार्टी विशेष को ठेका दिया गया है तो, सूचना तभी दी जाएगी यदि तीसरा पक्ष इसकी सहमति देगा। सम्भवतः इससे कुछ निहित स्वार्थों का उद्घाटन नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, कनाडा में, सूचना के अधिकार का सबसे अधिक उपयोग कंपनियां करती हैं। मेरा विचार है कि कनाडा के सूचना अधिकार का 41 प्रतिशत उपयोग कंपनियां ही करती हैं। वे नियमित रूप से इस विधान का उपयोग, भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ करने, उनके प्रतिद्वन्द्वी द्वारा सरकार से ठेका प्राप्त करने के तरीके का खुलासा करने के लिए करते हैं। इसलिए, आवश्यक यह नहीं है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, चाहे सरकार हो आम जनता हो अथवा मीडिया हो, परंतु महत्वपूर्ण भाग है सूचना तथा सरकार से प्राप्त उत्तर। इसलिए, मेरे विचार में तीसरे पक्ष की सूचना को तत्परता से उपलब्ध कराने से जनसाधारण तथा कंपनियां किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से हिचकिचाएंगी।

उन नौ राज्यों के अनुभव के आधार पर जहां पहले से ही सूचना के अधिकार का विधान मौजूद है, हमें उनसे परामर्श अवश्य करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस अधिनियम में किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं हैं इसलिए मेरा विचार है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें तीसरा पक्ष प्रभावित हुआ हो अथवा तीसरे पक्ष के विरुद्ध बदले की कार्रवाई हुई हो। यदि सरकार 'तीसरे पक्ष' संबंधी खण्ड को सम्मिलित करना ना चाहे; यदि इसे निकाला जाना हो तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि हमें किसी प्रकार का तंत्र स्थापित करना पड़ेगा जैसे कि विशिष्ट व्यक्तियों के एक समूह की स्थापना जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में यह निर्धारित किया जा सकेगा कि जनहित अधिक महत्वपूर्ण है अथवा तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति अधिक महत्वपूर्ण है।

अर्थदण्ड के मामले में, मैं समझता हूं कि बहुत मजबूत और कारगर अवरोधक का उपबंध करके सरकार प्रशंसा की पात्र है जिससे अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया चिरलंबित नहीं होगी। मेरे विचार से जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी बताया है केन्द्र अथवा राज्य के जन सूचना अधिकारी पर सूचना न उपलब्ध कराने पर प्रत्येक दिन 250 रुपये का अर्थदण्ड, एक बड़ा अवरोधात्मक उपाय है। केन्द्र अथवा राज्य सूचना आयोग, अधिकारी पर जो अर्थदण्ड लगाएगा।

"…. अधिकारी पर कोई भी दण्ड लगाने से पूर्व केन्द्र/राज्य सूचना आयोग उस अधिकारी को उपयुक्त रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करता है।"

इसलिए, हम संबंधित जन सूचना अधिकारी के हितों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। महाराष्ट्र सूचना अधिकार अधिनियम में दण्ड के रूप में 250 रुपये का ऐसा ही खण्ड विद्यमान है। स्थायी समिति ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। मेरे राज्य में यह एक बहुत सफल निरोधात्मक उपाय के रूप में सामने आया है। आखिरकार, आप बिना सूचना आयोग को सशक्त बनाए भारत के लोगों को सशक्त नहीं बना सकते। सरकार ने सर्वप्रथम आयोग के भीतर और तत्पश्चात जनसाधारण के बीच चाहे वह न्यायालय हो अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय सुनिश्चित करके सूचना आयोग को सशक्त बनाने का एक सुविचारित, स्वीकार्य और स्वागत योग्य निर्णय लिया है।

वहां पर्याप्त तथा असंख्य कारण मौजूद है जिनके चलते विलम्ब हो सकता है। जैसाकि आपने कहा कि देरी से न्याय, न्याय से वंचित करने के समान है। मैं आपका ही उद्धरण दे रहा हूं।

साथ ही, यदि कोई अधिकारी एक निर्धारित समयसीमा में सूचना देने, अधूरी सूचना अथवा असत्य सूचना देने, सूचना देने हेतु आवेदन स्वीकार करने से मना करने में लगातार विलम्ब का दोषी पाया जाता है तो उसे 2000 से 25000 रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। मेरे विचार से, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा समय कभी नहीं आयेगा जब किसी अधिकारी को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि हम महाराष्ट्र का उदाहरण का दृष्टांत से तो पाएंगे कि 250 रुपये का अर्थदण्ड स्वतः ही यह सुनिश्चित करेगा कि लोग समय से सूचना उपलब्ध कराएं।

अब मैं शीघ्रतापूर्वक कुछ सुझाव दूंगा। जैसाकि मैंने पहले भी सूचना का अधिकार विधेयक के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने

के लिए पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, जो मेरे विचार से लोगों, खासतौर पर गरीब लोगों को इसके प्रयोग के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। सबसे पहले उदाहरण के लिए मैं अपने राज्य की बात करूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अपनी 6ठीं, 7वीं तथा 8वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। यह पहला राज्य है जिसने सूचना के अधिकार को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। मेरा विचार है कि यदि ऐसा ही हम केन्द्र में कर पाएं तो यह एक प्रकार से क्रांति पैदा कर देगा। यह अल्पायु से ही विद्यार्थियों को सशक्त कर देना तथा इसकी समुचित उपयोग का समय आने पर वे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार, मेरे विचार से, दूरदर्शन के माध्यम से सूचना के अधिकार पर कार्यक्रम दिखाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरे विचार से ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि पोलियो अथवा एड्स के लिए हमारे पास ब्रांड एम्बेसेडर हैं तो सरकार के पास सूचना के अधिकार के लिए एम्बेसेडर क्यों न हो। इसी प्रकार से पंचायती राज मंत्रालय, जिसका संपूर्ण लक्ष्य तथा संपूर्ण उद्देश्य अधिकारों का हस्तांतरण है। सम्भवत: आरपीआई कार्यकर्त्ताओं के साथ कार्य कर सकता है तथा इस महत्वपूर्ण विधान के महत्व तथा संदेश के प्रसार में मदद कर सकता है।

अंत में जागरूकता पर आते हैं। मेरा विचार है कि संशोधन में यह प्रावधान है कि अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों-एफ.ए.क्यू, के डाटाबेस के साथ एक वेबसाइट होनी चाहिए। इसके माध्यम से जानकारी को सार्वजनिक करने में सहायता मिलेगी। इससे सरकार का समय बचेगा। इसलिए, यदि सूचना के लिए कोई अनुरोध किया जाता है, तथा यह पहले मांगी गई सूचना के समरूप है, तो यह सूचना देने इसे एकत्रित करने, जनसाधारण को देने में लगने वाले सरकार के समय को बचाएगा।

मेरा अंतिम सुझाव है कि सरकार यह ध्यान में रखे कि लगभग 60 प्रतिशत भारतीय 100 रुपये प्रतिदिन से कम की आय पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का आभारी हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त सूचना प्राप्त होगी तथा उन्हें सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा।

महोदय, आपने भी यही चिंता व्यक्त की है। सरकार ने कहा है इसका उचित मूल्य रखा जाएगा परन्तु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार लोगों को सूचना प्रदान करने को आय का स्रोत न बनाए क्योंकि यह उनका अधिकार है। अंत में, मैं पुन: महाराष्ट्र की बात करूंगा जहां आवेदन पत्र का मूल्य 10 रु. है और 50 पैसे से लेकर 2 रु. प्रति पृष्ठ के मूल्य पर सूचना प्रदान की जाती है। यदि हम चाहते हैं कि लोग इस महत्वपूर्ण विधान का सही रूप में इस्तेमाल करें तो इसे किफायती होना चाहिए। वे लोग जो यह सोचते हैं कि इससे सरकार को अधिक आमदनी होगी, कि सूचना देने वाला प्रभारी अधिकारी, वह कार्य करते जिसका वह पात्र है की बजाय सारा समय सूचना देने, उस सूचना को ढूंढने में लगा देगा, उन्हें अन्य देशों के उदाहरणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह कानून बन जाने से और लम्बे समय तक इसके उपयोग के पश्चात् यह वास्तव में सरकार की आमदनी को कम कर देगा। इससे सरकार की आय में वृद्धि नहीं होगी। इससे सरकार की आय में कमी होगी, कार्यान्वयन लागत में कमी होगी और इससे भारत के लोगों को बेहतर सेवा सुनिश्चित होगी।

मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था, "हम किसी के लिए भी मतदान करें, सरकार तो बनती ही है।" मैं यह कहना चाहता हूं आज हम यहां संसद सदस्य हैं, हम अस्थायी सरकार का हिस्सा है। इस विधान का एक मूल उद्देश्य है अस्थायी सरकार और स्थायी सरकार; राजनीतिज्ञों और नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी बनाना। अत: मैं उस बात से सहमत हूं जो आपने पहले कहा था कि हम वास्तव में ऐसे मुद्दे पर वाद-विवाद कर रहे हैं जो भारत के संविधान के समान ही विशाल है। ऐसा विधेयक जिसमें भारत को पूर्णत: अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र से प्रत्यक्ष हिस्सेदारी वाले लोकतंत्र में परिवर्तित करने की शक्ति हैं जहां लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

यह अत्यन्त शर्म की बात है और एक युवा तथा पहली बार संसद सदस्य होने के नाते मुझे दुख होता है कि एन.डी.ए. इस विशाल और अति महत्वपूर्ण विधान की चर्चा में भाग नहीं ले रही है और यह सफाई दे रही है कि यू.पी.ए. सरकार उन्हें सभा में आमंत्रित नहीं कर रही है अथवा यू.पी.ए. सरकार नहीं चाहती कि वह सभा में आएं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हम यह निर्धारित नहीं करते कि वे सभा में उपस्थित हों या नहीं। यह उनके निर्वाचक ही निर्धारित करते हैं, उनके मतदाताओं ने उनके लिए मतदान किया है और वे यह चाहते हैं कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह आचरण करें।

महोदय, इसके साथ ही मैं आपका, एन.ए.सी. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का बड़े उत्साह से प्रस्तुत किया और यह सुनिश्चित किया कि यह और अधिक शक्तिशाली बने। हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी ओर से बोलने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे सूचना का अधिकार विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि इनकी सूचना पर लम्बे समय से जो व्यावहारिक रूप से किसी न किसी ढंग से अंकुश लगाए जाते रहे हैं, उनकी आड़ में इस देश में बहुत सी गड़बड़ियां होती रही हैं, जिनके पिछले दिनों कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। हम गोपनीयता और पर्दे का हवाला देकर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को लम्बे समय से पनपने का मौका देते रहे हैं। इंस्टीट्यूशन्स बनाए गए। उनके द्वारा प्रतिपादित जो कार्य रहे हैं, कहीं पर उनकी कार्य करने की पद्धति की गोपनीयता है। गोपनीयता की आड़ में जो गड़बड़ियां की जाती रही हैं, मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आम जनता के लिए डैमोक्रेटिक प्रोसैस में जो भी विधियां हैं, उनको पारदर्शी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्वीडन में लगभग दो सौ साल से भी पहले से इस तरह की विधियां लागू की गई हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों में पहले से जो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त है, यह उसी तरह की स्थिति है जैसे संविधान में लम्बे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर जिस तरह पूरे देश में विभिन्न तरह की विसंगतियां रही हैं, उसी तरह की स्थिति सूचना के अधिकार में हमें देखने को मिलती है।

मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कौन्सटीट्यूशनल बॉडी के अंदर जो कुछ आता है, यदि उससे संबंधित सूचना या कोई शक-ओ-सुबह हो तो उन बातों को जानने का कितना अधिकार आम जनता को है, इस बात को भी हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि सूचना और सूचना पर आधारित पारदर्शिता यदि कौन्सटीट्यूशनल बॉडी में नहीं रहेगी तो आने वाले दिनों में उस बॉडी की विश्वसनीयता और डिगनिटी खतरे में पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि सरकार इन बातों को बहुत गंभीरता से ले और इस संशोधन में एक संशोधन यह भी जोड़ा जाए कि कौन्सटीट्यूशनल बॉडी में यदि इस तरह की बातें होती हैं, तो उन बातों का स्पष्टीकरण पूरी तरह से आम जनता, गांव के गरीब लोगों या उससे लाभान्वित लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस बात को एश्योर किये जाने की आवश्यकता है। गोपनीयता की आड़ में भ्रष्टाचार और अनैतिकता के व्यावहारिक उदाहरण बहुत सी जगहों पर हैं। चाहे कांस्टीट्यूशनल बॉडी हो, या कुछ और हो, वह सारी जगह उसमें पलता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि जब श्री जार्ज फर्नान्डीज रक्षा मंत्री थे, उस समय तहलका कांड हुआ तो गोपनीयता के नाम पर बहुत सारी चीजें कर दी गयीं, काफी नारे आदि किये गये। यह सब गोपनीयता के पर्दे और गोपनीयता के नाम पर बहुत सारी चीजें कर दी गयीं, काफी नारे आदि दिये गये। यह सब गोपनीयता के पर्दे और गोपनीयता की आड़ में हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि तहलका कांड पूरी तरह से सूचना के अधिकार को इम्प्लीमैंट और सही ढंग से लागू नहीं करने का नतीजा था। इसलिए इन्फोर्मेशन के प्रौसैस को सार्वजनिक करने की तरीका सार्थक होना चाहिए।

मैं माननीय सांसद श्री रामजीलाल सुमन के कुछ विचारों से बिल्कुल सहमत हूं कि गरीब जनता यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए शुल्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह शुल्क बिजनेस और व्यापार से संबंधित लोगों पर लागू किया जाये। जनता के मौलिक अधिकारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के संदर्भ में किसी तरह का शुल्क इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। इस देश में मानवाधिकार के बहुत सारे मुद्दे उठाये जाते हैं। मानवाधिकार से संबंधित बहुत ज्यादा केसेज हैं। हमारा जो वेल्यू सिस्टम है, जो मूल्य हैं, वे गांधी, लोहिया और नेहरू जी के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हम उन मूल्यों पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन मानवाधिकारों का जो उल्लंघन होता रहा है, उसकी बैकग्राउंड में सूचना के अधिकार को पूरी तरह इम्प्लीमैंट नहीं करना रहा है। अब थाने में क्या होता है, जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाइयां होती हैं, व्यावहारिक रूप से सूचना के अधिकार का पूरी तरह से इम्प्लीमैंट नहीं करने का नतीजा दिखता है। हर जगह मानवाधिकार आयोग में एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं। जो लोग कन्सेन्सस में हैं, उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाल दी और जो कन्सेन्सस में नहीं हैं, वे दम घोटकर उसी जगह पर रहते हैं और उनका अत्याचार सहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि गृह विभाग को विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ-साथ इनके सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरह पुलिस के डंडे जो गरीबों पर बरसते हैं, उन पर कंट्रोल और बैलेंस करने की जरूरत है। जब गरीब लोगों को सूचना का अधिकार पूरी तरह से मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि कुछ वे लोग कंट्रोल करेंगे और कुछ जनता उनको कंट्रोल करेगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यूपीए सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में महत्ती कदम उठाया। सूचना का अधिकार, जो विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए, वे लोग आज यहां से गायब हैं, हमारी यूपीए सरकार ने इसको यहां रखने की हिम्मत की। अक्सर सरकारें सूचना के अधिकार को लागू नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती। लेकिन इससे स्पष्ट

होता है कि यूपीए सरकार की नीयत साफ है और वह सूचना के अधिकार को अपने शासन काल में ही लागू करना चाहती है।

इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सचिन पायलट (दौसा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज लोक सभा में लेकर आयी है। जैसे पहले वक्ताओं ने बोला, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक प्रकार की क्रान्ति पूरे देश और समाज में लाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के विधेयक-राइट टू इन्फोर्मेशन, दुनिया भर के लगभग 25 देशों में लागू है। पिछली सरकार ने 25 जुलाई, 2000 को लोक सभा में फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन का बिल पेश किया था। बिल पारित भी हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे अपनी स्वीकृति भी दी लेकिन सरकार उसे नोटिफाई नहीं कर सकी। लेकिन यह यू.पी.ए. सरकार जो बिल लेकर आई है, इसमें प्रावधान है कि 120 दिन के अंदर-अंदर बिल लागू होगा और इस बिल का फायदा इस देश की आम जनता उठा सकेगी। इस बिल के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस गठबंधन, इस यू.पी.ए. सरकार, हमारी पार्टी और हमारे नेताओं की मंशा, नीति और नीयत बिल्कुल साफ है कि किस प्रकार से इस देश के प्रशासन में, इस देश की राजनीति में, पारदर्शिता का माहौल कायम किया जा सके और मुझे यह कहते हुए फक्र है कि हमारी सरकार एक साल पूरी होने से पहले ही इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर इस सदन में आई है।

हम चाहते हैं कि इस देश का आम गरीब आदमी, किसान वर्ग और दूर-दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वे अफसरों, प्रशासन के अधिकारियों से प्रश्न पूछ सकें। उनमें इस बात की क्षमता हो कि वे अपने अधिकारों के माध्यम से जान सकें कि उनके हित के लिए कितनी नीतियां बनाई गई हैं, कितना पैसा खर्च किया गया है, क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वह पैसा किस प्रकार से खर्च हो रहा है तथा वे योजनाएं किस प्रकार से लागू हो रही हैं। इस बिल के माध्यम से सरकार बताना चाहती है कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सूचना आम जनता हमसे जानना चाहती है, हम लोगों को, सरकार के अफसरों को, प्रशासन के अधिकारियों को वह सूचना 'सुमोटो' अपने आप पूरे देश में प्रचलित करनी होगी। इस एक्ट का प्रयोग भी होना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा और हमारे यू.पी.ए. की चेयर पर्सन सोनिया गांधी जी ने कई बार इस बात को महत्व देते हुए कहा है तथा आज से नहीं, कई वर्षों से हम ऐसा बोलते आ रहे हैं। इस पार्टी और इस यू.पी.ए. सरकार की अगर प्रतिबद्धता है, अगर हमारी धारणा, हमारी सोच और हमारी मानसिकता है तो इस देश के गरीब और किसान-वर्ग के लिए है कि कैसे हम उन लोगों को सशक्त बना सकते हैं। हमारा समय इस बात में बीतता है और हम इस सरकार को कैसे पारदर्शक बना सकें और इस सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी पूरे देश के अफसरों के साथ हम बांट सकें। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 को मैं पढ़कर बताना चाहता हूं: "वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में जानकारी प्राप्त करना और प्रदान करना निहित है।" यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इस बिल पर बहुत सोच-विचारकर, इसमें जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लाये गये हैं, उनको देखकर यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार और हमारी पार्टी और इस गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि जो भी जानकारी लोग जानना चाहते हैं, जो जानकारी सरकार दे सकती है, वह जानकारी केवल वह सरकार दे सकती है जिसका मन साफ हो। अगर हमें कुछ छिपाना हो, कुछ राज-रहस्य रखने हों और अपनी कार्य-शैली में पारदर्शिता न लानी हो तो इस विधेयक को लाने की हिम्मत ऐसी सरकार नहीं कर सकती थी लेकिन इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि वह इतना मजबूत बिल लेकर आई है और हम चाहते हैं कि लोग प्रश्न पूछें। हमसे नौजवान लोग पूछते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हम नौजवान लोग कैसे भागीदार हो सकते हैं, इस देश की आम जनता कैसे भागीदार हो सकती है और मेरे पूर्व वक्ता, कांग्रेस पार्टी के वक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब लोग सवाल पूछेंगे, अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे और उनके रोजमर्रा के जीवन की जो दिक्कते हैं, कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण किन नीतियों और किन कार्यक्रमों के आधार पर हो रहा है तथा उन अफसरों चाहे छोटे हों या बड़े हों, देश भर में उनको यह जानने का अधिकार है और उनको ऐसी शक्ति प्रदान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे यह कहते हुए बहुत फक्र है और मैं चाहता हूं कि पूरा सदन मिलकर इस देश को संदेश भेजे कि हम लोग जो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं और जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम यहां बैठे हैं, हम इस बात को अपने मन में लेकर बैठे हैं कि इस देश के गरीब आदमी को हमें अधिकार देने हैं और इतना बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर वह यू.पी.ए. सरकार इस सदन में आई है।

जो अभी पहले कहा जा रहा था कि जो गरीब इंसान है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा और इस कारण से वह जानकारी लेने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन इसमें प्रावधान है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको मुफ्त में यह जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। यह भी इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से अफसरों पर इस बात का प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर वे अपने आप सूचना नहीं देंगे तो 250

[श्री सचिन पायलट]

रुपये प्रतिदिन उस अफसर को अपनी जेब से जुर्माना देना पड़ेगा और यह इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें अफसरसाही से काम करने वाले पदाधिकारियों पर यह दबाव बनेगा कि जनता के सामने अपने कामों को लेकर आएं और अगर कहीं पर कोई कमियां, खामियां या गड़बड़ियां पाई जाएं तो उनको देश के सामने लेकर आएं। इससे अफसरशाहों पर दबाव बनेगा। मैं समझता हूं कि यह काम सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, पूरे देश में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार और समाज, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बिल के माध्यम से हम लोगों को शक्ति देंगे लेकिन एक समन्वय के साथ। सभी सरकारों-केन्द्र सरकार और राज्य सरकार और खासकर समाज के लोगों की इसमें भागीदारी होगी और समझदारी से इस बिल का उपयोग किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपकी अनुमति से यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं। नन्हू नाम का एक व्यक्ति जो पूर्वी दिल्ली में रहता है, जनवरी, 2004 में उसका राशन कार्ड खो गया था। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला व्यक्ति है। सरकार का कानून है कि यदि किसी का राशन कार्ड खो जाए तो उसे 15 दिन के अन्दर नया राशन कार्ड बना कर दिया जाएगा। लेकिन उस गरीब फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को दर दर की ठोकरें खाते-खाते तीन माह बीत गए, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राइट टू इन्फार्मेशन के लिए एप्लाई किया और यह जानकारी मांगी कि कौन अधिकारी है और इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौथे दिन ही फूड इन्सपेक्टर उस व्यक्ति के घर आया और नन्हू को राशन कार्ड देते हुए बोला कि हमसे जो विलम्ब हुआ है, उसके लिए माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह तब होता है जब अफसरों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर और पूरे प्रशासन पर दबाव बना रहता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

महोदय, मेरी ओर से सरकार को यह सुझाव है कि इस बिल से संबंधित जो संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं जिनके माध्यम से क्लॉज 8 में कुछ कैटेगरीज को इस बिल के एम्बिट से बाहर रखा गया है जैसे सब-क्लॉज 8(ए) और (आई)। मैं चाहता हूं कि सब-क्लॉज 8(सी), जिसमें ऐसे मामलों से संबंधित प्रावधान है जिनके विषय में संसद और राज्य विधानमंडल अपने विशेषाधिकार का दावा करते हैं, को भी इसकी एम्बिट से बाहर रखा जाए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह राइट टू इन्फार्मेशन का अधिकार भारत के केवल जन्मजात नागरिकों को ही उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी सिटिजेन जो इस देश का निवासी है, जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो, जो भारतीय हो, उसे ही यह अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो इस देश से बाहर पैदा हुए, जो इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा या दूसरे देशों से आए हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वे यहां आकर इस कानून के माध्यम से हमारी जानकारी प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर गौर करे।

महोदय, हमारी पार्टी और सरकार का यह वायदा था कि हमें गरीबों का साथ देना है और इस देश के लाखों-करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। इस बिल के माध्यम से पूरा देश और दुनिया आज यह देख रही है कि हमारी कथनी और करनी तथा नीति और नीयत में कोई अन्तर नहीं है। आज मुझे अफसोस है कि विपक्ष के हमारे काबिल दोस्त सदन में मौजूद नहीं है। उन्होंने भी इस बिल को लाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों ने उन्हें विवश कर दिया कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद भी वे इसे नोटीफाई नहीं कर सके। हमारे काबिल दोस्तों से जो यहां मौजूद नहीं हैं, एक ही निवेदन है कि

"सिलसिले तोड़ गए वे सभी जाते-जाते, यह मुमकिन न होता अगर वे आते रहते"

विपक्ष के मेरे दोस्तों से मेरी अपील है कि वे इस बिल को अपना समर्थन दें। इसके साथ ही मैं हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने सूचना के अधिकार संबंधी एक अति क्रान्तिकारी विधेयक प्रस्तुत किया जो हमारे लोकतंत्र में काफी परिवर्तन लायेगा। सूचना लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक है और लोकतंत्र का कार्यकरण काफी कुछ देश में उपलब्ध सूचना पर निर्भर करता है।

वास्तव में यह विधेयक काफी देरी से लाया गया परंतु कभी नहीं से देर भली। आजादी के 58 वर्षों के बाद हम इस विधेयक को ला रहे हैं क्योंकि इन वर्षों में हम ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत को ही जारी रखे हुए थे कि सूचना केवल सरकार और अधिकारियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। अब हमें यह समझ में आ गया है कि सूचना इस देश के नागरिकों के लिए है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिव्यय के सुझाव पर ये जो नए संशोधन लाए गए हैं इनमें काफी अच्छे प्रस्ताव हैं जो जानकारी के अधिकार को मजबूत बना रहे हैं। मैं सूचना के अधिकार संबधी विधेयक

में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए समिति और सरकार को बधाई देता हूं। पुराने विधेयक की तुलना में यह विधेयक अत्यन्त उपयोगी हैं।

इस संबंध में मैं दो या तीन मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सभापति की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि इस तरह का विधेयक लाने के लिए विभिन्न राज्यों की सहमति भी जरूरी है क्योंकि नये जोड़े गये खंड 14क के अनुसार राज्यों के लिए अपने यहां सूचना विधेयक लाना बाध्यकारी है। यह बहुत लाभकारी और बहुत आवश्यक है लेकिन साथ ही संघीय भावना को सशक्त बनाने के लिए ऐसे विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यों से परामर्श और उनकी सहमति लिया जाना चाहिए। मेरा अब भी मानता है कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पहल करनी चाहिए। नौ राज्य पहले ही सूचना विधेयक पारित कर चुके हैं लेकिन प्रत्येक राज्य का विधेयक अलग अलग है। इनमें कुछ एकरूपता और राज्यों की सहमति तो होनी चाहिए।

दो-तीन महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, जिनका सुझाव बुद्धिजीवियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्त्ताओं ने दिया है, जिन्हें अब विधेयक में शामिल किया जा रहा है। उदाहरणार्थ सूचना का अधिकार पहले ही था, परन्तु सूचना मांगने की कीमत बहुत अधिक थी। कल ही एक स्वैच्छिक संगठन के लोग मुझे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में उन्होंने काम के बदले अनाज योजना की उपस्थिति नामावली के संबंध में सूचना मांगी थी। संबंधित अधिकारी ने सूचना मुहैया कराने हेतु 6,75,000 रुपये का भुगतान करने का कहा। वर्तमान संशोधन इस मामले में अच्छा है कि सूचना पाने की लागत कम है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को इसकी आपूर्ति निःशुल्क की जानी चाहिए। मेरे विचार से यह एक उपयोगी संशोधन है। इससे आम लोगों को सूचना के अधिकार के इस्तेमाल में सहूलियत होगी।

लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार केवल मांगें जाने पर ही प्राप्त नहीं होना चाहिए एक प्रावधान यह है कि हर वर्ष कुछ संगठनों को सूचना मुद्रित करनी होगी, लेकिन कई महत्वपूर्ण परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से आये हैं। प्रत्येक विभाग को आवश्यक सूचना, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो सके मुहैया कराने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि लोग अपने लिये आवश्यक सूचना हासिल कर सकें। बिना मांगे भी यह उपलब्ध होनी चाहिए। पंचायत राज स्तर तक यह उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही सभी सरकारी मीडिया द्वारा सूचना के अधिकार को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। आम लोगों को यह बताने के लिए सूचना प्राप्त करना उनका अधिकार है और इसे उनकी चेतना का अंग बनाने के लिए सूचना के अधिकार को स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र समुचित रूप से कार्य कर सके।

लेकिन कई विभागों को इसमें छूट दी गई है। इस बारे में मेरा मानना है कि हालांकि कुछ और संशोधन हुए हैं, तथापि सूची काफी लंबी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ संवेदनशील विषयों जैसे रक्षा, सुरक्षा और अन्य ऐसे विषयों को इस संबंध में छूट मिलनी चाहिए। परन्तु रक्षा संबंधी खरीद इत्यादि के संबंध में, पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। विदेशी समाचार पत्रों, कुछ शीर्ष आर्थिक समाचार पत्रों में, हम पहले ही यह पढ़ लेते हैं कि रक्षा विभाग किस देश से किस किस्म के हथियार खरीदने का आदेश देने जा रहा है। परन्तु जनता को यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी विदेशों को उपलब्ध है। यह समाचार पत्रों को उपलब्ध है। परन्तु यह जानकारी केवल इस देश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। यदि सूचना के अधिकार का समुचित उपयोग किया जाना हो तो व्यापक और प्रभावी जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध है। पारदर्शिता और जवाबदेही है। परन्तु, आम आदमी को यह जानकारी समुचित रूप में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की छूट इसमें बाधा न बने।

तत्पश्चात्, मैं यह भी अपील करता हूं कि राज्यों की सहमति भी ली जानी चाहिए; यह सहमति किसी भी प्रकार ली जानी चाहिए ताकि इस संघात्मक भावना को अनदेखी न हो।

महोदय, मैं यह अपील करता हूं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन आदि से संबंधित सूचना भी मांगी जा रही है। यह एक अच्छी बात है। भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मुझे इस बात का खेद है कि जब संसद ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर रहा है जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत उपयोगी है। तब प्रमुख विपक्षी दल इस अवसर को गंवा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, और इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरे विभिन्न साथियों द्वारा कही गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि जहां तक व्यक्तियों की अधिकारिता का प्रश्न है, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। 73वें और 74वें संविधान (संशोधन) विधेयकों के पश्चात् यह एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर यह सभा चर्चा कर रही है। चूंकि सारे विपक्ष ने इस संसद का बहिष्कार किया है और वे इस चर्चा में शामिल नहीं हुए है अतः अपने सभी साथियों के साथ मैं फिर से इस पर अपना असन्तोष व्यक्त

[श्री समीक लाहिरी]

करता हूं। उन्होंने इस ऐतिहासिक विधान को बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।

महोदय, लोगों के अधिक से अधिक सशक्तीकरण में हमें 57 वर्ष लगे। हमने अपने स्वयं के अनुभव से, अधिक प्रभावी और सार्थक तरीके से लोगों के सशक्तीकरण का निर्णय लिया है जिसके लिए इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाया गया है। वस्तुतः, इस प्रक्रिया का आरंभ संयुक्त मोर्चा सरकार के समय वर्ष 1997 में किया गया था। 2 जनवरी को एक कार्य दल का गठन किया गया था, और उसी वर्ष एक निर्धारित समय सीमा के अंदर मई के महीने में उस कार्य दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात्, उसी महीने एक सम्मेलन में सभी मुख्यमंत्रियों उस कार्य दल के प्रतिवेदन पर चर्चा की। परन्तु, दुर्भाग्यवश, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रारूप विधेयक का अनुमोदन करने के तत्काल बाद, संयुक्त मोर्चा सरकार गिर गई।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, वर्ष 2000 में जब एनडीए सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया। तदुपरांत, विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया गया। हम सब यह बात जानते हैं। स्थायी समिति ने 2001 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह बात भी हम सबको पता है। तत्पश्चात्, विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। हमने विपक्ष में होते हुए इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन दिया था हालांकि इसमें बहुत सी खामियां थीं। हमें कुछ आशंकाएं थीं कि इन खामियों के साथ, यह विधान, व्यक्तियों को अधिकारिता प्रदान करने में पूरी तरह सफल नहीं होगा। परन्तु तब भी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने इस सभा में अपना पूरा सहयोग दिया ताकि यह विधेयक पारित हो सके। परन्तु दुर्भाग्य से, संभवतः राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण तत्कालीन एनडीए सरकार ने इस विधेयक को प्रवर्तन के लिए अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन नहीं किया। अतः यू.पी.ए. सरकार के गठन के पश्चात्, हम वामपंथियों और हमारी पार्टी ने मांग की थी कि सूचना का अधिकार विधेयक सभा के समक्ष रखा जाए इससे संबंधित सभी लोगों के साथ इस पर उचित स्तर पर चर्चा की जाए और यह अधिकार लोगों को दिया जाए। हम यू.पी.ए. सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया और इस विधान को लेकर आए।

सर्वप्रथम, मैंने कहा है कि मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराना चाहता जिन्हें माननीय सदस्य पहले ही उठा चुके हैं। मैं स्वयं को केवल इस महत्वपूर्ण विधेयक से सम्बद्ध करना चाहता हूं। परन्तु, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैं इस सभा के समक्ष उठाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं वह यह है कि हम यह विधान क्यों ला रहे हैं। हम इस सरकार को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना चाहते हैं, हम इस सरकार को अधिक प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, हम इस सरकार को लोगों के प्रति अधिक अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, और लोगों को अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। परंतु उदारीकरण के पश्चात् गैर-सरकारी संगठन हमारी अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। किन्तु, प्रश्न यह है कि इन्हें सूचना के अधिकार के क्षेत्राधिकार में कैसे लाया जाए।

आजकल निजी क्षेत्र द्वारा अनेक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को उनसे पूरी सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को उनमें चल रहे लेन-देनों की सूचना का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इस सभा में हमने अनेक मुद्दों पर वाद-विवाद किया है जो यह दर्शाता है कि निगमित शासन में पारदर्शिता की कितनी कमी है। निगमित शासन के बारे में न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में वाद-विवाद चल रहा है। वे हमारे देश में भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे यह विचार करें कि इन्हें सूचना का अधिकार विधेयक के क्षेत्राधिकार में कैसे जाया जाए।

हमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। केवल विधान बनाने से सब कुछ अर्थपूर्ण नहीं हो जाएगा। अतः, एक ओर हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा और दूसरी ओर उन्हें शक्तियां देनी होंगी।

मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया है जिससे कि निम्न आय वर्ग के लोग मुफ्त अथवा उचित लागत पर सूचना प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी विचार करेगी।

मैं सरकार के समक्ष कुछ अन्य मुद्दे रखना चाहता हूं मैं यह नहीं जानता कि ये सभी बातें संशोधनों में शामिल की गई हैं क्योंकि मूल विधेयक 22 पृष्ठों का है और संशोधित 17 पृष्ठों में है और हमें ये आज सुबह ही प्राप्त हुए हैं।

स्थानीय निकायों को इस कानून के अधिकार क्षेत्र में कैसे शामिल किया जा रहा है? मंत्री जी निश्चित तौर पर यह स्पष्ट करेंगे। इस आयोग को किस प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त होगी? इस आयोग की लोगों की पहुंच कैसे होगी। इस आयोग द्वारा किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग आगे जाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों? मैं इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सीमित भाषण दें क्योंकि आज एक अन्य विधेयक को भी चर्चा के लिए लिया जायेगा। मंत्री कल उत्तर देंगे। अतः, यदि आप सहयोग करेंगे तो ये दो कार्य किये जा सकते हैं। मुश्किल यह है कि इस सत्र को समाप्त होने में केवल तीन दिन बचे हैं। अतः, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है परन्तु हमारे पास सीमित समय है। कार्यमंत्रणा समिति ने ऐसा निर्णय लिया है। अतः, कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि काफी समय के अंतराल के बाद, देश की स्वतंत्रता के 57 वर्ष बाद, यह विधेयक आया है। यह विधेयक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम लोग चर्चा करने के लिए इस सदन में बैठे हैं, विपक्ष के लोग भी यहां होते तो बहुत अच्छा होता। यह विधेयक कायदे से राजग सरकार को लाना चाहिए था लेकिन यूपीए सरकार इस विधेयक को लाई है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर यूपीए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। क्रांति के इस युग में, जहां टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार टेलीविजन है, इनके माध्यम से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में बनती जा रही है। सूचना की इस क्रांति में सूचना के अधिकार में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर सोचना होगा। हमें सूचना के अधिकार में पारदर्शिता लानी होगी, इस ओर हमें सोचना पड़ेगा। खासतौर से इस विधेयक के माध्यम से हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो अनपढ़, गरीब, भूखे-बेघर, शोषित मजदूर, आदिवासी, दलित और खानाबदोश हैं, उनके बारे में विशेष तौर पर सोचना पड़ेगा। तमाम माननीय सदस्यों ने यहां पर राय रखी कि सूचना के अधिकार के तहत, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल धारक हैं, उन्हें मुफ्त में सूचना मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश किसान प्रधान देश है। किसान की खुशहाली से ही देश का विकास है। खास तौर से गांव में बसने वाले किसान, आज की आपाधापी की दुनिया में, कम्पटीशन के युग में, यह जानना चाहेंगे कि वे हमारे खेत पर कौन सी कंपनी कब्जा कर रही है, कौन से बीज अच्छे हैं, कौन सी फसल के उत्पाद का सही मूल्य मिल पाएगा, इस तरह की सूचना आम ग्रामीण किसान जानना चाहेगा। सूचना के अधिकार को ग्रामीण स्तर पर लाना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी किसानों को विशेष छूट देने का प्रावधान इस विधेयक में करें।

अपराह्न 4.10 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, यहां पर मानवाधिकार से संबंधित बातें कही गई है। यह बात सत्य है कि कई ऐसी शिकायतें मानवाधिकार आयोग से की जाती रही हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। जब हमें इन बातों की जानकारी नहीं है, तो आम आदमी की बात ही क्या, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की जो शिकायतें होंगी, उनके लिए मुसीबत होगी। हम चाहते हैं कि उन लोगों को आसानी से यह जानकारी मिल सके।

सभापति जी, यहां पुलिस बल के बारे में कहा गया है। एक पुलिस बल का कर्मचारी एक आदमी के द्वार पर सम्मन लेकर खड़ा हो जाता है लेकिन वह बताता नहीं कि यह सम्मन किस बात के लिए है। जब आदमी अदालत में जाता है, तब उसे मालूम होता है। इसलिए यह बात सूचना के अधिकार में निहित होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: एक आम आदमी को इससे सुविधा मिल सके कि उसने क्या गलती की है उसे इस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए। मेरा ऐसा मत है कि इस कानून का स्थानीय निकायों-पंचायती राज में कड़ाई से लागू होना चाहिए। आज स्थानीय निकाय तमाम तरह के विकास कार्यों की बात करते हैं लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं होता कि कहां और कैसा विकास हुआ है या कैसा करना चाहिए या कहां धन का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऐसी जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। इस सूचना के अधिकार विधेयक में स्थानीय निकायों को शामिल करना चाहिए ताकि हम लोगों को सूचना आसानी से उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, विश्वसनीयता और गोपनीयता का संबंध इस अधिकार में आता है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कुछ बातों का उल्लेख सरकारी विभागों और खासकर ग्रामीण स्तर पर जो विभाग जनता से जुड़े हुये हैं, उनके बारे में कहे वहां विश्वसनीयता और गोपनीयता का ख्याल न रखते हुए, हम लोगों को यह जानकारी मिले कि हमारी सरकार या विभाग क्या कर रहा है, वह सूचना हमें आसानी से उपलब्ध हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं सूचना का अधिकार विधेयक में संशोधनों का समर्थन करता हूं। मैं कह सकता हूं कि यह संशोधित सूचना का अधिकार विधेयक है।

कार्यान्वयन से पहले सूचना का अधिकार विधेयक एक दुर्गम रास्ता तय किया है क्योंकि यह विधेयक 1997 में लाया गया था। परन्तु, एक लम्बे और ठहराव के पश्चात इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम सूचना विधेयक को एक अर्थपूर्ण, गतिशील और सहभागिता स्वरूप का बनाने की बात कही गई है।

दशकों पहले, हमारे परमप्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का सपना था कि लोगों को शक्ति प्रदान की जाए। उनका नारा था ''लोगो को अधिक शक्तियां दी जाए।'' अब श्रीमती सोनिया गांधी, जो एन.ए.सी. की अध्यक्ष है, के नेतृत्व में इस सपने को साकार किया गया है। अब भारत के लोगों को यह पता चल सकेगा कि स्थानीय निकायों, राज्य और सभी राष्ट्रीय घटनाक्रमों सहित उसके कार्यक्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है।

सूचना का अधिकार सर्वप्रथम स्वीडन में वर्ष 1776 में लागू किया गया था। विकास के क्रम में अब हम इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि हमारे शासन में अधिक पारदर्शिता आ सके। अब सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होगी।

मैं इस मुद्दे के संबंध में कुछ संगत प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन के संबंध में सूचना का अधिकार संबंधी मूल विधेयक पर भी संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बताया गया था कि प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा सूचना आयुक्त और उप-सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। परन्तु सूचना अधिकार विधेयक के संशोधित संस्करण में यह उल्लेख है कि, ''प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघीय मंत्रिमंडल का मंत्री''। मैं इस सरकार से इस प्रावधान पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से इसकी इस आधार पर आलोचना की जाएगी कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप है।

महोदय, हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राज्य सरकारें और अन्य सभी सरकारें यही रुख अपनाएंगी जो कांग्रेस या यू.पी.ए. सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है।

सूचना के अधिकार की विशेषताएं हैं, न्यूनतम अपवाद, दण्डात्मक व्यवस्था तथा व्यवस्था, अपील व्यवस्था और सूचना तक आसानी से पहुंच मूल विधेयक में यह प्रावधान था कि:

> ''धारा 20 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि लोक अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना देने में लगातार असफल रहा है, वहां आयोग, केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।''

परन्तु संशोधित रूप में सरकार ने मूल विधेयक से थोड़ा अलग प्रावधान किया है। इसमें यह व्यवस्था है कि:

> ''.... सूचना देने में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने पर यह केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो। संबंधित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करेगा।''

यह सर्वविदित है कि सेवा नियमों के बहाने अनेक प्रतिकारक दण्डों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसलिए, महोदय, मेरे विचार से ऐसे अधिकारियों जो सूचना देने की प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब करते हैं या बाधा पहुंचाते हैं, के विरुद्ध और कठोर उपाय अपनाए जाने चाहिएं क्योंकि हमारा देश आज भी साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रस्त है। हमारी नौकरशाही आज भी साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रस्त है। हमारी नौकरशाही उनकी सहनशीलता के कारण फल-फूल रही है और देश में किसी भी प्रकार के पारदर्शिता संबंधी उपायों के लागू किये जाने पर हरदम रोड़े अटकाती है।

इसलिए, महोदय मेरे विचार से इस विधेयक में अधिक सख्त प्रावधान अवश्य किए जाने चाहिएं जिससे कि लोगों को परेशान न किया जा सके और किसी भी प्रकार की सूचना देने में बाधा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी जा सके।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह केन्द्रीय विधान सभी ऐसे वर्तमान विधानों का अधिक्रमण करेगा जो इस विधेयक की विषय वस्तुओं, प्रावधानों और भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं जैसे कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम? एक बार न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा था कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह वर्तमान कानून के प्रतिकूल नहीं होगा?

हमारे देश में अनेक निडर अधिकारी है जो अक्सर अपनी जान की परवाह न करते हुए विभिन्न विभागों में चल रही घृणास्पद और गुप्त गतिविधियों का खुलासा करते हैं। क्या सरकार इन निडर अधिकारियों की जान बचाने के लिए कोई उपाय करेगी? क्या सरकार कोई उपाय करेगी जिससे कि ये निडर अधिकारी बिना किसी डर के अपना कार्य कर सके?

बाइबिल में कहा गया है कि "तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई जानकर तुम निडर हो जाओगे।" हमारा देश लोकतांत्रिक है। जागरूक लोगों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है। सूचना के अधिकार का यह विधेयक एक सहायक की भूमिका अदा करेगा। यह लोगों को लोकतंत्र के प्रति अपनी भागीदारी सार्थक करने में सहायक होगा। इसलिए इस संशोधित विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक को इस प्रकार पुरःस्थापित करने में विशेष रुचि दिखाई।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, हम सूचना के अधिकार विधेयक, 2004 पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह सरकार सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार क्यों नहीं बना देती है। यदि इसे मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तथापि, सरकार ने सूचना के अधिकार विधेयक, 2004 पेश किया है।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के कुछ प्रावधान नागरिकों को सूचना प्राप्त करने से वंचित करते हैं तथा शक्तिप्राप्त प्राधिकारी को सुरक्षा और संरक्षा के आधार पर सूचना देने से रोकने का अधिकार प्रदान करते हैं। लंबे समय से लोग शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के निरसन की मांग करते रहे हैं। भारत सरकार ने मैथ्यू आयोग का गठन किया था जिसने शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने हेतु कुछ सिफारिशें दी थी।

लोकतंत्र में जनता सर्वशक्तिमान होती है। लोकतंत्र में सभी संस्थाओं को लोगों को सूचना देनी होती है। अनेक लोगों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति से संबंधित एक धारा में संशोधन किया है। हमने एक समिति गठित की है प्रधान मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसके सदस्य हैं। यह एक सही कदम है। तथापि, सरकार अब इसमें संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधान मंत्री द्वारा एक केन्द्रीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करना चाहती है। ऐसा करने से सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या दो हो जाएगी। सरकार अनेक धाराओं तथा खंडों को समाहित कर पारदर्शिता लाई है परन्तु सरकार के दो प्रतिनिधियों के प्रावधान से पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। यह ईमानदारी नहीं दर्शाता है। इसलिए केन्द्र तथा राज्य स्तर के सूचना आयोगों में क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा जाए। कार्यपालन की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस बारे में स्वयं को अनुचित अधिकार नहीं दे रही है। यह आयोग की केवल एक नियुक्ति मात्र है और कुछ नहीं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अन्यथा, आप कैबिनेट मंत्री के स्थान पर लोक सभा अध्यक्ष को नियुक्त कर दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसे अनेक संगठन है जो सरकार के कार्यकारी कार्यकरण के अधीन आते हैं। सरकार अपने कार्य बंद नहीं कर सकती है। कार्यों का स्पष्ट पृथक्कीकरण है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: कार्य अलग है। हम सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: लोक हित में मुख्य न्यायाधीशों को इन नियुक्तियों से अलग रखा जाना चाहिए। यह सब सरकार के कार्य है। वास्तव में, हम विपक्ष के नेता को इसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: बंसल जी, आप सूचना अधिकार के इस विधेयक को अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाए हैं।

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री किन्जरपु येरननायडुः वे भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं।

श्री पवन कुमार बंसलः यह केवल आयोग से संबंधित है। अन्य निकायों द्वारा सूचना प्रदान की जानी है। यदि कोई सूचना प्रदान नहीं करता है, तब आयोग के पास अपील की जाती है। इस आयोग द्वारा कोई 'राजनैतिक निर्णय' नहीं लिया जाता है।

श्री किन्जरपु येरननायडुः मैं आयोग की नियुक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा मुद्दा है कि लोग सामान्य निकायों तथा राज्य सरकारों से अधिक सूचना चाहते हैं। इसलिए, यह विधेयक, राज्य सरकारों तथा सामान्य निकायों पर बंधनकारी होगा। यदि कोई राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है तो क्या कोई उपचारात्मक अथवा सांविधानिक दायित्व मौजूद हैं-इसका स्पष्टीकरण दें। यदि कल, राज्य सरकार, राज्य आयोग को अधिसूचित न करें तो क्या इस अधिनियम के माध्यम से हम उन्हें सशक्त कर सकते हैं-इसका भी स्पष्टीकरण आवश्यक है। अधिकतर नागरिक सूचना चाहते हैं। यदि ग्राम पंचायतें अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाती है तो इस विधेयक के पारित होने से, उन्हें अधिक सूचना प्राप्त होगी।

राज्यों को भी आयोग का गठन करना चाहिए तथा यहां तक कि सामान्य निकायों को भी राज्य आयोगों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अन्यथा, इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है तथा सूचना तक उनकी पहुंच नहीं है। इससे, उन्हें स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त हो जाएगी।

तीसरा मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश राज्य में, वे सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से कर रहे हैं। विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य तथा जनसाधारण अभिलेखों की मांग कर रहे हैं, परन्तु सरकार इन्कार कर रही है। क्या इस विधेयक की प्रक्रिया पूरी होने तथा अधिसूचना के 120 दिवसों के पश्चात्, वे राज्य सरकारों से अभिलेखों की प्राप्ति हेतु के हकदार हो जाएंगे-यह एक और मुद्दा है जिस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है।

जब इंटरनेट युग में चन्द्रबाबू नायडु, मुख्यमंत्री थे तब हमने क्या किया? हमने निविदा प्रक्रिया संबंधी सभी फाइलों को इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर सूचना डालने के पश्चात्, आम आदमी और नौकरशाही के बीच परस्पर मेलजोल कम हुआ। यदि कोई व्यक्ति सूचना चाहता है। वे इंटरनेट के जरिये फाईल देख सकते थे। यह संभव हुआ, जबकि उस समय कोई सूचना अधिकार विधेयक अस्तित्व में नहीं था। हमने आंध्र प्रदेश में सभी नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराई।

अब, आंध्र प्रदेश में काफी विवाद चल रहा है। हम कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय के समक्ष फाइलें प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम संपूर्ण अभिलेख चाहते हैं। हम पाते हैं कि अमुक दिन के संध्या काल तक परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये थी तथा ठीक अगले दिन यह 700 करोड़ हो गई। यह कैसे हुआ तथा यह कैसे बढ़ गई-हम रिकार्ड देखना चाहते हैं लेकिन सरकार इससे इन्कार कर रही है। यह इसलिए चूंकि इस समय ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। क्या विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् यह संपूर्ण भारत तथा स्थानीय निकायों पर लागू हो जाएगा। मंत्री को यह स्पष्ट करना है। अन्यथा, इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। यह मेरा मत है। यदि आप एक विधेयक लाना चाहते हैं तो यह संपूर्ण भारत पर लागू होना चाहिए।

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें तथा भाषण समाप्त करें।

श्री किन्जरपु येरननायडुः सूचना सभी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। आयकर का भुगतान न करने वालों को छोड़कर केवल आयकर का भुगतान करने वाले लोगों को इसके लिए भुगतान करना चाहिए अभिलेखों को देखना नागरिक का अधिकार है। यदि उसने आवेदन किया है तो हमें इसे अत्यावश्यक बनाना होगा।

अंत में, इसमें कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं है। आवेदन पश्चात् यदि सूचना अधिकारी सूचना प्रदान नहीं करता है, तो वे 250 रुपये का दण्ड लगाते हैं जो 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। लेकिन कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं है। हमें दण्डात्मक प्रावधान भी करना चाहिए। अन्यथा, वे उचित प्रत्युत्तर नहीं देंगे; वे सूचना नहीं देंगे। इसलिए, दण्डात्मक प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई सूचना अधिकारी नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दण्ड दिया जाएगा। माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है।

इन सब सुझावों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): पट्टालि मक्काल कात्वी की ओर से मैं सूचना अधिकार विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं सीएमपी में किये गये अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार को बधाई देता हूं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि हमारी नौकरशाही जो विकास प्रक्रिया में हमेशा बाधक ही रही है, अधिक जिम्मेदार बनेगी, अधिक उत्तरदायी बनेगी और महत्वपूर्ण रूप से, अधिक संवेदनशील बनेगी। कुछ दिन पूर्व रूस के अपने देश में किये जा

रहे कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण का उदाहरण दिया। हमारे देश की ऐसी छवि है। मेरा विचार है कि यह विधेयक वास्तव में विश्व स्तर पर हमारे देश की छवि को सुधारने में मदद करेगा। इसके बाद मेरे भीतर इस विधेयक के संबंध में कुछ शंकाएं हैं।

पहले, जैसा अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि इस विधेयक का, तमिलनाडु सहित देश के कुछ राज्यों में पहले से ही मौजूद विधेयकों पर क्या असर होगा। मेरा विचार है कि संशोधन संख्या 5 में स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार का अर्थ केन्द्र सरकार, संघ क्षेत्र तथा राज्य सरकार है। संशोधन संख्या 87, राज्य सूचना आयोग के कार्यों को स्पष्ट करता है। मेरा विचार है कि इस विधेयक के माध्यम से मौजूदा राज्य विधानों के प्रभावों को समाप्त कर देना चाहिए तथा मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस पर स्पष्टीकरण देंगे।

अलग-2 खण्डों पर आएं तो, मैं माननीय मंत्री महोदय को वास्तव में बधाई देता हूं कि उन्होंने प्राधिकरण द्वारा स्थानीय भाषा में ब्यौरा देना आवश्यक कर दिया है। यह परमावश्यक है। परन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि विधेयक में ऐसा कहा गया प्रतीत होता है कि जिसे भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना चाहिए हो वह जनसूचना अधिकारी के पास जाए। इसके विपरीत, मैं अनुरोध करूंगा कि इस संपूर्ण अवधारणा को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि इसके लागू होने के पश्चात् सरकार पारदर्शी हो जाए, जिम्मेदार हो जाए तथा प्रत्येक प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी हो जाए कि वह सूचना प्रदान करे। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रीय राजधानी में मेनिनजाईटिस रोग का महामारी के रूप में फैला है यदि कोई व्यक्ति अस्पताल के प्राधिकारियों से पूछे, तो प्राधिकारी को उसे सूचना अधिकारी के पास नहीं भेजना चाहिए वरन जो भी अधिकारी हो उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह मीडिया अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे। इतने पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए ताकि सूचना केवल सूचना अधिकारी द्वारा ही चैनलाइज न की जाए, बल्कि किसी भी अधिकारी का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह सूचना प्रदान करे।

सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण चिंता शुल्क के संबंध में है। मैं सहमत हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निःसंदेह, खण्ड 7 में कहा गया है, 'यदि किसी सूचना के लिए अधिक भुगतान, सूचना मुहैया कराने की लागत निरूपित करने का ले किसी और शुल्क की आवश्यकता है, तो जन सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना भेजेगा', अभिप्राय यह है कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, जहां अधिक शुल्क की आवश्यकता होगी। मैं सहमत हूं कि अल्पतम शुल्क का प्रावधान हो, लेकिन यह खण्ड आवश्यक कतई नहीं है। इससे केवल चीजें जटिल होती हैं।

एक अन्य चीज जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, सूचना देने के लिए 30 दिन के समय का प्रावधान है। यह बहुत ज्यादा है और इसे बदलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 90 में निहित सूचना के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने माना है। अतः, सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। सर्वप्रथम, मैं सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए एक वादे को पूरा करने के लिए बधाई देता हूं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे, तो इस पर प्रकाश डालेंगे।

मेरा पहला प्रश्न खण्ड 8 से संबंधित है। इसमें राज्य के आर्थिक हितों की बात की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों के ऐसे आर्थिक हित क्या हैं। जिनको प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी खण्ड में, खण्ड 8, उप-खण्ड 1 (i), इसमें अन्य अधिकारी' का उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन शब्दों को हटाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि एक लिपिक भी कहेगा कि वह केबिनेट के लिए काम करने वाला अधिकारी है, अतः उसे भी सूचना के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

मैं मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ के बारे में जानना चाहता हूं। इस विधेयक को पारित करने के बाद, जब मंत्रियों द्वारा गोपनीयता की शपथ की बारी आएगी, तब क्या स्थिति होगी।

सूचना का अधिकार विधेयक के मूल प्रारूप ने तो लोगों को सुरक्षा एजेंसियों से रिकार्डों के लिए पूछताछ का अवसर दिया था। यह विदित तथ्य है कि सुरक्षा एजेंसियों के कारण, मानवाधिकारों का पूरी तरह उल्लंघन होने लगा है। ऐसा क्यों हुआ कि अब यह शक्ति ले ली गई, विशेष रूप से जब आप आसूचना ब्यूरो का दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया है? गुजरात में जो हुआ, वह सर्वविदित है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तथ्यों की सही जानकारी चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि गुजरात में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पास डायरियां हैं, जिसमें उन्होंने दिन-प्रतिदिन की घटनाएं दर्ज की हैं। वे डायरियां पेश क्यों नहीं की जा सकती? इसके अलावा, प्रकटीकरण की 10 वर्ष की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष क्यों नहीं किया जा सका? इसलिए क्योंकि पारदर्शिता संसदीय प्रजातंत्र की मुख्य बात है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन चीजों को शामिल करेंगे क्योंकि यह अत्यधिक आवश्यक हैं।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

मुझे भरोसा है कि इस महत्वपूर्ण सभा में यह विधेयक पारित होने के बाद, श्री लालू प्रसाद वास्तव में यह जान पाएंगे कि छपरा में हकीकतन क्या हुआ था। वह यह जान पायेंगे कि श्री सप्तर्षि द्वारा भेजी गई रिपोर्ट सही थी अथवा गलत। लेकिन, साथ-साथ, इस विधेयक की एक कमी यह है कि यह देश के सभी राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। यह केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर ही लागू होगा। यह प्रत्येक राज्य पर लागू क्यों नहीं हो सकता? इसे किसी संकुचित भौगोलिक परिसीमा तक सीमित करने से वास्तव में इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि एक शुरुआत की गई है और मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो वह मेरे द्वारा उठाए प्रश्नों के सटीक उत्तर देंगे। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा आरंभ किए गए विधान का, सर्वाधिक प्रगतिशील विधेयक के रूप में, स्वागत करता हूं। मैं सूचना के अधिकार को वास्तविक बनाने के लिए की गई शुरुआत के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं। मैं इस सम्माननीय सभा में इस समय मौजूद रहने पर विशेष रूप से प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहा हूं, जब हम इतिहास रच रहे हैं।

इस कानून के अधिनियमन द्वारा हम नागरिकों को राज्य के मुकाबले सशक्त, समाज को खुला; राज्य को पारदर्शी और लोकतंत्र को चुस्त बना रहे हैं। सूचना का अधिकार विधान पर संकेन्द्रण अन्य देशों के लिए आदर्श विधान है। प्रभावपूर्ण सूचना के अधिकार को परिपक्व और प्रामाणिक लोकतंत्र की पूर्वापेक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम को पूर्व लोक सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया था। यह इन उद्देश्यों पर खरा नहीं उतरा। यह मूलरूप से नागरिकों को राज्य के मुकाबले सशक्त करने में विफल रहा क्योंकि इसने अफसरशाही का एकतरफा पक्ष लिया और लोगों के सूचना के अधिकार के संबंध में यह सिर्फ कथनी तक ही सीमित रहा। दण्ड प्रावधानों के साथ-साथ अपील की स्वतंत्र प्रणाली इस विधान को असरदार बनाती है। न केवल लोग, बल्कि मीडिया भी सशक्त हो रहा है। हम अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा दिये गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के बहुमूल्य मौलिक अधिकार को जीवंत कर रहे हैं। प्राकृतिक परिणाम के रूप में हमें घृणित शासकीय गुप्त बात अधिनियम को पूरी तरह हटाना है जो औपनिवेशक बपौती है। तपसो मा: ज्योतिर्गमय: आदर्श वाक्य है। हमें देश को गोपनीयता के अंधकार से ज्ञान (सूचना) के प्रकाश की ओर ले जाना है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं यूपीए सरकार का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने अपने वायदे के अनुसार सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। यह संवैधानिक अधिकार हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। यह अधिकार संविधान में है, लेकिन यह सरजमी पर नहीं आ रहा था। सरकार ने इस कानून से देश के लोगों की वर्षों की मांग को पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

अपराह्न 4.40 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आम तबके के लोगों, अशिक्षित लोगों की हकमारी हो रही थी। सरकार के कामों में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही थी। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं था। सूचना के अधिकार से जनता सशक्त होगी और अवाम को उसका छिना हुआ हक मिलेगा। जो अधिकारी स्वतत्र रूप से गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार को छिपाने का काम करते रहे हैं, अब उनकी पोल खुलेगी, पर्दाफाश होगा और आम लोगों को सही इन्फार्मेशन मिल सकेगी। अभी भी ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं, वे रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्रों या और माध्यमों से सूचना प्राप्त कर लेगें लेकिन जो 75 प्रतिशत लोग खेत-खलिहान में काम करने वाले हैं, उनको कैसे सूचना मिल पाएगी और कैसे न्याय मिल पाएगा, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को क्लैरीफाई करें। इस बिल के आने के बाद भी इस बात की शंका है। उन लोगों को इन्फार्मेशन चाहिए कि उनकी हकमारी कैसे हो रही है। उनके खेत में बीज नहीं डाले जा रहे हैं, उनके खेत विदेशियों के हाथों पट्टे पर दिये जा रहे हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनके दिमाग में हैं। उनको कैसे आश्वस्त करेंगे, मंत्री जी अपने जवाब में इन बातों को जरूर बताएं। यह बातें बहुत दिनों से चलती आ रही थीं, लेकिन आज तक इस तरफ कोई प्रयास नहीं किये गये। आज सरकार एक सशक्त कानून बनाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इस कार्य को करके सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने का काम कर रही है। इससे प्रजातंत्र मजबूत होगा, आम लोगों की सहभागिता होगी और गोपनीयता के आधार पर हमारे बीच की जो कमजोरियां थीं, उन कमजोरियों को छिपा लिया जाता था, इस कानून के माध्यम से निश्चित तौर पर अधिकार मिलेगा। इससे हमारा जनतंत्र सशक्त बनेगा, जनता सशक्त

बनेगी। उनके जो अधिकार किसी न किसी रूप में छीन लिए गए थे, वे उन अधिकारों से वंचित नहीं रह पाएंगे।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उत्तर देते समय देश की आम जनता के मन की शंकाएं को दूर करने का काम करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल देश के पढ़े-लिखे लोग ही सूचना के अधिकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे बल्कि देश के आम नागरिकों और गरीब लोगों तक भी सूचना पहुंचा पाएंगे।

मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर पर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी अपने जवाब के माध्यम से सदन और पूरे देश को संतुष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, मैं आपके तर्कसंगत सुझाव के लिए आपको बधाई देता हूं।

श्री रामदास आठवले, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अथवा केवल विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में श्री अन्ना हजारे ने इसके लिए आंदोलन चालू किया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार देने का कानून भी बनाया गया है। यह बात बहुत अच्छी है कि अपने देश में जिस तरह करप्शन बढ़ रहा है, गलत काम किये जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए सूचना का अधिकार विधेयक लाया गया है। सूचना का अधिकार विधेयक, जो अभी पास हो रहा है, श्री सुरेश पचौरी और यूपीए सरकार, जिसमें आप और हम सब हैं, ने हर आदमी को यह अधिकार देने का निर्णय लिया है। यह बहुत क्रान्तिकारी निर्णय है। यह कानून देश में बढ़ते हुए करप्शन को काम करने में जरूर सहायक होगा। जिस तरह श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने कांस्टीट्यूशन में वन मैन वन वोट के बारे में बताया है, उसी तरह यह अधिकार हर व्यक्ति को मिलने वाला है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में करप्शन को खत्म करने के लिए कानून तो बनते जा रहे हैं मगर करप्शन खत्म नहीं हो रहा इसलिए और संशोधन लाने की आवश्यकता है। जब कास्टिज़म खत्म करने के लिए कानून है, सेक्युलरिज्म मजबूत करने के लिए कानून है मगर इसके बावजूद भी कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कानून ठीक से लागू होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: मेरे कहने का मतलब इतना है कि कानून बन रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन खाली कानून बनाने से देश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए कानूनों को इम्प्लीमैंट अच्छी तरह से करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए सरकार आने वाले चार साल में यह काम करेगी। इसके साथ-साथ एनडीए को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। वे लोग संसद से बाहर रहकर लोकतंत्र का खात्मा कर रहे है। ऐसे दलों को भी कानून सिखाने की आवश्यकता है। अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इस विधेयक पर आपके उत्तर के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप कल उत्तर देना चाहते हैं?

[हिन्दी]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा होगी तो हम इसका उत्तर कल देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि इस पर सभा की सहमति है तथा इस मामले को हम कल उठायेंगे।

अब हम मद संख्या 13, नामत: विशेष आर्थिक जोन विधेयक पर विचार करेंगे। इस विधेयक के लिए दो घण्टे का समय नियत किया है। हम इसे आज ही निपटा सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ सभा कुछ और देर तक बैठ सकती है। मेरा विचार है कि आप सब इस पर सहमत होंगे।

अपराह्न 4.48 बजे

सरकारी विधेयक

(दो) विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

निर्यात के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक जोन योजना की घोषणा की थी। विशेष आर्थिक जोन के तहत कर तथा शुल्क मुक्त वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ निर्यात हेतु उत्पादन, त्वरित अनुमोदन तंत्र के लिए एकीकृत अवसंरचना उपलब्ध कराना तथा निर्यात संवर्धन के लिए घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराना शामिल है।

वर्तमान में 11 विशेष आर्थिक जोन कार्य कर रहे हैं। इसके साथ-साथ निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्रों में 35 नये विशेष आर्थिक जोन बनाने हेतु अनुमोदन दिया जा चुका है।

जबकि, विशेष आर्थिक जोन से संबंधित नीतियां विदेशी व्यापार नीति में अंतर्विष्ट है, विशेष आर्थिक जोन डेवलपर तथा इकाइयों को दी जाने वाले प्रोत्साहन तथा सुविधाओं को संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसलिए, वर्तमान प्रणाली, निवेशकों को अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त निधियां लगाने की ओर अधिक विश्वास से प्रेरित दीर्घकालीन स्थायी नीतिगत ढांचे के साथ-साथ कम से कम नियंत्रण वाली व्यवस्था तथा एकल खिड़की क्लीयरेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यपद्धति के अनुसार विशेष आर्थिक जोन के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम बनाए जाने की आवश्यकता हुई।

आशा है कि विधेयक की पुरःस्थापना तथा इसके पारित हो जाने से घरेलू तथा विदेशी निवेशकों का विश्वास दृढ़ होगा तथा उसमें स्थायित्व आयेगा तथा यह एसईजेड नीतियां ढांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता की ओर संकेत करता है। ऐसी आशा है कि कई बड़ी कंपनियां, बहु उत्पाद एसईजेड, जो अब तक वित्तीय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती थी अब शीघ्रता से वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी। ऐसी आशा की जाती है कि अवसंरचना तथा उत्पादन क्षमता में नया कानून बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करेगा जिससे नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(एक) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना से संबंधित मामले तथा आवश्यकताएं, दायित्व तथा अधिकार सहित वहां इकाईयों की स्थापित करना।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों, विशेषरूप से आर्थिक जोनों में ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता संबंधी मामले साथ ही इन इकाईयों के प्रचालन को शासित करने वाली राजकोषीय नीति बनाने की आवश्यकता संबंधी मामले।

(तीन) विशेष आर्थिक जोन के डेवलपरों तथा उसके अंतर्गत स्थापित की गई इकाइयों के लिए राजकोषीय नीति।

(चार) जोनल स्तर पर एकल खिड़की स्वीकृति तंत्र;

(पांच) प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन को अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण की स्थापना; तथा अंत में

(छह) विशेष आर्थिक जोनों में किये गये अधिसूचित अपराधों की जांच तथा मुकदमों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों तथा एकल प्रवर्तन अभिकरण का गठन।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक, जो बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करेगा तथा जिसमें फलस्वरूप रोजगार बढ़ेगा, के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पहलुओं पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम निश्छल रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ आपत्ति पूर्ण विषयों को छोड़कर विस्तृत रूप से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

जब हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डब्ल्यूबीआईडीसी के सभापति थे तथा अन्य निर्दिष्ट कार्य कर रहे थे, वे इन विचारधाराओं के समर्थन तथा इनके प्रवर्तन से जुड़े रहे। नए वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने तथा प्रतिस्पर्धा-विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का प्रयास है। कुछ क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण, विशेषरूप से अनुमति के मामले में, शुल्क के मामले में, तथा अन्य कई मुद्दों पर एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के बहुत ही लाभदायक तंत्र सिद्ध हुई है, विशेषरूप से उन क्षेत्रों में जहां विदेशी निवेश तथा निर्यात के प्रति वचनबद्धता तथा अन्य मुद्दे दृष्टिगत हों।

आर्थिक सिद्धांत के संबंध में, निर्यात-आधारित विकास का एक मुद्दा है जिस पर मैं पूर्णरूप से सहमत नहीं हूं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए विकास हेतु निर्यात पर आश्रित होना एक अनुकूल विचार नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों की यह अवधारणा हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की कृषि केवल निर्वाह कृषि है इसलिए हमें विकसित देशों का अनुकरण करने की आवश्यकता है जहां कृषि एक उद्योग है तथा कृषि उत्पादों की उपज केवल निर्यात को ध्यान में रख कर की जाती है। लेकिन, भारत में ऐसा नहीं है। हमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निःसंदेह सेवा क्षेत्र में हमारी अच्छी पकड़ है, विशेष रूप से सेवा के कुछ सीमित क्षेत्रों में, लेकिन यह एक अलग मुद्दा है। यदि हम भारत तथा चीन में तुलना करें तो पाएंगे कि चीन विश्व की फैक्टरी बन चुका है, विनिर्माण केन्द्र बन चुका है। उनका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विशेष आर्थिक जोनों की इस विशिष्ट प्रक्रिया में सफलता, उन विभिन्न कारणों के चलते हुई है जिस पर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।

अपराह्न 4.54 बजे

[**श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन* हुए]

पहली बात यह है कि यदि आप सम्पूर्ण निवेश परिदृश्य को देखें तो पाएंगे कि उनका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कुल निवेश का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है।

दूसरी बात यह भी है कि उनके यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनिवासी चीनियों द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत के मामले में ऐसा नहीं है। हमारे अनिवासी भारतीय अन्यत्र निवेश कर रहे हैं। वे यहां बेहतर ब्याज पाने के लिए पैसा लाते हैं। परन्तु यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है। यदि अनिवासी भारतीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, विद्युत, दूरसंचार और विभिन्न अन्य परियोजनाओं हेतु निवेश करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। यह चीन में हो रहा है।

चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र को अवधारणा निर्यात में आर्थिक वृद्धि हेतु है। प्रारंभिक जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की है। यहां ऐसा नहीं है। उनका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निर्यातोन्मुखी है। विशेष निर्यात क्षेत्रों और इन सब कारणों से रोजगार में वृद्धि हो रही है। आज की स्थिति के अनुसार शेनजेन, झुबाई, शान्तु और जियामेन विशेष निर्यात क्षेत्र हैं। ये 1980 में स्थापित किए गए थे। अब 26 वर्ष हो चुके हैं। पिछले 26 वर्षों में इनका कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था का विकास हमारे लिये निःसंदेह एक सबक है। हमने मात्र चयनित सबक लिए हैं और वह भी मात्र अवधारणा और योजना। यह योजना अप्रैल 2000 से है। इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। हमें देखना है कि वे मुद्दों को किस प्रकार से सुलझाते हैं।

विस्तार किए बिना मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद के बारे में मैं, आप और सारा देश जानता है। मंत्रियों का समूह भी कतिपय मामलों में निर्णय लेने में झिझक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। यह एक अलग कहानी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु आज जो प्रस्ताव किया जा रहा है वे आधे अधूरे हैं। ऐसा क्यों?

सबसे पहले हमें विदेश व्यापार नीति संबंधी नीतिगत ब्यौरा देखना होगा। इसमें नीति का उल्लेख है। दूसरा पहलू माल के निर्यात/आयात, पूंजीगत वस्तुओं की लीजिंग, बैंकिंग, नीतिगत भाग, उप-संविदा आदि से संबंधित है। भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में हमारा अनुभव क्या है? समय अभाव के कारण मैं अनेक उदाहरण नहीं दूंगा। मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरणस्वरूप, भारत सरकार ने एक बार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों की परिकल्पना की थी। एक बार एक दल के सदस्य के रूप में मुझे जांच के लिए जाने का अवसर मिला। हमने पाया कि इन क्षेत्रों का निर्यात से कोई लेना-देना नहीं था। निर्यात करने की उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। वे सारी शिकायतों का लाभ ले रहे थे और सारे उत्पाद घरेलू बाजार में बेच रहे थे। आज यह स्थिति है। जघन्य उल्लंघन के ऐसे मामलों से क्या हो सकता है? निर्यात करने के बजाए वे घरेलू बाजार में उत्पाद का विपणन करते रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा? हमारे घरेलू उद्योग, विशेषकर लघु और मझौले उद्योग पहले से ही संकट में है। आयात उदारीकरण के कारण हमारे पूंजीगत उद्योग, विनिर्माण उद्योग संकट में हैं। स्थिति यह है। आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आज या कल स्थिति में थोड़ी-बहुत सुधार हो सकता है। यह एक बहुत ही निचले स्तर की बात है और यह बहुत ही अस्थिर है। यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात में वृद्धि नहीं करते हैं और अपना मात्र घरेलू बाजार में बेचेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आज यही हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी

[श्री रूपचन्द पाल]

निवेशक यहां विनिर्माण करके निर्यात करने के प्रति कटिबद्ध हैं। हमारा अनुभव है कि वे ऐसा नहीं कह रहे हैं। परन्तु चीनी अनुभव मिला-जुला है। उनकी सोच यह है कि यदि वे विशाल घरेलू बाजार का छोड़कर मात्र निर्यात पर जोर देंगे तो इसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। परन्तु उनकी अवधारणा हमारी अवधारणा से भिन्न है। हमारे मामले में हमारे उद्योगपति, जो निर्यात की सभी रियायतों का लाभ उठाते रहे हैं, निर्यात करने की बजाय घरेलू बाजार का ही शोषण कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

वे बाजार और घरेलू उद्योग के आधार को हानि पहुंचा रहे हैं। यह सरकार ऐसी ही स्थिति में क्या कार्यवाही करेगी? क्योंकि यह लचीलेपन और सरकारी नियंत्रण समाप्त करने का मामला है। यह अधिक विनियम, अधिक रियायतों और अधिक प्रोत्साहन देने का मामला है। जो अन्यत्र लागू होगा तो वह ए.सी.जे. के मामले में लागू नहीं होगा। अत्यधिक उल्लंघनों के संबंध में एक प्रस्ताव किया जा रहा है। मैं यह संदर्भ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत में वे रातों-रात नहीं आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में एक प्रतिशत भी निर्यात नहीं हो रहा था। इससे मात्र घरेलू बाजार का शोषण हो रहा है। जब माननीय मंत्री उत्तर देंगे तो उन्हें कृपा करके इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए।

अब मैं बैंकिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। क्या विदेशी बैंक यहां अपनी शाखाएं खोलेंगे? शायद हां, क्या उन पर वही नियम लागू होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर लागू होते हैं? ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि विदेशी बैंक आधारभूत पद्धति का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे इन सबकी अनदेखी कर रहे हैं। बिना नाम लिए मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप हर्षद मेहता या केतन पारेख प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कितने विदेशी बैंक घोटाले में शामिल हैं। भेजी गई रकम में उनकी संलिप्तता है और निजी क्षेत्र से संबंधित दिए गए ऋण के मामले में न तो वे आयकर दे रहे हैं न ही वे भारत सरकार के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कोई सजा नहीं दी गई। यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, एक वित्तीय संस्था, हाउसिंग बैंक और विदेशी बैंक, बहु-राष्ट्रीय बैंक से संबंधित ऐतिहासिक मामला है। इसका क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? मैं थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री रूपचन्द पालः कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं आपको विदेशी बैंकों के बारे में बता रहा था। सरकार किस प्रकार खराब ट्रेक रिकार्ड वाले बेईमान प्रचालकों से निपटने का विचार करती है? उन्हें अब तक दंडित नहीं किया गया है।

अब, हम पाते हैं कि भारतीय मुद्रा विदेश जा रही है। काले धन को परिवर्तित करने के मामले हमारे समक्ष है। हमने इन विषयों पर चर्चा भी की थी। भारतीय मुद्रा अलग-अलग माध्यमों से बाहर जा रही है। हवाला के जरिये, मारीशस के माध्यम से वापिस आकर विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप खातों से स्टॉक मार्किट में निवेश किया जा रहा है। यहां तक कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के नवीनतम प्रतिवेदन में हम विदेशी संस्थागत निवेशकों, उनकी भूमिका तथा उनके उप खातों की भूमिका के बारे में क्या पाते हैं? सरकार किस प्रकार इन बेईमान आपरेटरों की लगाम कसने पर विचार कर रही है? विशेष आर्थिक जोनों पर किसका अधिकार होगा? विशेष आर्थिक जोन सभी प्रकार के लाभ ले रहा है परन्तु हमारे मुख्य उद्देश्य, जोकि निर्यात आधारित जोन है, में कोई योगदान नहीं कर रहा है।

अब मैं कई अन्य प्रावधानों पर आता हूं, जैसे श्रम कानूनों में लचीलापन। भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते के प्रति वचनबद्ध है। कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जैसे, संपूर्ण विश्व में एक अवधारणा है कि श्रमिकों की एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। विश्व के कई भागों में इस मुद्दे पर काफी खून-खराबा हुआ है। यह मई दिवस क्या है? मैं एक भिन्न मामले का उदाहरण दूंगा। यदि एक विशेष आर्थिक जोन में यह पाया जाता है कि कुछ नियोक्ता श्रमिकों से एक दिन में 20 घंटे से अधिक कार्य करने को कहते हैं, तो सरकार इस स्थिति को कैसे नियंत्रित करने का विचार करती है?

कुछ मानवाधिकार भी हैं। विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की बात छोड़िये, विश्व में कोई भी मूलभूत मानवाधिकारों को अस्वीकार नहीं कर सकता है। यह भारत में हुआ है। कुछ नियोक्ताओं के मामले में भी ऐसा हुआ है। यदि हम बंधुआ मजदूरी के मामलों पर विचार करें तो पाएंगे कि नियोक्ता, कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर के तौर पर रख रहे हैं। हमें उन्हें मुक्त कराना होगा। हम 'स्वामी अग्निवेश' के बारे में जानते हैं। भारत में भी प्रसंशनीय कार्य हुआ है और भारत के बाहर भारतीय कामगारों के साथ ऐसा हुआ है। कैसे? उदाहरण के तौर पर, एक विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में कामगारों को एक विशेष स्थान पर एकत्र कर दिया गया तथा बाहर जाने तथा परिवार जनों, मित्रों के साथ बातचीत की अनुमति नहीं दी गई। यह ठीक नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अत्यधिक अविश्वसनीय उदाहरण दे

रहा हूं, तो मैं कहूंगा 'नहीं'। हमने यह स्वयं देखा है कि निवेशक आए हैं। सुरक्षा कर्मियों के स्थान पर कुत्ते-प्रशिक्षित कुत्ते रखे गए हैं। यदि श्रमिक बाहर जाना चाहते हैं तो कुत्ते उन पर अर्थात् मानव पर झपट पड़ेंगे। यह भारत में हो रहा है। यदि श्रमिक भागना चाहे, तो उन्हें वापिस लाने के लिए गुण्डे रखे गए हैं। यदि इन श्रमिक अधिकारों का, आईएलओ समझौते, मानवाधिकारों तथा श्रमिकों के मूलभूत अधिकार, जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं का व्यापक हनन होगा तो क्या होगा?

लचीलापन ठीक है। कई बार, सरकारी नियंत्रण भी होता है। यह हो भी सकता है, लेकिन श्रमिक अधिकारों के हनन के मामले में, मेरा विचार है कि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे तथा मैं समझता हूं कि वे इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार के प्रावधान इसमें मौजूद नहीं होंगे:

खण्ड 50 के अनुसार:

''राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से, डेवलपर तथा इकाइयों के लिए नीतियां अधिसूचित कर सकती है तथा ऐसे कानून बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है जिसके माध्यम से डेवलपर अथवा उद्यमियों को राज्य करों, उद्ग्रहणों तथा शुल्कों से छूट प्रदान कर सकती है ....''

यह ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है:

''यह निदेश देते हुए कि राज्य अधिनियम का कोई भी प्रावधान, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक तथा श्रमिक विवादों, श्रमिकों के कल्याण, जिसमें कार्य परिस्थितियां भी शामिल है, से संबंधित हो ....''

वहां आक्सीजन नहीं है। यदि उसे इस प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करना पड़े जहां कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन हो रहा हो, जो प्रदूषण से भरा हो, जहां वह सांस भी न ले सके। यदि वहां अस्वास्थ्य कर कार्यपरिस्थितियां हों। उसका श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो रहा हो। इसमें भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा, नियोक्ता के दायित्व, मजदूरी का भुगतान, कामगारों के लिए मुआवजा इत्यादि शामिल हैं। यदि कहीं कार्य करते समय किसी की मृत्यु हो जाए। तो क्या नियोक्ता या उसके परिवार के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा?

इसमें यह भी बताया गया है:

''.... अक्षमता, वृद्धावस्था पेंशन तथा मातृत्व लाभ अथवा विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कोई अन्य गतिविधि लागू नहीं होगी...''

यह कैसे हो सकता है? क्या कोई कामकाजी महिला को मातृत्व लाभ से वंचित कर सकता है? मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करूंगा। यह स्वीकार्य नहीं है। विशेष आर्थिक जोन में भी, इन मूलभूत मानवीय अधिकारों अर्थात् मातृत्व लाभ, मुआवजा तथा इन सभी चीजों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारा समर्थन चाहते हैं तो आपको आधारभूत मानवीय अधिकारों से वंचित करने वाले इस भाग को हटाना होगा।

यदि हम खण्ड 49(1) का अवलोकन करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप संक्षेप में उपबंधों पर बोलिए। दस मिनट के स्थान पर आपने 20 मिनट ले लिए हैं। संबंधित मुद्दों पर संक्षेप में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: ठीक है।

सभापति महोदय: मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं परन्तु आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): प्रत्येक प्रस्तावित आर्थिक जोन के लिए एक मिनट का समय दिया जाए।

सभापति महोदय: मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अपनी बात को संक्षेप में रखने की कोशिश करें।

श्री रूपचन्द पाल: मैं यथासंभव संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं।

अब, मैं बहुत ही तर्कसंगत मुद्दा उठाना चाहता हूं।

खण्ड 49 के अनुसार:

'केन्द्र सरकार, अधिसूचना के माध्यम से निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध (धारा 54 से 56 के अलावा) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत अन्य नियम अथवा विनियम अथवा उसके अंतर्गत किसी अधिसूचना अथवा जारी आदेश और निदेश (अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियम अथवा विनियम बनाने संबंधी उपबंधों के अलावा)-

विशेष आर्थिक जोन पर लागू नहीं होंगे ....''

श्री अनिल बसु: इसका मतलब है कि इसमें श्रम कानून भी शामिल हैं।

श्री रूपचन्द पाल: जी हां, इसमें श्रम कानून भी शामिल हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि खण्ड 50, 50(ख) आदि को हटाने की मांग के साथ-साथ, उस भाग को भी हटा दिया जाए जो आधारभूत श्रम कानूनों को प्रभावित कर रहा है। हम आयकर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क संबंधी उपबंधों से सहमत है, परन्तु श्रम संबधी अधिकारों से संबंधित उपबंधों से नहीं। श्रम अधिकार समवर्ती सूची में है। सरकार ने राज्य सरकारों के बारे में भी बताया है। लेकिन मूलभूत श्रम अधिकारों तथा केन्द्रीय श्रम कानूनों या अन्य श्रम कानूनों का क्या होगा? इसलिए यदि सरकार हमारा पूरा समर्थन चाहती है तो मूलभूत श्रम अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संशोधन लाया जाना चाहिए।

अब, मैं खण्ड 3(4) पर आता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि इसका उपबंध यहां क्यों किया गया है। सरकार के लिए मंत्री के लिए इसका कोई अर्थ होगा, लेकिन मुझे हैरानगी है कि इसे क्यों शामिल किया गया है। इसके अनुसार: ''यदि राज्य सरकार विशेष आर्थिक जोन स्थापित करना चाहती है तो, वह क्षेत्र चिन्हित करने के पश्चात्, विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए सीधे तौर पर बोर्ड को प्रस्ताव भेजे ......''

हम इससे सहमत हैं। इसके पश्चात् इसके अनुसार:

''इस शर्त के अधीन कि केन्द्र सरकार, क्षेत्र चिन्हित करने के पश्चात् संबंधित राज्य सरकार अथवा बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार किए बिना विशेष आर्थिक जोन को अपने आप स्थापित कर सकती है तथा अधिसूचित कर सकती है।'' एक संघीय ढांचे में राज्य सरकार का संदर्भ दिये बिना इसे कैसे किया जा सकता है? इसमें एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां एक व्यक्ति आता है, निवेश का प्रस्ताव करता है, मामले को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बीच सरकार बदल जाती है और नयी सरकार आ जाती है। ऐसी स्थिति में संप्रभु केन्द्र सरकार को नये निवेशक की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन इसके लिए कम से कम राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और इस मामले को उसके पास भेजा जाना चाहिए। अत: मेरा तर्क यह है कि राज्य सरकारों की इस तरह उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जमीन राज्य के अंतर्गत आने वाला विषय है। जमीन, पानी वगैरह राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसीलिए बोर्ड में राज्य सरकारों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए? इसलिए वे अकारण ही राज्य सरकारों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? यह सीधी सी बात है। वे यह उल्लेख कर सकते हैं कि वे राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे।

महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक विधायन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं कहता हूं कि विधायन के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है और यह एक प्रायोगिक चरण में है। जब देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकाकार होने के प्रयास में है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा एक बहुत ही सापेक्ष शब्द है। उदाहरण के लिए यदि हम कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं तो हमें मिलजुल कर काम करना होगा, अपनी सारी शक्तियों और संसाधनों को एकजुट करना होगा और केवल उसके बाद आपको पता लगेगा कि सरकारी नियंत्रण के कारण इन कामों में विलम्ब हो रहा है और केवल तभी कुछ लचीले कदम उठाये जा सकते हैं। मैंने अभी-अभी कहा है कि शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख क्षेत्र सभी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और अपने उत्पादों का घरेलू बाजार में विपणन कर रहे हैं।

इसलिए, मैं इस विधेयक का सशर्त समर्थन करता हूं। हम उन लोगों में से हैं जो इस बात की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कार्यपालिका के नियंत्रण की कोई सांविधिक अवसंरचना होगी। हम इस कानून का स्वागत करते हैं लेकिन सरकार को मूलभूत श्रम हितों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के सम्मेलन, मूलभूत मानवाधिकारों, मूलभूत अधिकारों इत्यादि को ध्यान में रखना होगा। मैंने कुछ ऐसे मामलों और उदाहरण का उल्लेख किया है और ये सब हमारे देश में ही घटित हो रहे हैं।

मैंने यह भी कहा है कि चीन की सफलता की कहानी में कई दूसरे कारक भी है जिन्हें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

मैं इस विधेयक के समर्थन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि सरकार अथवा माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा उठाये गये मामलों पर ध्यान देंगे और यह कि वह उन सभी मामलों पर सकारात्मक ढंग से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ताकि हमारे लिये इस विधेयक का समर्थन करना आसान हो जाये।

श्री के.एस. राव (एलुरु): महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री कमलनाथ जी को इस विधयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। हमारे सीपीआई(एम) के एक सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने तो इस विधेयक को विधायन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। यह बात मैंने नहीं अपितु श्री रूपचन्द पाल ने कही है।

लेकिन इस बारे में मेरे विचार भी यही हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इस संप्रग सरकार में हम इस तरह के बहुत से विधेयक ला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो एक विधेयक सूचना अधिकार विधेयक संसद में पेश किया गया था वह भी इसी श्रेणी का विधेयक है। वह एक ऐसा विधेयक था-जिसे पूर्ववर्ती सरकार पांच वर्षों में भी पेश नहीं कर पायी। लेकिन इस सरकार

ने इस विधेयक को आनन-फानन पारित कर दिया क्योंकि देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है।

लेकिन मेरी और श्री रूपचन्द पाल की सोच में थोड़ा अंतर है और वह यह है कि मेरे विचार से विशेष आर्थिक क्षेत्र केवल निर्यात करने के उद्देश्य से नहीं बनाये गये हैं। वस्तुत: हम उस दौर से निकल गये हैं जब देश में चीजों का अभाव हुआ करता था और हमें अनाज तक आयात करना पड़ता था। आज हम केवल अपने देश की जरूरतों के लिए ही अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं। अपितु हमारे पास अनाज का अतिरिक्त स्टाक भी है। यह अतिरिक्त उत्पाद, चाहे कृषि उत्पाद हों या विनिर्मित उत्पाद उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।

यदि हम भूमंडलीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन, पैटेंटिंग व्यवस्था से सहमत नहीं होते तो हमारी स्थिति बहुत भिन्न होगी। लेकिन अब, यह स्वीकार करने के बाद कि जब तक हम निर्यात संवर्धन के इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और यहां तक कि हमारे कृषि उत्पादों सहित दूसरे स्थानीय उत्पादों अथवा विनिर्माणों के भी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए मैं तंबाकू को ही लेता हूं। कल तक आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में, किसान केवल तंबाकू ही पैदा करते थे। आज, तंबाकू का कोई खरीददार नहीं है और किसानों का दीवाला पिट गया है। वे आत्महत्या करने लगे हैं। अब उन्हें दूसरी फसलें उगानी पड़ेंगी। यह तभी संभव है जब उन्हें यह पता चल पाये कि ऐसे कौन से कृषि उत्पाद है जिनको उगाना किफायती है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी मूल्य पर बेचा जा सकता है। ये इन्हीं आर्थिक क्षेत्रों के कारण संभव हो सकता है।

हमारे मित्र, श्री रूपचन्द पाल यह भी कह रहे थे कि भारत जैसे देश को केवल निर्यात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने ही वक्तव्य में कहा है कि चीनवासियों ने .....

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री के.एस. राव: चीनवासियों ने इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की शुरूआत 1980 में की थी। आज उनके यहां निर्यात क्षेत्र का कुल उत्पाद मूल्य सकल निर्यात का 44 प्रतिशत है। एक चीन जैसे देश में यह हो रहा है। जहां तक श्रमिक के हितों को संरक्षण देने का सवाल है, मैं श्री रूपचन्द पाल के विचार से सहमत हूं लेकिन इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में हमें श्रम कानूनों को उसी सीमा का संरक्षण प्रदान करना है जहां तक वे विकास में बाधक नहीं बनते।

लेकिन 1991 में, जब मैं ए आई सी सी शिष्टमंडल के साथ चीन गया था, वहां मजदूरों को ठेके पर रखने का प्रचलन था। शायद यह बात जगजाहिर नहीं हो सकी। इसलिए आंख बंद कर किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हम अपने तक ही सीमित नहीं हैं। यदि कोई उत्पाद हमारे अपने देश में ही बनाया जा रहा है, चाहें चीनी हो या सीमेंट हो, और यदि उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य काफी कम है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे हमारे देश में उप कर दिया जायेगा। इससे हमारे विनिर्माताओं के, हमारे उद्योगों को, हमारे किसानों को संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि उसे एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जहां वह कुछ ऐसे दूसरी वस्तुएं पैदा कर सके जिन्हें वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी मूल्य पर बेच सके।

इसलिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता बनी हुई है। मेरी समझ से आज विश्व भर में 3000 के आस-पास विशेष आर्थिक क्षेत्र है। हमारे देश में इस समय 11 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं और 35 नये विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की अनुमति दी गयी है। हम विश्व जनसंख्या का 16 प्रतिशत हैं। लेकिन जहां तक विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात है हमारे यहां विश्व के एक प्रतिशत भी विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है। स्वाभाविक है हमें इसके लिए और अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने होंगे। ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुकूल उत्पाद तैयार कर सके। मेरी समझ से सरकार को जितने अधिक संभव हो सके निजी क्षेत्र निगमों को बढ़ावा देना चाहिए और यहां तक कि राज्य सरकारों को भी अपने यहां अधिक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने चाहिए। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को जो भी प्रोत्साहन संभव हों दिये जाने चाहिए। इस संदर्भ में, मैं चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्री को आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों, जहां चीनी, कपास, लाल मिर्च, दाल तथा फल और सब्जियों को बहुतायत में पैदावार संभव है, में इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इनका मूल्य संवर्धन करके हम इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते है। ऐसा करके हम किसानों को ऐसे नए उत्पाद पैदा करने के लिए बढ़ावा देंगे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है।

आज इंटरनेट का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अस्तित्व में है। विशेष आर्थिक जोनों को मात्र तटवर्ती या ऐसे स्थानों पर ही सीमित नहीं रखना चाहिए जहां विमानपत्तन हों। विशेष आर्थिक जोनों को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी या फार्मास्यूटिकल जैसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं। इस प्रकार विशेष आर्थिक जोन किसी भी वस्तु से संबंधित हो सकता

[श्री के.एस. राव]

है जिसका उत्पादन उस क्षेत्र विशेष में किफायती हो। उन क्षेत्रों को सभी ध्यान में रखा जाना चाहिए जहां एस.ई.जेड. की स्थापना की जानी हो।

जहां तक विधेयक का संबंध है मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। मैं करों और शुल्कों में छूट, विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन, निर्यातोन्मुखी विकास को बढ़ावा और विशेष आर्थिक जोनों को प्रशासनिक स्वायत्तता जैसे अनेक लाभों और एकल खिड़की अनुमोदन जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, का स्वागत करता हूं। मैंने उपबंध देखा हैं। जब आपने बोर्ड का गठन किया तब समिति के सदस्यों की संख्या नौ थी। अब 11 सदस्य हैं। इन 11 सदस्यों में से 10 अधिकारी हैं। मात्र एक, 'डेवलपर' विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य है। अर्थात् वही लाल-फीताशाही, वही नकारात्मक सोच और वही नौकरशाही ढांचा होगा। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि आप विशेष आर्थिक जोनों के प्रति अधिक उदार हैं? आप विशेषज्ञों, जो ''फ्रीलेंसर्स' हैं तथा जिनका राष्ट्रीय हित के अलावा कोई स्वयं का हित नहीं है, की सेवाएं क्यों नहीं लेते? क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ सही सलाह देंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप के उद्देश्य सफल होंगे। अन्यथा वहीं स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार विशेष आर्थिक जोन में अनुमोदन समिति में आपने नौ सदस्य रखे हैं। इनमें से आठ सरकारी कैसे लेंगे? देश के पिछड़ेपन की वजह क्या है? इसका कारण मात्र लाल-फीताशाही, निर्णय लिए जाने का अभाव और नौकरशाही की नकारात्मक सोच है। आपने अनेक व्यक्तियों का जिक्र किया। विशेष आर्थिक जोन से संबंधित सकारात्मक सोच वाले एक बेहतर अधिकारी जो निष्ठावान हो की पहचान करके आप उसे स्वायत्तता या प्राधिकार दे सकते हैं वह स्वयं ही तत्काल निर्णय ले सकते है। ऐसा करने से आपका प्रयोजन या उद्देश्य सफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए अधिक से अधिक निवेशक आयेंगे। ऐसा करके हम किसानों सहित स्थानीय उत्पादकों की सहायता करेंगे। मैं अपने मित्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे। मुझे पता है कि वे खुले विचारों वाले और प्रगतिशील हैं और वे सफल होना चाहते हैं। विशेषकर, उनकी सफलता ही उनका मानदंड है। यदि ये उनके मानदंड है तो उन्हें विधेयक में किए गए प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा अनुमोदन देने की अवधि का उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ऐसे अधिकारियों के रहते सारी व्यवस्था एक बार फिर ढुल-मुल हो जाएगी। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से मंजूरी या नामंजूरी की अवधि को वे निर्धारित कर सकते थे। परन्तु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि समय सीमा का निर्धारण हो। मैं नहीं चाहता हूं कि इस विधेयक में पुनः किसी भी कारण से विलंब हो। इसे पारित किया जाना चाहिए। यदि आज इसे पारित नहीं किया जा सकता है तो आप शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करें जिससे कि इन खामियों को दूर किया जा सके।

इसी प्रकार मैं बोर्ड द्वारा निलंबन और स्थानांतरण अनुमोदन की चर्चा करना चाहूंगा। बोर्ड द्वारा यूनिट धारक को अनुमोदन दिया जाता है। इस पर सहमति है परन्तु विशेष आर्थिक जोन या बोर्ड के दोषी अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अधिकारी साफ बच सकता है। वह अपने निजी स्वार्थ और अपनी इच्छा अपनी पंसद-नापसंद के अनुसार कोई भी निर्णय ले सकता है। मेरे विचार से दोषी अधिकारी को दी जाने वाली सजा के संबंध में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए।

आपने 'डेवलपर' का जिक्र किया था। परन्तु वास्तव में, मैं इसे समझ नहीं पाया था। आपने यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उसे न्यूनतम कितना निवेश करना होगा न ही, इस बात का कि आपको कैसा 'डेवलपर' चाहिए। चल-अचल संपत्ति से संबंधित व्यवसायी आपके विशेष आर्थिक जोन में निवेश कर सकता है। यदि यह प्रश्न मात्र भूमि के विकास या अवसंरचना स्थापित करने का है, चाहे यह विश्व स्तरीय ही क्यों न हो, तब भी यह 'रियल स्टेट' का ही विकास होगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि निर्यातोन्मुखी कारोबार से कहने वाली सभी इकाइयों के लिए प्रावधान करते समय निवेश की राशि तथा किए जाने वाले कार्यों के लिए 'डेवलपर' हेतु भी कतिपय दिशा-निर्देश तैयार करें।

असी प्रकार मेरे मित्र ने उस क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलने हेतु बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देश के बारे में एक प्रश्न उठाया है। उन्हें किन दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करना होगा? क्या वे हमारे सारे कानूनों का उल्लंघन करेंगे? या वे मात्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ही पालन करेंगे? आप कृपया इस बारे में विशेष प्रावधान करें। आपने कहा कि नियम बनाएं जाएंगे। इस बारे में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाना चाहिए।

अंत में, मैं आपका अधिक समय लेकर आपको निराश नहीं करूंगा। मंत्री भी विधेयक को शीघ्र पारित कराना चाहते हैं। मुझे भी इस विधेयक में रुचि है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

परन्तु, माननीय मंत्री से मेरा केवल यही अनुरोध है कि विधेयक के प्रावधान अधिक से अधिक उद्यमियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में आकर्षित करे क्योंकि आप निगमित क्षेत्र को भी अवसर दे रहे हैं। इनकी आवश्यकता न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने

के लिए है बल्कि स्थानीय लोगों के कौशल, प्रतिभा और संसाधनों-प्राकृतिक एवं मानव संसाधन दोनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु भी किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाए जो यहां उपलब्ध नहीं है और इसकी उन उत्पादों के साथ प्रतिपूर्ति की जाए जिन्हें हम विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से बना रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार-उपस्थित नहीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं शुरू में ही यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वामपंथी दल ऐसे किसी भी आर्थिक उपायों के विरुद्ध नहीं हैं, जिससे तेजी से आर्थिक विकास, पुनर्उत्थान अथवा अग्रिम विकास हो। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम ऐसे किसी भी उचित उपाय के खिलाफ नहीं है जो सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाएगी। परंतु जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया जा रहा है। यह एक अलग मुद्दा है। तेजी से आर्थिक विकास लाने के लिए निवेश की दर, जो आज केवल 24 प्रतिशत है और सरकार के निवेश में वृद्धि किए बिना उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए थे। यह जो अतिरिक्त कदम अथवा दिखावटी कदम उठाया गया है। इससे वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीति पर हमारे गम्भीर मतभेद हैं। मैं यह पूर्णत: स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी मुख्यत: निर्यात पर निर्भर हैं।

भारत में एक बड़ा घरेलू बाजार है जिसका पता नहीं लगाया गया है और सरकार द्वारा अधिक रोजगार सृजन, बेहतर जीवन स्तर बना कर इसको प्रत्येक तक पहुंचाकर बड़े घरेलू बाजार का पता लगाए जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाये।

यदि देश भर में लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि नहीं होती, यदि तीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे जिनके पास दिन-प्रतिदिन के न्यूनतम आवश्यकताओं को खरीदने की शक्ति नहीं है, तो केवल विशेष आर्थिक जोनों अथवा हमारे निर्यात में वृद्धि द्वारा भारत प्रगति नहीं कर सकता। हमारा आपके साथ सरकार के साथ और बजट के साथ यही मूल मतभेद है। इसके अलावा, हमने व्यावहारिक रहना सीख लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें बाधा डालने वाला समझा जाए। हम नहीं चाहते कि श्री कमलनाथ को सार्वजनिक सबसे कहें किये। लोग विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। हम बाधा डालने वाले नहीं हैं। परन्तु हमारे मन में एक गंभीर संदेह हैं। यह संदेह इस तथ्य से उत्पन्न हुआ है कि देश में श्रम कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। श्री कमलनाथ और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि देश में बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। देश में आ रहे तथाकथित नए उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती, भविष्य निधि से वंचित रखा जाता है और कार्य करने के घंटे अनुचित रूप से बढ़ा दिये जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई तंत्र नहीं है जो देश में मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दे।

भारत की राजधानी नई दिल्ली से कुछ मील दूर एक विदेशी कम्पनी है मारूति जहां बिना आरोप-पत्र के लोगों की छंटनी की गई है। आज सुबह मैं मुख्य मंत्री से मिला। हम प्रधानमंत्री से मिले। ऐसा लगता है कि कानून का शासन भारत में विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं होता। कृपया स्वीकार कीजिए कि हमारा सन्देह वास्तविक है। इस देश में विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के आधार पर नहीं चलते। यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति है तो मैं वाणिज्य मंत्री से पूछता हूं कि क्या श्रमिकों के संरक्षण के बारे में संदेह करने में कुछ गलत है? यदि श्रमिकों के साथ न्याय नहीं किया जाता है तो आप अपने देश को बेहतर नहीं बना सकते। आपके आर्थिक कार्यक्रम कितने भी औचित्यपूर्ण क्यों न हों, यदि श्रमिकों के साथ न्याय नहीं किया गया यदि उनको परेशान या उनका शोषण किया गया तो कोई भी कार्यमुक्त सफल नहीं हो सकता, खास कर विशेष आर्थिक जोनों के कार्यक्रमों के सफल होने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है।

अत:, हमें वाकई संदेह हैं। हमें आशंका है और हमारा मानना है कि सरकार हमारी आशंका को सही भावना में ले। निस्सन्देह, मेरे पास संतुष्ट होने का कारण है क्योंकि श्री कमलनाथ और केन्द्र सरकार पृष्ठ 21 में 14वीं पंक्ति से 23वीं पंक्ति को हटाने पर सहमत हो गये थे। वे उन्हें हटाने पर सहमत हैं। हमने लंबी चर्चा की। हमने, उनसे साफ-साफ कहा कि यदि देश के श्रम कानूनों को विशेष आर्थिक जोनों में लागू नहीं किया गया तो, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सुझाव मानने के लिए मैं अपने मित्र श्री कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं। आजकल वे थोड़े नरम दिखते हैं। वे पहले वाले कमलनाथ नहीं दिखते। थोड़ा नरम होना अच्छा है। ...*(व्यवधान)* हम दोनों नरम नहीं है। हम यथार्थवादी हैं। हम नरम नहीं हो सकते। यह थोड़े नरम दिखाई पड़ते हैं यह विशेष सह-संबंधी शक्तियों के कारण हो सकता है क्योंकि हमारी संख्या 61 हैं, क्योंकि हम मिलकर गठबंधन चला रहे हैं, क्योंकि आप हमें दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आप मानते हैं कि हमें एक भूमिका निभानी है। जो भी हो, शत्रु को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं श्री कमलनाथ को शत्रु नहीं कह रहा हूं लेकिन हमारे

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

सुझाव पर उस अंश को निकालने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

इससे हमें थोड़ा और व्यवहारिक होने में सहायता मिलती है। लेकिन ऐसा कहते हुए भी कुछ ऐसी शंकायें है जिनका समाधान माननीय मंत्री महोदय को अपना भाषण देते समय करना चाहिए।

सबसे पहले, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र ने बहुत अधिक बोला। अब वे सभा में नहीं हैं। वे उदारीकरण के पक्ष में बोल रहे थे। उदारीकरण पर उपदेश देने के बाद वे सभा से चले गये। मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि उदारीकरण लाइसेंस नहीं है। हम उदारीकरण को लाइसेंस के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* कई वर्षों पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कई मुद्दों पर गठित कई संसदीय समितियों ने यह वक्तव्य दिया था कि उदारीकरण के दौरान सरकार ने समुचित निगरानी प्रणाली की स्थापना नहीं की थी।

अब, विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। उन पर निगरानी कौन करेगी? विकास करने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मत कहिए कि राज्य सरकारें निगरानी करेंगी। यह आपने बनाया है और यह आपका विधेयक है। विशेष आर्थिक जोनों का सृजन आपने किया है। उनकी निगरानी कौन करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को काम दिया गया है, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उनकी निगरानी कौन करेगा? विदेशियों का स्वागत है। लेकिन विदेशी जिस तरह से इस देश में व्यवहार कर रहे हैं, उससे उनके बारे में शंका उत्पन्न होती है। उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। आप दे रहे हैं। श्री कमलनाथ का मानना है कि रियायत देकर वे निवेश आकर्षित कर सकते हैं। हम बीच में नहीं पड़ते। आखिर में हमें यह देखना होगा कि कितना अतिरिक्त निवेश आया। उन्हें संसद को बताना होगा क्योंकि हम उन्हें हर तरह की रियायत दे रहे हैं। मैं विरोध नहीं करता। भारत के पास धन नहीं है। सरकार का मानना है कि उसके पास आंतरिक संसाधन नहीं हैं। अत: सरकार को विदेशियों की शर्तें मानते हुए उनसे अतिरिक्त धनराशि लेनी होगी। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के आधार पर, दुनिया का कोई भी देश केवल विदेशी पूंजी आमंत्रित कर विकसित नहीं हुआ है। इतिहास में यह कहीं सिद्ध नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)* मेरे मित्र को अपनी जानकारी में आज तक के तथ्यों का समावेश करना चाहिये कि चीन में निवेश की दर 40% के आस-पास है। वे 40% धन का निवेश करने के पश्चात् बाहर से धन आमंत्रित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह 3% हो सकता है परन्तु 40% घरेलू संसाधनों से सृजित है। भारत के बारे में स्थिति क्या है? 24% निवेश एक दशक के दौरान निष्क्रिय है।

हम केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी नहीं ठहराते हैं क्योंकि दस वर्षों से यह सत्ता में नहीं थी। दस वर्षों से निवेश की दर में सुधार नहीं हुआ। इसीलिये, निधियों की कमी विदेशी फर्मों को आकर्षित करके ही पूरी नहीं की जा सकती यह विधान है। यह सारा काम केवल विदेशी धन आकृष्ट करने की दिशा में किया जा रहा है और इसके लिये उदारता से सभी प्रकार की रियायतें दी जा रही है। मैं श्री कमलनाथ को शुभकामनायें देता हूं। परन्तु दिन की समाप्ति पर उन्हें संसद में यह स्पष्ट करना होगा कि किस सीमा तक तंत्र, जिसकी उन्होंने स्थापना की है, से देश को लाभ पहुंचा है। मैं उन्हें शुभकामनायें देता हूं। परन्तु उन्हें ब्यौरा देना होगा। यह विदेशी जोनों में सभी के लिये मुक्त नहीं हो सकता है। विदेशी जोन सभी के लिये मुक्त नहीं हो सकते है। एक पर्याप्त निगरानी प्रणाली होनी चाहिये। परन्तु उनकी निगरानी कौन करेगा? विकास करने वालों को सर्वशक्तिमान बनाया गया है। राज्य सरकारें उनका ध्यान रखने में उनती सक्षम नहीं हैं। इसीलिये, विकास करने वालों की निगरानी कौन करेगा? निगरानी करते हुये क्या यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के आधार पर होगा क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये हमेशा ही कार्यवाही नहीं की? मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूं।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने कार्यवाही की है। कांग्रेस पार्टी से मेरे मित्र यह कह रहे थे कि अधिकारियों को ज्यादा अधिकार मत दो क्योंकि वे धन अर्जित कर सकते है और जिसका तात्पर्य यह है कि यह सभी के लिये मुक्त होना चाहिये, अहस्तक्षेप की नीति, उदारीकृत अराजकता। महोदय, एक राज्य होना चाहिये, एक राज्य तंत्र भी होना चाहिये, एक कानून होना चाहिये और एक सरकार होनी चाहिये; अन्यथा भारत में जो लोग विशेष जोन बनाने के लिए आयेंगे उनकी रुचि केवल श्रम के दोहन, रियायतों का उपभोग करना और इसके जरिये आसानी से धन कमाना होगा। यही पूंजीवाद है। यही विदेशी पूंजी है। यही सारे संसार में हो रहा है इसीलिये, हम केवल श्रम के लिये ही सुरक्षा नहीं चाहते है। हम केवल श्रम के लिये नहीं बोलते है। विश्वास मत कीजिये कि वामपंथी दल केवल श्रम के संबंध में बोल रहे है। हम केवल श्रम के संबंध में नहीं बोलते है। हम राष्ट्रीय हित के संबंध में बोलते है। कौन राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगा? कौन श्रम की रक्षा करेगा? कौन यह देखेगा कि रियायतों, जो कि बड़ी ही उदारतापूर्वक दी गई है, का समुचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं? हम चाहते है कि श्री कमलनाथ हमें एक विशिष्ट उत्तर दे।

श्री कमल नाथ, हम आपको शुभकामनायें देते है परन्तु कृपया सतर्क रहिये। हमारा कार्य आपको यह देखने के लिये सावधान करना है कि आपकी रियायतों का उपयोग किया गया है तथा निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिये और श्रमिकों की स्थिति संबंधी सुरक्षा भी की जानी चाहिये।

हम विधेयक का विरोध नहीं करते है क्योंकि हम यह नहीं चाहते है कि हमें व्यवधानकारी के रूप में समझा जाये। इसके साथ ही हम यह नहीं कहते है कि यह एक उदारीकृत जोन बनने जा रहा है जहां भारतीय कानून प्रचालित नहीं होंगे। हम ऐसा विश्वास नहीं करते है कि सरकार बिना किसी भारतीय कानून के दायरे के अपने जोन को बनाने के लिये विदेशी पूंजी चाहती है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भारत के लिये आत्मघाती होगा। इसीलिये मैं सावधानीपूर्वक, प्रस्तावित विधेयक को सशर्त समर्थन देता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मेरे पास कहने के लिये केवल दो बातें है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन के अतिरिक्त देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आयेगी। मैं आशा करता हूं कि इससे रोजगार का सृजन होगा। मेरी भी चिंतायें है। एक चिंता मेरे अन्य दलों न कि वामपंथी द्वारा व्यक्त की गई है और यह श्रम के संबंध में है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः हम दाहिने ओर नहीं है, हम आपके बाये ओर है।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः यह मेरे दाहिने ओर है।

मैं विशेष आर्थिक जोन क्षेत्रों में श्रम की स्थिति के संबंध में भी अपनी चिंता व्यक्त करता हूं। गुजरात में व्यापक संभावनायें है क्योंकि यहां पर लगभग 1600 किलोमीटर सबसे लम्बा समुद्र तट है। मुझे आशा है कि हर वर्ष घोषित ये विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र राज्य के भीतर राज्य न बनें। हमें यह देखना है कि श्रमिकों को केवल ठेके के आधार पर रोजगार न मिले ताकि उनका कोई शोषण भी न हो तथा इस देश के कानूनों के अनुसार उन्हें मजदूरी मिले और काम के लिये समुचित माहौल हो। हमें यह भी देखना होगा कि सुरक्षित आर्थिक जोमों में आने वाले उद्योगों द्वारा इस देश के नागरिकों और श्रमिकों को संविधान से प्राप्त सभी अधिकार मिलें और उनका अनुपालन हो।

हमने देखा है, विशेषकर गुजरात में कि इस समझदारी की कीमत पर अनेक श्रमिकों को देश के कई अन्य भागों से लाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, वहां पर स्थानीय श्रमिकों में भारी रोष है। इसीलिये, इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिये क्योंकि गुजरात में कुछ क्षेत्र है जहां पर स्थानीय लोगों और ऐसे लोगों, के बीच तनाव है जो इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिये आते है। वास्तव में इससे औद्योगिक क्षेत्र में विरोध उत्पन्न हुआ है। इसीलिये, मैं यह आशा करता हूं कि स्थानीय लोगों को विशेष आर्थिक जोन क्षेत्रों में भर्ती के मामले में वरीयता दी जायेगी परन्तु फिर भी मैं पुरजोर निवेदन करता हूं कि श्रमिकों के हितों और श्रमिकों संबंधी कार्य करने की स्थितियों के संबंध में समझौता न किया जाये और कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

मैं इस मुद्दे के संबंध में एक और सुझाव देना चाहता हूं। कई राज्य-जिसमें मेरा अपना राज्य भी शामिल है-इन विशेष आर्थिक जोन क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर होटल उद्योग, अस्पताल, मनोरंजन पार्क आदि की स्थापना कर रहे है। फिल्म उद्योग भी उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहा है और संपूर्ण सेवा क्षेत्र और अधिक विशिष्ट बनता जा रहा है। कर लाभ केवल वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों को दिया गया है परन्तु इन सभी उद्योगों, जो वहां पर सेवायें प्रदान कर रहे है और ऐसी सेवाओं, जिनका बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, को विशेष आर्थिक जोन में कर लाभ भी मिलना चाहिये। लाभ को केवल वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिये।

मेरी दूसरी बात यह है कि विशेष आर्थिक जोन क्षेत्रों को स्थापित करते समय कुछ नियमों का अनुपालन होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विशेष आर्थिक जोन क्षेत्रों में उद्योग धंधों को आमंत्रित अथवा आकर्षित करने के लिए एक राज्य की प्रतियोगिता दूसरे राज्य से होती है। उदाहरणार्थ, कोई राज्य मुफ्त की जमीन या संपत्ति देता है या फिर संरचना तैयार करता है और कुछ राज्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि उद्योग धंधे एक राज्य से उठकर दूसरे राज्यों में चले जायें। इसीलिए, मैं यह आशा करता हूं कि कानून में कुछ शर्तें निर्धारित की जायेगी और माननीय मंत्री द्वारा प्रत्येक राज्य में जहां पर विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की जानी है में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विधेयक में बराबर अवसर का प्रावधान होना चाहिये जिसका विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। इससे दो राज्यों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकेगा। गुजरात में बहुत ही कम क्षेत्र है और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री स्वयं ही देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में विशेष रुचि लेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसमें विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने की अच्छी क्षमता है।

मुझे आशा है कि इससे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यह रोजगार अवसरों के बिना विकास संभव नहीं होगा। इसे न केवल पूंजीपरक होना चाहिए बल्कि इसके द्वारा राज्य की स्थानीय, गरीब और बेरोजगार जनता के लिये अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राज्यों में धन का सृजन हो और राज्य समृद्ध हों। मुझे इस मुद्दे के संबंध में यही सब कहना है।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): माननीय सभापति जी, आज आपने मुझे विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इस बिल के दो-तीन बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री आलोक कुमार मेहता]

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाके, पिछड़े हुए लोगों और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए इलाके एवं लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए बातें चल रही हैं या फिर जो बहुत ही इकोनोमिकली, इंडस्ट्रियली अगली पंक्ति में खड़े जोन एवं इलाके हैं, उनके लिए चल रही है। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक वेलफेयर पैकेज की तरह इसे होना चाहिए। देश के जो राज्य आर्थिक रूप से या औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, वैसे इलाकों में ऐसे प्राधिकरण और जोन बनाए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार, उड़ीसा और नार्थ-ईस्ट जैसे पिछड़े राज्यों की तरफ दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पिछले कुछ वर्षों में बनीं कि उन राज्यों के हक एवं हिस्सों को पूरी तरह वहां पहुंचने नहीं दिया गया और विभिन्न विधियों से रोकने का काम किया। बिहार राज्य का बंटवारा हुआ, उसके बाद अधिकांश उद्योग, बंटवारे में झारखंड राज्य में चले गए और वहां वेट जैसी स्थिति बनी हुई है।

दूसरी तरफ जहां कृषि है, वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से कृषि उत्पादन भी धीरे-धीरे घटता जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के विशेष आर्थिक जोन को वैसी जगह पर बनाये जाने की आवश्यकता है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। अभी माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी ने एक बात कही कि गुजरात में बहुत सी जगहों से लेबरर्स लोग आते हैं, जिससे वहां कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वैसे राज्य हैं, जो इकोनोमिकली बहुत बैकवर्ड रहे हैं, वैसे राज्य, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के संसाधन नहीं हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और लम्बे समय से पिछड़े राज्यों को पिछड़ा छोड़ देने की साजिश चल रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि बिहार और बिहार जैसे राज्यों को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं उनकी बात को थोड़ा ठीक करना चाहता हूं। मैंने जो कुछ कहा, उसका अर्थ यह है कि इससे तनाव पैदा होगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य में न आएं। उन्हें इस बारे में यह गलतफहमी दूर करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति बहुत सारे राज्यों में है। बहुत बड़ी संख्या में बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहां हाथ को काम चाहिए और काम वहां मिलता नहीं है। वहां उद्योगों की कमी है, वहां उद्योग समाप्त हैं, एक भी पब्लिक सैक्टर यूनिट बिहार में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की योजनाओं को डैवलपर्स के भरोसे आप छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से डैवलपर्स बड़े-बड़े सिटीज में पड़े हुए हैं, कामर्शियल कैपीटल मुम्बई में पड़े हुए हैं और दिल्ली जैसे शहरों में पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि वहां के आर्थिक विकास के लिए ऐसे आर्थिक जोन बनाए जाने की जरूरत है और विशेष सहायता पहुंचाए जाने की जरूरत है।

टैक्स होलीडेज और डिफरेंट टाइप आफ टैक्स होलीडेज, जो सरकार के द्वारा दिये जाते हैं, यह कोई बिजनेस डेवलपमेंट मात्र के लिए और किसी प्रोफिट ओरिएण्टिड इण्डस्ट्री को और प्रोफिटेबल होने के लिए नहीं दिये जाने चाहिए, यह वैसी इण्डस्ट्री को दिये जाने चाहिए, जहां पर नैचुरल रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं, लेकिन इकोनोमिक वायबिलिटी उन्हें नहीं मिल पाती। उसकी इकोनोमिक वायबिलिटी को पूरा करने के लिए और आर्थिक उत्थान के लिए, उस इलाके से लेकर वहां के मजदूरों और किसानों के उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल हो, अल्टीमेट इफैक्ट उन लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़े, उनके अपलिफ्टमेंट पर पड़े, इसके लिए इस तरह के जोन का इस्तेमाल होना चाहिए। इनके स्थापना की प्रक्रिया स्वाभाविक बनाई जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से चन्द शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि एग्रो एक्सपोर्ट जोन खुले, ये पूरे देश में चारों ओर खुले, लेकिन बिहार उससे अछूता रह गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार कृषि उत्पादन में किसी राज्य से पीछे रह सकता है, यदि उसे थोड़ी सहायता मिले। एक्सपोर्ट की जब बात आती है, आलू की इतनी बड़ी मात्रा वहां उत्पादित होती है कि खेत में आलू सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलता। यदि एग्रो एक्सपोर्ट जोन वहां खुल गया होता या वहां पर उसका इफेक्टिव कार्यक्षेत्र बनाया गया होता तो मैं नहीं समझता कि बिहार इतना पिछड़ा आज होता।

देश में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क खोले गये, पूरे भारत में 6-6, 8-8 स्टेट्स में खोले गये, उनके बारे में राजनैतिक निर्णय लिया गया। वे ऐसी जगह पर खोले गये, मैं फिर उसके बारे में बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 15 प्रतिशत से ज्यादा साफ्टवेयर इंजीनियर्स बिहार से आते हैं और डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट साफ्टवेयर कम्पनीज में और जहां भी साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क खुले हैं, वहां पर काम करते हैं, लेकिन बिहार में एक भी साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क और प्राइवेट टेक्नोलोजी पार्क नहीं खुला। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आज मौका है और

जितने भी होलीडेज की बात होती है, उन लोगों को होलीडे देने की जरूरत मैं नहीं समझता, जिन लोगों ने पहले भी बहुत होलीडेज पा लिए हैं, इसलिए अब बिहार की बारी है, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की बारी है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हमें आशा है कि यह विधेयक देश के विभिन्न राज्यों में आर्थिक बराबरी लाने में मास्टर प्लान की तरफ सिद्ध होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं इस विधेयक का कई कारणों से स्वागत करता हूं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि यह विधेयक अत्यधिक व्यापक स्वरूप का है। इसमें वे सभी पद्धतियां शामिल हैं जो विशेष आर्थिक जोन को स्थापित करने के लिए एक इकाई शुरू करने से उसके प्रचालन, रखरखाव तथा विशेष आर्थिक जोनों के अंतर्गत इकाइयों की निगरानी करने हेतु आवश्यक होती हैं।

माननीय सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त यह प्रश्न पूछ रहे थे कि विशेष आर्थिक जोन की निगरानी हेतु तंत्र कहां है। मैं उनका ध्यान अध्याय 7, खंड 34 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण के कार्यों के बारे में उल्लेख है। खंड 34, उपखंड (ग) में यह प्रावधान है कि यह प्राधिकरण विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण और निष्पादन की पुनरीक्षा मौके पर ही करेगा। मेरा मानना है कि यह प्राधिकरण एक निगरानी तन्त्र के रूप में कार्य करेगा और इसलिए, विधेयक में उसका भी प्रावधान है।

इस विधेयक का अति महत्वपूर्ण स्वागतयोग्य पहलू यह है कि यह देश में निर्यात को बढ़ाने में सहायक है। हम जानते हैं कि निर्यात वृद्धि के वाहक होते हैं। आजकल हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनमें इस तरह की स्थिति है कि कभी हम निर्यात कर रहे होते हैं तो कभी भूखों मरते हैं। हमने वैश्विक व्यवस्था को जाने-अनजाने स्वीकार कर लिया है, इसी में हमें प्रतिस्पर्द्धात्मक होना पड़ेगा। प्रतिस्पर्द्धात्मक होने का उत्तम तरीका यह है कि विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, मूलभूत ढांचा तैयार किया जाए, उन उद्योगों के विकास हेतु सभी तरह के प्रोत्साहन दिए जाएं जो विदेशी मुद्रा कमाने में योगदान दे सकें।

हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, आज हमारी जो वृद्धि दर है, वह 20 प्रतिशत या 22 प्रतिशत तक भी नहीं है। यदि आपको सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करनी है, तो हमें 24 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचना होगा। लेकिन, 75 बिलियन डालर के कुल निर्यात के साथ वर्तमान दर केवल 16 प्रतिशत ही है। हमें सीमित समयावधि के अन्दर ही इस दर को दुगना करना होगा। यदि हमें इसे प्राप्त करना है तो हमें निर्यात में वृद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा और इसका विशेष ख्याल रखना होगा तथा इस विधेयक में इसका ख्याल रखा जायेगा और निर्यात वृद्धि में निरंतर भारी बढ़ोत्तरी होगी।

इस विधेयक का तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि इससे विदेशी निवेशकों की बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन, एक प्रतिस्पर्द्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में हमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अन्त: प्रवाह का भी प्रावधान करना होगा। आपके सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि विश्व के किसी भी देश ने विदेशी पूंजी, विदेशी सहायता या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बिना विकास नहीं किया है। इस विधेयक में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि हम विकासशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था हेतु एक माहौल बना रहे हैं।

चीन इसका अच्छा उदाहरण है जो अपने विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से विकसित हुआ है। दी गई विभिन्न सुविधाओं से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट किया है तथा उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बहुत से प्रयास किये हैं। इसलिए, हमें इस तरह की कोई अनावश्यक आशंका करने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किस प्रकार हो रहा है, बशर्ते कि हम श्रमिकों के पक्ष का समर्थन कर सकें। यह सत्य है कि हमने अपने देश में श्रम कानूनों में सुधार नहीं किये हैं। यदि विशेष आर्थिक जोन विधेयक का श्रम सुधारों से तालमेल हुआ है, तो यह देश के लिए भी शुभ संकेत होगा। हम यह तो मानते हैं, लेकिन विशेष आर्थिक जोन इस वृद्धि के लिए भी मौका प्रदान करेंगे।

यह विधेयक उन आर्थिक सुधारों के अनुरूप है जिन्हें हमने देश में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के संदर्भ में शुरू किया है। यह भी मानना होगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के भी अनुरूप है। मैं विधेयक और इसके गुणों के बारे में काफी चर्चा कर सकता हूं। इसी के साथ, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस विधेयक की कुछ कमियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ताकि वह उचित समय पर उन कमियों को दूर कर सकेंगे।

पहली कमी यह है कि देश में बड़ी संख्या में निर्यातोन्मुखी इकाइयां काम कर रही हैं। क्या हम विशेष आर्थिक जोनों में इन निर्यातोन्मुखी इकाइयों को शामिल कर रहे हैं या क्या हम उन्हें इन विशेष आर्थिक जोनों से अलग स्वत: ही स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहते हैं।

इसके अनुमोदन हेतु बोर्ड में 19 सदस्य हैं।

सभापति महोदय: प्रो. रामदास, कृपया कुछ समय के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइये।

क्या मुझे इस मुद्दे के पूरा होने तक चर्चा जारी रखने के लिए सभा अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्यः चर्चा जारी रखी जाये।

सभापति महोदयः मैं समझता हूं कि सभा की इच्छा है कि इस चर्चा को जारी रखा जाये।

सायं 6.00 बजे

कृपया इसे जारी रखें। हमारे पास चर्चा के लिए केवल दो संसद सदस्य हैं, फिर मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः उनके बाद चर्चा हेतु केवल एक सदस्य और बचेगा तथा तत्पश्चात् मंत्री जी उत्तर देंगे। इस कार्य को आज पूरा कर लिया जाए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री दासगुप्त, मैंने आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक समय दे दिया ताकि आप इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने दें।

श्री गुरूदास दासगुप्तः जब माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, तब क्या आपने घड़ी की ओर देखा है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इसी कारण से मैंने यह कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, इस बिल का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदयः आप सबकी इजाजत से पहले ही समय बढ़ा दिया गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। आप अगले वक्ता होंगे।

प्रो. एम. रामदासः समिति के संविधान में कहा गया है कि अनुमोदन के लिए बोर्ड में 19 सदस्य होंगे, जिनमें से 18 सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और राज्य सरकार का केवल एक नामिती है।

इस विधेयक की दूसरी कमी यह है कि इसमें राज्य सरकारों की भूमिका की उपेक्षा की गई है। महोदय, आप जानते हैं कि उद्योगों और विशेषज्ञों के विकास में राज्य सरकारों की एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। लेकिन विधेयक में केवल एक प्रावधान है जिसके माध्यम से राज्य सरकार को रियायत देने की शक्ति प्राप्त होगी। इसमें न कुछ अधिक है न कुछ कम है। अनुमोदन हेतु बोर्ड में उनका केवल एक प्रतिनिधि है। इसलिए, इसे बदले जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकारों की सहायता तथा सहयोग के बिना इस देश के आर्थिक विकास में अधिक बदलाव लाना संभव नहीं है।

अब, इस विधेयक में परिकल्पित उदार नीति के साथ भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सरकार का काफी नियंत्रण होगा।

सभापति महोदयः प्रो. रामदास, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

प्रो. एम. रामदासः जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि विदेशी बैंकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करना चाहिए और मन में ऐसा संदेह है कि औद्योगिक रूप से देश मानित विदेशी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विभक्त हो जाएगा। विशेष आर्थिक जोन मानित विदेशी क्षेत्र बन जाएंगे तथा अन्य क्षेत्र घरेलू क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे।

अब यदि आप कानूनी समानता के संदर्भ में बात करते हैं तो हम कुछ उद्योगों को विशेष रियायत देते हैं तथा अन्य उद्योगों को क्यों नहीं? विशेष आर्थिक जोन की स्थापना को स्वीकृति देने के पश्चात्, मैं सरकार से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वह मानित विदेशी क्षेत्र के बाहर वाले उद्योगों को वही महत्व, वही प्रोत्साहन दे तथा उसी प्रकार नेतृत्व करे।

एक और क्षेत्र भी है। विशेष आर्थिक जोन के बनने के परिणामस्वरूप समृद्धशाली राज्य और अधिक समृद्ध हो जाएंगे तथा खस्ता हाल राज्यों को इसका अधिक लाभ नहीं होगा। इसलिए, हमें गरीब राज्यों में भी विशेष आर्थिक जोन के लिए विशेष पैकेज देने के बारे में भी विचार करना चाहिए। विशेष आर्थिक जोन केवल तब सफल साबित होंगे यदि हम बड़े पैमाने के उत्पादन की अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे तथा बड़ी अर्थव्यवस्था केवल तब ही बन पाएगी यदि हम इकाइयों का आकार बढ़ा पाएं तथा बड़ी अवसंरचना सृजित कर पाएं।

एक पूर्व-शर्त यह भी है कि कौशल विकास के बिना विशेष आर्थिक जोनों में विशेष इकाइयों सफल सिद्ध नहीं होगी।

इन थोड़ी सी आशंकाओं के साथ ही मैं इस विधेयक में अवगुणों की अपेक्षा गुण अधिक पाता हूं। इसलिए, मैं इस अपने दल पट्टली मक्कल कात्ची की ओर से इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अप्रैल, 2000 में केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन स्कीम बनाने की घोषणा की थी। उसमें 11 जोन बनाना तय किया गया था जिसमें से 7 जोन केन्द्र सरकार द्वारा बनाने थे और 7 जोन प्राइवेट और राज्य सरकार द्वारा स्थापित करने थे। 33 नए जोन बनाने का संकल्प भी सरकार ने किया है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक जोन विधेयक लाया गया है। लेकिन अभी हम जो निर्यात करते हैं, पंढरपुर क्षेत्र में अनार की पैदाइश बहुत अच्छी होती है।

मेरे कहने का मतलब है कि किसान जो उत्पादन करते हैं, उसका फायदा उन्हें जरूर मिलना चाहिए। इस तरह की नीति आने की आवश्यकता है। इंडोनेशिया ने स्किल ट्रेनिंग सैंटर बनाकर काफी लोगों को ट्रेंड किया है। भारत में भी इसी तरह की स्कीम बनाकर लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ हमें कामगारों के हकों का ध्यान भी इस बिल में रखना चाहिए। एस.सी. और एस.टी. के रिजर्वेशन के बारे में इस बिल में कुछ नहीं है। उस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो आर्थिक नीति, निर्यात की नीति है, उसको मजबूत करने के लिए इस बिल का उपयोग हो। एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2000 में 33 नए जोन बनाये गये थे लेकिन उनका इम्प्लीमैंट करने का मौका हमें मिल रहा है इसलिए यह काम हमें करना है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि कामगारों के हकों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, मैं विशेष आर्थिक जोन विधेयक पर चर्चा करने हेतु माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मेरे मित्र श्री रूपचंद पाल ने कहा, यह एक पथ प्रदर्शक विधान होगा।

महोदय, सं.प्र.ग. सरकार ने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए है। सं.प्र.ग. सरकार को न केवल समाज के एक वर्ग से बल्कि समाज के सभी वर्गों से जनादेश प्राप्त हुआ है। सं.प्र.ग. सरकार के सबसे प्रमुख उद्देश्यों में से-मेरा विचार है कि यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है-एक उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार ही नहीं बल्कि रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने की चुनौती हैं। आज, कृषि क्षेत्र में 600 मिलियन लोग कार्यरत हैं। एक अथवा डेढ़ हैक्टेयर जोत योग्य भूमि के साथ ही हमारी कृषि व्यापार आधारित नहीं है। तथा जैसा कि ठीक ही बताया गया है कि हमारी कृषि की तुलना, पश्चिम देशों से नहीं की जा सकती है। 600 मिलियन लोगों की कृषि आबादी के साथ इसमें रोजगार सृजन के अवसर कहां हैं? केवल इसी सरकार के लिए ही नहीं बल्कि भारत को सभी सरकारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। यह अब भी एक बड़ी चुनौती है तथा रहेगी।

विशेष आर्थिक जोन विधेयक पर काफी समय से विचार, प्रतिपादन किया जा रहा है। आ.जो. विधेयक किस प्रकार का होना चाहिए। यह वि.आ.जो. विधेयक क्या है? यह किस प्रकार निवेश ही नहीं बल्कि रोजगार पैदा करेगा? सभा में बैठ कर जब हम निर्यात की बात करते है, यहां हमारे सभी मित्र जानते हैं कि 14 वर्ष पूर्व विदेशी मुद्रा के कारण हमने निर्यात की बात की थी। 1991 में हमने निर्यात के बारे में इसलिए बात की थी ताकि तब विदेशी मुद्रा बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। जब हमारे पास 15 दिनों से अधिक समय से विदेशी मुद्रा नहीं थी। 14 वर्षों की इस अवधि में अब हम विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए अब निर्यात की बात नहीं करते हैं। सं.प्र.ग. सरकार द्वारा घोषित विदेश व्यापार नीति-जिसकी घोषणा मैंने की थी-मेरा केवल एक ही इरादा था। हमने अपना ध्यान केवल इस तरफ ही रखा कि रोजगार का किस प्रकार सृजन किया जाए। सदस्यगणों को यह जानकर खुशी होगी कि निर्यात द्वारा सृजन की जाने वाली नौकरियों की संख्या का पता लगाने के लिए हमने आर आई एस द्वारा एक अध्ययन शुरू कराया है। आज वर्ष 2004-05 में 80 बिलियन डालर के निर्यात के माध्यम से रोजगार सृजित किया है। यह अस्सी बिलियन डालर उन वाणिज्यिक निर्यात को दर्शाते हैं जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। वे चरणबद्ध रूप में होने वाली आर्थिक गतिविधि है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः लेकिन, निःसंदेह यहां एक विवाद है।

श्री कमलनाथः गुरूदास जी, मैं निर्यात द्वारा रोजगार सृजन पर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में आपसे विचार-विमर्श करके मुझे हर्ष होगा।

[श्री कमलनाथ]

वास्तव में, आज निर्यात सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सच्चाई है, इसलिए लगभग एक वर्ष पूर्व जब हम सरकार में आए थे तो वि.आ.जो. विधेयक तैयार करते समय मैंने सुझाव आमंत्रित किए थे। मैंने सोचा कि इस प्रकार का विधान क्यों लाया जाए जो कार्यान्वित न हो, ऐसा विधान क्यों लाया जाए जो अपने उद्देश्यों को पूरा न कर पाए। प्रारूप विधेयक को सुझाव हेतु नेट पर रखा गया था। सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा मुझे लगभग 140 सुझाव प्राप्त हुए। मैंने वि.आ.जो. विधेयक को तैयार करने हेतु आवश्यक घटकों की जानकारी के लिए बैठकें आयोजित की जिससे इस विधेयक के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तथा सं.प्र.ग. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाए। इसलिए, इसके प्रारूपण में इतना अधिक समय लगा। लोग निवेश के अवसरों की तलाश में थे। संपूर्ण विश्व में विशेष आर्थिक जोन हैं। आज भारत ही केवल एक ऐसा देश नहीं है जिसमें वि.आ.जो. है। चीन के वि.आ.जो. की भी चर्चा हुई थी। महोदय हम चीन द्वारा अपनाए गए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। चीन एक बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन तथा भारत में अंतर यह है कि चीन में, वे जिस वस्तु का उत्पादन करते है उसे बेचते हैं तथा भारत में हम जिस चीज को बेच सकते हैं उसका उत्पादन करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था होने के नाते हम चीनी पद्धति के आधार पर वि.आ.जो. विधेयक नहीं ला सकते हैं। दूसरी तरफ, अन्य देशों में भी वि.आ.जो. बनाए गए हैं। इसलिए, यदि वि.आ.जो. विधेयक का प्रारूप अथवा विधायी ढांचें आकर्षक नहीं होगा तो विदेशी निवेश भारत में नहीं आएगा। वे उन देशों में जाएंगे जहां अधिक आकर्षक वि.आ.जो. आधार होगा। यह वास्तव में केवल विदेशी निवेश के लिए ही ढांचा अथवा आधार तैयार नहीं करेगा-वे केवल इसका एक भाग ही है-परन्तु घरेलू निवेश के लिए भी ढांचा अथवा आधार तैयार करेगा। घरेलू निवेशक भी हैं, जो निवेश के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। जैसाकि मैंने बताया कि ऐसे अनेक प्रस्ताव है जिन्हें अनुमोदित किया जा चुका है। ऐसे लगभग 34 प्रस्ताव है जिन्हें अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया सका है। ऐसा इसलिए कि लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि भारत में विशेष आर्थिक जोन भारत की संसद द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित किया जाए। इसके पश्चात् ही उनमें आत्म विश्वास आता है और निवेश करने का उनमें विश्वास जागृत होता है। यदि आज विदेशी निवेश किया जा रहा है तो यह मात्र हमारी विशाल आबादी के कारण नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले और भी देश हैं। निवेशक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि संसद द्वारा पारित विधान की विश्वसनीयता है। यह हमारे हक में जाने वाला सबसे मजबूत पक्षों में से एक है। पिछले एक वर्ष के दौरान मुझे निवेशकों और निर्यातकों के साथ मिलने का अवसर मिलेगा। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व को भारत पर विश्वास है। चूंकि उन्हें भारत पर विश्वास है इसलिए वे यहां निवेश करने को इच्छुक हैं। वे हमसे आर्थिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। लोग भारत से तभी आयात करेंगे यदि वे भारत को एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्त्ता के रूप में देखेंगे तथा उन्हें यहां की विधि, संस्थाओं तथा अर्थव्यवस्था में भरोसा हो।

चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में उल्लेख किया गया था। चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यत: निर्यातोन्मुखी है। हमारे संबंध में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में व्यापक घरेलू संघटक भी है। ऐसा है हमारे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वरूप। इसलिए हमें एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जो विशेष रूप से भारत से संबंधित हो। इस विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित किए जाने के साथ-साथ अन्य देशों के विशेष आर्थिक जोनों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। थाइलैंड, फिलीपीन्स और बंगलादेश में भी विशेष आर्थिक जोन हैं।

उनके अलग कानून हैं। हमारे यहां कोई विदेशी निवेशक क्यों आयेगा यदि हमारे विशेष आर्थिक जोन आकर्षक न हों? वर्तमान में हम अपने उद्यमियों की क्षमता अपने बौद्धिक और तकनीकी संभावनाओं से वंचित क्यों रहें? हमने यही मार्ग अपनाया है, अर्थात् निवेश बढ़ाने के लिए ही यह विशेष आर्थिक जोन विधेयक पेश किया गया है।

कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। मैं सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का गहन अध्ययन किया। श्री रूपचंद पाल जिन्होंने यहां से बर्हिगमन किया है, ने प्रस्ताव को अधूरा बताया था।

सभापति महोदय: उन्होंने बर्हिगमन नहीं किया है।

श्री कमलनाथ: ठीक है। वे बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि एक निर्यातोन्मुखी इकाई ने एक बार भी निर्यात नहीं किया है। हो सकता है कि उल्लंघन किया गया हो। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में सरकार कार्यवाही करेगी। कुछ एक उल्लंघन के मामलों से सारा विधान निष्प्रभावी नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति जारी नहीं रह सकती है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मूल मुद्दा यही है। उल्लंघन की स्थिति में सरकार कार्यवाही करेगी या नहीं?

श्री कमलनाथ: श्री गुरूदास जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने नरम रूख अपनाया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है।

यह कहा गया था कि विशेष आर्थिक जोनों को निर्यातोन्मुखी होना चाहिए। ऐसा ही है तथा ऐसा ही रहेगा। विशेष आर्थिक जोन को वर्तमान इकाइयों में से 97 प्रतिशत निर्यात करती हैं, मात्र 3 प्रतिशत घरेलू बाजार में आता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समस्त उत्पादन घरेलू बाजार में ही जा रही है। अधिकतर इकाइयां निर्यात कर रही हैं।

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल अब सभा में आ गए हैं।

श्री कमलनाथ: जब श्री रूपचंद पाल बाहर चले गए थे तो मैंने कहा था कि वे बर्हिगमन कर गए हैं। मैंने गलत कहा था वह बाहर गये थे।

श्री रूपचन्द पाल: मैं फिर वापस आ गया हूं।

श्री कमलनाथ: माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं में से एक श्रम कानूनों संबंधी चिन्ता थी। वामपंथी दलों के विभिन्न सदस्यों के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने धारा 50 के दुरूपयोग की संभावना की आशंका व्यक्त की थी। मैंने संशोधन स्वीकार कर लिया है और मैं सही समय पर अर्थात् जब मैं धारा 50(ख) पर आऊंगा इसे पेश करूंगा। परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने यह कहा था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इस सभा में और सत्ता में मात्र किसी एक वर्ग के समर्थन से नहीं आया है। जब श्री रूपचंद पाल और मेरे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त श्रम संबंधी प्रश्न करते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस दल के इतने सदस्य जो चुने गए हैं वह श्रमिक वर्ग के समर्थन के कारण चुने गए है। इसलिए कृपया इसका विरोध करने का प्रयास न करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हमें संसदीय भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए और इस विधेयक तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री कमलनाथ: मैं श्री रूपचन्द पाल की बात का उत्तर दे रहा था।

श्री गुरूदास दासगुप्त: ठीक है। किन्तु आप यह सिद्ध करना चाहते है कि आप कितने शक्तिशाली है। मैंने आपको नरम दिल कहा वह ठीक नहीं था। आप ऐसे नहीं हैं। कृपया शब्दाडम्बर में मत जाइये। हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिये।

श्री कमलनाथ: मैं श्री रूपचन्द पाल के प्रश्न का उत्तर दे रहा था।

सभापति महोदय: श्री गुरूदास जी आपने अपनी बात कह दी अब उन्हें भाषण पूरा करने दें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मुझे पता है कांग्रेस कैसे अस्तित्व में आई। हमें इस बारे में भाषण नहीं देना चाहिए। हमें अपने बारे में पता है। हम इस बात को नहीं मानते कि किसी को किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का एकाधिकार है। हमें इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें विधेयक पर ही चर्चा सीमित रखनी चाहिए। अन्य मुद्दों पर चर्चा करने से क्या फायदा होगा?

श्री कमलनाथ: मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: परन्तु कृपया ऐसा मत कहिए।

श्री कमलनाथ: श्री रूपचंद पाल ने जो एक आशंका व्यक्त की थी वह श्रम कानूनों के हनन के संबंध में थी। यह कहा गया है कि उनके मौलिक अधिकार, मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकारों तक का भी हनन होता है। मैं श्री रूपचंद पाल को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विशेष आर्थिक जोन विधेयक ऐसे किसी अधिकार का न तो हनन करता है और न ही उनका हनन होने देगा। श्रमिकों के अधिकारों को हम सर्वोच्च मानते हैं। उन्हें बनाए रखा जाएगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या अनुल्लंघनीय नहीं हैं।

श्री कमलनाथ: मैंने कहा है कि वे सर्वोच्च हैं। आप अनुल्लंघनीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों द्वारा खंड 43 के बारे में एक और बात उठाई जा रही है। यह विशेष आर्थिक जोन किस प्रकार कार्य करते हैं, हमें यह देखना चाहिए। अब मैं सोचता हूं कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका सबसे अधिक उत्तरदायित्व और सबसे अधिक योगदान राज्य सरकारों का होगा। जहां कहीं केन्द्र सरकार के विषय में बात की जा रही है, वहां इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि राज्य सरकारों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी कुछ कर सकती है। आज, यदि किसी विशेष आर्थिक जोन को स्थापित करना है तो वह किसी राज्य में ही स्थापित हो सकता है। कर, बिक्री, चुंगी, भूमि, नगरपालिका पंचायत आदि जैसे सभी विषय राज्य सरकारों से संबंधित है। अतः, ऐसी कोई मंशा नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): फिर हमारे सुझाव को स्वीकार करने में क्या परेशानी है?

श्री कमलनाथ: खंड 34 का प्रयोजन किसी राज्य विशेष पर ध्यान देना अथवा किसी नए सिद्धांत को लागू करना नहीं है। यह खंड पिछले काफी वर्षों से अस्तित्व में है और मैं आपको आश्वासन

[श्री कमलनाथ]

देना चाहता हूं कि इस समय किसी नए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की योजना तक नहीं है और यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा। उनसे न केवल सदैव परामर्श किया जाएगा, अपितु उनसे परामर्श करना अनिवार्य होगा। आप भूमि कैसे प्राप्त करेंगे? खंड 13 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार के दो सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य सरकार किस प्रकार बिक्री कर में छूट प्रदान करेगी? राज्य सरकार किस प्रकार चुंगी में छूट प्रदान करेगी? नगरपालिका और पंचायत किस प्रकार कार्य करेंगी? इन सबमें राज्य सरकारों की भूमिका होगी। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के सक्रिय समर्थन अथवा सहयोग के बिना विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करना संभव नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल: मैं नहीं जानता कि प्रारूप में कोई कमी है अथवा नहीं परन्तु इसमें कहा गया है कि ''बशर्ते कि केन्द्र सरकार स्वत: ही क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात् प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकार को संदर्भित किए बिना किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना और उसकी अधिसूचना कर सकती है'' मंत्री महोदय जो अब कह रहे हैं और प्रारूप में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें परस्पर विरोध है।

श्री कमलनाथ: मैं जो स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि हालांकि यह लिखा हुआ है, यह अंतर्विष्ट प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार है, परन्तु इसे इसके उद्देश्यों, इसके उपयोग और व्यवहार्यता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। क्या यह संभव है? क्या आप मुझे इसका केवल एक उदाहरण दे सकते है, अथवा ऐसे किसी काल्पनिक परिदृश्य का वर्णन कर सकते है जिसमें ऐसा होना संभव हो? अत: मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हालांकि यह खण्ड इसमें है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आप इसे हटा क्यों नहीं सकते हैं?

श्री कमलनाथ: मैंने पर्याप्त रूप से आपको आश्वस्त किया है कि राज्य सरकारों से इस संबंध में आवश्यक रूप से परामर्श किया जाएगा।

जहां तक श्री दासगुप्त जी का संबंध है, उनका समर्थन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और इस बात से और अधिक प्रसन्न हूं कि वे इसे आर्थिक विकास के एक उपाय के रूप में देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि कानून का शासन के संबंध में कुछ आपत्तियां होंगी। उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि कानून का शासन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होता। मेरा मानना है कि विदेश मंत्रालय अनुमोदन का सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि भारत में व्यवसाय करने वाला कोई भी देश राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य करे।

यदि ऐसे कुछ मामले होते है तो वे कानून का अत्यधिक उल्लंघन करेंगे। यह कानून का छोटा-मोटा उल्लंघन नहीं होगा अपितु निश्चित रूप से यह कानून का उल्लंघन होगा। अत: यह आशंका कि इसमें सोच समझकर अथवा भूल से कानून के शासन का उल्लंघन हो सकता है, यह बात लागू नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि यह बात वैध है क्योंकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे देश में कानून का शासन इस देश में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक बहुत सतर्क संसद है। मेरा मानना है कि यह बात सारा विश्व मानता है कि इस देश में होने वाले सभी विदेशी निवेश के साथ एक राष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करने में संसद की सतर्कता ने भी एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है।

श्रम कानूनों के संबंध में मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं नरम हो गया हूं या वह नरम पड़ गए हैं। मेरा मानना है कि विचारों में समानता स्थापित हो रही है। कुछ बातों पर वे नरम और व्यवहारिक हो गए होंगे, कुछ विषयों पर हम भी नरम और व्यवहारिक हो गए हैं। अत:, कम से कम हम एक वैचारिक एकता की ओर बढ़ रहे है जो कि मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: नरमी, वैचारिक एकता का आधार नहीं है। राजनैतिक आवश्यकता और विवशता वैचारिक एकता के आधार हैं।

श्री कमलनाथ: यदि आप इस प्रकार को राजनैतिक वाकपटुता में बात करेंगे तो मुझे भी इसी भाषा में बात करनी होगी। आपने कहा है कि हमें राजनैतिक वाकपटुता से बचना चाहिए। मैं भी इस राजनैतिक वाकपटुता की बात कर सकता हूं। मैं यह कहता हूं कि यह चर्चा हम एक घंटा पहले आरंभ कर सकते थे। तब, हम दोनों को राजनैतिक वाकपटुता में बात करने का अवसर मिल सकता था।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या आप संसद में यह जानकारी देना चाहेंगे कि इस विधेयक के पारित होने के एक वर्ष के पश्चात्, कितना विदेशी धन भारत में आया है?

श्री कमलनाथ: हम विदेशी और घरेलू दोनों निवेश कह सकते हैं क्योंकि एक मुख्य बात जिसके विषय में मैंने शायद बात नहीं की है वह यह है इसका प्रयोजन, केवल विदेशी निवेश नहीं है। इसमें घरेलू निवेश का भी एक बड़ा घटक शामिल है। यह कुल, चरणों में निवेश के प्रयोजन से संबंधित है जिसकी हम

निस्संदेह सूक्ष्मता से निगरानी करेंगे। वस्तुतः इस प्रकार के विधेयक लाने का हमारा यह पहला अनुभव है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका हमें अनुभव हो। जैसा मैंने कहा, हमने सभी तरह के सुझाव और विचार प्राप्त करने का प्रयास किया। हमने उन्हें विधेयक में सम्मिलित करने का प्रयास किया। इस पर आगे कार्यवाही करते समय, यदि हम पाते हैं कि इसमें कुछ बाधाएं हैं और हमें इसमें कोई चीज जोड़ने की आवश्यकता है तो इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए संसद इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

मैं निर्यात की आवश्यकता को बहुत गहराई से समझने के लिए प्रो. रामदास को धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी-कभी यह समझा जाता है कि निर्यात की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने उन निर्यातोन्मुखी इकाइयों के संबंध में मुद्दा उठाया है, जो पहले से मौजूद हैं और निर्यातोन्मुखी इकाइयां यदि चाहें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में कैसे जा सकती हैं। हमें अप्रत्यक्ष निर्यातोन्मुखी इकाईयों से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की कुछ सुविधाओं के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्यातोन्मुखी इकाइयों हेतु समान अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। हम उन मामलों पर विचार कर रहे है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यमान निर्यातोन्मुखी इकाइयों को हानि न हो। परन्तु हमें एक बात समझनी चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नई निर्यातोन्मुखी इकाईयों को आकर्षित करने के लिए है और जो निर्यातोन्मुखी इकाइयां पहले से ही विद्यमान हैं वे नई नहीं है। परन्तु साथ ही इस पर विचार करते हुए हमें यह भी देखना होगा कि उन्हें कोई हानि न हो और उन्हें समान अवसर मिलें। उन्होंने बोर्ड और सदस्यों की अनुमति का उल्लेख किया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकारों को नजरअन्दाज करने की कोई मंशा नहीं है।

एक और सुझाव समय-सीमा के बारे में प्राप्त हुआ था। नियमों में इसकी समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

अन्त में मैं चर्चा में सक्रिय भागीदारी हेतु आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यह शायद देश में आर्थिक गवितिधियों को प्रेरित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह आर्थिक गतिविधि की ओर बढ़ता हुआ कदम है और सरकार आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है।

परन्तु आज हम यहां पहली बार एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे है जो एक विधायी प्रक्रिया ढांचा विशेष आर्थिक क्षेत्रों हेतु, ढांचा तैयार करने का एक नया मार्ग है, जिससे आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोजगार सृजन हेतु एक नया मार्ग खोलने के लिए इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय इस विधेयक में जो लिखा है और माननीय मंत्री जो कह रहे हैं वह विरोधाभासी है। माननीय मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकारों के अधिकारों और प्राधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। परन्तु विधेयक के खण्ड 3(4) में जो लिखा है वह भिन्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि इसकी भाषा को बदला जाए अन्यथा इस विधेयक का समर्थन हमारे लिए मुश्किल होगा।

दूसरे, एक स्थान पर 'श्रम कानूनों' का लोप कर दिया गया है परन्तु मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे स्थान पर 'श्रम कानूनों के उल्लेख के अलावा' शब्दों को जोड़ा जाए। उत्तर देते हुए उन्होंने इसे सहमति प्रदान की है। परन्तु, जब तक भाषण में यह परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जब तक माननीय मंत्री इस प्रकार के दो छोटे संशोधनों को लाकर इन दोनों सुझावों से सहमत नहीं होते हमारे लिए इस विधेयक का समर्थन करना मुश्किल होगा।

सभापति महोदय: आप कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। नियमों में यह निर्धारित है कि नियमों में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार एक औपचारिक संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् ही इसे स्वीकार किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि इस संबंध में वे राज्य सभा में संशोधन प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा हमें इसका विरोध करना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: राज्य सरकार की भूमिका के संबंध में कुछ आशंकाएं हैं। माननीय मंत्री जो यहां कह रहे हैं यह इसकी एक व्याख्या है। इसकी एक और व्याख्या है। समस्या यह है कि माननीय मंत्री इस सभा में संसद सदस्यों को यह आश्वासन दें कि राज्य सरकारों को नजरअन्दाज नहीं किया जाएगा और इस कार्य में शामिल किया जाएगा? वे यह आश्वासन दें। ...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: महोदय, मेरे विचार में यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है कि मैंने राज्य सरकारों से परामर्श करने का आश्वासन दिया है। प्रक्रिया के अनुसार अभी कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आश्वासन दिया गया है और इसे सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में भी शामिल किया गया है। परन्तु, नियम तो बनाने होंगे-माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देता हूं कि नियम बनाते समय हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय: मेरे विचार में मंत्री जी का यह एक अच्छा प्रस्ताव है।

अब प्रश्न यह है:-

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:-

"कि खंड 2 से 49 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 49 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 50

छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 21, पंक्ति 10 से 19 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए-

"(ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां।" (1)

(श्री कमल नाथ)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि खंड 51 से 58 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51 से 58 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय, यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जब वह इसे नियमों में शामिल करने के लिए तैयार हो गए है और चूंकि उन्हें समय मिल रहा है इसलिए वह इसमें उपयुक्त संशोधन ला सकते हैं क्योंकि इसे राज्य सभा में परसों भेजा जाएगा।

सभापति महोदय: आपको प्रक्रिया की जानकारी है। कानून बनाना एक लम्बी और धीमी प्रक्रिया है। इसे पुनः मंत्रिमंडल के पास भेजना पड़ेगा और इसके अलावा वे आपको पहले ही आश्वासन दे चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: जब एक संशोधन को आधे घंटे में स्वीकार कर लिया गया था तो दो संशोधनों को स्वीकार करने में क्या समस्या है?

सभापति महोदय: फिर इसे लम्बे समय के लिए आस्थगित कर दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना एक संशोधन स्वीकार किया गया था और एक खण्ड को हटा दिया गया था। तो अब क्या समस्या आ रही है जबकि उन्हें इसका समय भी मिल रहा है? वह इतना आश्वासन तो दे ही सकते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): एक मंत्री इस सभा में दूसरी सभा के बारे में आश्वासन कैसे दे सकता है।

सभापति महोदय: आप इस मामले पर माननीय मंत्री से चर्चा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आपसी सहमति से कोई हल निकल आएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम सुबह से इस पर चर्चा कर रहे हैं और उन पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं। हम केवल दो छोटे संशोधनों की मांग कर रहे हैं और उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

श्री कमलनाथ: मैं इसे अधिनियम के एक अंग के रूप में इसे नियमों में शामिल करूंगा। आप इससे अधिक क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री कमलनाथ: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा 11 मई, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 11 मई, 2005/21 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा श्री मुन्शी राम	621
2.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	622
3.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	623
4.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री रायापति सांबासिवा राव	624
5.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री तथागत सत्पथी	625
6.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	626
7.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	627
8.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री बाडिगा रामकृष्णा	628
9.	श्री महावीर भगोरा श्री बसुदेव आचार्य	629
10.	श्री विजय कुमार मल्होत्रा डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	630
11.	श्री पंकज चौधरी	631
12.	श्री श्रीपाद येसो नाईक श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	632 633
13.	श्री ब्रजेश पाठक	633
14.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	634
15.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	635
16.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	636
17.	श्री सुरेश कुरूप	637
18.	श्री राम कृपाल यादव श्री एस.के. खारवेनथन	638
19.	श्रीमती अनुराधा चौधरी प्रो. महादेवराव शिवनकर	639
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव	640

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	6685, 6731, 6738, 6743
2.	अहमद, श्री अतीक	6579
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	6601, 6749, 6755
4.	अंगड़ि, श्री सुरेश	6609, 6672
5.	अंसारी, श्री फुरकान	6719
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	6607, 6654
7.	अर्गल, श्री अशोक	6585
8.	आठवले, श्री रामदास	6628, 6707
9.	''बचदा'', श्री बची सिंह रावत	6603
10.	बैठा, श्री कैलाश	6594, 6611
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	6629, 6683, 6701, 6704
12.	बर्मन, श्री हितेन	6633, 6697, 6727
13.	बर्मन, श्री रनेन	6591, 6677, 6753
14.	बखला, श्री जोवाकिम	6591
15.	भगोरा, श्री महावीर	6689, 6722
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	6613, 6681
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	6744
18.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	6582, 6667, 6754
19.	बोस, श्री सुब्रत	6633
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	6581, 6597, 6643
21.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	6687
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	6649
23.	चारेनामै, श्री मणि	6619
24.	चौरे, श्री बापू हरी	6636, 6675

1	2	3
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	6581, 6653, 6761
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	6592
27.	चिन्ता मोहन, डा.	6640
28.	चौधरी, श्री अधीर	6578, 6643, 6696
29.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	6719
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	6605
31.	धनराजू, डा. के.	6719
32.	धोत्रे, श्री संजय	6745
33.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	6624
34.	गढ़वी, श्री पी.एस.	6638
35.	गमांग, श्री गिरिधर	6584, 6673, 6715
36.	गंगवार, श्री संतोष	6641, 6656, 6690, 6752
37.	गाव, श्री तापिर	6647
38.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	6620
39.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	6646
40.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	6632
41.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	6679, 6719, 6760, 6763
42.	हसन, श्री मुनव्वर	6625, 6682
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	6578, 6634
44.	जय प्रकाश, श्री	6755
45.	झा, श्री रघुनाथ	6611, 6616, 6678, 6756
46.	जोगी, श्री अजीत	6664, 6713
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	6657
48.	कामत, श्री गुरूदास	6724, 6751
49.	करूणाकरन, श्री पी.	6652, 6701
50.	कस्वां, श्री राम सिंह	6750
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	6623
52.	खन्ना, श्री अनिवाश राय	6653
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	6665, 6717, 6734, 6740
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	6593
55.	कृष्ण, श्री विजय	6611
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	6640
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	6627, 6683, 6727
58.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	6615
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	6598, 6653
60.	महतो, श्री बीर सिंह	6592
61.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	6643
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	6725
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	6590, 6686
64.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	6651
65.	मिडियम, डा. बाबू राव	6663, 6712
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	6588, 6669
67.	मोदी, श्री सुशील कुमार	6637, 6699, 6725
68.	मोहिते, श्री सुबोध	6749
69.	मुर्मू, श्री हेमलाल	6747
70.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	6670
71.	नायक, श्री अनन्त	6599, 6671, 6718, 6732
72.	नीतीश कुमार, श्री	6630, 6640
73.	ओराम, श्री जुएल	6716, 6719
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	6581, 6688, 6693, 6730, 6749
75.	पलनिसामी, श्री के.सी.	6602
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	6621, 6692

1	2	3
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	6586, 6668
78.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	6618
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	6592
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	6610, 6685, 6706, 6719
81.	पटैरिया, श्रीमती नीता	6596
82.	पाठक, श्री ब्रजेश	6667, 6728
83.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	6620, 6659, 6710
84.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	6650
85.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	6600
86.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	6688, 6716
87.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	6606, 6656, 6674
88.	प्रधान, श्री प्रशान्त	6580
89.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	6702
90.	प्रसाद, श्री लालमणि	6645
91.	रामकृष्णा, श्री बाडेगा	6672, 6716, 6735, 6742
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	6684, 6726, 6736, 6741
93.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	6620
94.	रावत, श्री अशोक कुमार	6612
95.	रावत, श्री कमला प्रसाद	6617
96.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	6629, 6662
97.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	6655
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	6632, 6695
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	6595, 6703, 6757
100.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	6649
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	6675
102.	साई प्रताप, श्री ए.	6695
103.	सज्जन कुमार, श्री	6635
104.	सांगवान, श्री किशन सिंह	6705
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	6639
106.	सत्पथी, श्री तथागत	6694, 6712
107.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	6693
108.	सेलवी, श्रीमती वी. राधिका	6654
109.	सेन, श्रीमती मिनाती	6589, 6719
110.	सेठी, श्री अर्जुन	6733
111.	शाहिद, मोहम्मद	6748
112.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	6622
113.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	6691, 6694, 6724, 6737
114.	शिवन्ना, श्री एम.	6644, 6690, 6723, 6761
115.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	6709
116.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	6700
117.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	6592
118.	सिंह, श्री रामसेवक	6626
119.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	6648
120.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	6686, 6721
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	6660, 6709, 6711, 6758
122.	सिंह, श्री गणेश	6608
123.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	6604
124.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	6658, 6708
125.	सिंह, श्री सुग्रीव	6685, 6706, 6719, 6720, 6746
126.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	6631

1	2	3
127.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	6716
128.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	6583, 6666, 6714
129.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	6587
130.	थामस, श्री पी.सी.	6614, 6698, 6729
131.	ठुम्मर, श्री वी.के.	6592, 6642
132.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	6656
133.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	6680, 6720, 6733, 6739
134.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	6692
135.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	6592, 6642
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	6686
137.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	6585
138.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	6694, 6731, 6759, 6762
139.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	6661
140.	यादव, श्री बालेश्वर	6675
141.	यादव, श्री पारसनाथ	6650

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	624, 627, 630, 632, 634
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	631, 639, 640
मानव संसाधन विकास	:	623, 625, 628, 633, 638
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	626, 629, 637
शहरी विकास	:	621, 622, 636
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	635
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	6582, 6590, 6597, 6598, 6601, 6602, 6612, 6613, 6614, 6615, 6617, 6618, 6619, 6621, 6631, 6639, 6640, 6643, 6644, 6648, 6649, 6653, 6654, 6656, 6665, 6668, 6669, 6675, 6680, 6684, 6693, 6695, 6698, 6701, 6703, 6705, 6706, 6709, 6711, 6719, 6726, 6734, 6736, 6738, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6746, 6748, 6750, 6751, 6752, 6755, 6756, 6757, 6760, 6761, 6763
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	6667, 6714
गृह	:	6583, 6585, 6587, 6603, 6609, 6610, 6620, 6628, 6630, 6641, 6645, 6646, 6650, 6651, 6664, 6666, 6671, 6676, 6678, 6679, 6682, 6683, 6685, 6696, 6716, 6717, 6733
मानव संसाधन विकास	:	6579, 6580, 6581, 6586, 6589, 6591, 6593, 6607, 6624, 6627, 6629, 6632, 6655, 6686, 6687, 6688, 6692, 6694, 6700, 6708, 6712, 6718, 6720, 6721, 6725, 6729, 6730, 6731, 6732, 6735, 6739, 6749, 6754, 6759, 6762
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	6584, 6588, 6596, 6642, 6662, 6663, 6673, 6689, 6690, 6713, 6715, 6722, 6727
शहरी विकास	:	6578, 6592, 6594, 6599, 6600, 6605, 6606, 6611, 6616, 6622, 6625, 6626, 6633, 6635, 6636, 6638, 6657, 6658, 6659, 6661, 6670, 6672, 6674, 6677, 6681, 6691, 6697, 6702, 6707, 6710, 6723, 6724, 6728, 6745, 6747, 6753, 6758
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	6595, 6604, 6608, 6637, 6647, 6652, 6704, 6737
युवक कार्यक्रम और खेल	:	6623, 6634, 6660, 6699

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/10/35/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोशिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।